खण्ड-243, अंक-2
गुरूवार, 9 कार्तिक, शक संवत् 1885
(31 अक्टूबर, 1963 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | १२९–१३३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | १३३–१८१ |
| ३० अक्तूबर, १९६३ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जानकारी (जारी) | १८२ |
| मंत्रिमंडल के गठन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उठाये गये प्रश्न के संबंध में जानकारी (जारी) .. .. | १८२–१८३ |
| ३० अक्तूबर, १९६३ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जानकारी | १८३ |
| मंत्रिमंडल के गठन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उठाये गये प्रश्न के संबंध में जानकारी .. .. .. | १८३–१८४ |
| सदन की आगामी बैठक की तिथि की सूचना .. .. | १८४–१८५ |
| प्रश्नों के संबंध में आपत्ति .. .. .. | १८६–१८७ |
| नियम ५२ तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं .. | १८७–१९० |
| जिला अन्तरिम परिषद्, वाराणसी द्वारा सुरक्षा कोष में कथित गबन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. | १९०–१९४ |
| सल्तनत बहादुरसिंह इंटरमीडियेट कालेज, बदलापुर, जौनपुर के प्रधानाचाएं तथा अध्यापकों और छात्रों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. | १९५–१९८ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी .. | १९८ |
| वाराणसी जिले की चकिया-चंदौली तहसीलों में धान की फसल में पुआरी रोग लगने के संबंध में वक्तव्य .. .. | १९८–१९९ |
| बलिया जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के संबंध में वक्तव्य .. | १९९ |
| १८ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०–१२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन .. .. | २०० |
| २८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन | २०० |
| विभिन्न समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. | २०० |
| संयुक्त समाजवादी दल का विघटन .. .. | २०१ |
| सदन की दर्शक दीर्घाओं में सी० आई० डी० की उपस्थिति के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर निर्णय .. .. | २०१–२०२ |
| प्रदेश में स्थायी वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत) .. | २०२–२३२ |
| प्रदेश में पुलिस से संबंधित विभिन्न स्थानों पर हाल ही में घटित घटनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा .. .. | २३२–२५४ |
| लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा .. | २५४ |
| राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा | २५४ |
| ३० अक्तूबर, १९६३ क अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में उठायी गयी आपत्ति तथा विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. .. | २५५ |
| नत्थियां .. .. .. .. | २५६–२७८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बृहस्पतिवार, ३१ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगशीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिवन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह , कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिमैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

---

### बृहस्पतिवार, ३१ अक्तूबर, १९६३

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### लखनऊ में नसीम मंजिल पर कब्जा लेने के संबंध में जांच

**१--श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद), श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री होरीलाल यादव जिला (इटावा)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९६३ को सायं साढ़े चार बजे लगभग ५०-६० आदमियों ने नसीम मंजिल राना प्रताप मार्ग पर लाठी और बल्लम से मुसल्लह होकर हमला किया और उस पर जबरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की ? क्या यह भी सही है कि उस समय थाना हजरतगंज के इंचार्ज भी वहां मौजूद थे जिन्होंने महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा को ढकेल कर स्वयं कुरसी अन्दर रखने की कोशिश की और उस वक्त कोठी के अन्दर महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा के बीबी-बच्चे और श्वसुर जी भी मौजूद थे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

जी नहीं । शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार नसीम मंजिल नामक मकान पर श्री सत्यसिन्धु पांडे नामक एक व्यक्ति ने एक एलाटमेंट आर्डर के आधार पर २१-१०-६३ को कब्जा कर लिया और उस समय कोई झगड़ा नहीं हुआ । श्री पांडे द्वारा कब्जा लेते समय थाना हजरतगंज के इंचार्ज मौके पर मौजूद नहीं थे अतः प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

**२---श्री महमूद हसन खां, श्री रियासत हुसैन तथा श्री होरीलाल यादव---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना हजरतगंज में साढ़े ६ बजे सायं को की गई तो पुलिस ने उस समय क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि जब महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा और रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा औरतों और बच्चों को वहां देखने के लिये गये तो उन पर ५०-६० आदमियों ने हमला किया और दोनों सदस्यों तथा महमूद हसन खां, सदस्य, विधान सभा के भानजों को चोट भी लगी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री मुहम्मद इकरामुद्दीन ने ८-३० पर तथा श्री महमूद हसन खां एम०एल० ए० ने ८-४५ पर शाम को थाना हजरतगंज पर रिपोर्ट लिखाई कि कुछ लोगों ने मारपीट की और मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं । इन रिपोर्टों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच हो रही है, जांच पूरी हो जाने पर ही यह कहा जा सकेगा कि शिकायतें किस हद तक सही थीं ।

**३---श्री महमूद हसन खां, श्री रियासत हुसैन तथा श्री होरीलाल यादव---

क्या सरकार को यह मालूम है कि दिनांक २२ अक्तूबर सन् १९६३ को सुबह ६ बजे के लगभग करीब ५०--६० आदमियों ने उस कोठी के किवाड़े वगैरह को तोड़ कर औरतों और बच्चों को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया और कोठी पर अपना नाजायज कब्जा कर लिया और सरकार उस कब्जे को खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है । मकान पर एलाटमेंट के आधार पर किये गये कब्जे के बारे में एक रिट हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हो गई है जो विचाराधीन है ।

इसके पूर्व कि मैं उत्तर पढ़ूं मैं श्रीमन् का ध्यान रिट ऐप्लीकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है । उसमें पुलिस के खिलाफ वही ऐलीगेशन्स किये गये हैं । प्रेयर तो यह है कि अलाटमेंट कैंसिल किया जाय लेकिन ऐप्लीकेशन में जो ऐलीगेशन्स किये गये हैं उसमें पुलिस के खिलाफ भी है । यदि आज्ञा दें तो वह एलीगेशन्स पढ़ दूं और फिर जैसी आज्ञा हो वैसा करूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

जो प्रेयर है वही आपरेटिव, उसी पर ऐक्शन हुआ । क्या ऐलीगेशन है, क्या रेफरेंस है वह तो एक बाडी है प्लेंट की । लेकिन जो हमारा अंतिम क्लाज है वह यही है कि उनका अलाटमेंट कैंसिल किया जाय । लिहाजा उसका इससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं बगैर उसको स्टडी किये हुए एक दम से जवाब नहीं दे सकता । (मंत्री जी) आपने सवालों के उत्तर तो दे दिये हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

प्रेयर का जो पोरशन है उसकी ग्राउन्ड्स को देख लिया जाय कि प्रेयर में क्या ग्राउन्ड्स दिये हुए हैं और उसके बाद....

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कह रहा हूं कि मुकदमा में अलग-अलग ईश्यूज होते है। रिलीफ तो एक ही मांगी जाती है, लेकिन एक रिलीफ मांगने के लिये, कई एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जब तक स्टडी न कर लूं तब तक उत्तर नहीं दे सकता। स्टडी करके मैं बता सकूंगा। अगर सब-जुडिस मामला है तो सवाल का जवाब नहीं होना चाहिये, अन्यथा जवाब देना चाहिये। तो मैं इसको देख लूं तब तय करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

आज एसेम्बली खत्म हो रही है और फिर एक महीने बाद बैठेगी तो इसका सारा मकसद ही डिफीट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार नहीं होगा इन सवालों में जो महत्व मैं देखता हूं वह यह है कि इसमें हमारे सदन के माननीय सदस्य के संबंध में पुलिस का व्यवहार अशोभनीय हुआ। इसी वजह से इसको अल्पसूचित स्वीकार किया। वरना जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वे तो तारांकित प्रश्न की हैं, लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों से संबंधित हैं इसलिये अल्पसूचित कर दिया। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं उत्तर दे दिया गया है। मैं देख लूं कि यह सब-जुडिस ही है तो उसके उत्तर नहीं होने चाहिये और न इस पर सप्लीमेंटरी ही होने चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसका निर्णय कब होगा और कब इस पर सप्लीमेंटरी हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं जब निर्णय दूंगा तब सप्लीमेंटरी हो सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कब होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूं तभी बताऊं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप कबूल करते हैं कि सदन के एक माननीय सदस्य का अपमान हुआ है तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अल्पसूचित के योग्य नहीं था परन्तु इसे अल्पसूचित कर दिया गया क्योंकि इसका एक माननीय सदन के सदस्य से संबंध था।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अगर आप पढ़ कर सुना देते, तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा। मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकता हूं। मैं पहले देख लूं तब बता सकूंगा कि क्या उपाय किया जाय।

## ब्लाकों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन

**४--श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ब्लाक पहली जुलाई, सन् १९६३ से द्वितीय चरण में आये हैं उन ब्लाकों में जन-स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन आज तक क्यों नहीं दिया जा सका ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

कर्मचारियों के विभिन्न खर्चों की मदों के संबंध में आवश्यक विवरण की जांच-पड़ताल में समय लगने के कारण उन का वेतन नहीं दिया जा सका है।

**५--श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश भर में जो ब्लाक द्वितीय चरण में एक जुलाई, १९६३ से आये हैं उनमें जन-स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपना वेतन आज तक न पा सकने के कारण अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करना असंभव हो रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, उन कर्मचारियों को अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण में कठिनाई अवश्य हो रही होगी।

**६--श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों का वेतन उनको कब तक मिल जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कर्मचारियों को वेतन दिलाने के आवश्यक आदेश बहुत शीघ्र ही जारी हो जायेंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच-पड़ताल वे करवा रहे हैं, वह किस स्टेज पर है और कितने दिनों में समाप्त हो जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैंने आदेश जारी कर दिये हैं और अगले ४-६ दिनों में तनख्वाह दिलाने का काम शुरू हो जायगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी स्टेज पर ब्लाक के जन-स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे भी रहे जिनकी ओर गत वर्ष भी ध्यान नहीं दिया गया और मेरे द्वारा दफा ५२ में ध्यान आकर्षित करने पर ही ध्यान दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जांच-पड़ताल पहले से हो रही है। यह ५२ के बाद नहीं हुई है। जांच जारी थी। इस संबंध में जैसा मैंने बताया आदेश जारी कर दिये हैं कि इस तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिये। जब दूसरे चरण में ये प्लानिंग डिपार्टमेंट से कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट में आये तो उसके २-३ महीने पहले से ही काम आरम्भ हो जाना चाहिये ताकि उनको समय से ही तनख्वाह मिल जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुये तनख्वाह न मिलने से जो असुविधा हुई है इस पर आदेश जारी करेंगे कि इन कर्मचारियों को थोड़ा बहुत खर्चे के लिये रुपया दे दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो कहा है कि आदेश जारी कर दिये गये हैं। माननीय मंत्री ने यही तो कहा है।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां, आदेश जारी कर दिये हैं और ४-६ दिनों में तनख्वाह दिये जाने की कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय अध्यक्ष, इस बात की बड़ी शिकायत होती है कि छोटे कर्मचारियों का बकाया रहता है, क्या किसी बड़े कर्मचारी का भी वेतन बकाया रहता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी काम करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में आ गये हैं उन सब कर्मचारियों को चाहे छोटे हों या बड़े, वेतन बकाया है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### गन्ने का मूल्य

*१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को ९ अक्तूबर, १९६३ से चलाने का कोई आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*२---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या केन्द्रीय सरकार ने मिलों में ई हानि के आधार पर मि नों को कुछ सहायता देने का आश्वासन भी दिया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या यह सच है कि इस वर्ष पूर्वी जिलों के गन्ना किसानों को गन्ने का दाम कोल्हू न रखने के कारण पश्चिमी जिलों के किसानों से दो आना फी मन कम दिया जायगा और क्या पश्चिमी जिलों में गन्ने का दाम मिल रेट और कांटों पर समान मिलेगा और पूर्वी जिलों में कांटों पर फी मन तीन आना कम मिलेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिल मालिक घाटे के कारण सहायता करने की मांग किये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

घाटा देकर तो कोई सहायता नहीं करवाता। ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कांटे पर जो गन्ने का रेट है और जो मिल के गेट पर है उसमें कोई फर्क है ? इस संबंध में क्या विवरण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कांटे के रेट और मिल के रेट में अब दो आने का फर्क है, यानी १२ नये पैसे का पहले यह फर्क ६ आने तक हो सकता था, लेकिन अब १२ नये पैसे से ज्यादा नहीं हो सकता ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री ने बयान में खुद कहा था कि पूर्व के जिलों में दो आने मन कम गन्ने की कीमत मिलेगी और पश्चिम में दो आने ज्यादा तो इस कीमत में जो असमानता है उसे सरकार दूर करने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रेट कम होने की बात नहीं है। पारसाल जो दाम थे ९ परसेंट रिकवरी बेसिस पर वह १ रुपये ५० नये पैसे थे, जो इस सरकार ने निश्चित किये थे। अब वह १ रुपये ९ आने हो गये हैं और आपको प्रसन्नता होगी कि दो आने और बढ़ जाने से १ रुपये ६८ नये पैसे कम से कम मिलेंगे। जहां तक पश्चिमी जिलों का सवाल है वहां कम्पटीशन ज्यादा है वहां अगर मिल मालिक ज्यादा दाम देना चाहेंगे तो ज्यादा दाम दे सकेंगे और वे वहां २ रुपये मन तक दे सकेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

यह जो कम्पटीशन की बात है तो कोल्हू कम और कोल्हू ज्यादा की सीमा क्या है और कैसे गवर्नमेंट इस निश्चय पर आती है कि इतने कोल्हू पर ज्यादा हो जाता है और इतने कोल्हू पर कम हो जाता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

साधारणतया गन्ना मिलने की बात है। जहां ज्यादा कीमत मिलती है वहां कम्पटीशन की बात है, लेकिन जैसा बताया किसी को शिकायत इसलिये नहीं होनी चाहिये, क्योंकि रिकवरी बेसिस पर सब जगह दाम फिक्स किये गये हैं और पारसाल जो दाम फिक्स थे उनसे कम से कम ३ आने ज्यादा इस साल फिक्स कर दिये गये हैं।

श्री बलवानसिंह—

क्या सरकार कम्पटीशन में रेट २ रुपये सीमित न रख कर जनरल वे में गन्ने का दाम दो रुपये फिक्स करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने बताया कि मेरठ रीजन में ही यह कम्पटीशन है जहां २ रुपये तक दाम मिल सकेंगे वैसे रिकवरी जो कि ९ परसेंट पर है उसके हिसाब से १ रुपये ६८ नये पैसे ही गन्ने के दाम मिलेंगे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—

क्या सरकार ने अब तक उन मिलों की लिस्ट तैयार कर ली है कि जो पहले १ रुपये १२ आने दे सकती थीं और अब गन्ने के दाम कम्पटीशन में २ रुपये तक दे सकती हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

लिस्ट तो तैयार है, लेकिन मेरे पास इस समय यहां नहीं है । अगर आप मेरे कमरे में आ जायंगे तो मैं आपको उसे दिखा दूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब से क्रशिंग सीजन शुरू हो तो क्या सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिये हैं और ऐसा कोई आधार तैयार किया है कि केन्द्रीय सरकार के जो आदेश आये हैं उनके अनुसार किसानों को गन्ने की कीमत दी जाय और उसमें कोई फर्क न हो, बल्कि एक यूनिफार्म रेट पर वह कीमत हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गन्ने की पिछले साल की रिकवरी के आधार पर हर मिल में कितने दाम होंगे.....

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि रिकवरी का प्रश्न बाद में होगा शुरू में कीमत के संबंध में कोई आर्डर्स आपने जारी किये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

शुरू में जब कम से कम रिकवरी होगी तो १ रुपया ६८ नये पैसे दाम देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल यह है कि अब जो रिकवरी कर रहे हैं या पिछले वर्ष की रिकवरी पर कीमत तय की जायगी ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा था कि पिछले वर्ष की रिकवरी के आधार पर हर मिल के लिये दाम निश्चित हैं और जो ९ परसेंट या उससे कम हो उसके लिये १.६८ रुपया दाम है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहां प्रतिस्पर्द्धा है वहां गन्ने का मूल्य २ रुपये दे सकते हैं और ऐसी बात केन्द्रीय सरकार की ओर से भी है । तो क्या प्रदेशीय सरकार २ रुपये मन में गन्ना बिके इसके लिये कोई आदेश देगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

दाम तो हमेशा मिनिमम फिक्स करते हैं । मैक्सिमम तो जो भी मिल देना चाहे दे सकती है । और आपको मालूम होगा कि जब १ रुपया १२ आने मन गन्ने का दाम था उस समय भी २ रुपये और सवा २ रुपये मेरठ रीजन में मिलों ने दिया ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

प्रदेश के जिन मिल क्षेत्रों में खांडसारी यूनिट्स नहीं हैं या कोल्हू नहीं चलते हैं, जहां गन्ना अधिक से अधिक मिलों को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है वहां तो काश्तकारों को १ रुपया १० आने मन दिया जाय और जहां के लोग आपके लक्ष्य को पूरा करने में असहयोग करते हों वहां २ रुपये मन देने का क्या औचित्य है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो दाम फिक्स किये हैं वह तो रिकवरी बेसिस पर जो पारसाल की थी उस पर मिनिमम फिक्स किये हैं और वही कीमत के निर्धारित करने का मापदंड है, लेकिन उसके बाद भी जहां कम्पटीशन ज्यादा है वहां मिलें ज्यादा दाम देंगी । ये मिलें भी ज्यादा देना चाहें तो दे सकती हैं ।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार की यह पालिसी है कि वह १५ लाख टन चीनी इस साल पैदा करेगी और उतनी चीनी पैदा करने के लिये ही उसने कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह में छूट मिल मालिकों को दी है। तो इस पालिसी के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में किसान खांडसारी या कोल्हू में अपना गन्ना नहीं लगाते हैं और सीधे मिलों को देते हैं उन मिलों को गन्ना दिलवाने के लिये २ रुपये मन गन्ने की कीमत करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक्साइज में छूट देने का यही कारण नहीं है बल्कि और कारण है । कुछ मिलों को यह आदेश दिये गये क्योंकि शुरू-शुरू में गन्ना पकता नहीं है और रिकवरी ९ परसेंट से नीचे ६, ७, ८ परसेंट रहती है तो अगर वे मिलें पहले गन्ना पेरना चाहें तो पारसाल जितना गन्ना पिरा उससे जितना अधिक होगा उसमें ५० फी सदी एक्साइज की छूट इसलिये दी जायगी नहीं तो साधारणतया मिलें पेरेंगी नहीं, क्योंकि कम चीनी पैदा होगी । इसलिये ५० परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक्साइज में छूट दी है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या पूर्वी जिलों में कोई मिल क्षेत्र ऐसा है जहां पर गुड़ और खांडसारी की स्पर्द्धा सरकार को दिखाई पड़ती हो और जिसके कारण उनको २ रुपये मन तक गन्ने का दाम मिल सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पूर्वी जिलों की क्या स्थिति है यह प्रश्न आपने आगे किया है उसमें मैं साफ कर दूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि पश्चिमी जिलों में कहा जाता है कि २ रुपये मन के दाम दिये जायेंगे ? वहां के लिये यह योजना है कि गुड़ बनाने को रोका जाय और गुड़ की कीमत गिराई जाय और गुड़ के बाहर जाने में सरकार रुकावट डाले ताकि उसकी कीमत गिर जाय और २ रुपये मन गन्ने के दाम देने की जरूरत न पड़े ? इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि इस तरह की योजना है या नहीं ? अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा कृपया उसको बतायें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह तो विचाराधीन है, लेकिन ऐसी योजना नहीं है कि पारसाल जितना गुड़ या खांड-सारी बनी उतनी इस साल नहीं बनने देंगे ।

## चुर्क सीमेंट फैक्टरी में श्री जयन्तीलाल की भूख-हड़ताल

*४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बहुत पुराने कर्मचारी श्री जयन्तीलाल उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले न लागू करने की वजह से १६ सितम्बर, १६६३ से चुर्क फैक्टरी में आमरण अनशन कर रहेहैं ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू न करने का कारण क्या है ?

गृह उप-मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

चुर्क फैक्टरी के भूतपूर्व कर्मचारी श्री जयन्तीलाल ने जिन्हें अपने पद से दिनांक ३-५-१६५६ से बर्खास्त कर दिया गया था, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद क निणय क आधार पर पुनः नियुक्ति के लिए फक्टरी को बाध्य करन क लिए १६-६-१६६३ से कथित अनशन आरम्भ किया और दिनांक ५-१०-१६६३ को समाप्त किया। उनके विषय में शासन ने जो अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है वह अभी फैसल नहीं हुई है ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के फलस्वरूप श्री जयन्तीलाल को जिला जज इलाहाबाद ने पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १६३६ के अन्तर्गत दिनांक ३१-३-१६५७ तक का वेतन रु० ११६५.३३ न० प० दिलाया जो कि फक्टरी न परगनाधीश, राबर्ट्सगंज क यहां जमा कर दिया। जिला जज, इलाहाबाद के निर्णय के विरुद्ध श्री जयन्तीलाल ने दो रिट-प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर किये हैं जो कि विचाराधीन ह। जो विषय न्यायालय के विचाराधीन हैं, उन पर विस्तार से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में जयन्ती-लाल जी के पक्ष में फैसला कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या व इसकी जानकारी करन की कृपा करेंगे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हाई कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपील की है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है । यदि उनके पास सूचना नहीं है तो क्या वे उसको मंगाकर उनको नौकरी पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी यह बता दीजिये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील एडमिट हुई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मांगों को लेकर जयन्तीलाल जी ने भूख हड़ताल की थी उनको मनवाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जयन्तीलाल जी का कहना यह है कि वह गवर्नमेन्ट सरवेंट हैं और उनके ऊपर वह स्टैन्डिंग आर्डर जो अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बहुत पुराने कर्मचारी श्री जयन्तीलाल उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले न लागू करने की वजह से १९ सितम्बर, ६३ से चुर्क फैक्टरी में आमरण अनशन कर रहे हैं? सवाल यह आता है कि उच्च न्यायालय ने फसला किया है उसको कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, इसलिये अनशन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

उच्च न्यायालय ने जब फैसला कर दिया तो जिस दिन से उनको निकाला गया तब से उनको वेतन मिलना चाहिये था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर नहीं जारी किया था तो उसको कार्यान्वित करना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी नहीं किया, तो आप उस फैसले को क्यों नहीं कार्यान्वित करते ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे आर्डर नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेन्ट को अपील करने का अख्तियार था। हाई कोर्ट ने डिस्मिसल को क्वैश कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक आर्डर्स नहीं दिये थे कि इनको कितना रुपया दिया जाय।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर नहीं दिया तो उच्च न्यायालय का फैसला लागू होना चाहिये। उसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, न लागू करन का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि अपील कर दी है। वजह बतला दी, वह बुरी हो या अच्छी हो।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जयन्तीलाल के सिलसिले में जो हाई कोर्ट का फसला है कि उन्हें १,१९५ रुपये ३३ नय से दिये जायं और डी० एम० के यहां वह पया जमा है वह जयन्तीलाल को पया न देने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह डिस्ट्रिक्ट जज, इलाहाबाद का फैसला था कि १,१९५ रुपये ३३ नये पैसे वेतन के और १० रुपये कम्पनसेशन के दिये जायं। वह रुपया अदालत में जमा कर दिया है। उन्होंने रुपया लिया नहीं है।

## चीनी के मूल्य में बढ़ोत्तरी

*५—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में प्रदेश की कुछ चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का एक्स-फैक्टरी दाम बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो किन मिलों के ऊपर इस बढ़ती का असर पड़ा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्त चीनी मिलें तथा मेरठ रीजन की जिन चीनी मिलों की चीनी का एक्स-फैक्टरी मूल्य बढ़ा दिया गया है उनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५६ पर)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चीनी के दाम बढ़ाने के पहले उन्होंने इन फैक्टरियों का कास्ट आफ प्रोडक्शन, घाटा या मुनाफा की तालिका यानी बैलेंस शीट तथा जिस भाव पर वह चीनी बाजार में बेचते रहे हैं उस सब की कोई जांच करायी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह दाम तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने बढ़ाये। इसकी सूचना तो वह दे सकेंगे हमारे पास जो सूचना है उसको अगर आप चाहें तो बता दूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों के एसोसियेशन के निवेदन पर चीनी के दाम बढ़ाने की यह चर्चा शुरू की थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है। नोटिस चाहिए। लेकिन इंडियन मिल्स एसोसियेशन ने एक रिप्रेजेन्टेशन किया था और उसमें कहा था कि पूर्वी जिलों में जो मिलें हैं उनका नफा तना नहीं है जिससे वह अपने दाम को मीट कर सकें, सीजन उनका कम था, गन्ना कम मिला। इस कारण गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक रुपया फी मन बढ़ा दिया यानी ११०.५० रु० के बदले १११.२० रु० फी क्विंटल दाम कर दिया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के दाम फिक्स होने का फार्मूला क्या है, किस आधार पर चीनी मिलों के दाम फिक्स होते हैं, दूसरे यह भी साफ करने की कृपा करें कि फिर क्या चीनी मिल प्रदेश में दो भाव लेंगे, कुछ मिलों का कुछ, कुछ मिलों का कुछ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

दाम भारत सरकार निश्चित करती है। आज स्थिति यह है कि पूर्वी जिलों की मिलों के और मेरठ जिले की मिलों के कुछ रेट्स हैं और दूसरी मिलों के कुछ रेट्स हैं। यह स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछते हैं कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि उसका आधार क्या है। जानते हों, तो बतला दीजिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उसका आधार हम को मालूम नहीं, क्योंकि भारत सरकार करती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मैं यह समझूं कि चीनी के दाम बढ़ाने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई सिफारिश नहीं की, बिना उनकी सिफारिश के यह दाम बढ़ाये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी तो सूचना मेरे पास है नहीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, अपनी भेजी हुई बात को भी सूचना मंत्री जी के पास नहीं है ? मेरे प्रश्न का तात्पर्य था कि उत्तर प्रदेश की सरकार से परामर्श हुआ या नहीं, तो माननीय मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि उनसे परामर्श हुआ या नहीं, इसकी सूचना इनके पास क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं मानता हूं कि आपका प्रश्न ठीक था और गवर्नमेन्ट को जानना चाहिये । मगर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि नयी गवर्नमेंट है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी अब केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश करेंगे कि वह ३२ रुपया मन चीनी का दाम और २ रुपया मन गन्ने का दाम कर दे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

रोज तो सिफारिश की नहीं जाती, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि यह जो दाम भारत सरकार ने बढ़ाये थे उसके साथ आधार यह रखा था कि यह मिलें प्राफिट में नहीं चलीं और शुगर केन का दाम बहुत बड़ी मात्रा में बाकी रह गया था, तो इस बढ़े हुये दाम में वह अदा कर दिया जायगा और जो बाकी बच जायगा वह गवर्नमेन्ट की ड्यूटी और टैक्स के रूप में मिलेगा ।

श्री लखीसिंह----

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी जिलों में गन्ना बहुत अच्छा होता है जिससे चीनी ज्यादा पैदा होती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

पश्चिमी जिलों में शुगर का जो परसन्टेज है वह तो ज्यादा होता ही है, यह तो आप भी जानते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि शुगर का ईल्ड बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह तो एक बड़ा भारी दूसरा सवाल है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तारीख में ये दाम बढ़े उस तारीख में कितनी चीनी उत्तर प्रदेश की मिलों में स्टाक में थी जो कि पिछले साल के गन्ने से बनी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह तो बड़े डिटेल का प्रश्न है । इसके लिए सूचना चाहिये ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब भारत सरकार ने दाम बढ़ा दिये तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके विरोध म कोई विरोध-पत्र भेजा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार की आदत पड़ गई है जानबूझकर प्रश्नों का जवाब न देने की । जब आपने प्रश्न स्वीकार कर दिया तो मंत्रिमंडल का कर्त्तव्य है कि वह उनकी तैयारी कर के आयें । हर प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि सूचना नहीं है, यह कहां तक ठीक है ? आप इसके लिए उनको ताकीद करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेकराम जो ठीक कह रहे हैं । मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सरकार को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए । लेकिन एक निवदन म आपसे करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जायं कि राष्ट्रीयकरण हो रहा है या नहीं या पैदावार की किस तरह उन्नति हो रही है इस तरह से हम बहुत कुछ मूल प्रश्न से बहक जाते हैं ।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सहूलियत जब से मिल वालों को दी गई तब से सरकारी देय रकम या काश्तकारों का बकाया कितना भुगतान किया जा सका है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह फिगर तो इस वक्त नहीं हैं, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि काफी बड़ी मात्रा में शुगर केन का भी दाम दे दिया गया है और सरकार ने करीब ८ करोड़ जो अपना बकाया था वह वसूल कर लिया है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

आपने एक सवाल मुझे पूछने के लिये आज्ञा दी थी ?

श्री अध्यक्ष--

मेरा खयाल है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है । अब आप कृपया बैठ जाय ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, यह प्रश्न बड़ी पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है । इसलिये आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सरकार की ओर से उत्तर आये हैं वे ठीक नहीं हैं और सन्तोषजनक नहीं हैं । इसलिये मैं इस पर डिस्कशन मांगता हूं और इसके लिये मैं आपको सूचना दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है । इसके लिये नियम ५० बना हुआ है ।

## भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत कम्युनिस्टों की नजरबन्दी

*६--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हमारे राज्य में भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति जेलों में हैं और उनमें कितने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रश्नकर्ता का तात्पर्य कदाचित् नजरबन्द व्यक्तियों से है। इस समय २५-१०-६३ डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स ३० के अन्तर्गत ऐसे केवल ३३ व्यक्ति जेल में हैं जिनम सरकार की सूचनानुसार २२ व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं।

*७--श्री झारखण्डेराय तथा श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बन्दियों में कितनों को सरकार ने अभी तक फैमिली एलाउन्स दिया है और कितना कितना ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उपरोक्त व्यक्तियों में से १४ को फैमिली एलाउन्स दिया गया है जिसकी धनराशि २० रुपये से लेकर १४० रुपये प्रति माह तक है।

*८--श्री झारखण्डेराय तथा श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन बन्दियों को छोड़ने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय से कुछ निदेश प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ऐसे कोई निदेश नहीं प्राप्त हुए हैं, परन्तु पत्र-व्यवहार होता रहता है।

श्री झारखण्डेराय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि वे १४ व्यक्ति कौन हैं जिनको फैमिली एलाउन्स दिया गया और जिन शेष को नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वे १४ नाम इस प्रकार से हैं :--

| | रुपया |
|---|---|
| श्री दामोदरसिंह, मथुरा .. .. | १०० |
| श्री नन्दनसिंह बिष्ट, अल्मोड़ा .. .. | ५० |
| श्री बी० पी० शुक्ला, आगरा .. .. | ११५ |
| श्री कामताप्रसाद पाराशर, आगरा .. .. | ८० |
| श्री प्रतापकुमार टंडन, लखनऊ .. .. | ७५ |
| श्री शफीक अहमद आजाद, सहारनपुर .. | ५० |
| श्री जगदीश शर्मा, आगरा .. .. | ७० |
| श्री केशवचन्द्र गुप्ता, आगरा .. .. | ४० |
| श्री कैलाशचन्द्र वकील, आगरा .. .. | ८५ |
| श्री इमाद हुसैन, आगरा .. .. | ५० |
| श्री सईदुद्दीन कुरेसी, आगरा .. .. | १२५ |
| श्री विद्यासागर नौटियाल, टेहरी-गढ़वाल .. | २० |
| श्री रामहर्ष विद्रोही, बहराइच .. .. | २५ |
| श्री मुहम्मद जहीद, आगरा .. .. | १४० |

यह फैमिली एलाउन्स उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इसके बारे में दरख्वास्त दें। दरख्वास्त देने पर जिलाधीश इसकी जांच करते हैं कि इनको कोई आवश्यकता है या नहीं और फैमिली में दूसरा आमदनी का जरिया है या नहीं। जब वे सिफारिश करते हैं तो नियम के अनुसार उनको फैमिली अलाउन्स दिया जाता है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि विद्यासागर नौटियाल, टेहरी-गढ़वाल जो बनारस यूनिवर्सिटी के एम० ए० ह उनकी श्रीमती की तरफ स इस बात का प्रार्थना-पत्र दिया गया था कि उनको जो २० रुपया अलाउन्स दिया गया वह बहुत कम है और वह उसको स्वीकार नहीं करती हैं और चाहती हैं कि उनका अलाउन्स बढ़ाया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वहां के जिलाधीश ने जो सिफारिश की थी उसी के हिसाब से यह दिया गया । दूसरा पत्र जो उनका आया ह वह सरकार के अन्डर कंसीडरेशन है और उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चन्द्रसिंह गढ़वाली उस लिस्ट में हैं जो अभी तक बन्दी गृह में हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

तो उनको फैमली एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता जब कि उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी और उनकी बड़ी भारी फैमिली ह ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

यह देखते हुए कि बहुत से व्यक्ति ६ महीने से ज्यादा से नजरबन्द हैं और मेरी जानकारी ह कि इनमें बहुत से कम्युनिस्ट भी नहीं हैं और कम्युनिस्ट भी हैं जो चीन के ऐजेन्ट नहीं हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उनके मामलों को रिव्यू करक उनको छोड़न की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हर ६ महीने पर सरकार हर केस का रिव्यू करती है और उनको छोड़ भी देती है जैसा आपने देखा, अभी २० व्यक्ति छोड़े गये हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जिन लोगों को पेंशन दी जा रही है वे किस जुम म बंद किये गये हैं, देश द्रोह के जुर्म में या किसी और जुर्म में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वे डी० आई० आर० में बन्द किये गये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि २२ व्यक्तियों के अलावा जो ११ और दूसर व्यक्ति बन्द हैं वे किस दल के हैं और उनको कितना फैमिली एलाउन्स दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का जिक्र है, उसी के संबंध में प्रश्न होना चाहिये, और सरकार को जितना सवाल हो उतना ही जवाब देना चाहिय ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उन्होंने बतलाया कि बाकी ११ और हैं तो उस उत्तर से यह सवाल उठता है और इसे आपको एलाऊ करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह फोरसी नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट क्या जबाव देगी, लेकिन जो सवाल है उसके अतिरिक्त अगर सरकार कोई बात जवाब में कहती ह तो उनके संबंध में कोई सवाल, मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बाद ही मैं लूंगा । वह बाद की बात है । पहले इन प्रस्तुत प्रश्नों को म समाप्त कर लूं । और सरकार को अतिरिक्त जवाब देना नहीं चाहिये ।

श्री गेंदासिंह—

मंत्री जी ने जो संख्या बताई वह ३३ व्यक्तियों की है और माननीय सदस्यों के रुख को देख कर मालूम पड़ता है कि डिटेंशन के खिलाफ शिकायत कम है, फमली पशन न पाने की बाबत अधिक । तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला काफी पुराना हो चुका है और ३३ आदमियों के बाहर आ जाने से साढ़े सात करोड़ की आबादी वाल प्रदेश म कोई खास परिवर्तन होन की संभावना नहीं है, तो क्या यह जो पब्लिक एक्सचकर पर फिजल का खर्च लाद हुये हैं, इनको रिलीज करक हम इस खर्च से बरी नहीं हो सकत ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने बतलाया, हम हर केस का हर ६ महीने पर रिव्यू करते हैं । हमारे यहां डिटेंशन एक तो यू० पी० गवर्नमेंट करती ह और दूसरे डी० एम ० करते हैं । दोनों को अलग-अलग अधिकार हैं । गवर्नमेंट अपने केसेज को रिव्यू करती है और जो डिटेंशन डी० एम० करत हैं उनके लिये एक रिव्यूइंग अथारिटी है उसे हमारे अफसर लोग देखत हैं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि फैजाबाद के श्री हरगोविन्द श्रीवास्तव जो सम्पादक भी हैं, एक साल से डी० आई० आर० में बन्द ह । उनको फमली एलाउन्स न देने का क्या कारण है जब कि उन्होंने उसके लिये सरकार को प्रार्थना-पत्र भी दिया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीवास्तव साहब का नाम मेरी लिस्ट में है नहीं । एक हरगोविन्द सहाय हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जब भारत की सुरक्षा में बाधा पहुंचाने के निमित्त ही इनको बन्द किया गया था तो अब मंत्री जी के विचार से क्या वह बाधक हो सकते हैं या नहीं ? अगर हो सकते हैं तो उनको पेंशन देने की क्या आवश्यकता ह ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चूंकि डिटेंशन में हैं, इसलिए मारल ग्राउण्ड पर हम पेंशन देते हैं ।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, वह नाम हरगोविन्द है । हरगोविन्द श्रीवास्तव से भ्रम फैल गया है । मुख्य मत्री स्वय यहां मौजूद हैं तो जबकि हिन्दुस्तान के सात सूबों में जहां ढाई ढाई सौ, तीन-तीन सौ कम्युनिस्ट गिरफ्तार किये गये थे वह रिहा कर दिये गये तो हमारे प्रदेश में जब इतनी कम संख्या है तो क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनको रिहा करने का विचार कर रही है जैसा कि कई शिष्ट मंडल के द्वारा उनसे कहा गया ? उन सात सूबों में आंध्र, उड़ीसा, केरल, दिल्ली इत्यादि हैं ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

केसेज हर ६ महीने में रिव्यू होते रहते हैं और छूटते रहते हैं। इसके, अलावा भी बताया गया है कि बीच बीच में हमदर्दी के साथ देखा जाता है। उत्तर प्रदेश और आंध्र में इतना फर्क है कि उत्तर प्रदेश बार्डर स्टेट है। काफी बड़ा बोर्डर लाइन है और यहां ज्यादा खतरा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दो सदस्य, एक आगरे में और एक लखीमपुर खीरी में बन्द किये गये और उनकी पार्टी के नेताओं ने पत्र लिखे तो क्या जबकि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मंत्री जी को जानकारी है उन सदस्यों को छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हर एके के केस पर बहुत हमदर्दी से एग्जामिन किया जायगा और जहां जहां सुभीता समझा जायगा उनको छोड़ा जायगा। इन दोनों के केस भी हमदर्दी से एग्जामिन किय जायंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अभी यह बताया गया कि हर ६ महीने के बाद रिव्यू किया जाता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने बराबर इस बात का पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने राज्यों को लिखा है कि वहां के मुख्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से इन केसेज को देखें और सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करें। तो क्या मुख्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इन केसेज को देखेंगे तथा छोड़े हुये व्यक्तियों पर जो कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्यों ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं मैंने कहा कि हम हर ६ महीने बाद तथा बीच बीच में जब भी आवश्यक होता है रिव्यू करते रहते हैं।

———

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## रायबरेली जिले में गंगा के कछार की भूमि की जांच

*१—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली, थाना सरेनी के ग्राम समाज मथुरपुर के प्रधान श्री सूर्यबलीसिंह ने गंगा के कछार की भूमि पर गत वर्ष दफा १४५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माल विभाग दीवानी से जीत कर कब्जा पा लिया था, परन्तु हारे हुये व्यक्ति कुछ गुण्डों की मदद से हरी कच्ची फसल काटने लगे जिस पर सभापति ने १८८ आई० पी० सी० की कार्यवाही के लिए एक प्रार्थना-पत्र हाल ही में पुलिस कप्तान रायबरेली को दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

धारा १४५ सी० आर० पी० सी० का मुकदमा ग्राम समाज, मथुरपुर तथा ग्राम समाज, गोंडा के बीच था तथा इसमें ग्राम समाज मथुरपुर का कब्जा गंगा के कछार में खेत नं० ७२६ व ७२७ पर एस० डी० एम० डलमऊ द्वारा माना गया।

दिनांक ५-२-१९६२ को प्रधान ग्राम समाज मथुरपुर ने धारा १८८ आई० पी० सी० की कार्यवाही के लिए दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को दी जिसकी जांच की गई, परन्तु धारा १८८ आई० पी० सी० की कार्यवाही करने का अधिकार केवल उसी न्यायालय को था जिससे मुकदमा ग्राम समाज मथुरपुर के पक्ष में निर्णय हुआ था। अतः और कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी।

*२—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि की जांच किस-किस ने की और किस गांव में जाकर तथा किस तारीख में और जांच का समय क्या था ? जांच के समय प्रार्थना-पत्र देने वाले तथा उस भूमि के पट्टेदार मौजूद थे या नहीं ? यदि नहीं, तो जांच कैसे हुई ? यदि हां, तो ट्टेदारों के नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गंगा की कछार की भूमि के विषय में जांच १६-२-६३ को थानाध्यक्ष, सरेनी तथा सर्किल इंस्पेक्टर ने लालगंज में करीब १२ बजे दिन के की। इसके अतिरिक्त इन्हीं अधिकारियों द्वारा १९-२-६३ को लगभग ३ बजे दिन से रात्रि के ८ बजे तक जांच कछार में की गई। कछार में जांच के समय प्रार्थना-पत्र देने वाले श्री भोला तथा ६ पट्टेदारान उपस्थित थे। इन पट्टेदारान के नाम सर्वश्री गंगा दयाल, मैकू, गजराज सिंह, जगन्नाथ दर्जी, देवी दयाल तथा मुसम्मात सनीया हैं।

*३—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि अधिकारिगण ने दफा १८८ आई० पी० सी० की कार्यवाही करने के बजाय, जवारि के व्यक्तियों के खिलाफ १०७-११७ की कार्यवाही की ? यदि हां, तो किस आधार पर और किसकी रिपोर्ट पर ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दोनों पार्टियों के उन लोगों के विरुद्ध जिनसे शांति भंग की आशंका थी दफा १०७-११७ की कार्यवाही की गई। सर्वश्री भोला पुत्र श्री साधू सिंह, ग्राम गौरन का पुरवा मजरे मथुरपुर तथा शिवबली सिंह, प्रधान ग्राम समाज, मथुरपुर की दरख्वास्तों के आधार पर राधाकृष्ण ग्राम गोंडा व उनके २४ साथियों पर यह कार्यवाही की गयी और दूसरी ओर शिव बली सिंह और उनके २२ साथियों पर यह कार्यवाही तब की गई जब जांच के दौरान में पुलिस ने उनकी ओर से शान्ति भंग होने का अन्वेषा पाया।

## बुलन्दशहर जिले में लघु उद्योग ऋण की वसूली

*४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर १९५९ से लेकर आज तक ऐसे कितने फर्म तथा व्यक्ति हैं जिन्होंने लघु उद्योग विभाग से रुपया लिया और उचित ढंग से खर्च नहीं किया तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कुल १०२ ऐसी इकाइयां है और इनके विरुद्ध धन की एक मुश्त वसूली के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठे तरीके से रुपया ले लिया है फौजदारी का मुकदमा चलायेगी जिससे कि यह उद्योग पनप सकें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वह रुपया तो जिलाधीश द्वारा उसी तरह वसूल किया जाता है जिस तरह से मालगुजारी वसूल की जाती है।

श्री हिम्मतसिंह---

रिकवरी आर्डर होने के बाद भी यह रुपया वसूल नहीं होता। तो क्या सरकार कोई ऐसा तरीका अपनायेगी जिससे रुपया जल्दी वसूल हो सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने जैसा अर्ज किया, वह रुपया तो मालगुजारी की तरह वसूल किया जाता है। उसके लिये जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री दयाराम शाक्य---

यह आर्डर जिलाधीशों को कब दिये गये और अब तक कितना रुपया वसूल किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

रुपया वसूल करने के आदेश समय-समय पर दिये जाते हैं। अब १०० के करीब केसेज हैं, हर एक में यह बतलाना कि उसके लिये कब आर्डर दिये गये और कितना वसूल हुआ, मुमकिन नहीं होगा।

श्री रघुनाथसिंह---

यह उद्योग पुराना है और आदेश वसूली के अब दिये गये हैं। तो क्या इस प्रकार की धांधलियों के लिये इससे पहले कोई आदेश नहीं दिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह तो श्रीमन्, कोई पर्टीक्यूलर केस की बात हो तो बतायी जाय। इस केस में तो आदेश दिये ही जा चुके हैं।

## पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, कंधरापुर द्वारा भैंस की बरामदगी

*५---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के थाना कंधरापुर के ग्राम भवनपुर में जून, १९६१ को सब-इन्स्पेक्टर कंधरापुर ने कोई लावारिस भैंस बरामद की थी ? यदि हां, तो क्या वह भैंस किसी के अनधिकृत कब्जे में थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां, यह सही है। वह भैंस ग्राम भवनपुर के श्री बरसाती के अनधिकृत कब्जे में थी।

*६---श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)---

क्या यह सच है कि उक्त भैंस के कुर्क व नीलाम होने का आदेश गत १७ अक्तूबर, १९६१ को जुडिशियल आफिसर, मुहम्मदाबाद की अदालत से हुआ था ? यदि हां, तो उक्त भैंस का कब नीलाम हुआ, नीलाम किसने खरीदा और नीलाम की क्या धनराशि है और वह सरकारी खजाने में कब जमा हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह सच है कि जुडिशियल आफिसर, मुहम्मदाबाद की अदालत से भैंस के नीलाम के संबंध में कागजात तहसील कुर्क अमीन को भेजे गये जिसे तहसील कुर्क अमीन ने कार्यवाही किये बिना अदालत को वापस कर दिया। नीलाम से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो सके हैं जिसके कारण नीलाम के संबंध में अन्य सूचना देना संभव नहीं है। कागजात के न मिलने के संबंध में जांच की जा रही है तथा उनको खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*७—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि कि कुर्क होने के बाद भैंस ग्राम के चौकीदार के चार्ज में रख दी गयी और कुछ दिन बाद चौकीदार तथा गांव के कुछ गुण्डों ने मिल कर भैंस चोरी से बेच डाली ? यदि हां, तो इसमें सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस ने श्री बरसाती के अनधिकृत कब्जे से भैंस को लेकर श्री नरोत्तम अहीर पुत्र श्री हीरामन अहीर साकिन भवनपुर की सुपुर्दगी में दे दिया था। भैंस के विषय में स्थिति बतलाने के लिये सुपुर्दगार को नोटिस दे दी गई है ।

## जिला सहकारी गन्ना सप्लाई समिति, बरेली में गबन

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गन्ना सप्लाई समिति लि०, बरेली में लाखों रुपये का गबन तथा गोलमाल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त समिति के स्पेशल आडिट कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा आडिट रिपोर्ट से सदन को भी अवगत करायेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जिला सहकारी गन्ना सप्लाई समिति लिमिटेड, बरेली, में कोई गबन तथा गोल-माल इस समय नहीं है । अतः स्पेशल आडिट कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि सन् १९५४ से ५६ तक वहां कोई ७५ हजार का गबन, फर्जी पर्चियों का पेमेंट करके किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

१९५०–५१ के बाद यहां कोई गबन ही नहीं हुआ ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या १९५०–५१ से पहले किसी गबन की सूचना मंत्री जी को है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, इसके पहले की सूचना है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

पहले जो गबन हुआ उसकी रकम कितनी है और जो सूचना मंगायी गयी है वह किस आफिसर के जरिये मंगाई गयी है ?

डाक्टर सीताराम—

१९४३–४४, १९४६–४७, १९४७–४८ और १९५०–५१ में सब मिलाकर ८० हजार रुपये का गबन हुआ ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

प्रदेश के बहुत से विभागों में अक्सर गबन की शिकायतें प्रति वर्ष आती हैं तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि प्रत्येक विभाग के अन्दर इन्टरनल आडिट की व्यवस्था की जाय जिससे ऐसे गबन हो ही न सकें ?

डाक्टर सीताराम--

इस तरह की व्यवस्था तो है ही और आडिट के बेसिस पर ही ये गबन पकड़े गये थे।

श्री विजयसिंह--

अगर इन्टरनल आडिट होता तो ये गबन होते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि आडिट की वजह से ही ये पकड़े गये हैं।

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी ने इन गबनों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम--

१९४३-४४ के २० हजार रुपये के गबन में एक कर्मचारी मुजरिम पाया गया उसको साढ़े चार साल का कठोर कारावास का दंड हुआ उससे केवल ३५ रुपया रियलाइज हो पाये। १९४६-४७ में ४ हजार का गबन हुआ उससे कुल रुपया रियलाइज हो चुका है, १९४७-४८ में ११ रुपया का गबन हुआ वह रुपया भी रियालाइज किया जा रहा है। १९५०-५१ में ५५ हजार रुपये का गबन हुआ, इसके संबंध में अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है।

## पुलिस द्वारा जनता पर गोली

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६३ तक किन-किन स्थानों पर पुलिस द्वारा डाकुओं के अलावा जनता पर कितनी बार गोली चलायी गयी तथा उसके फलस्वरूप कितने आदमी घायल हुये तथा मरे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५७ पर)

## सहारनपुर में सुनारों की मीटिंग

*१०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि Ambala Road, सहारनपुर में स्थित एक कांग्रेसी के मकान पर July, August, 63 में District Industries Officers ने नगर के सुनारों को बुलाकर मीटिंग की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह सूचना उनको मिली है वह किस आधार पर यानी किस आफिसर के जरिये मिली है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सूचना हमें इंटेलिजेंस सेक्शन कानपुर में दी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री आफिसर, सहारनपुर ने अम्बाला रोड पर श्री भगवानदास जो वहां की म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके मकान पर नगर के तमाम सुनारों को बुला कर एक मीटिंग की थी अगस्त के महीने में, क्या यह बात सही है ? अगर सही है तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मेरे पास सूचना है कि चुंगी हाउस में मीटिंग हुई, किसी व्यक्ति विशेष के मकान पर मीटिंग नहीं हुई ।

श्री रामायणराय--

जो मीटिंग हुई उसमें क्या फैसले हुए ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

गोल्ड कंट्रोल आर्डर की वजह से तमाम स्वर्णकार दुखी थे, तो इंडस्ट्री आफिसर ने उनको इकट्ठा किया और कहा कि आप कोई दूसरा काम करने को सोचें और उनको सब बातें बतलायीं कि गवर्नमेंट क्या क्या रियायत कर सकती है । उसके अन्तर्गत उन लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं और नियम के अनुसार जो रियायत मुमकिन है, उनके साथ की जा रही है ।

[३१ अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ]

## बुलन्दशहर जिले में बिजली

१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में तीसरी पंचसाला योजना में कौन-कौन से ग्रामों को बिजली फराहम करने की योजना सरकार ने बनायी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में ५० स्थानों के विद्युतीकरण का निश्चय हो चुका है । इन स्थानों के नाम नत्थी किये गये ब्योरे में दिये हुए हैं । ५० स्थानों में से १३ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है । शेष स्थानों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । अन्य स्थानों के विद्युतीकरण की जांच हो रही है और जो स्थान प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जायेंगे उनका विद्युतीकरण किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५८ पर) ।

## भटनी चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*२--कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भटनी शक्कर मिल भटनी, देवरिया के जिम्मे गन्ना कृषकों का कितना रुपया इस समय बाकी है तथा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१५ अक्तूबर, १९६३ को इस मिल पर किसानों के गन्ने के मूल्य का ८.८३ लाख रु० बकाया था । मिल की आर्थिक दशा असंतोषपूर्ण होना ही बकाये का मुख्य कारण है ।

---

नोट:--तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## मेरठ में श्रीमती रजिया की मृत्यु

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापिका, श्रीमती रजिया सुलतान बेगम की मृत्यु अप्रैल मास, सन् १९६३ में उसके ससुर हकीम अब्दुर्रब के मकान वाकय देहली रोड ईदगाह के समीप (पुलिस स्टेशन कोतवाली मेरठ में) किस स्थिति में हुई ? श्रीमती रजिया सुलतान बेगम ने आत्म हत्या की या उसको जहर देकर मारा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमती रजिया दिनांक १८-४-६३ को ८.३० बजे रात में बेहोशी की हालत में अपने ससुर के मकान से, अपने पति द्वारा प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में दाखिल कराई गईं जहां उसी रात को ९.४५ बजे उनकी मृत्यु हो गई। जांच से मामला आत्म हत्या का प्रतीत हुआ।

## गोरखपुर जिले में लघु उद्योगों के लिए अनुदान

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में लघु-उद्योग को स्थापित करने हेतु सन् १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितने लोगों को किस-किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया ?

*५—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने व्यक्तियों ने उपरोक्त अनुदान का उपभोग किया तथा कितनों ने नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## हैदराबाद ग्राम का साम्प्रदायिक दंगा व अलीगढ़ जिले में अवैध पटाखे

*६—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले के ग्राम हैदराबाद में १० मार्च, १९६३ को होली के सिलसिले में जो साम्प्रदायिक दंगा हो गया था उसका पूर्व विवरण क्या है तथा इस समय उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५९ पर)।

*७—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९६३ में अलीगढ़ जिले में कई स्थानों पर इस प्रकार के लाखों पटाखे पकड़े गये हैं जिनके बनाने तथा बेचने पर कानूनन रोक है ? यदि हां, तो इनके बनाने वाली कोई सुगठित फर्म थी या व्यक्तिगत लोग बनाते थे ? उनके नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की केवल एक घटना दिनांक २१-७-६३ को जिला अलीगढ़ में घटी। इस घटना में मोतीलाल नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जिसके पास से ५ पेटी गन कार्क जिसमें

कुल ६९४५० गन कार्क थे, बरामद हुई। इन गन कार्कों के बनाने तथा बेचने पर कानूनन रोक है। यह व्यक्ति मदारगेट, अलीगढ़ में दुकान करता है और इन कार्कों को बेचा करता था। इन कार्कों के बनाने वाली किसी सुगठित फर्म या व्यक्ति का पता अभी नहीं चल पाया है।

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न २३—२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## हाई पावर शुगर इण्डस्ट्री ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो मीटिंग शुगर हाई पावर इण्डस्ट्री कमेटी की अप्रैल, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ कौंसिल हाउस में हुई है, उसमें क्या-क्या प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाई पावर शुगर इन्डस्ट्री एडवाइजरी कमेटी ने अपनी उक्त मीटिंग में जो मुख्य सिफारिशें की हैं उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६०—२६१ पर)

## डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, मुरादाबाद को छूट

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, मुरादाबाद को पिछले तीन साल में सेल डिपो, मुरादाबाद और काशीपुर के नाम से कितना रिबेट मिला और उस रकम को कहां रखा गया और उसका क्या हिसाब है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३—१४—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये।]

## देवरिया की शिक्षा संस्थाओं से सुरक्षा कोष के लिए प्राप्त धन

*१५—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया के हायर सेकेण्डरी स्कूल, इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेजों से प्रति संस्था कितना रुपया और सोना सुरक्षा कोष में ३१ मार्च, १९६३ तक दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

३१ मार्च, १९६३ तक देवरिया जिले की विभिन्न संस्थाओं से ५०,७५९ रु० २९ नये पैसे तथा ३४ १/२ ग्राम सोना प्राप्त हुआ। प्रत्येक संस्था का ब्योरा संलग्न सूची में उल्लिखित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६२—२६३ पर)

*१६---श्री उग्रसेन---

क्या मुख्य मंत्री को सूचना है कि अधिकांश विद्यालयों को रुपये और सोने की रसीद नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सभी संस्थाओं को रुपये एवं सोने की प्राप्ति की रसीद दी गयी है ।

*१७---श्री उग्रसेन---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त धन किसके माध्यम से किसकी रसीद पर वसूल किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वसूल किया गया है ।

## परिगणित जातीय जिलाधीश

*१८---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो जिलाधीश हैं उनमें हरिजन कितने हैं और पिछड़ी जाति के कितने हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस समय उत्तर प्रदेश में ५४ जिलाधीश हैं जिनमें से तीन परिगणित जाति के हैं । कोई भी जिलाधीश पिछड़ी जाति का नहीं है ।

## पुलिस विभाग में क्लर्कों का वेतन-क्रम व ग्राम पुलिस

*१९---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों का वेतन-क्रम क्या है तथा कलेक्टरी, प्लानिंग, सप्लाई कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२०---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पुलिस रखने की योजना प्रदेश के समस्त ग्रामों में कब तक पूरी हो जायगी तथा अब तक की कार्यवाही का परिणाम क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने गांव के चौकीदार के पद समाप्त करने, चौकीदार के स्थान पर एक कर्मचारी (functionery) रखने की सिफारिश की थी । उक्त सिफारिश के संबंध में आई० जी० पुलिस के विचार मांगे गये थे जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं । इन पर अभी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लेने के पश्चात् आदेश जारी किये जायेंगे ।

## पूर्वी जिलों के लिए पटेल जांच आयोग का प्रतिवेदन

*२१--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का पटेल जांच आयोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी के कारणों की जांच के लिये आया था, उसका कोई प्रतिवेदन सरकार को केन्द्र से प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि उक्त आयोग ने १६ पूर्वी जिलों में से केवल ४ जिलों के लिये ही सिफारिशें की हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अन्य जिलों में भी सिफारिश लागू कराने के लिये कौन-सा कदम उठाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जांच समिति ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है । अतः इसकी सिफारिशों को अन्य जिलों में लागू करने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

*२३--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के प्रति व्यक्ति की औसत आय से पूर्वी जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी कम है और उक्त जिलों में सब से कम आय और अधिक आय वाला जिला कौन-सा है तथा इसका कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिले के स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सामान्यतः पूर्वी जिलों में प्रतिव्यक्ति औसत आय कम है । इस का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में प्रति वर्ग मील आबादी बहुत अधिक है और कृषि की पैदावार इस जनसंख्या के लिये काफी नहीं है ।

*२४-२५--श्री कल्याण चन्द मोहिले (अनुपस्थित)--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## चीनी मिलों पर सेस तथा क्रय-कर का बकाया

*२६--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विभिन्न चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश में जून, सन् १९६३ तक कितना रुपया (Cess) का बकाया है और जनवरी, १९६३ से जून, १९६३ तक कितना रुपया इन मिलों से अलग-अलग बकाया में से वसूल हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर सेस तथा क्रय-कर की मद के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६३ को रु० ७२५.०० लाख बकाया था जिसमें जून, १९६३ तक रु० ४१३.९१ लाख वसूल हुआ जिसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । जून १९६३ तक विभिन्न चीनी मिलों पर कुल रु० ३११.०९ लाख सेस व क्रय-कर के रूप में बकाया था ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६४ पर)

## उमरैठा निवासी श्री कल्याणसिंह का पुलिस के विरुद्ध पत्र

*२७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नव प्रभात-पत्र, दिनांक १ अगस्त, १९६३, के पृष्ठ चार पर "आगरा नगर व उमरैठा में कल्पनातीत विनाश का दृश्य", "प्रतिहिंसा की भावना में पुलिस ने विवेक खो दिया", "जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं तहस नहस" नामक शीर्षक जो समाचार छापा है उसकी सत्यता क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समाचार में उल्लिखित घटना के संबंध में दो अभियोग पुलिस व ग्रामीणों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः इसकी सत्यता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*२८—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस कांड के सिलसिले में किस-किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना के बारे में सर्किल आफिसर बाह व परगनाधीश बाह द्वारा जांच की गई पर यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

*२९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या उपरोक्त घटना के संबंध में श्री कल्याणसिंह, पुत्र लखपतसिंह, साकिन उमरैठा, थाना पिनाहट, जिला आगरा द्वारा भेजी गयी सूचना जिलाधीश आगरा को मास अगस्त, १९६३ में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इसे जांच के लिये परगनाधीश बाह को दिया गया था।

## स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, मऊनाथ भंजन

*३०—श्री राममुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री दिनांक १ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो मिल कब से चालू होने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कम्पनी ने मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में सूती मिल लगाने का विचार त्याग दिया और उनकी प्रार्थना पर भारत सरकार ने ३० मई, १९६३ को यह मिल नैनी, जिला इलाहाबाद में स्थापित करने के लिये आज्ञा दे दी थी। फलस्वरूप अब यह मिल नैनी में लगाई जा रही है।

*३१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[हटा दिया गया।]

*३२-३३---श्री जगन्नाथ राव--

[हटा दिये गये ।]

*३४---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[हटा दिया गया । ]

## सम्भल में चुनाव कार्यालय के निकट मारपीट

*३५---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९ अप्रैल, १९६३ को सायंकाल ५-३० बजे के लगभग सम्भल जिला मुरादाबाद में कांग्रेस चुनाव कार्यालय के पास मारपीट तथा झगड़े की कोई घटना घटित हुई थी जिसमें कई लोग घायल भी हो गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १९-४-६३ को नहीं बल्कि दिनांक १९-५-६३ को इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें ३ व्यक्तियों को चोटें लगी थीं ।

*३६---श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? उस सम्बन्ध में अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक कोई स्पष्ट कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २६५ पर)

*३७---श्री चन्द्रकलीसिंह---

[हटा दिया गया ।]

*३८-३९---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०---श्री लखपतराम शर्मा--

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न २ के अन्तर्गत स्थगित किया गया । ]

## बरेली के स्वर्णकारों की मांगें

*४१---श्री हरीशकुमार गंगवार-

क्या मुख्य मंत्री को बरेली के तीन हजार स्वर्णकारों की ओर से श्री रामकिशोर मंत्री, स्वर्णकार सभा द्वारा प्रेषित कोई पत्र जनवरी, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में मिला है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार उन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, स्वर्णकार सभा बरेली के मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ था पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितने स्वर्णकारों की ओर से था । उस पत्र की मुख्य मांगों, तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २६६ पर)

## चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के भट्ठों में खराबी

*४२—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६३ के प्रथम सप्ताह में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के दो भट्ठे बिलकुल ठप हो गये जिसके कारण उत्पादन भी काफी कम हो गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के दो भट्ठे सितम्बर, १९६३ के प्रथम सप्ताह में कुछ आवश्यक कारणों से बन्द कर दिये गये थे, जिसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ा।

*४३—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—

यदि हां, तो भट्ठों के अकस्मात् ठप होने के कारण क्या हैं तथा सरकार ने अब इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक भट्ठा मरम्मत करने के हेतु अगस्त से ही बन्द कर दिया गया था। दूसरे भट्ठे के पंखे की रोलर बेयरिंग पहली सितम्बर को खराब हो गई अतः उसे बन्द कर देना पड़ा। फैक्ट्री के निदेशक इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

*४४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

## देवरिया जिले में कत्ल

*४५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, १९६३ में देवरिया जिले के नाथ बाबा और तिवई ग्रामों में कितने कत्ल हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेगी ? कृपया यह भी बतायेगी कि इन कत्ल काण्डों में अब तक कितने लोगों का चालान हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त अवधि में इन ग्रामों में कोई कत्ल नहीं हुआ।

*४६-४८—श्री रामायणराय तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[स्थगित किये गये।]

## हरदोई में कमिश्नर का दौरा

*४९—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा के गठन के पश्चात् हरदोई जिले में लखनऊ के कमिश्नर श्री के० के० दास कितनी बार गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सात बार।

*५०—श्री परमाईलाल—

क्या जब वह निरीक्षण के लिये गये तब उक्त जिले के विधायकों को भी मिलने तथा अपनी बात कहने के लिए निमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो विधायकों ने क्या-क्या सुझाव दिये और यदि नहीं बुलाया गया तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कमिश्नर के दौरे के समय डिप्टी कमिश्नर से कह दिया जाता था कि वह एम०एल० एज० और एम० एल० सीज० को उनके आने की सूचना दे दें। परिणामस्वरूप उनके हर दौरे के मौके पर बहुत से विधायक कमिश्नर से मिलते भी थे, उन्होंने तरह तरह के सुझाव भी दिये थे, परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के कारण उन सुझावों का विवरण उन्हें स्मरण नहीं है।

## डी० आई० जी०, पुलिस का हरदोई में दौरा

*५१—श्री पंचमदास (जिला हरदोई) तथा श्री परमाईलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में आई०जी० तथा डी० आई० जी० पुलिस जब-जब दौरे पर हरदोई गये तब उनके जाने की सूचना जिले के विधायकों को क्यों नहीं दी गयी, जिससे कि वह प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी राय दे सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आई० जी० पी० को १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में हरदोई जाने का अवसर न मिल सका।

जहां तक डी० आई० जी०, लखनऊ रेन्ज के दौरे का सम्बन्ध है उनके हरदोई आगमन की सूचना सिर्फ शरदकालीन निरीक्षण के अवसर पर ही दी जाती है और वे इसी अवसर में उनसे मुलाकात करते हैं। १९६२-६३ और १९६३-६४ में डी० आई० जी०, पुलिस लखनऊ रेन्ज ने हरदोई जिले का शरदकालीन निरीक्षण २६-४-६२ से २८-४-६२ तथा १६-४-६३ से २०-४-६३ की अवधि में किया और इसकी सूचना पुलिस कप्तान हरदोई ने हरदोई के प्रत्येक विधायक को दी और उनमें से कुछ विधायकों ने उनसे मुलाकात भी की।

## गोंडा जिले में तथा तुलसीपुर केन यूनियन में गन्ना संबंधी धांधली

*५२—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार गोंडा जिले में गन्ना विकास द्वारा ट्यूबवेल तथा खरीदारी मशीनों में की गयी धांधलियों के बारे में जो गत दो वर्ष के भीतर जांच की गयी थी, उस रिपोर्ट को सदन में रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५३—श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर केन यूनियन द्वारा की गयी धांधलियों की जांच में जो व्यक्ति अपराधी पाये गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५४—श्री ईश्वरशरण—

क्या यह सत्य है कि श्री हीरालाल श्रीवास्तव जो उस समय केन यूनियन, तुलसीपुर में सी० डी० आई० के पद पर काम कर रहे थे और जो तुलसीपुर केन यूनियन जांच में अभियुक्त करार दिये गये थे सरकार ने उनको तरक्की देकर एस० सी० डी० आई० शाहगंज, जिला जौनपुर में मुकर्रर किया है ?

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

[३ रे सोमवार के लिए प्रश्न ५१ के अन्तगत स्थानान्तरित किया गया ।]

## गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में रिक्त स्थान

*५६—श्री केशरीप्रसाद पाडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में निम्नलिखित पद क्यों और कब से रिक्त हैं :

(अ) प्रोफेसर आफ टेक्सटाइल टेक्नालाजी,
(ब) हेड आफ केमिकल टेकनोलाजी ,
(स) असिस्टेन्ट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग,
(द) लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐन्ड ड्राइंग,
(य) असिस्टेन्ट केमिस्ट,
(व) पेन्टिग असिस्टेन्ट,
(ल) इंचार्ज टेरिटंग लेबोरेटरी,
(ह) डिमांस्ट्रेटर इन इंजीनियरिंग,
(च) डिमांस्ट्रेटर इन वीविंग,
(ध) डिमांस्ट्रेटर इन स्पिनिंग ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २६७ पर)

## स्वर्णकार सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*५७—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्णकार संघ के कितने सत्याग्रही सितम्बर, १९६३ तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस सम्बन्ध में कुल १७५ सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे ।

*५८—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि इन सत्याग्रहियों को जेल में नाना प्रकार की यातनायें दी जा रही हैं ?

*५९—क्या यह सही है कि ११ अगस्त, १९६३, को ३९ सत्याग्रहियों को रात को २ बजे लखनऊ से ४० मील दूर पर छोड़ा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## फतेहपुर जिले में विभिन्न अपराध तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*६०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, फतेहपुर, बिन्दकी तथा थरियांव की पुलिस की कार्य नीति सम्बन्धी मेरे दिनांक २९ जुलाई, १९६३ के पत्र उन्हें, आई० जी० पुलिस, लखनऊ तथा जिलाधीश, फतेहपुर को मिले हुए हैं? यदि हां, तो उनमें लिखित आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। पत्र में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में जांच की गई और वे सही नहीं पाये गये।

*६१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ से अब तक में उक्त थानों के अन्तर्गत थानावार कितनी-कितनी डकैतियां, कत्ल तथा चोरियां हुयी हैं और उनमें से कितनी-कितनी डकैतियां, कत्ल व चोरियां पकड़ीं तथा कामयाब की गयी हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २६८ पर)

*६२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि थाना कोतवाली फतेहपुर के अन्तर्गत शहर फतेहपुर में अप्रैल, १९६२ से अब तक अनेक बड़ी व छोटी चोरियां उन मुहल्लों में हुई हैं जिनमें पुलिस गश्त रोज नामचे में दर्ज है और कुछ दिन दहाड़े कत्ल भी हुये हैं और एक भी कत्ल या चोरी पकड़ी नहीं जा सकी? यदि हां, तो सरकार शहरी जनता की सुरक्षा के लिए कौन सा तात्कालिक उपाय करने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही है कि थाना कोतवाली के अन्तर्गत उन मुहल्लों में कुछ चोरी की घटनाएं व दिन दहाड़े कत्ल की एक घटना हुई जिनमें पुलिस द्वारा गश्त किया गया परन्तु यह सही नहीं है कि कत्ल या चोरी की कोई घटना पकड़ी नहीं जा सकी।

इन घटनाओं की रोक थाम के लिए शहर में (Disc system of Patrolling) चालू किया गया है और मुहल्ला प्रतिरक्षा समितियां बनाई गई हैं।

*६३—श्री शिवनाथसिंह—

[हटा दिया गया]।

## आगरा जिले में स्वर्णकारों को सहायता

*६४—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या राज्य सरकार स्वर्णकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी—

(अ) आगरा जिले में कितने स्वर्णकारों को नौकरी दी गयी,

(ब) कितने स्वर्णकारों को आगरा जिले में व्यापार के लिए या उद्योग के लिए अनुदान अथवा कर्जा दिया गया,

(स) आगरा जिले के कितने स्वर्णकारों के कितने बच्चों को राजकीय ट्रेनिंग कालेज में दाखिला दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(अ) ८ स्वर्णकारों को।

(ब) विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिये ९ स्वर्णकारों को १६,००० रु० कर्ज स्वीकृत हुआ है ।

(स) कदाचित् प्रश्नकर्ता का अभिप्राय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है । आगरा जिले में १५ स्वर्णकारों के १५ बच्चों का दाखिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया गया है ।

*६५--श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या यह सही है कि आगरे के आई० टी० आई० इन्स्टीट्यूट्स में स्वर्णकारों के बच्चों को इस आधार पर दाखिला नहीं दिया गया कि सुविधा केवल स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों को ही दी जा सकती है उनके बच्चों को नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं, यह बात सही नहीं है ।

*६६--श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर के लिए आटो-रिक्शा के जो परमिट दिये जा रहे ह उनमें स्वर्णनियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी ? यदि हां, तो किस अनुपात से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मोटर गाड़ियों के परमिट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी द्वारा दिये जाते हैं जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत गठित एक अर्द्ध न्यायिक (quasi judicial) समिति है और शासन द्वारा उक्त समिति के कार्यसंचालन में कोई हस्तक्षेप सम्भव नहीं है ।

## गोरखपुर में खाद के कारखाने के लिए भूमि

*६७---श्री बयाराम शाक्य---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ३० अगस्त, १९६३ को लोक सभा में भारी उद्योग मंत्री, श्री सुब्रह्मणयम् ने इस बात को स्वीकार किया है कि "गोरखपुर में प्रस्तावित खाद के कारखाने के लिये अभी तक जमीन नहीं मिल पायी है, क्योंकि यहां के लोगों ने इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह सा छेड़ रखा है" ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करवाने का कोई विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उल्लिखित तिथि को भारी उद्योग मंत्री द्वारा लोक सभा में क्या कहा गया इसकी सूचना तो प्रदेशीय सरकार के पास नहीं है । हां, प्रदेशीय सरकार गोरखपुर में खाद के कारखाने की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कर रही है और यह भूमि शीघ्र ही कारखाने के अधिकारियो को सौंप दी जायगी ।

उल्लिखित सत्याग्रह जून, १९६३ में छेड़ा गया था और २७ जून, १९६३ को वापस भी ले लिया गया था तब से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही सुचारु रूप से चल रही है । अतः खाद के कारखाने को किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि खाद का सर्वाधिक उपयोग फर्रुखाबाद जिले में होता है तथा सबसे अधिक Excise duty मिलती है उक्त कारखाने को फर्रुखाबाद म खुलवाने के विषय पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रदेश में खाद के कारखाने के लिये गोरखपुर चुना था और यह चुनाव काफी छानबीन के बाद हुआ था, अतः इस कारखाने को किसी और जगह खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय इस प्रदेश में खाद का केवल एक ही कारखाना स्थापित होना है।

## मेसर्स मेहरा सिल्क मिल्स, वाराणसी

*६९—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स मेहरा सिल्क मिल्स, वाराणसी को इम्पोर्टेड जापानी सिल्क का कोटा उनके रजिस्टर्ड पावर लूम्स पर उत्पादन हेतु सन् १९६२ तक दिया गया था ?

*७०—क्या उक्त फर्म को प्योर सिल्क और आर्ट सिल्क पर भी पावर लूम चलाने की स्वीकृति थी ?

*७१—क्या उक्त फर्म ने कोई जाली परमिट बनाकर उस किस्म के सिल्क लेने का प्रयत्न किया जिसको लेन के लिए उसके पास नियमानुसार कोई परमिट नहीं था ? यदि हां, तो इस जालसाजी के लिए उक्त फर्म के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## गोंडा जिले में सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

*७२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सुरक्षा कोष संग्रह योजना के अन्तर्गत कितना धन व सोना प्राप्त हुआ है और उपरोक्त प्राप्त कोष में बलरामपुर राज का अंश कितना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गोंडा जिले से सुरक्षा कोष में कुल ९,०२,७०८.४० रु० एवं २४१.ग्राम सोना प्राप्त हुआ है। इसमें बलरामपुर राज का कितना अंश है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

*७३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री शीतलाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर राज के महारानी साहिबा के निजी सचिव भारतीय नहीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

*७४—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री शीतलाप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश गोंडा से बलरामपुर राज की ओर से सोना, सुरक्षा कोष में दान देने का वादा किया गया था, किन्तु उपर्युक्त निजी सचिव की कार्यवाहीयों से नहीं प्राप्त हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## स्वर्णकारों की गिरफ्तारी तथा सहायता

*७५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून के लागू होने से प्रभावित स्वर्णकारों ने सत्याग्रह किया था उसमें उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, लखनऊ में स्वर्ण नियंत्रण कानून के विरोध में सत्याग्रह किया था। इस संबंध में कुल १७५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

*७६—श्री चन्द्रजोत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण नियंत्रण कानून से प्रभावित स्वर्णकारों की जीविकोपार्जन एवं सहायतार्थ राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २६६ पर)

## श्रीमती तारा अग्रवाल का जालौन जिले में दौरा

*७७—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती तारा अग्रवाल सभा सचिव का दौरा जालौन जिले में ६ व ७ सितम्बर को हुआ था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। श्रीमती तारा अग्रवाल, सभा सचिव ने ६ व ७ सितम्बर, १९६३ को जालौन जिले का दौरा किया था।

## मलिहाबाद थानान्तर्गत मुहम्मदनगर निवासियों की रक्षा

*७८—श्री रामायणराय—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला के पुलिस अधिकारियों को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्राम मुहम्मदनगर, रहमत नगर, थाना मलिहाबाद के कुछ व्यक्तियों ने आतंक से पीड़ित होकर अपना कारबार छोड़कर दूसरे ग्रामों में शरण ली है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या उपाय किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ग्राम मुहम्मदनगर के कुछ लोग एक व्यक्ति को धमकियों तथा ज्यादतियों के कारण गांव छोड़कर दूसरी जगहों में रहने लगे हैं, किन्तु जांच से यह नहीं सिद्ध हो सका कि वास्तव में इसी कारण से उन लोगों ने ऐसा किया है। फिर भी पुलिस की ओर से उन लोगों को रक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है और पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। वे लोग आतंक रहित कहीं भी रहने को स्वतंत्र हैं।

## कम्युनिस्ट नजरबन्दों के लिए साहित्य

*७९—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कम्युनिस्ट नजरबन्दों को जो पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें, पढ़ने को दी जाती हैं, उनकी कोई लिस्ट है, जिसके अनुसार उन्हें दी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। कम्युनिस्ट नजरबन्दियों को दिये जाने वाले पत्र, पत्रिकाओं की कोई विशेष सूची नहीं है।

*८०—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी प्रतिबन्धित सूची है—पुस्तकों, पत्रों, पत्रिकाओं की—जो कम्युनिस्ट नजबन्दों को नहीं दी जाती ? वह सूची क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

न केवल कम्युनिस्ट नजरबन्दियों के लिये बल्कि सभी बन्दियों के लिये कुछ पत्र व पत्रिकायें प्रतिबन्धित हैं जिनका विवरण देना जनहित में उचित न होगा।

## भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द

*८१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार कितने भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द छोड़े गये तथा कितने व्यक्ति इस समय भी नजरबन्द हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाई कोर्ट के आदेशानुसार डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबन्द चार व्यक्ति छोड़े गये। इस समय (२५-१०-६३) इस प्रदेश में उपरोक्त रूल्स के अन्तर्गत ३३ व्यक्ति नजरबन्द हैं।

*८२—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नजरबन्द कैदियों के खिलाफ जो आरोप थे वह अब भी विद्यमान ह या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिन मूल कारणों से व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे उनमें परिवर्तन होने का प्रश्न नहीं उठता।

## सुरक्षा कोष में चन्दा वसूली के संबंध में महरोनी तहसील के विरुद्ध शिकायत

*८३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ फरवरी, १९६३ का छपा हुआ पर्चा तहसील महरोनी (झांसी) के तहसील कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा कोष में जबरदस्ती चन्दा लेने व चन्दा की रकम में गोल माल करने के संबंध में गत फरवरी में तहसील भर में बांटा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

इसकी जांच कराई गयी थी जिससे यह पता चलता है कि यह शिकायत आधार रहित है।

*८४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १६ अप्रैल सन् १९६३ को जिला सुरक्षा कोष समिति की बैठक में प्रश्न कर्ता ने जिलाधीश से तहसीलदार द्वारा सुरक्षा कोष की रकम में गोलमाल करने की शिकायत करते हुये मुख्य मंत्री का सुरक्षा सेना कल्याण कोष की चन्दा की कापी नं० ४६४ की रसीद नं० १० तथा १६ दिखाई थी जिस पर एक-एक रुपया लिखा था जब कि दो-दो रुपया वसूल किये गये थे कार्यवाही हेतु एक रसीद नं० १०, दिनांक १८ दिसम्बर, १९६२ की एक रुपया की श्री भगना (ग्राम न।रहट) की जिलाधीश को दी थी और उसकी पुष्टि में तहसीलदार महरौनी का एक पत्र दिनांक ६ अप्रल, १९६३ (पर्चा बटने के बाद) को बताया था जिसमें तहसीलदार ने उक्त रसीदें दुरुस्ती हेतु वापस मांगी थी? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री सुदामाप्रसाद ने संबंधित शिकायत जिलाधीश झांसी से उनके रिटायरिंग रूम में रसीद नं० १० : ४६४ दिखाते हुये की थी। साथ वह भी पर्चा जो तहसीलदार ने शायद लेखपाल को बाबत दुरुस्ती रसीद लिखा था उन्हें दिखाया गया इस विषय पर एस० डी० ओ० ललितपुर द्वारा मुफ्फसल इन्वायरी कराई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि रसीद लिखने वाले अहलकार गलती से रसीद नं० ८ व १० में दो रुपये के बजाय एक रुपया संख्या में दर्ज की थी लेकिन तहसीलदार ने रसीदों पर हस्ताक्षर करते समय अपने हाथ से अक्षरों में दो रुपया साफ तौर पर दर्ज कर दिया था। इन रसीदों के चार रुपये ट्रेजरी में और रुपयों के साथ जमा कर दिये गये थे। इन रसीदों की रकम मय दीगर वसूली के श्री सुदामाप्रसाद के शिकायत के बहुत पहले जमा हो चुकी थी। असल रसीद इसलिये मांगी गई थी कि हिन्दसों में गलती से जो अहलकार ने एक रुपया लिख दिया था ठीक कर दिया जावे।

रसीद नं० १६ का प्रश्न सही नहीं है चूंकि यह रसीद सुखलाल के नाम से एक ही रुपये की जारी हुई है और एक ही रुपया उसने सुरक्षा कोष में जमा किया था।

*८५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम० ललितपुर, श्री बाधवानी के पास ऐसी शिकायतें आयी थीं कि जिन लोगों ने चन्दे की शिकायतें की हैं उन्हें तहसीलदार नुकसान पहुंचाने की कार्यवाहियां कर रहें हैं और उक्त शिकायतों के संबंध में ७ अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल ब्लाक प्रमुख, महरोनी व प्रश्नकर्ता के साथ एस० डी० एम० ललितपुर से मिला था? यदि हां, तो अब तक तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रकार की कोई सूचना जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी श्री बाधवानी से जिनका ललितपुर से स्थानान्तरण हो गया है, इस संबंध में पूछा जा रहा है।

## जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर द्वारा परमिटों की स्वीकृति

*८६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६३ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने टीन, लोहा और चादरों की कितनी दरख्वास्तें शहर में

[श्री शिवनाथसिंह]

और कितनी दरख्वास्तें जिले में औद्योगिक कार्यों के हेतु स्वीकृत कीं और कितनी अस्वीकृत कीं और इस प्रकार कितनी मात्रा में शहर एवं देहात को अलग-अलग वस्तुयें दी गयीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## कानपुर जिले में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*८७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत डी० एस० पी० कम्पलेंट को १ जनवरी, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक भ्रष्टाचार संबंधी कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं । उनमें कितनी दरख्वास्तों की जांच हुई और कितने प्रार्थना-पत्र सही पाये गये उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त अवधि में भ्रष्टाचार संबंधी आठ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं । आठों में जांच की गई । एक दरख्वास्त में जांच अभी हो रही है । सात में जांच हो चुकी है जिसमें से तीन में लगाये गये आरोप सही पाये गये । इनमें से २ मामलों से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १६१ भारतीय दंड विधान तथा धारा ५(२) प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये गये हैं और तीसरे में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध धारा ४२० भारतीय दंड विधान तथा ५(डी) प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है । तीनों मुकदमों में जांच हो रही है ।

*८८—श्री जगन्नाथ राव—

[हटा दिया गया ।]

*८९—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

[२९ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

## कन्धरापुर थाने के विरुद्ध जिलाधीश, आजमगढ़ को प्रार्थना-पत्र

*९०—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर थाने के खैरुद्दीनपुर मोहीउद्दीनपुरा ग्राम की जनता की ओर से मई या जून, १९६३ में पुलिस तथा पुलिस के दलालों द्वारा घर का सामान लुटवाने, बरबाद करने, समस्त घर का खपरैल पिटवा कर नष्ट करने आदि की शिकायती दरख्वास्त जिलाधीश आजमगढ़ को दी गई थी और जिलाधीश द्वारा मैजिस्टीरियल जांच कराई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

*९१—श्री इन्द्रासनसिंह—

यदि हां, तो क्या मैजिस्ट्रेट के जांच की पूरी रिपोर्ट सरकार सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रखना जनहित में न होगा ।

## खोई हुई जायदाद, कत्लों में बढ़ती

*९२—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैसा एनुअल रिपोर्ट आफ दी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश १९६१–६२ वाल्यूम के पृष्ठ संख्या १७ पर जो लिखा है कि ५७९ (पांच सौ उन्यासी ) लोगों को उनकी खोई हुई जायदाद वापस की गई तो १९६१–६२ में कुल जायदाद के खोने की संख्या क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९३—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ में राज्य में १,९५४ तथा १९६१ में २,१०१ कत्ल हुये तो इस जुर्म के बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस जुर्म के बढ़ने के मुख्य कारण निम्न हैं —

(१) थाने पर प्रत्येक जुर्म की सूचना प्राप्त होने पर उसे दर्ज करने की नीति ।

(२) जन संख्या में वृद्धि तथा आधुनिक जीवन की कठिनाइयां ।

(३) चुनावों के सम्बन्ध में उत्पन्न वैमनस्य एवं झगड़े इत्यादि ।

## मेन्थाल बनाने की योजना

*९४—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में Menthol बनाने की कोई स्कीम सरकार को प्राप्त हुई है जिसकी एक नकल माननीया मुख्य मंत्री को माह अगस्त,१९६३ में भेजी गई थी ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । उक्त स्कीम को आवश्यक जांच के उपरान्त ड्रग्स डेवलपमेन्ट कमेटी के समक्ष यथाशीघ्र रक्खा जावेगा और उक्त कमेटी की सम्मति उपलब्ध हो जाने के पश्चात् इस विषय में अन्य आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जावेगा ।

*९५—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऊपर कहे Menthol कारखाना लगाने के साथ मेन्था आरवेन्सिस (जापान स्पेशी ) की काप्त का सरकार किस तरह प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

स्कीम के संबंध में ड्रग्स डेवलपमेंट कमेटी की सम्मति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही सरकार इस विषय पर विचार करेगी ।

## जूट उद्योग

*९६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूट उद्योग का कार्य कहां-कहां हो रहा है और इसे प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में जूट उद्योग का कार्य कानपुर-सहजनवां (जिला गोरखपुर) तथा गाजियाबाद (जिला मेरठ) में हो रहा है।

चूंकि भारत सरकार ने जूट उद्योग का विस्तार रोक दिया है अतः इस समय राज्य सरकार द्वारा इस उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता।

## फर्रुखाबाद में श्री सतीश तिवारी के घर पर छापा

*९७—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि फर्रुखाबाद उद्योग पति एसोसियेशन के अध्यक्ष के घर जो जाली रक्त बैंक के सिलसिले में केन्द्रीय खुफिया पुलिस ने तलाशी ली उसमें कोई ऐसा लेख मिला है कि हमारे राज्य के किसी मंत्री ने चुनाव के बहाने रुपया वसूल किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जून के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय सरकार के स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेन्ट के अनुसंधान-कर्त्ता ने फर्रुखाबाद के कथित उद्योगपति एशोसियेशन के अध्यक्ष श्री सतीश तिवारी के घर पर छापा मारकर तलाशी ली तथा कुछ कागजात बरामद किये। विधि अनुसार बरामद किये सब कागजातों को मौके पर सील मुहर कर दिया गया। अतः उन कागजातों में प्रश्न में उल्लिखित लेखा होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*९८—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वे मंत्री प्रदेश का कौन-कौन विभाग सम्भाल रहे हैं और कितना रुपया किस चुनाव के लिये उनके द्वारा लिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न ही नहीं उठता।

*९९—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बता सकते हैं कि इस संबंध में जो कागजात केन्द्रीय खुफिया पुलिस ने बरामद किये हैं वह कहां हैं और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सभी बरामद हुए कागजात स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेन्ट के अधिकार में हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१००—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

[४ थे गुरुवार के लिये प्रश्न १३३ के स्थानान्तरित निर्धारित किया गया।]

## सगड़ी तहसील में रौनापार ब्लाक बनाने की मांग

*१०१—श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़) तथा श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रासनसिंह, विधायक आजमगढ़ ने इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र उनको जून सन् १९६२ में दिया था कि तहसील सगड़ी की जनगणना छोटी सरजू तथा घाघरा के कछार और बाढ़ पीड़ित एरिया को देखते हुये ब्लाकों का परिसीमन करके पांचवा ब्लाक रौनापार में जो छोटी सरजू तथा घाघरा के बीच का क्षेत्र है, बनाया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच कराई, उस पर क्या निर्णय लिया ? क्या सरकार जांच और अपने निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी के लिये रौनापार में एक नवीन ब्लाक बनाये जाने के प्रश्न की जांच कराई गई। जांच तथा तत्संबंधी शासकीय निर्णय की † प्रतियां सदन की मेज पर रक्खी हैं।

*१०२–१०३—श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

[४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

## चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की एजेन्सी

*१०४—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली सितम्बर से २३ सितम्बर, सन् १९६३ तक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की एजेंसी प्रान्त में कौन-कौन से व्यक्ति को दी गई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किसी को भी नहीं।

## बाराबंकी जिले में कत्ल

*१०५—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में माह जून, जुलाई एवं अगस्त, सन् १९६३ में कितने कत्ल थानेवार हुये ह ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २७० पर )

*१०६—श्री गयाप्रसाद—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कत्लों में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ? उनमें से कितने मुकदमें छूट गये और कितने अभी चालू हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सब मामलों में जांच की गई। इनमें १२ मामले २७ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय भेजे गये, जहां वे विचाराधीन हैं। ३ मामले लापता रहे और ४ में जांच जारी है।

---

†छापी नहीं गई।

## बाराबंकी-लखनऊ सड़क पर मोटर गाड़ी की तलाशी

*१०७—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १३-९-१९६३ की रात को बाराबंकी-लखनऊ, सड़क पर सफेदाबाद के पास रेलवे फाटक पर प्रिवेंटिव इक्साइज के कर्मचारियों ने कोई ऐसी गाड़ी रोकी थी जिस पर ४ पुरुष एवं एक महिला नशे में चूर सफर कर रहे थे और न उनके पास ड्राईविंग लाइसेन्स था न रजिस्ट्रेशन बुक ही थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, एक ऐसी गाड़ी को इक्साइज विभाग के कुछ कर्मचारियों ने तालाशी लेने के लिये सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर रोका था जिसपर सफर करने वालों में ३ व्यक्ति नशे की हालत में पाए गए और ड्राइवर के पास लाइसेंस आदि कोई कागजात नहीं थे।

*१०८—श्री नत्थाराम रावत—

क्या यह सत्य है कि उसी समय वहां पर थाना कोतवाली के दरोगा आ गये और उन्होंने पांचों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि जब इक्साइज विभाग के कर्मचारी उक्त गाड़ी की तलाशी ले रहे थे, कोतवाली के थानेदार वहां पहुंचे और गाड़ी में बैठे हुए पांचों व्यक्तियों को नहीं, केवल ड्राइवर को जिसके पास ड्राईविंग लाइसेन्स आदि कोई कागज नहीं थे और जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था तथा जमानत भी नहीं दे सका कोतवाली ले गए। इसके साथ के २ अन्य व्यक्ति भी, जो कार में थे तथा जो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे कोतवाली ले जाए गए।

*१०९—श्री नत्थाराम रावत—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यक्तियों में से जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी ने उस महिला एवं एक व्यक्ति को थानेदार से यह कह कर कि हम इनको अपनी गाड़ी में बैठाकर कोतवाली लिये चल रहे हैं ले गये ? यदि नहीं, तो उक्त महिला एवं व्यक्ति कौन थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी जो कार से लखनऊ की तरफ से जा रहे थे घटनास्थल पर पहुंच गए और सब इन्सपेक्टर से उन व्यक्तियों के बारे में बातचीत करने के उपरान्त महिला श्रीमती मुन्नी और एक व्यक्ति श्री हरिश्चन्द्र को अपनी कार में बैठा कर बाराबंकी की तरफ लेकर चले गये। इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि इनके द्वारा किसी अपराध का होना नहीं पाया गया।

*११०—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

[४ थे मंगलवार के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१११—११२—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं), श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं), श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद), श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) तथा श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—

[४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

## झांसी बिजली कम्पनी का कुप्रबन्ध

*११३—श्री ऊदल, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री बालोजी अग्रवाल, श्री श्यामलाल (जिला बस्ती), श्री बनवारीलाल विप्र तथा श्री बलवीरसिंह—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में एक लम्बे समय से झांसी बिजली कम्पनी के कुप्रबंध व साधनों की कमी के विरुद्ध जन आन्दोलन चल रहा है ? यदि नहीं, तो कम्पनी के खिलाफ कोई कदम न उठाये जाने का क्या कारण है ? यदि कोई कदम उठाया गया तो वह किस प्रकार का है ?

श्री गिरधारीलाल—

बिजली कम्पनी को दिये गये लाइसेन्स को रद्द करने तथा उसके व्यवसाय को उत्तर प्रदेश राज्य परिषद् द्वारा शीघ्र ही ले लिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

## गाजीपुर जिले में बिजली की दर

*११४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर तथा जिले में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दर सरकार ने प्रति यूनिट क्या रखी है ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर शहर तथा जिले में दी जाने वाली बिजली की वर्तमान दर नत्थी किये हुए ब्योरे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २७१–२७३ पर)

*११५—श्री झिलमिटराम—

क्या यह दर पश्चिमी जिलों को दी जाने वाली बिजली की दर से अधिक है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, बत्ती तथा पंखे और घरेलू छोटी एवं मध्यम शक्ति की फुटकर दरें पश्चिमी जिलों में प्रचलित दरों से निम्न प्रकार अधिक हैं :—

ए० सी० सप्लाई

| | | | |
|---|---|---|---|
| १—रोशनी तथा पंखा | .. | .. | २ न० पै० प्रति यूनिट |
| २—घरेलू शक्ति | .. | .. | ३ न० पै० प्रति यूनिट |
| ३—लघु शक्ति | .. | .. | ७ न० पै० प्रति यूनिट |
| ४—मध्यम शक्ति | .. | .. | ८ न० पै० प्रति यूनिट |
| ५—सिनेमा प्रोजेक्टर | .. | .. | ६ न० पै० प्रति यूनिट |

बड़ी तथा भारी शक्ति की दरें पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों की अपेक्षा कोयले के मूल्य के कारण कम हैं ।

*११६—श्री झिलमिटराम—

क्या घरेलू उपयोगों तथा उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर भी पश्चिम की अपेक्षा अधिक है ? क्या सरकार इस दर को घटाने के बारे में सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, बड़ी तथा भारी शक्ति के अतिरिक्त, दरें अधिक हैं ।

जी हां, इस पर गोरखपुर तथा मऊ शक्ति उत्पादन गृहों के रिहन्द की शक्ति से संयुक्त हो जाने के पश्चात् बिचार किया जायेगा ।

## इगलास तहसील में सुरक्षा कोष में गड़बड़ी की शिकायत

*११७—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ के बहुत से गांवों से हजारों रुपया तहसील के कर्मचारियों ने बिला रसीद के रक्षा कोष के नाम पर इकट्ठा किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

*११८—श्री शिवदानसिंह—

अगर हां, तो क्या सरकार उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

*११९—श्री शिवदानसिंह—

क्या प्रश्नकर्ता ने इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी की सेवा में जांच कराये जाने के लिये भेजी थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

*१२०-१२१—श्री लखपतराम शर्मा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२२—श्री लखपतराम शर्मा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## अतारांकित प्रश्न

## मैनपुरी जिले में बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जिले के लिये बन्दूकों के लाइसेन्स लेने के लिये प्रत्येक हाकिम परगना के यहां कितने-कितने प्रार्थना-पत्र इस वक्त विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैनपुरी जिले में बन्दूकों के लाइसेन्स के लिये ऐसे प्रार्थना-पत्रों को, जो हाकिम परगनाओं के यहां विचाराधीन हैं, मंडल वार संख्या निम्नांकित है :—

| मंडल | प्रार्थना-पत्रों की संख्या |
|---|---|
| १—मैनपुरी .. .. .. .. | ४३३ |
| २—शिकोहाबाद .. .. .. .. | ३३७ |
| ३—जसराना .. .. .. .. | १६८ |
| ४—करहल .. .. .. .. | १९९ |
| ५—भोगांव .. .. .. .. | ४८७ |

## मलेयू, थाना सिधौली में कथित डकैती की जांच

१—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, ग्राम सभा मलेयू थाना सिधौली, जिला सीतापुर ने सितम्बर, १९६३ के महीने में इस आशय का प्रार्थना-पत्र गृह मंत्री को दिया है कि २५ २६ अप्रैल, १९६३ की रात्रि को पड़ी डकैती के सिलसिले में नामजद किये गये मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, एक ऐसा प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था ।

३—श्री बैजूराम—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर गृह मंत्री ने अपनी इस आशय की टिप्पणी लिखी है कि एस० ओ०, सिधौली ताराचन्द माहेश्वरी के प्रभाव में है, मैं इन्हें सुअत्तल करना चाहता हूं आप (आई० जी०) इस संबंध में मुझसे आकर बात कीजिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त प्रार्थना-पत्र पर मंत्री जी द्वारा क्या टिप्पणी लिखी गयी है, वह बताना जनहित में नहीं है ।

४—श्री बैजूराम—

उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप की जांच किन-किन अधिकारियों ने कब-कब की और अलग-अलग जांच रिपोर्ट क्या हैं तथा मंत्री महोदय का उक्त टिप्पणी लिखने का आधार क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

डी० आई० जी० पुलिस लखनऊ रेंज ने प्रश्न २ में वर्णित प्रार्थना पत्र के पाने के पूर्व ही दिनांक २७ अगस्त, १९६३ को स्वयं ग्राम प्रधान के ग्राम में जाकर जांच की । उप पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने भी घटना के बारे में "स्पेशल रिपोर्ट" पाते ही तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की थी ।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

जांच के उपरान्त उक्त दोनों अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपयुक्त प्रधान के घर पर वस्तुतः कोई डकैती नहीं पड़ी प्रतीत होती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित व्यक्तियों से उनकी दुश्मनी ज्ञात हुई और उन्हें झूठा फंसाने के लिये ही यह घटना गढ़ी गयी प्रतीत हुई।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

## आजमगढ़ पालीटेक्निक में हरिजन

५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में पालीटेक्निक ट्रेनिंग के लिये अगस्त, १९६३ में कुल कितने उम्मेद .ार लिये गये हैं और उनमें हरिजन उम्मेदवार कितने चुने गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राजकीय पालीटेक्निक आजमगढ़ में १९६३ में ६० विद्यार्थियों की भर्ती हुई है जिसमें हरिजन विद्यार्थियों की संख्या ५ है।

६—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि भरती करने वाले अधिकारियों को निश्चित रूप से १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने का कोई आदेश नहीं था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भरती करने वाले अधिकारियों को निश्चित रूप से २५ प्रतिशत अनुसूचित तथा अनुन्नत जाति के विद्यार्थियों को भरती करने का आदेश था। इस २५ प्रतिशत में निश्चित रूप से १८ प्रतिशत केवल अनुसूचित जातियों को भर्ती करने का कोई आदेश नहीं था।

## सेब बाजार, आगरा में चोरी

७—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरे में सेब के बाजार में लाल इमली एजेंसी में १६–१७ जनवरी, १९६३ की रात्रि को लगभग २५,००० रुपये की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, ऐसी चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट दिनांक १७–१–६३ को कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा जांच के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं।

८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या इस चोरी के सम्बन्ध में पकड़े गये लोगों में कोई पुलिस का सिपाही भी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, एक सिपाही भी है।

९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[३ रे बुधवार के लिए प्रश्न ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

१०—श्री लखपतराम शर्मा—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४थे गुरुवार के लिए स्थगित किया गया। ]

## कन्धरापुर थाने में अपराध

११—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कन्धरापुर थाने में जून, १९६१ से अगस्त, १९६३ तक कितने कत्ल, बलवा, डकैतियां, चोरी, राहजनी तथा मारपीट की वारदातें हुयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में कन्धरापुर थाने में ४ कत्ल, ९ बलवे, ४ डकैती, ५९ चोरी, २ राहजनी और १६ गम्भीर मारपीट की घटनायें हुई ।

१२—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कितने मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और कितने मामले पुलिस ने चालू किये, जिन मामलों को पुलिस ने चलाया उनमें कितने में अभियुक्तों को दंडित किया गया और कितनों में अभियुक्त छूटे ? क्या छूटे हुये कुछ मामलों में कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर भी पास किया है ? यदि हां, तो कितने में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २७४ पर)

१३—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में जितने कत्ल, बलवा, डकैती के मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी और लोगों ने स्वयं अपना मुकदमा कोर्ट में चालू किया उनमें कितने मामले में अभियुक्तों को सजा हुई और कितने छूटे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

केवल दो मामले ऐसे हैं जिनमें कि पुलिस के फाइनल रिपोर्ट लगाने पर लोगों ने स्वयं अपना मुकदमा कोर्ट में चलाया । इनमें एक मामला डकैती का और एक बलवे का था । ये दोनों मामले अभी कोर्ट के विचाराधीन हैं ।

## सगड़ी तहसील में बिजली

*१४—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सरवहा बाजार महाराजगंज और बिलरियागंज में बिजली लगाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों में बिजली कब तक लग जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सरवहा बाजार और महाराजगंज विद्युतीकरण की योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं और चालू वित्तीय वर्ष में उनके विद्युतीकरण होने की सम्भावना है ।

बिलरियागंज की जांच पड़ताल हो रही है और यदि प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो यथोचित समय में इसका विद्युतीकरण हो जायेगा ।

## जिला उद्योग समितियों का गठन

१५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर उद्योग सलाहकार समिति किन आधारों पर गठित की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उद्योग सलाहकार समिति नाम की कोई समिति जिला स्तर पर नहीं है। परन्तु उक्त स्तर पर जिला उद्योग समितियां गठित की गई हैं जिनका आधार है जिला स्तर पर औद्योगिक विकास का कार्य क्रम बनाना तथा उसे कार्यान्वित करने में सहायक होना और उससे संबंधित कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए स्थानीय जनमत तथा उपक्रम (initiative) प्राप्त करना।

## पुलिस डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क, एकाउन्टेंटों का वेतन

१६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पुलिस के हेडक्लर्क और एकाउन्टेंट के सन् १९३० में मूल वेतन क्या थे और इस समय क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## हरिजन थानेदार, बुलन्दशहर जिले में दलित वर्ग के कान्सटेबिल

१७—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने थानेदार हैं, उसमें कितने हरिजन (दलित वर्ग) के थानेदार हैं और दलित वर्ग के थानेदारों में कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उत्तर प्रदेश में इस समय कुल ३३०९ थानेदार हैं जिनमें १३६ हरिजन हैं। इन १३६ हरिजन थानेदारों में से ७८ स्थायी तथा शेष ५८ अस्थायी हैं।

१८—श्री जसरामसिंह—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कुल कितने सिपाही हैं उनमें कितने दलित वर्ग के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बुलन्दशहर में सिपाहियों की कुल संख्या ७९२ है जिनमें १३ दलित वर्ग के हैं।

१९—श्री जसरामसिंह—

क्या गृह मन्त्री सुरक्षित स्थान के आधार पर उनकी पूर्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थानों की पूर्ति करने के लिये शासन द्वारा भरसक प्रयत्न किया जाता है परन्तु चूंकि इस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं अतः यह सम्भव नहीं हो पाता है।

२०-२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न ४३-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## बबराला ग्राम का बिजली के लिए पर्यवेक्षण

२३—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील गुन्नौर के बबराला ग्राम में बिजली कब तक पहुंचने की व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल—

बबराला ग्राम का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और यदि वह गांव प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो इसका विद्युतीकरण हो जायेगा।

## उमरपुर का चाकू उद्योग

२४—श्री ममताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उमरपुर, जिला बुलन्दशहर में चाकू बनाने के उद्योग का एक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध ग्राम उद्योग है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम उमरपुर का उमरपुर, जिला बुलन्दशहर में कुछ लोग चाकू बनाने का काम करते हैं।

२५—श्री ममताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अब तक सरकार ने उमरपुर के चाकू बनाने वाले कारीगरों की माल बेचने की समस्या को सुलझाने व पूरा करने की ओर कोई ध्यान दिया और इस ग्राम उद्योग को उसकी देन व उन्नति के लिए कोई प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चाकू बनाने के उद्योग में लगे हुये उक्त स्थान से कुछ व्यक्तियों ने वित्तीय सहायता के लिये उद्योग विभाग से हाल ही में प्रार्थना की है और उनके इस संबंध-पत्रों पर विचार किया जा रहा है। उक्त उद्योग की तथा उसमें लगे हुए व्यक्तियों की दशा सुधारने के उद्देश्य से उनकी एक सहकारी समिति बनाने के लिये भी उद्योग विभाग प्रयत्नशील है।

## मुरादाबाद जिले में उद्योग ऋण

२६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला मुरादाबाद में २० हजार से रुपया तक का ऋण वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में किस-किस को किस-किस काम के लिए दिया गया ?

२७—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि २० हजार से ज्यादा रुपया पाने वाले लोगों में से किस-किस ने रुपये का सही इस्तेमाल नहीं किया और उनसे रुपया वापस लेने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये तारांकित प्रश्न पृष्ठ २७५-२७६ पर)

## ३० अक्तूबर, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन, अ पसूचित प्रश्न के सिलसिले में मुझे कुछ निवेदन करना है और वह यह कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस के खिलाफ भी चार्जेज लगाये गये हैं उधर से। रिट की कापी हमारे पास मौजूद है और माननीय मंत्री जी के पास भी मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो इसके सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है—"दि सेम....

श्री अध्यक्ष—

जो मेरी कठिनाई है वह मैं निवेदन कर दूं। इसी सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया गया है वह महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने जो आपत्ति हमारे सामने रखी पहले में उसको अच्छी तरह से अध्ययन करके कोई निश्चय करूं। यही कारण है कि मैं मजबूर हो गया। जो नि चय मैं करूगा इस सम्बन्ध में उसका जनरल प्रभाव विशेषाधिकार के प्रश्न पर भी पड़ सकता है। इस वजह से आव यक है कि मैं उसका पहले अध्ययन कर लूं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन, मैं यह निवेदन कर दूं कि कल आपने यह कहा था कि यह प्रश्न कल लिया जायगा। चूंकि इस पर आप की व्यवस्था हो चुकी है और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद ही यह व्यवस्था दी और ये सारी बातें जो हुई वे प्रोसीडिंग्स में आयीं, तो उसके ऊपर आप को सप्लीमेंटरी करने के लिये तो हम लोगों को एलाउ करना ही चाहिये। केवल तीसरे सवाल के आखिरी पोर्शन के जवाब में यह कहा गया है कि यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। श्रीमन, मैं उससे तो सहमत हो सकता हूं, लेकिन प्र न संख्या १, २ और ३ के एक पोर्शन पर सप्लीमेंटरी एलाउ करना मैं समझता हूं कि उपयुक्त होगा। प्रिविलेज का सवाल तो दूसरा है और मप्लीमेंटरी करने का सवाल दूसरा है। दोनों को एक में मिला देना ठीक नहीं होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दोनों प्र नों को आप अलग-अलग देखें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, कल इस सम्बन्ध में माननीय पुलिस मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि यह मैटर सबजुडिस है। ऐसी हालत में उनका यह कर्त्तव्य था कि वे कल ही आप के पास उससे सम्ब धत सारे पेपर्स पहुंचा देते। क्योंकि आप ने उस प्र न के लिये एक समय नि चित किया था, लेकिन जान बूझ कर उन्होंने ऐसा नहीं किया जब कि उनको मालूम था कि ३१ तारीख को सदन अनि चित-काल के लिये स्थगित होने जा रहा है फिर भी उन्होंने वह कागजात आप को नहीं दिये। आपने समय भी निश्चय कर दिया, अब जो भी उनका उत्तर मिले आज आपका निणय नहीं होगा और असेम्बली फिर पता नहीं कब हो, इस तरह से जो अल्पसूचित तारांकित प्र न का पर्पज है वह खत्म हो जायगा। इस वास्ते मेरा आप से निवेदन है कि आप नियमानुसार आध घंटे का समय इसके लिये दे सकते हैं, वह आप दे दें ताकि वह अपना वक्त दे दें और उस पर विचार विनिमय हो जाय।

## मंत्रिमंडल के गठन में स्थित अनियमितताओं के संबंध में उठाये गये प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सदन अब ी बार बैठा था तो मैंने एक प्रश्न आपके सम्मुख रखा था कि इस मंत्रिमंडल के गठन में जो अनियमितताय हुई हैं और उस पर जो कुछ समाचार-पत्रों में

छपा है वह सब आप को ज्ञात हुआ होगा कि हाई कमांन ने किस तरह से मंत्रिमण्डल के गठन पर आक्षे किया है और सुचेता जी ने किस प्रकार मंत्रि म डल की सूची में परिवर्तन कर लिया है और उसके साथ ही साथ आपने आज श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव का भी व तव्य पढ़ा होगा कि हा : कमांड के तय करने के बाद बिना उसकी सलाह के उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया, जब कि लोगों ने उनको बधा ' भी दे दी। मेरा इसमें एलीगेशन स्पेसि क है कि श्रीमती सुचेता जी ने यह नाम तय नहीं किये हैं वरन् यह मंत्रिमं ल के नाम हाई कमांड ने तय किये हैं।

मेरा निवेदन यह है कि उस समय श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के पास बधाई के तार भी आ गये थे, तो इस पर मेरा निवेदन है कि सीकरेसी की ओथ जो माननीय मुख्य मंत्री ने ली थी उसको श्रीमती सुचेता जी ने तोड़ा है।

## ३० अक्तूबर, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

**श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी अभी कुछ निवेदन कर रहे थे और उसके ऊपर अभी आप को कोई निश्चित व्यवस्था या आदेश नहीं हुआ है तो उसके पूर्व ही आपने इस नये प्रश्न को कैसे ले लिया यह मैं आप से जानना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—

मैं एक बार नहीं, कई बार कह चुका हूं कि जो प्रश्न माननीय कल्पनार्थसिंह ने उठाया है उसके बारे में, मैं बगैर अध्ययन किये तय नहीं कर सकता। मैं उस पर और सवाल जवाब तो कर नहीं सकता और अब किसी हालत में भी बगैर पढ़े हुये उस पर व्यवस्था नहीं दे सकता। यह मैंने पहले भी कहा था।

**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—

तो इसको साढ़े पांच बजे रख दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—

यह प्रार्थना आप कर सकते हैं।

मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन मुझे समय तो दीजिये।

## मंत्रिमंडल के गठन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उठाये गये प्रश्न के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

**श्री टम्बेश्वरप्रसाद**—

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने ओथ की सीक्रेसी को तोड़ा है और इसको देखते हुये आप उनको सुन लें और इस मामले में अपना निर्णय देने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**—

आज भी और इससे पहले भी यह प्रश्न सदन में दो एक बार उठ चुका है, मेरे समय में भी और मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों के समय में भी और इस पर यहां पर यह विनिश्चय हो चुका है इस पीठ से, कि दलों के अन्दर के मामलों पर यहां विचार नहीं हो सकता। हर एक दल का एक अनुशासन होता है और उसके अनुसार वह आपस में परामर्श करते हैं और एक दूसरे को राय देते लेते हैं, उस सब के सम्बन्ध में इस सदन में विचार नहीं हो सकता, यही मेरा निश्चित मत है और मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं उनके अनुशासन या राय की बात नहीं कहता, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से कि माननीय सुचेता जी ने अपनी सीक्रेसी आफ ओथ का वायलेशन किया है कि मन्त्रिमंडल बनाने के विषय में वह सब को बतलाती फिरें, वह तो उनके कन्सीडरेशन की बात है...

श्री अध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में लिख कर दे दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह मैंने दे रखा है।

श्री अध्यक्ष—

उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं।

## सदन की आगामी बैठक की तिथि की सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन उठ रहा है और सरकार की तरफ से सदन में कुछ नहीं आया है कि अब कब सदन होगा। एक शिकायत मेरी यह भी है कि कभी यह सत्र डेढ़ दिन बैठता है, कभी ढाई दिन और कभी साढ़े ३ दिन बैठता है। ऐसा लोक सभा में नहीं होता है। लोक सभा में कार्य-क्रम पहले बांट दिया जाता है। तो मेरा यह सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा चार्ज है और आप सरकार को चार्ज करें। मैं माननीय सुचेता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया माननीय गुप्ता जी की परम्परा न चलावें, बल्कि निश्चित रूप से अच्छी नयी परम्परायें चलावें।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं और सदन को उस सूचना को सुनकर प्रसन्नता होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य के मंत्री ने यहां पर एक नयी परम्परा का श्रीगणेश किया है और वह यह है कि:—

"सदन के नेता द्वारा मुझे आपसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ के उपवेशन की समाप्ति पर स्थगित होकर दिनांक ९ दिसम्बर, १९६३ को अपने निर्धारित समय से हो।"

यह आपके सामने है और मुझे खुशी है कि नयी परम्परा आरम्भ हुई है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

कितने समय तक वह बैठक चलेगी वह भी मालूम हो जाय जैसा कि लोक सभा में परम्परा है।

श्री अध्यक्ष—

एक नयी परम्परा आरम्भ हुई है उसे बढ़ने तो दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह नेता सदन का एकमात्र अधिकार है कि वे कार्यक्रम और तिथि का निश्चय करें। आपने जो पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर महोदय का नाम लिया है उससे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिये कृपा करके उससे उनका नाम निकाल दें।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा सा श्रेय उनको भी मिल जाय तो उससे आप क्यों नाराज होते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो यह नयी परम्परा आरम्भ हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके लिये हम लोगों की बहुत पहले से मांग थी, क्योंकि इसके बिना बड़ी बाधा उपस्थित होती थी। मेरा एक अनुरोध यह है कि जो सेशन ९ दिसम्बर से होने वाला है उसका कार्यक्रम क्या होगा उसको हमें काफी पहले से मिल जाना चाहिये ताकि जो बिल आने वाले हैं उनपर हम विचार करके और अध्ययन करके आ सकें। मैं मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे कृपया इसपर सूचना पहले से हमें दे दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस पर मुझे इस वक्त ज्यादा कहना नहीं है। सुझाव बहुत अच्छा है। सदन का कार्य सुचारु रूप से चलना है इसलिये हम लोग कोशिश करेंगे और पहले से बता देंगे।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह सम्भव होगा कि शीघ्रातिशीघ्र एक प्रोग्राम बन जाय ताकि हम माननीय सदस्यों को सूचित कर दें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

क्या आज ही ?

श्री अध्यक्ष—

१०,५ दिन में।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, बता देंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा आपसे एक आग्रह है कि जिस शुभ परम्परा का आज श्रीगणेश हुआ है, जिसपर आपने हर्ष व्यक्त किया है और हमको भी हर्ष है, उस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार से क्या आग्रह कर सकता हूं कि ४६ और ४८ नम्बर पर मेरा जो प्रश्न था, उसको मैंने अनावश्यक तारांकित प्रश्न के रूप में आपके कार्यालय में भेजा, मेरे सामने उस पर आदेश हुये किन्तु न जाने क्यों अब सरकार की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भी स्थगित कर दिया गया है। तो मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सरकार को इस बात के लिये भी राजी करें कि ऐसे लोक महत्व के प्रश्नों के उत्तर से बचने से सरकार की मर्यादा नहीं बढ़ेगी और उनका उत्तर समय से माननीय सदस्यों को अवश्य मिल जाया करे।

## प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि ४ अप्रैल, १९६३ से अब तक जितने क्वेश्चन्स मैंने आपके क्वेश्चन्स डिपार्टमेंट को भेजे हैं लिखकर उनमें से किसी का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला और न ऐजेंडे पर वे सवाल आज तक आये हैं, इसकी क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या वह सवाल छपे नहीं ?

श्री बांकेलाल—

न वह छपे और न उनका जवाब मुझे मिला।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, बांकेलाल जी आप मेरे कमरे में आ जावें तो मैं इस बारे में जांच कर लूंगा।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में मेरे पास आते हैं उनका जवाब आप मुझे सरकार से हिन्दी में दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष—

देखिये आप एक मर्तबा आये, हमने आपके प्रश्नों को देखा और आपके प्रश्न की सूचना दी। आप फिर आ जाइयेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इनको जवाब अंग्रेजी में आता है। इस शिकायत को आप दूर करें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, देख लेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

प्रश्न संख्या ४४–४५ के सम्बन्ध में क्या जांच करायी ? दूसरे २८ तारीख को अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार कर लिया था वह भी नहीं आया....

श्री अध्यक्ष—

आपने लिख कर दिया था तो लिखित उत्तर दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस रोज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति के प्रश्न पर बहस चल रही थी मैंने एक रिटेन आर्गूमेंट दिया था। क्योंकि समय कम होने के कारण सारे आर्गूमेंट नहीं दे सकता था इसलिये लिखित आर्गूमेंट जो माननीय राज्यपाल के पास मैंने भेजे हैं वही मेरे पार्ट आफ दि आर्गूमेंट और प्रोसीडिंग बना दिये जायं....

श्री अध्यक्ष—

मुझे अभी सूचना मिली है। आपने लिख कर दिया है, मैं इसको देख कर आदेश दे दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपने स्वयं कहा था इसलिये मैंने इतनी मेहनत की थी।

श्री अध्यक्ष—

यह गलती हो गई। अगर उसी समय कह देता कि पार्ट बनेगा तो कोई दिक्कत न होती। मेरा मतलब यही था, लेकिन यह समझ नहीं पाये।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

प्रश्न संख्या ५२ से ५४ में लिखा गया है कि सूचना प्राप्त की जा रही है। जबकि आप सवाल देखें तो मालूम होगा कि इसकी रिपोर्ट आलरेडी मौजूद है आपके यहां और उस पर भी मुझे इसकी सूचना नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लीजिये। बिना रेकार्ड देखे मैं यहां कोई जवाब नहीं दे सकता।

## नियम ५२ तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ४ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आयी हैं। इनमें नियम ५२ के सम्बन्ध में कुछ हो नहीं सकता। एक बात अलबत्ता समाचार पत्रों में जो छप रही है और जिसको माननीय जगदम्बाप्रसाद ने उठाया है कि जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव १० नवम्बर को होने की घोषणा एवं इस चुनाव के रुकने की सम्भावना सम्बन्धी खबरों से लोगों में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है।

सरकार बतायेगी कि जिला परिषदों का चुनाव १० तारीख को होगा ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

पश्चिमी जिलों में भी होगा चुनाव ?

श्री अध्यक्ष—

सभी जगह होगा। जहां होना चाहिये, होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

एजेन्डे के आइटम नम्बर तीन पर आपको एक सूचना दी गई थी माननीय रियासत हुसैन की तरफ से

श्री अध्यक्ष—

उस पर आने तो दीजिये।

एक विशेषाधिकार का प्रश्न आज जो गृह मन्त्री ने कहा है उससे सम्बद्ध है उसको देखकर मैं निर्णय करूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, यदि आप उसको पढ़ दें तो सारे सदन को मालूम हो जायगा कि गृह मन्त्री ने क्या कहा। इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य पूछना चाहें पूछ लें तो आप को अपनी राय देने में आसानी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

अनुमति देने के लिये मुझे आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह अनुमति नहीं है, श्रीमन्, आप भी सुन सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया सब बैठ जायें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने कहा है कि चुनाव १० तारीख को होंगे और आपने कहा कि जहां होने हैं, होंगे तो क्या पश्चिमी जिलों में भी होंगे?

श्री अध्यक्ष—

पश्चिमी जिलों में क्या विशेषता है?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, पश्चिमी जिलों में विशेषता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

३ डिवीजन्स में चुनाव जरा देर में होंगे क्योंकि फ्लड आ गये थे। वहां भी १५ दिसम्बर तक पूरे हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उसका नोटिफिकेशन हो गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन होने वाला है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, श्री रियासत साहब के उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न में आपने यह व्यवस्था दी है कि वे आपके कक्ष में मिल लें। यह आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है, लेकिन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप नियमों को देखें तो आप पायेंगे कि जब कोई ऐसी घटना या विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, सदन के भीतर, उसके ऊपर सदन स्वयं सक्षम है। आप उस सूचना को सदन में बता दें ताकि सदन के माननीय सदस्य और सूचना मांग सकें और आप तत्काल विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं कक्ष में देख लूंगा। यह घटना तो सदन के भीतर की नहीं है। माननीय गृहमन्त्री ने एक बयान दिया है सदन के सामने। तो क्या हुआ? उस पर क्या आपका प्रश्न है?

श्री रामायणराय—

आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री रामायणराय—

ऐसा भी हो सकता है कि अगर विषय महत्वपूर्ण होता तो उसकी जानकारी मिलने के बाद अन्य कोई सदन का माननीय सदस्य भी उस सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन कर पाता। इसलिये इस को सुनवाया जाना आवश्यक है। अतः मैं चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि आप सदन को बतायें कि वह विषय क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

विषय आपने स्वयं अभी बताया कि माननीय गृह-मन्त्री ने कहा कि जो रिट फाइल हुई है उसमें आज के प्रश्न आते हैं। वे कहते हैं आते हैं। अब तय करना है कि गलत बयानी की है या वह प्रश्न रिट के अन्दर आते हैं या नहीं आते हैं। इसको मैं देख लूं।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो विशेषाधिकार का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, नियम ६४ में स्पष्ट कहा गया है, जिसे आप देखने की कृपा करें, कि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। इतना बड़ा अधिकार है, श्रीमन्, इस सदन को। हाउस में सवाल आया। सवाल का स्पष्ट जवाब है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आपने यह आदेश दिया कि कल यह विचार के लिये आयेगा तो हमारी शिकायत यह है कि, जब माननीय सदस्य का अपमान किया जाता है, जिसको आप भी स्वीकार करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको हमारी सहायता करनी चाहिये। ऐसी दशा में जब कि वह सवाल जिसके सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एजेन्डे पर एक आइटम निवेदनों का भी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

तो आपको भी लिखाना पड़ेगा। अब आप बैठिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कोई सवाल हो उसे आप स्थगित कर देते हैं। विशेषाधिकार का सवाल है उसे आप स्थगित कर देते हैं। आज के बाद ९ दिसम्बर को सदन बैठे तो ९ दिसम्बर के बाद आप विचार करने का अवसर हमको देंगे। इसलिये निवेदन है कि २ बजे तक आप इसे देख लें और २ बजे के बाद सदन में हमको सप्लीमेंट्री करने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६४ में यह है परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। 'कर सकेगा' के मतलब हैं 'मे डू' इसके मानी हैं स्वविवेक अर्थात् चाहे शिकायत पर करें या बिना शिकायत के करें। इसके आगे इसमें यह है "किन्तु शिकायत यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष अपनी सम्मति देने के पूर्व सदस्य को सफाई को सुनेंगे।" लिहाजा में माननीय गृह मन्त्री को सुनूं—आवश्यक है। माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

गृह मन्त्री ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा वह रिट के आधारों से सम्पुष्ट होता है, तो मेरा कर्तव्य हो गया कि मैं उसका अध्ययन करूं। आपने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसमें आपने स्वयं नियम ६२ को कार्यान्वित नहीं किया। उसमें यह है, अगर आप कहते हैं कि यह सूचना किसी लिखित दस्तावेज या लेखों के आधार पर है तो उसे दाखिल करना चाहिये था। आपने दाखिल नहीं किया। इन औपचारिक बातों पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरे पास एक तजवीज आ गयी है, उस पर मैं विचार करूंगा और अपना निर्णय दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

रिट की कापी आपको दे रहा था। मेरे पास वह है। वह दाखिल किये दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

यहां देने की बात नहीं है। इसके साथ देना चाहिये था।

## अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी द्वारा सुरक्षा कोष में कथित गबन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

सुरक्षा कार्य निधि के लिये धन एकत्र करने के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी द्वारा की गई कतिपय तथाकथित अनियमितताओं पर कुछ मित्रों ने प्रत्यक्ष: उद्विग्नता प्रकट की है।

धन एकत्र करने के सम्बन्ध में यह शिकायतें सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध नहीं, अपितु अन्तरिम जिला परिषद् के विरुद्ध हैं, जो एक स्वतन्त्र संस्था है। जिलाधीश द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि धन एकत्र करने के तरीके में कोई अनियमितता नहीं हुई। अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा इसका हिसाब रखने में यदि कोई अनियमितता हुई हो तो उसका पता तभी लग सकता है जब लेखा परीक्षकों द्वारा लेखों की जांच हो। इन संस्थाओं के लेखे स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किये जाते हैं। मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय का इन लेखों का शीघ्र परीक्षण कराने के लिये ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह जिला परिषद् के अध्यक्ष से सम्बन्धित है। लेकिन यह रुपया जिला सुरक्षा कोष का था और इसका सम्बन्ध सीधे सरकार से है। उस सुरक्षा कोष की वसूली में गड़बड़ी हुई। तो उसकी जांच सरकार को कराना चाहिये या जिला परिषद् के लेखा परीक्षक को ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिलाधीश को ये कागज भेजे गये थे और उन्होंने जो सरसारी जांच की उसमें उन्होंने कोई दोष नहीं पाया और कहा कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब सुरक्षा कोष वसूली के आदेश यहां से गये थे तो सरकार ने जिला परिषद् को भी आदेश दे रखा था। तो जिला परिषद् के अध्यक्ष ने जब इस रुपये में बहुत गड़बड़ी की तो सरकार ने उनके विरुद्ध अबतक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गड़बड़ी की तो कोई बात मैं मानता नहीं, लेकिन जो जिला परिषद् ने....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, १ लाख ८० हजार रुपये की गड़बड़ी है और वे मानते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यह उनकी सूचना है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि उस हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं एक आइटम पूछता हूं सरकार उसको गड़बड़ी में शुमार करती है या नहीं ? श्री त्रिभुवन सिंह, टैक्स इन्स्पेक्टर के नाम दो रसीदें इश्यू हुयीं। एक ३१-१२-६२ को और दूसरी ५-४-६३ को। ३१-१२-६२ को जो रसीद इश्यू हुई वह उनके यहां से गायब है और ग्यारह सौ रुपया ८-१०-६३ को उस रसीद का जमा किया गया जबकि जांच-पड़ताल हो रही थी और जो चार महीने बाद रसीद इश्यू हुई उसका रुपया २९-८-६३ को दाखिल कर दिया। तो पहली रसीद का रुपया उनके पास पड़ा रहा और पैसा और रसीद, दोनों गायब हो गयीं। यह सूचना मेरे पास अध्यक्ष के दस्तखत से आयी है। और दूसरी रसीद जो बाद को इश्यू हुई उसका पैसा जमा कर दिया। तो यह गड़बड़ी में शुमार है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जो हमारे पास कलेक्टर की रिपोर्ट आयी है उसमें उन्होंने बताया कि जितना रुपया होना चाहिये उतनी रकम जमा है। उसके बाद जब मैंने कार्य भार सम्भाला तो उग्रसेन जी और दूसरे लोगों ने मुझे कुछ कागज दिये। ये कागज आने के बाद मैं इस निर्णय पर आयी हूं कि इन्टर्नल आडिट जबतक नहीं होगा तबतक पूरा डिटेल मालूम नहीं हो सकता। इसलिये इन्टर्नल आडिट की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी—

यह रुपया सुरक्षा कोष का है और आडिट जिला परिषद् के आडिटर से करायेंगी। मैं चाहता हूं कि स्पेशल आडिट हो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल आडिट होगा। पहले मैं देख तो लूं।

श्री गयाप्रसाद—

जांच-पड़ताल के समय ८-१०-६३ को हम लोगों ने जो हिसाब पकड़ा उसमें मालूम हुआ कि ८ रसीदें गायब हैं और जो रसीदें गायब हैं उन पर वसूल किये गये रुपये का भी कोई पता नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

गयाप्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी नहीं है किन्तु वे संतुष्ट भी नहीं हैं। वे कहती हैं कि अब हम उसको आडिट करा रहे हैं। तो आडिट पर सवाल पूछ लीजिये।

श्री गयाप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय की सूचना से मुझे पता चला कि मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी है और यह गड़बड़ी सीधा सम्बन्ध रखती है अध्यक्ष श्री श्यामबिहारीसिंह से। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं श्री श्यामबिहारी सिंह को जिन्होंने इस हिसाब में गड़बड़ी की है अपना टिकट दिया है और जिला परिषद् के लिये अपना उम्मीदवार बनाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

स्पीकर महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि गड़बड़ी पाई गई, बल्कि मैंने यह कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट भेजी है वह डिटेल्स में नहीं है। जब मैंने कार्यभार संभाला तो माननीय उग्रसेन वगैरह ने मुझे कुछ शिकायतें दी हैं। इसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि इंटरनल आडिट करा लें। लेकिन गड़बड़ी की बात मैंने नहीं कही।

*श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिला कलेक्टर वाराणसी की जो सूचना आई है उसमें गड़बड़ी की बात नहीं कही गई है। ११-११-६२ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब मुख्य मंत्री जी ने दिया था उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं और उसके आधार पर जानना चाहता हूं कि उसके मेल में क्या सुरक्षा कोष के संबंध में बनारस जिले के उच्चाधिकारियों ने उस नीति की ठीक ढंग से बरता और उसके अनुसार हिसाब का विवरण मांगा गया ? श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि "क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा कोष के लिये जो धन इकट्ठा हो रहा है वह सरकारी रसीदों के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की रसीदों से भी हो रहा है, तो क्या ऐसी रसीदों की सहमति सरकार से मिली है ?"

इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी की ओर से आया था कि हमारे आदेश इस संबंध में बिलकुल साफ हैं और यह थे कि रुपया एक ही रसीदों पर इकट्ठा हो और इस तरह के आदेश सारे जिलों को, कांग्रेस संगठन को, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को और जिले के अन्य कार्यकर्त्ताओं को दिये हैं कि जिलाधीश की रसीदों पर ही रुपया इकट्ठा हो और जिलाधीश स्वतः. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछिये।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मुझे पूरा पढ़ लेने दीजिये। हमारे आदेशानुसार स्वतः जिलाधीशों द्वारा इन रसीदों को जिले के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को दिया गया, सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को दिया गया। जो रुपया इकट्ठा होता रहेगा उसका हिसाब हफ्तेवार वह समय समय पर जिलाधीश को देते रहेंगे। तो जितना चन्दा इकट्ठा हुआ उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि बनारस जिले के कलेक्टर को हफ्तेवार हिसाब जिला बोर्ड के चेयरमैन देते रहे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां तक मुझे इन्फारमेशन है, हफ्तेवार हिसाब दिया गया था नहीं, मैं नहीं बता सकती हूं।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी इस आडिट रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वह तो जिला परिषद् की आडिट रिपोर्ट है, वहीं प्लेस की जायगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि सरकार का जब एक आदेश था कि सरकारी रसीद कलेक्टर छपवायेगा वही सब को दी जायगी, उस पर रुपया वसूल किया जायगा, सरकार का यह आदेश बाकायदा हर जिले को भेजा गया । उसके अलावा अगर कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से रसीद छपवा ली, बाकायदा महीने और हफ्ते में हिसाब नहीं दिया तो क्या उनके सारे कागजात को जल्द से जल्द जब्त करवा करके स्पेशल आडिट करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या यह आरोप है कि जिला परिषद् में जो वसूल हुआ वह सरकारी रसीदों पर नहीं हुआ, क्या आपका यह कहना है ?

श्री ऊदल—

जी, मेरा कहना यह है कि जिला परिषद् ने जो रुपया वसूल किया वह सरकार के आदेशानुसार नहीं वसूल हुआ । उन्होंने अपनी रसीद छपवा कर किया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं आपको यह याद दिलाने की कोशिश करूंगी कि जब इमर्जेन्सी हुई थी तो उस वक्त दिल्ली सरकार के इंस्ट्रक्शन्स आने के पहले बहुत से लोगों ने अपनी रसीद छपवा कर चन्दा वसूल करने का काम शुरू कर दिया था । उसके बाद गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन्स गयीं कि पुरानी रसीदों को जिलाधीश का स्टैम्प लगा कर रेगुलराइज कर दिया जाय । उसके अनुसार उन्होंने भी किया होगा ।

श्री उग्रसेन—

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने बताया सरकार का आदेश गया था कि हफ्तेवार हिसाब लिया जाय, लेकिन, मुख्य मंत्री जी ने कहा, हफ्तेवार हिसाब नहीं लिया गया जिला बोर्ड से, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जिलाधीश वाराणसी से जवाब तलब करके कार्यवाही करेंगे कि हफ्तेवार हिसाब क्यों नहीं लिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर हिसाब पूरा आ गया हो तो केवल हफ्तेवार हिसाब के न देने के कारण उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम लोग भी चन्दा इकट्ठा करते हैं और बहुत बार टाइम पर हिसाब नहीं कर पाते ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में अंतरिम जिला परिषद् और कांग्रेस कमेटी को छोड़ कर अन्य किन-किन सार्वजनिक और राजनीतिक संस्थाओं ने धन संग्रह किया और यदि किया. तो कितना किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के पहले, लोगों ने रसीदें छपवा ली थीं उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश हुआ तो उन लोगों को आदेश दिया गया कि जिलाधीश से उस पर मोहर करवा ली जाय तो माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि जो जिला परिषद् ने चन्दा वसूल किया है उस पर जिलाधीश से मोहर करवा ली थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जो मेरे पास खबर है उसके अनुसार उन्होंने सारा रुपया दे कर एक रसीद जिलाधीश से ले लिया था ।

श्री उमाशंकर तिवारी---

सवाल दूसरा है ।

श्री अहमद बख्श (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलावा बनारस के उत्तर प्रदेश में और कितने जिले हैं जहां कलेक्टर की रसीद के अलावा और रसीदों पर रुपया वसूल किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सब जिलों का हिसाब मेरे पास है नहीं ।

श्री उमाशंकर तिवारी---

हमारे सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वाराणसी के अंत में जिला परिषद् के तात्कालीन अध्यक्ष से कोई इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा है, जो रामप्रसाद ने तीन कापियां ली थीं और वापस नहीं कीं, उसके सम्बन्ध में, तत्कालीन अध्यक्ष ने कोई एक्सप्लेनेशन सरकार को दिया, और अगर दिया है, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसकी पूरी जांच की है और पूरी जांच करके हमारे पास शार्ट रिपोर्ट भेजी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

आप कह रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जांच की है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तत्कालीन जिला परिषद् के अध्यक्ष से कोई जवाब तलब किया गया है ? जो वहां पर घपला हुआ है उस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

देखिये, यह प्रिजम्पशन है कि घपला हुआ है । जब तक घपला इस्टैब्लिश न हो तब तक उसे घपला कैसे कहा जा सकता है और तब तक एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं उठता । लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिला परिषद् के चेयरमैन से हिसाब मांग कर ही रिपोर्ट भेजी है ।

श्री उमाशंकर तिवारी---

मेरा सवाल यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा है अपने उत्तर में कि जो लोग अपनी तरफ से रसीदें छपवा लिये थे उनको यह कहा गया कि जिलाधीश से मोहर करवाकर तब चन्दा वसूल करें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद जिन रसीदों पर जिला परिषद् के चेयरमैन ने चन्दा वसूल किया उन पर मोहर करवायी या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इसकी डीटेल्ड इन्फारमेशन मेरे पास नहीं है । लेकिन किसी तरीके से उसे रेगुलराइज किया गया था ।

# सल्तनत बहादुरसिंह, इंटरमीडियेट कालेज, बदलापुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों और छात्रों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने के संबंध में नियम ५२ के वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८-१०-६३ को श्री रामनार्थसिंह, सहायक अध्यापक, सल्तनत बहादुरसिंह इंटरकालेज, बदलापर, जो ग्राम पुरा बघेल के निवासी हैं, ने लगभग १८ बजकर ४० मिनट पर बक्सा थाने पर एक लिखित रिपोर्ट की । इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रकट किया कि लगभग ४ बजे दिन में वे कालेज से अपने घर जा रहे थे । रेलवे स्टेशन सराय हरखू रास्ते में पड़ता है । बरसात होने के कारण केवल रेलवे प्लेटफार्म से ही होकर जाना सम्भव था । जब वे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर से साइकिल द्वारा जा रहे थे तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें साइकिल से उतर जाने को कहा । श्री रामनार्थसिंह ने स्टेशन मास्टर से इसका कारण पूछा । इस पर उन्हें उत्तर मिला कि स्टेशन के प्लेटफार्म पर साइकिल पर चढ़कर जाना मना है । उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नोटिस उन्होंने नहीं देखा है । इस पर उस स्टेशन के तीनों स्टेशन मास्टरों ने उनको घेर लिया और थप्पड़ तथा घूंसे से मारा । इस पर यह रिपोर्ट थाने में भारतीय दंड विधान की धारा ३२३ के अन्तर्गत अंकित की गई । अपराध गैर दस्तन्दाजी था इसलिये श्री रामनार्थसिंह को यह सलाह दी गई कि उन्हें इस संबंध में अदालत में अभियोग दायर करने का भी अधिकार है । रोजनामचे में उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट लिखी गई उसमें यह अंकित किया गया कि श्री रामनार्थसिंह के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष चोट नहीं दिखाई देती परन्तु उनके कथनानुसार उनके शरीर में दर्द है, जिसका उपचार उन्होंने स्वयं ही करने की इच्छा प्रकट की है । थाना अध्यक्ष, बक्सा ने श्री रामनार्थसिंह को यह आश्वासन अवश्य दिया था कि वे स्वयं इस संबंध में मध्यस्थता करेंगे और शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता करा देंगे । श्री रामनार्थसिंह अपने कालेज के दो अन्य सहायक अध्यापक सर्वश्री समरबहादुरसिंह तथा रामदुलारेसिंह को लेकर १९-१०-६३ को लगभग १० बजे प्रातःकाल सराय हरखू स्टेशन पर आये । थाना अध्यक्ष बक्सा भी उसी समय वहां पहुंचे । परस्पर बातचीत के उपरान्त एक प्रकार का सुलहनामा लिखा गया जिस पर अध्यापकों ने तथा स्टेशन मास्टर ने भी हस्ताक्षर किये । थाना अध्यक्ष बक्सा को जब परस्पर शान्तिपूर्ण समझौता का विश्वास हो गया तो वे वहां से चले गये ।

उसी दिन लगभग ११.४५ पर सल्तनत बहादुर, इंटर कालेज, बदलापुर के लगभग १०० विद्यार्थियों ने जिनमें से अधिकांश के पास हाकियां थीं सराय हरखू स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर से सहायक स्टेशन मास्टर श्री आर० एस० यादव के विषय में पूछा । जब स्टेशन मास्टर ने यह कहा कि उन्हें पता नहीं तो विद्यार्थियों ने ब्लाक कंट्रोल टेलीफून, तारीख अंकित करने वाली मशीन, जनरल टेलीफून और शीशे खिड़कियों को तोड़ डाला । उन्होंने मेज पर पड़ी हुई तिजोरी और चाभी उठाकर तिजोरी में से ८७ रुपये ६ नये पैसे भी निकाल लिये और स्टेशन मास्टर की घड़ी तथा फाउन्टेनपेन भी छीन लिया । विद्यार्थियों के बार बार पूछने पर स्टेशन मास्टर ने श्री आर० एस० यादव, सहायक स्टेशन मास्टर के विषय में बताया कि वे अपने क्वार्टर में होंगे । इस पर विद्यार्थियों का समूह रेलवे कर्मचारियों के निवास स्थान की ओर चला । सब से पहले स्टेशन मास्टर का निवास स्थान है । उसमें से विद्यार्थियों ने एक (जाज) घड़ी उठा ली । उसके पश्चात् उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर श्री आर० एस० यादव और श्री आर० आर० शुक्ला की कलाई घड़ियों और फाउन्टेनपेन तथा ८५ रुपये ८८ नये पैसे लूट लिये और रेलवे कर्मचारियों को मारा । इसकी रिपोर्ट श्री सुरेन्द्रकुमार नस्कर, स्टेशन मास्टर सराय हरखू ने १९-१०-६३ को १३ बजकर ४५ मिनट पर थाने में दी । इसमें उन्होंने यह भी लिखाया कि उनकी लूट मार में श्री रामनार्थसिंह का हाथ है । इस रिपोर्ट पर थाने में धारा ३९५ भारतीय

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और चूंकि घटनास्थल जी० आर० पी०, वाराणसी के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता था, अतः संबन्धित कागजात वहां भेज दिये गये जिनकी वहां पर विवेचना हो रही है ।

लगभग एक बजे उसी दिन स्टेशन मास्टर, जौनपुर ने इस विषय में जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को टेलीफोन द्वारा सूचना दी और यह कहा कि सूचना वाहन यंत्रों को तोड़ दिया गया है जिसके कारण वे स्टेशन मास्टर से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके और घटना का विशेष विवरण भी ज्ञात न हो सका । इस पर जिलाधीश ने मैजिस्ट्रेट श्री बी० सरन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री एस० आर० शर्मा को तुरन्त ही कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर भेज दिया । जिलाधीश स्वयं तथा पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर विस्तृत विवरण प्राप्त होने पर २०-१०-६३ को सराय हरखू रेलवे स्टेशन और बदलापुर गये । उस समय जिला विद्यालय निरीक्षक, बदलापुर पहुंच चुके थे । जिलाधीश के पूछने पर सल्तनत बहादुर, इंटर कालेज, बदलापुर के प्रिन्सिपल श्री महावीरसिंह ने बताया कि कालेज के रजिस्टरों में अंकित उपस्थित विद्यार्थियों में से कोई भी कालेज के बाहर नहीं गया । कालेज के रजिस्टरों को देखने से ज्ञात हुआ कि १९-१०-६३ को केवल १३ विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे । चूंकि इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि स्टेशन पर आक्रमण करने वाले सभी विद्यार्थी सल्तनत बहादुर, इंटर कालेज, बदलापुर के थे, जिलाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेलवे स्टेशन पर सुलहनामा लिखे जाने के उपरान्त अध्यापक-गण कालेज में वापस आये तो कुछ लोगों ने बदला लेने की भावना विद्यार्थियों के हृदय में उत्पन्न कर दी । यह ज्ञात होने पर कि अपराधी अध्यापकगण ही हैं, यह निश्चित किया गया कि उनमें सर्वाधिक क्रियाशील अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय । अतः तीन अध्यापकों को २० अक्तूबर को रात्रि में पकड़ लिया गया । इसके दो दिन बाद प्रिन्सिपल की गिरफ्तारी हुई । दो विद्यार्थियों ने धारा १६४ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया उसमें घटना में सम्मिलित कुछ लड़कों के नाम ज्ञात हुये । अतः २५, २६-१०-६३ की रात्रि में ६ विद्यार्थियों को पकड़ा गया । अभी तक कुल १२ विद्यार्थियों के नाम प्रकाश में आये हैं । इनमें से ६ विद्यार्थी पकड़े जा चुके हैं । प्रधानाध्यापक जमानत पर छूट चुके हैं ।

सुरक्षात्मक तौर पर पी० ए० सी० की प्लाटून थाने पर २१-१०-६३ से तैनात कर दी गई है । यह प्लाटून थाने में रिजर्व है और इससे किसी खास गश्त आदि का कार्य नहीं लिया जाता । केवल एक अवसर पर एक सेक्शन सब इंस्पेक्टर के साथ गिरफ्तारी के लिये भेजा गया । सिपाहियों द्वारा जनता को आतंकित तथा परेशान करने का प्रश्न नहीं उठता है और न ही इस घटना के फलस्वरूप क्षेत्र में कोई आतंक का वातावरण व्याप्त है । पुलिस द्वारा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को न तो मारा गया और न अपमानित किया गया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

मैं कुछ पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे और आप के बीच यह तय हुआ था कि नियम ५२ में केवल वक्तव्य हो जाय और नियम ५३ में इस पर बहस हो जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

एक आध सवाल हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों ने ५३ का नोटिस दिया था उन्होंने कहा था कि ५२ के प्रश्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी । इस वजह से मैंने नियम ५२ में इसको स्वीकार कर लिया ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि क्या स्थिति है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब माननीय मंत्री का वक्तव्य हो गया तो वह माननीय सदन की सम्पत्ति हो गया । अब यह सदस्यों का कर्त्तव्य है कि उस पर सवाल पूछें ।

श्री अध्यक्ष—

जब सायंकाल वह आयेगा तब वे पूछेंगे । मैं दो एक प्रश्नों की इजाजत इस समय दे सकता हूं, अधिक नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य ने जब यह कहा कि हमारे लड़कों न यह नहीं किया और उन्होंने कोई अनुशासन भंग नहीं किया और झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है तो प्रधानाचार्य को किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है ? इसके अतिरिक्त जो झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है धारा ३९५ के अन्तर्गत कि लड़कों ने तोड़फोड़ की, तो जब अध्यापकों ने और प्रधानाचार्य ने यह स्वीकार किया कि विद्यार्थी यहां से नहीं गये तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गयी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यह तो एक वर्जन (version) हुआ। उस जांच के फलस्वरूप उन्होंने यह समझा कि अध्यापक भी दोषी हैं और इसलिये उनको पकड़ा गया ।

श्री जगन्नाथ राव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य ने कौन सा अपराध किया था ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि तहकीकात से जो प्रकाश में आया उसके आधार पर उन्होंने उनको गिरफ्तार किया ।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि मास्टर लोग जब मारे गये तो दफा ३२३ में उन्होंने रिपोर्ट लिखायी लेकिन दरोगा ने राय दी कि यह मामूली रिपोर्ट है और मैं बाद में समझौता करा दूंगा । तो इसके बाद क्या दारोगा ने उनके विभाग को कुछ लिखा कि यह अधिकारी गलत तरीके से काम करते हैं और उन्होंने मास्टरों को मारा है और इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । ऐसी कोई लिखित सूचना या राय दारोगा ने उस रेलवे विभाग के अधिकारियों को दी है? यदि हां, तो फिर उसमें समझौता कराने की क्या बात है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी कोई सूचना नहीं है । यह एक रोज पहले की घटना है । १८ तारीख को स्टेशन पर जो घटना हुई और जिसकी रिपोर्ट अध्यापक थाने पर लिखाने गये तो उस समय उन्होंने दफा ३२३ में वह रिपोर्ट लिख ली और उन से कहा कि यह झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिये । हम सुबह समझौता करा देंगे । सुबह वह स्टेशन पर गये और वहां एक समझौता हो गया, लिखा गया और उसके बाद साढ़े ११ बजे यह घटना हुई ।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

माननीय नेता विरोधी दल, मैं यह कह दूं कि यह आइटम नियम ५३ में आयेगा और यह अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर ज्यादा प्रश्न इस पर आना ठीक नहीं है ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूं, किन्तु केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो वक्तव्य पढ़ा गया है उसमें यह एक बात कही गयी है कि अधिकांश लड़कों के हाथ में हाकी स्टिक थी और क्या गृह मंत्री जी को पता है कि जो एफ० आई० आर० लिखी गयी है उसमें है कि अधिकांश लड़कों के हाथों में लाठियां थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

## नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल आपने माननीय राजस्व मंत्री जी को कहा था कि वे उन्नाव जिले के डूबे हुये ४२ गांवों के संबंध में अपना बयान आज देंगे, लेकिन आज के एजेन्डे पर उसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज यह सदन स्थगित हो रहा है। तो कृपा कर इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय गोपीनाथ जी, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर एकत्रित कर सकेंगे तो वक्तव्य देंगे । यह समाप्त हो जाय तो मैं उनसे पूछूंगा ।

## वाराणसी जिले की चकिया-चंदौली तहसीलों में धान की फसल में पुआरी रोग लगने के संबंध में वक्तव्य

*कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

वाराणसी जिले के चन्दौली एवं चकिया तहसील में धान के तना-सड़न (steam-rot) या पुआरी रोग लगने की सूचना दिनांक ३ अक्तूबर, १९६३ को, उप निदेशक, कृषि, वाराणसी मंडल, वाराणसी से टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई । चूंकि इस रोग का अभी तक कोई रासायनिक उपचार उपलब्ध नहीं है अतएव फसल की रक्षा के लिये कुछ अधिक कार्य करना संभव नहीं हुआ। कृषकों को इसके प्रतिबन्धक उपचार (preventive measures) करने के लिये समझाया गया जो कि निम्नलिखित है---

१---ग्रसित खेतों के पानी को स्वस्थ खेतों की ओर जाने से रोका जाय जिसके लिये ग्रसित खेतों के चारों ओर मिट्टी की ऊंची मेंड़े बना देना चाहिये क्योंकि यह रोग प्रायः दूषित पानी द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है ।

२---ग्रसित खेतों से पानी को निकाल कर अगली सिंचाई से पहले मिट्टी को भली भांति सूख जाने देना चाहिये क्योंकि इससे रोग फैलाने वाली फफूंदी की क्रियाशीलता मन्द पड़ जाती है।

३---धान में दी जाने वाली उर्वरक अच्छी तरह सन्तुलित होनी चाहिये, क्योंकि अकेले नेत्रजन (Nitrogen) को उर्वरक देने से रोग बढ़ता हुआ देखा गया है ।

४---धान की रोग-अवरोधक किस्मों को बोना चाहिये जिसमें रोग कम लगता हो । इस दिशा में शोध कार्य चल रहा है ।

बनारस के उपर्युक्त क्षेत्र एवं अन्य धान उपजाने वाले क्षेत्रों के किसानों के हित के लिये हिन्दी में एक पर्चा (संलग्न) निकाला गया है जिसको कृषकों में उपर्युक्त प्रतिबन्धक उपचार करने के लिये बांट दिया गया है । यह परचा वाराणसी जिले में भी समय से वितरित कर दिया गया था और कृषि रक्षा एवं अन्य विकास कार्यकर्त्ताओं द्वारा इन उपायों के अपनाने के लिये समुचित प्रचार किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगस्त के अन्तिम सप्ताह में प्लान्ट प्रोटेक्शन डायरेक्टोरेट, भारत सरकार से भी इस संबंध में सम्पर्क स्थापित किया गया । उन्होंने सूचित किया कि परीक्षण हेतु ६ प्रतिशत ताम्रयुक्त चूर्ण (copper dust) का बुरकाव (dusting) इस रोग की रोकथाम हेतु किया जा सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष उड़ीसा प्रदेश में यह रोग करीब ३०,००० एकड़ में लग गया था और इस फफूंदी नाशक रसायन के बुरकाव से जो परिणाम प्राप्त हुये वे उत्साहवर्द्धक थे । इस रसायन का भी प्रयोग प्लान्ट पैथोलाजिस्ट टु गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश तथा असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन आफिसर (माइकोलाजी) की देख-रेख में वाराणसी जिले के नियामताबाद तथा चकिया विकास क्षेत्रों में ६ व ७ अक्तूबर, १९६३ को किया गया । प्रयोग के परिणामों से ज्ञात हुआ कि ऐसी फसल जिसमें बाल निकलने वाली हो और जिस पर रोग का प्रकोप अधिक रहता है उस पर ताम्रयुक्त चूर्ण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा, परन्तु छोटी अवस्था के पौधों पर इस रसायन द्वारा रोग के फैलाव को किसी हद तक रोका जा सकता है ।

यह बात उल्लेखनीय है कि धान का यह रोग संसार के लगभग सभी धान उगाने वाले देशों में पाया जाता है और इस रोग की रोकथाम के लिये संसार में काफी अनुसंधान किये जा चुके हैं और किये जा रहे हैं । जब तक इस रोग की रोकथाम की रासायनिक विधि नहीं ज्ञात होती है उस समय तक रोग अवरोधक धान की किस्में ढूंढ़ निकालने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ।

वाराणसी जिले से अब तक प्राप्त सूचनाओं से पता चला है कि चन्दौली तहसील के चन्दौली, सकलडीहा, बरहनी, धानापुर और नियामताबाद विकास खंडों में लगभग ५,००० एकड़ क्षेत्र में, चकिया तहसील के चकिया और साहबगंज विकास खंडों में लगभग १०,००० एकड़ क्षेत्र में, तथा सदर तहसील के हरउआ, पिन्ड्रा और देवापुर विकास खंडों में २०० एकड़ धान के क्षेत्रों में यह रोग लग गया है । चूंकि ग्रसित खेतों का पानी अधिकतर सूख गया है इसलिये रोग का प्रकोप अब कम हो गया है और फसल फिर से स्वस्थ होने लगी है ।

## बलिया जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, जांच से विदित हुआ है कि जिला परिषद् के बलिया अध्यापकों का वेतन बिल अब तक मंडलवार (अर्थात् क्षेत्रवार) बनाया जाता था । अब जिला बलिया में जितने विकास खंड हैं उतने ही प्रति उप विद्यालय निरीक्षक नियुक्त हो गये हैं । अतः यह उचित समझा गया कि परिषद् के अध्यापकों का वेतन बिल विकास खंडों के अनुसार बनाया जाय । इस प्रकार बिल बनाने में परिषद् के कार्यालय को कुछ कठिनाई हुई जिसके फलस्वरूप अध्यापकों का चार मास का वेतन रुक गया था । किन्तु परिषद् ने अब यह सूचित किया है कि कुल बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है और यह आश्वासन दिया है कि प्रचलित मास का वेतन अगले मास के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अवश्य दे दिया जायेगा ।

परिषद् ने इसके लिये खेद प्रकट किया है कि अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण कष्ट उठाना पड़ा, किन्तु ब्लाकवार वेतन बिलों के बनाने से भविष्य में उनकी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये था, प्रश्न इस पर नहीं होंगे । मैंने उस पर उचित कार्यवाही हेतु लिखा था, किन्तु मैं यहां पर वक्तव्य के लिये कह गया इसलिये उस पर वक्तव्य हो गया ।

## १८ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०-१२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

**माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—**

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६३ को श्री उग्रसेन जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० से १२ के सम्बन्ध में श्री नरसिंहनारायण जी पांडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि इस आशय की सूचना और सारे कागजात भी उनके पास हैं कि महाराजगंज के एस० डी०ओ० श्री बुद्धाराम ने कलेक्टर श्री एम० एन० एम० त्रिपाठी से मिल कर अपनी बीबी के नाम जमीन करा ली, तो क्या राजस्व मंत्री इसकी जांच करायेंगे और यदि जांच सही पायी गई तो उस जमीन को गांव समाज को दिलवाने की कृपा करेंगे? इसके उत्तर में मैंने कहा था कि कलेक्टर की रिपोर्ट है कि बुद्धाराम और उनकी बीबी के नाम कोई जमीन रिकार्डेड नहीं है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकर्त्ता से कहा था कि मैं जो कह रहा था वह मेरी सूचना के अनुसार था, किन्तु यदि प्रश्नकर्त्ता के पास कोई सूचना हो तो वह मुझे कागजात दे दें। इस पर उस समय मैंने भूल से यह भी कह दिया था कि बुद्धाराम की बीबी के नाम जमीन है, स्वयं उनके नाम नहीं है। सही उत्तर वही था जो मैं पहले दे चुका था कि कलेक्टर की रिपोर्ट है कि बुद्धाराम और उनकी बीबी के नाम कोई जमीन रिकार्डेड नहीं है।

(मूल प्रश्न तथा उनके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ २७७ पर)।

## २८ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

**गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—**

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २८ मार्च, १९६३ को श्री दीपनारायणसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के सम्बन्ध में श्री हिम्मतसिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा हो रही है या किसी थानेदार के द्वारा? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि थाने के अध्यक्ष के द्वारा हो रही है।" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है "थाने के सेकेन्ड आफिसर द्वारा हो रही है।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ २७८ पर)

## विभिन्न समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

**श्री अध्यक्ष—**

अब मैं सदन को दो सूचनायें देना चाहता हूं। ४ स्थायी समितियों के लिये कुछ सदस्यों के निर्वाचन की आज तिथि निश्चित की गई थी। किन्तु जितने सदस्य चुने जाने थे उनके अतिरिक्त सभी ने अपने नाम वापस ले लिये हैं, अतः अब निर्वाचन की आवश्यकता नहीं रह गयी है। जो सदस्य रह गये हैं वे निर्वाचित घोषित किये जाते हैं जिनके नाम मैं बताये देता हूं—

शरणार्थी स्थायी समिति के लिये श्री ए० जी० ग्राइस (कानपुर),

आबकारी स्थायी समिति के लिये श्री अजीज इमाम (मिर्जापुर),

विद्युत स्थायी समिति के लिये श्री नरोत्तमसिंह (बदायूं) तथा

विकास तथा नियोजन स्थायी समिति के लिये, नवाबजादा सैयद जुल्फिकार अली खां, (रामपुर)।

## संयुक्त समाजवादी दल का विघटन

श्री अध्यक्ष— •

मेरे पास श्री बलवानसिंह जी की एक सूचना आयी है, वह इस प्रकार है—

"प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हम सभी सदस्य समाजवादी एकता के हामी हैं और उसके लिये हर प्रयास भी करते रहे हैं। [ ***** ] अतः हमने निर्णय किया है कि अब हम सदन के अन्दर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक दल के नाम से ही काम करेंगे। हम लोकतांत्रिक समाजवाद में आस्था रखते हैं और इन्हीं मूल्यों के अनुसार मानव मात्र के हितों के लिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अनुशासन, आदेश और निर्देश के अन्दर रहते हुये काम करेंगे। अब प्रजासोशलिस्ट पार्टी ही की नीति....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, इस पर मैं आपकी अथारिटी को तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन क्या इस तरह के आक्षेप यहां पढ़ना उचित होगा? कृपया आप न पढ़ें तो अच्छा हो। यह वे कैसे तय कर सकते हैं कि वे एकता को तोड़ते हैं या हम तोड़ते हैं। यह तो बुनियादी बात है। कृपया आप इसको न पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

अब तो वह करीब-करीब समाप्त ही हो गया है। उसके आगे यह है—

अब प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी की नीति, कार्यक्रम एवं निर्णय हमारे पथ का प्रदर्शन करेंगे।"

इस विधायक दल के निर्णय के अनुसार हमारे निम्नलिखित पदाधिकारी हैं—

(१) श्री बलवानसिंह—नेता, (२) श्री होरीलाल यादव—मंत्री, (३) श्री रियासत हुसेन—संयुक्त मंत्री, (४) श्री राम सुन्दरपांडेय—मुख्य सचेतक, (५) श्री सत्यनारायण पांडेय—सचेतक, (६) श्री मैनेजरसिंह —कोषाध्यक्ष।

मैं पढ़ अवश्य गया था लेकिन इसमें जितनी आक्षेपात्मक बातें हैं वे सब कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी। वे नहीं होनी चाहिये थीं।

## सदन की दर्शक दीर्घाओं में सी० आई० डी० की उपस्थिति के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर निर्णय

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैंने कुछ समय पूर्व सदन की दीर्घाओं में सी० आई० डी० के लोगों के उपस्थित रहने के बारे में सवाल उठाया था। उसके बारे में आपने आश्वासन दिया था कि मैं इंक्वायरी करने के बाद इस बारे में अपना फैसला दूंगा। अब काफी समय हो गया है, अतः आप से निवेदन करूंगा कि उस सम्बन्ध में आप अपना फैसला दें।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक सी० आई० डी० का सवाल है, मैं माननीय नेकराम जी का इन्तजार कर रहा था कि उसके विषय में शायद आप कुछ कहें। आपको याद आ गया, मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देता हूं:—

"श्री नेकराम शर्मा ने २४ सितम्बर, १९६३ को गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों की सदन की दीर्घाओं में उपस्थिति पर आपत्ति की थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में पंजाब विधान

---

*माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

सभा के अध्यक्ष द्वारा सदन की दीर्घाओं में सी०आई० डी० की उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये यह मांग की थी कि इस विधान सभा में भी उसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि सदन की दीर्घाओं में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी सन् १९३६ से नियुक्त किये जाते रहे हैं। अगस्त, १९६० तक यह कर्मचारी बिना प्रवेश-पत्र के दीर्घाओं में नियुक्त रहते थे, किन्तु २४ अगस्त, १९६० को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार उनको विधान सभा सचिवालय की ओर से उनकी प्रार्थना-पर प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं और वे उन प्रवेशपत्रों के आधार पर दर्शक दीर्घाओं में उपस्थित रहते हैं। गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों का कार्य मुख्यतया संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर ध्यान रखना है और दर्शक दीर्घाओं का दुरुपयोग करके सदन या उसके किसी विशेष सदस्य पर आघात करने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखना है।

असेम्बली के अपने वाच एन्ड वार्ड स्टाफ की स्थापना के सम्बन्ध में मैं विचार कर रहा हूं, जब विधान सभा के पास अपना वाच एन्ड वार्ड स्टाफ हो जायगा उस समय यह विचार किया जा सकता है कि गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों से सुरक्षा के कार्य में सहायता लेना आवश्यक है या नहीं।

कोई शिकायत भी गुप्तचरों के सम्बन्ध में नहीं हुई है।

## प्रदेश में स्थायी वेतन आयोग की स्थापना के संम्बन्ध में संकल्प—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद द्वारा उपस्थित निम्नलिखित संकल्प पर विवाद जारी होगा—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देख कर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।"

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लकिन साथ ही साथ व इस दूसर आस्पक्ट को भूल गये कि हमार इस उत्तर प्रदेश क अन्दर जो बेकारी की समस्या बहुत जटिल रूप में जकड़ी हुई है, उसको उन्होंने उपेक्षित रखा है।

(इस समय १२ बजकर ४७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

जहां तक इम्पलायमेंट का सम्बन्ध है यह निर्विवाद है और हर आदमी यह मानता है कि इस प्रदेश के अन्दर दो विचारधारायें इसके मुताल्लिक हैं। एक तरफ यह देखा जाता है कि एक ही काम के लिये दो तरह के इम्पलाईज हैं, एक तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एक प्रान्तीय सरकार की ओर से। दूसरी चीज यह देखी जाती है कि जो प्रादेशिक सरकार की तरफ से इम्पलाय किये जाते हैं उसी काम के लिये उनको कम तनख्वाह दी जाती है, लकिन जब हम केन्द्रीय सरकार की तरफ देखते हैं तो उनकी तरफ से उसी काम के लिये जो तनख्वाह दी जाती है वह अधिक होती है। इस तरह से बहुत ज्यादा फर्क एक दूसरे की तनख्वाहों में है।

---

†३० अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पी० डब्ल्यू० डी० तथा अन्य दूसरे विभागों में देखा गया है कि पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले का बड़ा भारी झगड़ा इस सरकार ने स्वयं लगाया है जो बिलकुल ही अशोभनीय हैं। सरकार ने पूर्वी व पश्चिमी जिलों में जो मेट व लेबर की तनख्वाह है वह लोकल रेट्स या वेजेज की बिना पर निर्धारित की है। यदि वाकई देखा जाय तो यह फर्क पूर्वी व पश्चिमी जिलों में बहुत ज्यादा है। सदन में सरकार की तरफ से बराबर यह कहा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात करना ठीक नहीं है क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बहुत थोड़ा-सा ही अन्तर है। लेकिन अगर सरकार की नीति को देखा जाय, खासकर पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के वेतनक्रम में, तो हम आश्चर्य मालूम होता है और अगर वाकई वहां के लोकल वेजेज के ऊपर मेट और लेबर का वेज निर्भर करता है, तो सरकार को चाहिये कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जो अन्तर है, सरकार को उसको जल्द से जल्द खतम कर देना चाहिये क्योंकि यह चीज आगे चलकर हमारे लिये बड़ी घातक सिद्ध होगी।

दूसरी बात यह देखी गयी है कि इस प्रदेश के अन्दर जो लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, यह किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। चपरासी बेचारे को २४ घंटे काम करना होता है। कहीं पर यह भी देखा जाता है कि अधिकारियों के बंगले पर चपरासी काम करते हैं और सोते भी हैं और उन्हें खाना खाने की भी फुरसत मुश्किल से मिलती है। तो सबसे पहले मुझे आपके द्वारा यह बताना है कि अगर सरकार वाकई चाहती है कि करप्शन जो आज लोअर ग्रेड के कर्मचारियों और चपरासियों में है उसको दूर होना चाहिये, तो उसे सबसे पहला काम यह करना चाहिये कि इन छोटे कर्मचारियों के काम करने का समय जो फिक्स है उसके अलावा यदि उनसे कोई एक्स्ट्रा समय काम लिया जाय तो उसको उसका एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाय। इस तरह का एक सरकुलर सरकार अपने विभागों को भेजे कि अगर किसी से भी कोई ओवरटाइम काम लिया जाय तो उसे उसके लिये एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाय। चाहे कर्मचारी का कार्य कुछ भी हो लेकिन उसको निश्चित समय से छोड़ देना चाहिये। ऐसे आदेश अगर हर जिले में भेजे जायेंगे तो कोई काम उनसे दफ्तर में या एक्स्ट्रा घर पर नहीं ले सकेगा। इस तरह से बहुत कुछ करप्शन जो अधिकारियों और कर्मचारियों में फैला है और उसका बोलबाला है वह दूर हो सकता है। इस करप्शन का मुख्य कारण एक यह भी है कि हमारे अधिकारी उनसे ओवरटाइम काम दफ्तर में और घर पर लेते हैं और फिर उनको हर तरह की रियायतें देते हैं। जैसे कचहरी में मजिस्ट्रेट बैठे रहते हैं और बंगले पर पेशकार और चपरासी घूस लेते रहते हैं और वह उनसे अपना काम टाइप कराया करते हैं और ऐसी चीजों को कभी भी वह मैजिस्ट्रेट डिसकरेज नहीं करते क्योंकि वह उनसे अपने निजी काम लेते हैं और टाइप कराते हैं। इस तरह से चपरासियों से भी काम लेते हैं। इस तरह से अगर इन लोगों से अधिकारी निजी काम न लें तो उनके साथ उनकी फेवर और रियायत न रहेगी और काम सही तरह से होगा। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के आदेश जारी किये जायं कि निश्चित समय से अधिक कर्मचारियों से काम न लिया जाय और अगर लिया भी जाय तो उसके लिये उनको रेमुनरेशन या ओवरटाइम भत्ता दिया जाय, यह बहुत जरूरी चीज है।

यह भी देखा जाता है कि आज कल कर्मचारियों में करप्शन भी बहुत बढ़ रहा है। चाहे अधिकारी ऊपर के हों या नीचे के कर्मचारी हों सब में मनमाने ढंग से सब जगह काम हो रहा है। अभी अयूब गवर्नमेंट में बहुत सी बातें पाकिस्तान की सुनने में आईं और करप्शन पर बहुत सी सजायें वहां दी गई। अभी राजस्थान में एक ओमबड्समेन प्लान चली है। हमारे प्रदेश में भी इस तरह का करप्शन है और यहां भी उसी तरह की चीज की जरूरत है। यहां भी इस तरह का एक कमीशन नियुक्त किया जाय और उसको अधिकार हो कि जितने हाईपेड आफिसर्स हैं या मंत्री या उपमंत्री के विषय में भी कोई शिकायत हो तो उसकी भी जांच वह कर सके। अच्छा हो कि इस काम के लिये एक हाईकोर्ट के जज के स्टेटस का व्यक्ति नियुक्त किया जाय और वह इस तरह के करप्शन के मामलों की जांच करे और उचित कार्यवाही करे।

[श्री कमलासिंह यादव]

जहां तक ओम्बड्समेन प्लान का सवाल है, मैं इस पर जोर इस लिये दे रहा हूं कि आज करप्शन जिले में ऊपर से नीचे तक सब जगह है, चाहे अधिकारी हों या मिनिस्टर हों या नीचे के लोग हों सब जगह करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि उस ओम्बड्समेन प्लान को यहां भी लागू किया जाय।

अब तीसरी बात यह है कि एक तरफ यह कहा जाता है कि हमारे पास प्लान के लिये पैसे की कमी है, हमारी आय नहीं है इतनी कि हम प्रदेश का खर्च अच्छी तरह से चला सकें और जो प्लान विकास के लिये हैं उसको भी हम ठीक तरह से पूरा कर सकें। श्रीमन्, इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में अनएम्प्लायमेन्ट कितना बढ़ता चला जा रहा है। आज स्कूल और कालेजों से लड़के निकलते हैं, उनके सामने अनएम्प्लायमेन्ट का प्राब्लम आता है और उसकी वजह से वे मारे मारे फिरते हैं और गलत रास्तों पर जा रहे हैं। सरकार को कोई योजना बनानी पड़ेगी कि चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या बे पढ़ा, उसके लिये काम की व्यवस्था सरकार की ओर से हो जिससे वह अपनी रोजी कमा सके और बेकार न रहे। इससे देश का भी भला होगा और जो बेकार होंगे उनको तो काम मिलेगा ही।

एक बात यह भी है कि जब प्रोडक्शन पर कीमत चीजों की बढ़ती है तो उस वक्त अनएम्प्लायमेन्ट भी बढ़ता जाता है। सबसे पहली चीज यह है कि अपने देश के अन्दर जिस शक्ल की मशीनें हैं या ऐसी चीजें हैं जिन पर मशीनों के जरिये से काम करा रहे हैं उनसे अपने आप पुरजे निकलते जायं ऐसी चीजों पर सरकार को चाहिये कि चौबीसों घंटे काम चलाया जाय। इससे हमारे लिये ज्यादा आदमियों को काम देना सम्भव होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसमें कुछ टाइम नियत करना पड़ेगा ४ घंटे का, ६ घंटे का, जिसमें आदमी बदलते जायेंगे। इससे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आदमियों के लिये काम भी निकल आयेगा और हमारे सरकारी उद्योग धंधों में जिनमें प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है वह प्रोडक्शन भी बहुत अधिक बढ़ सकता है।

जो लड़के पढ़ लिख कर आज देहातों में मारे मारे बेकार घूम रहे हैं उनके दिमागों में बहुत से गड़बड़ सिद्धान्त घुस रहे हैं, उनके निकालने के लिये भी गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्तजाम किया जाय। एक तरीका यह हो सकता है कि वे लड़के पढ़ लिख कर देहात में बेकार रहें तो देहात में लोगों में शिक्षा का प्रसार करें। जो आदमी वहां अपढ़ हैं उनको शिक्षा दें। उनके लिये कुछ एलाउन्स उस काम का मिल जाय। इस तरह से उनको एम्प्लायमेन्ट भी मिल जायगा, उनको एन्करेजमेन्ट मिलेगा और लोगों में शिक्षा का प्रसार भी होगा और जो बेकारी की वजह से उनके दिमागों में गड़बड़ सिद्धान्तों का प्रचार होता है वह भी बन्द हो जायगा। यह तरीका है जिससे उनको सुधारा जा सकता है।

श्रीमन्, मेरे पास एक किताब है टुवर्ड्स फुल एम्प्लायमेन्ट बाई ए० एच० अबाटी। उसके पृष्ठ ३८ पर (४) में जो लिखा है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ता हूं —

"(iv) Government expenditure on direct employment, though involving considerable additional difficulties, may also be strongly recommended. It would certainly be a great thing if the Government could guarantee employment of some kind for everybody without work but able and willing to work. The idea is that Government employment should be constantly available at a minimum wage, the minimum being periodically varied according to stocks of consumable goods for sale in the hands of wholesale dealers and retailers. This employment at a minimum wage, being available for everybody, would provide a basis for the general scale of pay for all wage earners, and the scale as a whole would tend to move upwards or downwards in step with appropriate changes in the Government's minimum wage. And as this minimum wage would be

determined, not arbitrarily or by competition, but economically by the quantities of consumable goods for sale, the standard of living of wage earners could be put on a proved economic basis."

तो इस तरह से जो तरीका हमने बताया है.... वह इस बात को ऐश्योर करता है कि फारेन कन्ट्रीज में भी ऐसी व्यवस्था है। नतीजा यह है कि यहां के लोग जब विदेश जाते हैं तो उनको सिर्फ गाड़ी तथा जहाज के भाड़े की जरूरत होती है और वहां काम करके लोग जो काम सीखने जाते हैं उसको सीखते हुए अच्छी लिविंग पैदा कर लेते हैं जिससे उनके काम में काफी सहूलियत मिल जाती है। इसी तरह से हमारे यहां प्रदेश में भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो आदमी काम करना चाहता है उसको समय से काम मिल सके और समय से पैसा मिले ताकि भूखमरी न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त। हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्भ्रेश्वरीप्रसाद का जो संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ है और जिस पर कल से हम लोग विवाद कर रहे हैं उसकी मंशा केवल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक पे कमीशन स्थायी रूप से बनाया जाय, जो प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में विचार करे और उसकी मंशा यह भी है कि जो विषमतायें हैं वेतन में, ३,५०० रु० से लेकर २ रु० १४ आने के बीच में, उस पर वह अपने विचार प्रकट करे, अपनी राय दे जिससे ये विषमतायें दूर हों।

श्रीमन्, संकल्प को पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह बड़ा आकर्षक है और उचित है, लेकिन श्रीमन्, बात कितनी भी सही और अच्छी हो, अगर वह असामयिक हो और उसके साथ मजबूरियां हों तो अच्छी बात समझते हुए भी करने में अनेक प्रकार की बाधाएं पड़ती हैं।

श्रीमन्, इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होकर सन् १९४६ में स्वर्गीय पंत जी के जमाने में एक पे कमीशन नियुक्त हुआ था। उस पे कमीशन ने २ १/२ वर्षों में सारे प्रदेश के बारे में जांच पड़ताल की थी और अपनी रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन यह बात साफ जाहिर है कि उस पे कमीशन की रिपोर्ट से जो विषमतायें हैं, दूर नहीं हो सकीं। मैं उसका कारण केवल इतना ही समझता हूं कि रिपोर्ट चाहे कागज पर आ जाय, राय आ जाय, अधिक पे भी दे दी जाय लेकिन अगर मजबूरियां हमारे सामने और सरकार के सामने है तो उसकी पूर्ति करने में अनेक प्रकार की बाधाएं पड़ती हैं। कल से मैं इस संबंध में भाषणों को सुन रहा हूं। मैं समझता हूं कि दरअसल इस प्रस्ताव की मंशा बहुत आकर्षक है जिसने इस तरह से दोनों दलों को प्रभावित किया। तमाम लोगों ने इस पर विचार व्यक्त किये हैं कि पे कमीशन का बैठाया जाना बड़ा आवश्यक है, पर वे इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और यह जानते हुए भी कि एक बात अच्छी है, वह कर नहीं पाता है।

श्रीमन्, कोई भी सरकार, मैं समझता हूं इस बात को पसन्द नहीं करती कि हमारे प्रदेश के रहने वाले सरकारी कर्मचारी, वेतन की कमी के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति को न सुधार सकें। वेतन की कमी के कारण ही उनमें कुछ थोड़ा सा भ्रष्टाचार पैदा होना भी स्वाभाविक है कोई भी सरकार इस बात को पसन्द नहीं करती कि इस प्रकार की विषमतायें बनी रहें। श्रीमन् हिसाब लगाने से ऐसा मालूम होता है कि अगर कम वेतन भोगियों के वेतन को बढ़ाया जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

१८ करोड़ का घाटा सरकार को होता है और जो ज्यादा वेतन पाने वाले हैं अगर उनका वेतन कम किया जाय तो ५५ लाख रुपये की सिर्फ बचत हो सकती है, तो यह बात बहुत साधारण है और साधारण तरीके से समझी जा सकती है।

कल हमारे कुछ माननीय सदस्य बड़े जोश में, बड़ी भावुकता में अरिथमैटिक पर बड़ी बहस कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। जहां तक वेतन के बारे में और प्रदेश भी जो हिन्दुस्तान में हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी का वेतन हमारे प्रदेश के सेक्रेटरीज से थोड़ा कमोबेश है और साथ-साथ और प्रदेशों के साथ-साथ हम जब यह सोचते हैं कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके मैनेजरों की तनख्वाह और डायरेक्टर्स की तनख्वाह ५, ५ ८, ८ और १०, १० हजार हो सकती है तो यह बात समझ में नहीं आती कि हम इतनी जल्दी कैसे अपने विचार को इस प्रकार प्रकट करें कि यह विषमता सिर्फ कागज पर दूर हो सकती है और पे कमीशन के द्वारा दूर हो सकती है। अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऊंची होगी तो प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी और अपने आप यह बात दूर हो जायगी और तब हम छोटे और बड़ों को एक लेविल पर ला सकेंगे। लेकिन इस समय यह संकल्प असामयिक है।

मेरे दिमाग पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। इस संकल्प पर यह कहा जाय कि छोटे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहिये तो उनके दिमाग में बड़ी परेशानी होगी और बोलने वालों के दिमाग पर भी तूफान बरपा होगा। मैं तो इस संकल्प की मंशा केवल इतनी ही समझता हूं कि जैसे हमारे विरोधी साथी और अन्य प्रकार की बातों को रखते हैं जिससे अधिक से अधिक प्रचार हो, चाहे मतलब कुछ न निकले, इस संकल्प की मंशा भी हम उसी प्रकार से समझते हैं।

मजबूरियां हैं। बातें बड़ी-बड़ी लम्बी-लम्बी हुईं और वे बातें ऐसी हैं कि इधर के बैठने वालों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन यह बात सही है कि हमें पूरी आजादी है किसी भी विषय पर अपनी राय देने के लिये, लेकिन सच्चाई को दबा कर अगर किसी बात का प्रचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है। माननीय पंत जी ने यह बात सोच कर पे-कमीशन बनाया था तो क्या हमारी वे कठिनाइयां दूर हो गयीं? उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी और रिपोर्ट देने के बाद आज भी हमारी कठिनाइयां उसी प्रकार से बनी हुई हैं लेकिन सरकार ने इस बात की कोशिश की कि हमारे अध्यापकों का वेतन, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन कुछ थोड़ा सा बढ़ाया जाय, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो सका है। जितना वेतन बढ़ा है दरअसल वह बहुत कम है। मास्टरों के वेतन के बारे में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो समाज की बुनियाद हैं, समाज के संस्कारों को जो बनाने वाले हैं उन अध्यापकों का वेतन इतना कम है कि वे अपना पालन पोषण भी आसानी से नहीं कर सकते, तो यह बात शोचनीय है। अगर इस तरह की बात का कोई रास्ता निकल सकता है तो जरूर निकलना चाहिये लेकिन मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं निकाला जा सकता जिससे हमारी वह विषमता दूर हो।

यह गरीबी की विषमता अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। हमारे बहुत से कानून अंग्रेजों के बनाये हुए हैं और उस जमाने से वह उसी तरह से चले आ रहे हैं। उस जमाने में आई० सी० एस० लोगों के वेतन इंगलैन्ड से मुकर्रर होते थे और वे आई० सी० एस० उस समय अंग्रेज हुआ करते थे और उनका वेतन बाहर से मुकर्रर हो कर आता था। वहीं परम्परा आज भी हमारे देश व प्रदेश में जारी है। उसको एक बारगी खत्म कर दें केवल इस संकल्प के जरिये, मैं समझता हूं कि यह बात असंगत सी लगती है। श्रीमन्, अगर सरकार कोई रास्ता निकाल सके तो जरूर निकालना चाहिये।

मैं भी इस पक्ष का हूं कि तनख्वाहें कम हैं, वह ज्यादा होनी चाहिये और जो इतनी विषमता है वह दूर होनी चाहिये। साथ ही हमारे देश और प्रदेश का स्तर ऊंचा होना चाहिये। लेकिन और चीजों पर ध्यान देते हुए हमें इन बातों को सोचना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी भी हमारी तरफ से हुईं, कुछ इधर के लोगों ने बड़े जोर के भाषण दिये जो अब तक हमारी गवर्नमेन्ट में

जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन लोगों ने इस प्रकार से वे बातें कहीं जैसे माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के संकल्प में कही गयी हैं। मैं समझता हूं यह मुनासिब बात नहीं है। जिस बात में कोई तथ्य न हो, जिस बात को आगे लेकर चलने से कुछ फायदा न पहुंचा सकें, केवल सरकार की आलोचना करने के लिये कोई बात कही जाय, यह मुनासिब नहीं है। इससे भ्रामक प्रचार होता है जिसके कारण जो कर्मठता है उसमें कमी होती है और उससे सरकार, समाज और प्रदेश का नुकसान होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संकल्प माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने रखा है वह असामयिक है और उससे कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं है। इसका अर्थ केवल प्रचार है। हम समझते हैं कि केवल प्रचार के लिये इस तरह का संकल्प लाना उचित नहीं है।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की ओर से भी जिन सदस्यों ने माननीय टम्बेश्वरी-प्रसाद जी के प्रस्ताव का विरोध किया है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि समाज में आज विषमता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन में और प्रान्त के कर्मचारियों के वेतन में। यह भी उधर से स्वीकार किया गया है कि सिद्धान्ततः एक ऐसा वेतन आयोग बनना चाहिये और अन्य प्रान्तों में बना भी। सिर्फ एक बात उधर से कही गयी कि कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण यह उचित और आवश्यक मांग मानी नहीं जा सकती। आज के युग में जब कि देश में चारों तरफ से यह आवाज उठ रही है कि आज सारा प्रशासन भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है, सारी जनता इस बात का अनुभव कर रही है कि जब तक शुद्ध प्रशासन प्रान्त में नहीं बनता तब तक सारी योजनायें और सरकार की सारी मंशा विफल हो रही है और जब इस बात पर बराबर विचार किया जा रहा है कि प्रशासन से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जाय, तो मैं समझता हूं यह आवश्यक है कि हम इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी समझें। इस प्रश्न पर हम अपने दलगत स्वार्थों से हट कर प्रान्त के हित में ही विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, १९४६ में जो वेतन आयोग का उत्तर प्रदेश में निर्माण किया गया था और जिसने १९४७ में रिपोर्ट दी, उस समय जो कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स था वह बिलकुल भिन्न था। अगर हम दूसरे महायुद्ध के बाद १९३९ में कास्ट आफ लिविंग को १०० मानें, जैसा कि माना गया है, तो १९४७ में जब कि पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और वेतनों के बारे में अपने सुझाव दिये उस समय कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स बढ़ कर ३१० हो गया था और १९६० में वह ४९८ हो गया और आज १९६३ में वह बढ़कर ५२२ तक हो गया है।

ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो मालूम होगा कि १९४७ में जब पे कमीशन बैठा था और उसका निर्णय हुआ था तब से आज में कास्ट आफ लिविंग में दुगना अन्तर हो गया है। इसलिये यह आवश्यक है जब कि जीवन की दैनिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चले जायं और सरकारी कर्मचारी, चाहे छोटे हों, चाहे मध्यम श्रेणी के हों, उनके जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न हो जाय और वे सुचारुरूप से अपना कार्य न चला सकें और उनको रोज की कठिनाइयों के कारण चिन्ता बनी रहे तो उस पर हम को विचार करना होगा।

एक बात यह कही गई कि इस को मानते हुये कि इस पर विचार होना चाहिये, उनके पास कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वे वेतन आयोग नहीं बना सकते हैं। यदि यह बात है तो हमें अन्य प्रान्तों का विचार करना होगा। बढ़ते हुये मूल्यों को देखकर, कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखकर, प्रशासन को शुद्ध रखा जाय इसको मूलभूत आधार मानकर केन्द्रीय सरकार ने दूसरा वेतन आयोग बनाया और आंध्र, मैसूर, केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल आदि प्रांतों में भी इसका निर्माण हुआ। उसने इस संबंध में अपनी निश्चित नीति प्रकट की और लाभदायक सुझाव दिये और उनको कार्यान्वित भी किया गया। जब केन्द्रीय सरकार ने अनुभव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

किया और कदम उठाया और अन्य प्रान्तों ने भी जो हम से भी ज्यादा गरीब हैं, दूसरा वेतन आयोग बनाया और आवश्यकता को पूरा किया तो उत्तर प्रदेश में क्या बात है जो कहा जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि प्रदेश अपनी गलती और कठिनाई के कारण भुगत भी रहा है। वैसे प्रदेश ने भी अनुभव किया है और पे कमीशन न बिठाकर सरकार ने कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है, जैसे पुलिस कमीशन द्वारा कर्मचारियों की नौकरियां बढ़ी, फूड ऐंड सिविल सप्लाइज विभाग के लोगों की तनख्वाहें बढ़ीं और सिविल सरविस में सिलेक्शन ग्रेड बना कर नौकरियां बढ़ाई गई हैं। मैं कहूंगा कि सरकार ने इसका अनुभव तो किया है, लेकिन उन लोगों की ही तनख्वाहें बढ़ाई हैं जो सरकार के ऊपर प्रभावी हैं और दूसरे लोगों को छोड़ दिया गया है। यह बात अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि न्याय की दृष्टि से आवश्यकता है कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वे निम्न श्रेणी के हों या मध्यम श्रेणी के हों, सब को एक स्तर पर लाया जाय, इस संबंध में सरकार के पास कोई तर्क नहीं है। इसलिये आज जब केन्द्र और अन्य प्रदेशों में द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना हो गई है और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है तो इस प्रदेश का यह कार्य न करके अपने कर्मचारियों में कठिनाइयां उत्पन्न करना है। केन्द्र ने इसकी स्थापना करके अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि भी की है और यह भी कहा है कि अगर कास्ट आफ लिविंग में दस प्वाइन्ट की वृद्धि हो जाय तो ऐसी कौंसिल के निर्माण करने की भी चर्चा की गई है जो यह देखती रहे और आवश्यकतानुसार वेतन में और अलाउन्सेज में परिवर्तन करती रहे।

अभी आपने देखा होगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ७ नवम्बर, १९६३ को स्लिटले काउंसिल के निर्माण की घोषणा की गई है। जिसका यह कार्य होगा कि जैसे-जैसे मूल्यों में वृद्धि होती जाय, लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती जाय, १० प्वाइन्ट से अधिक मूल्य बढ़ जायं तो सरकारी कर्मचारियों के और सरकार के प्रतिनिधि एक साथ बैठ कर इस सम्बन्ध में विचार करें और वेतनों में वृद्धि करते रहेंगे। इन सब बातों को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि सरकार द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना तुरन्त करे। आपने देखा होगा कि डियरनेस अलाउन्सेज का सवाल है। उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार सब से पीछे है। बिहार में, केरल में, मध्य प्रदेश में जो हम से मालदार प्रान्त नहीं हैं वहां जिन लोगों की ४५० रुपये तक तनख्वाह है उनको ६५ और ७० रुपये तक डियरनेस अलाउन्स दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक ४० रुपया डियरनेस अलाउन्स दिया जाता है। तो एक ओर तनख्वाह में वृद्धि न करके और द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना न करके कठिनायां पैदा कर रहे हैं, दूसरी ओर डियरनेस अलाउन्स में कमी करके सरकारी कर्मचारियों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब आपने यह सिद्धांत मान लिया कि लोगों को बढ़ते हुये मूल्यों के अनुसार वेतन वृद्धि मिलनी चाहिये, आप यह भी अनुभव करते हैं कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो आपको कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी जिसमें सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें, अगर आप उनको पूरा वेतन नहीं देंगे तो उनको दावत देते हैं कि वह भ्रष्टाचार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस प्रकार सरकार एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है जिससे भ्रष्टाचार बढ़े। तो किस मुंह से आप यह कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात सोचते हैं।

मैं समझता हूं कि द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना की जो मांग हमारी ओर से रखी गयी है सरकार को बहुत पहले ही इसके लिए कदम उठाना चाहिये था। आप कहते हैं कि विरोधी दल की ओर से ऐसे सुझाव दिये जाने चाहिये जिससे प्रान्त की समस्याओं का हल निकले। इसी दृष्टि से हमने यह प्रस्ताव रखा है जिसके सिद्धान्त को सरकार मानती है। केवल एक दलगत स्वार्थ और अभिमान के कारण कुछ लोग खड़े हो कर ऐसे तर्क देते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता। कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि चूंकि गवर्नमेन्ट में नहीं रहे इस लिये मांग का समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार

के अन्दर रह कर सत्य को देखने का मौका नहीं मिलता तो मैं स्वागत करता हूं कि सरकार के बाहर आकर उन्होंने सत्य को पहचाना और उचित मांग का समर्थन किया। अन्य लोग या तो आशा है कि भविष्य में मंत्रिमंडल में आयेंगे इस लिये इस सत्य को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, या इसलिए कि चूंकि यह मांग जनसंघ की ओर से रखी गयी है तो उनको इसका भय लगता है कि उसका प्रचार होगा, लेकिन जब वह यह अनुभव करते हैं कि उनके खिलाफ इसको लेकर प्रचार होगा और उससे उनकी साख नहीं बढ़ेगा तो फिर भी उन की उचित मांगों का विरोध क्यों करते हैं ? मैं यही समझता हूं कि वह स्वार्थवश सत्य को कहना नहीं चाहते। लेकिन दल के स्वार्थों को छोड़ कर न्याय का पक्ष लेकर जिन्होंने कर्मचारियों की मांग का कांग्रेस की ओर से भी समर्थन किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं और जो आदमी नहीं कह सकते, जिनके सामने स्वार्थ हैं, मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको भी ऐसा साहस हो कि वह इस उचित मांग का समर्थन करें ताकि जो बहुत दिन की उचित मांग है उस को बल मिले और जो संकल्प रखा गया है इसे हम एक साथ बैठ कर भारी बहुमत से पास करें ताकि प्रान्त के वह कर्मचारी जो बड़ी कठिनाइयों में हैं जिनको जीवन यापन करने में कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें सहूलियत प्राप्त हो सके। मैं आशा करता हूं कि कम से कम इस संकल्प को, जिसमें सारा सदन बहुमत में नहीं वरन् सर्व-सम्मत है, सदन स्वीकार करेगा और अपनी उदारता का परिचय देगा।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संकल्प को जब पढ़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह सोचकर कि यह एक ऐसा विषय आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है जिस पर कुछ सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकेगा। साथ ही साथ सहानुभूति के साथ व्यावहारिकता की ओर भी हमारी दृष्टि जायगी। परन्तु श्रीमन्, कल दिन भर जो मैंने पूरी बहस सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि इस संकल्प के पीछे जो पवित्र भावना है और जो उसका सुन्दर स्वरूप है वह इस बहस में कुछ विनष्ट सा होता हुआ प्रतीत हुआ और कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि इस संकल्प का केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन से ही सम्बन्ध रह गया है। यह सारी बहस और सारी उत्सुकता सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में जो विषमतायें हैं उन्हीं तक सीमित हो गई। श्रीमन्, कोई भी समझदार आदमी जब इस संकल्प पर विचार करेगा तो सबसे पहले उसकी दृष्टि उन लाख-लाख व्यक्तियों की ओर जायगी जिनकी कल्पना में सही तौर पर दोनों वक्त का भोजन नहीं है, जो गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो संकल्प की मंशा है एक स्थायी वेतन आयोग की स्थापना, उस वेतन आयोग की आवश्यकता वास्तव में है या नहीं। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि प्रदेश की सरकार ने स्वयं ऐसे कोई कदम उठाये है या नहीं, वह स्वयं इस तरफ जागरूक है या नहीं, अपने रिसोर्सेज के अनुकूल स्वयं उसने हिम्मत के साथ इस दिशा में कुछ प्रगति की है या नहीं की है। जब आप इस तरह दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि समय-समय पर प्रदेश की सरकार ने ऐसे कितने ही कदम उठाये हैं। उसने पुलिस आयोग बैठाया, उसकी सिफारिशों के अनुसार यथासम्भव पुलिस के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, मेडिकल आफिसर्स का वेतन बढ़ाया, सिविल सप्लाइज के आफिसर्स का बढ़ाया, जूडीशियरी में जो लोग काम करते हैं उनका भी वेतन बढ़ाया, अध्यापकों का भी वेतन तो अधिक नहीं, लेकिन कुछ उनका भी बढ़ाया है। तो इन सब बातों को देखने से यह पता चलता है कि सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से विजिलेंट है इस समस्या की तरफ, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद दूसरा प्वाइंट सामने आता है रिसोर्सेज का। जब हम कोई संकल्प प्रस्तुत करें तो संकल्प प्रस्तुत करने वाले महानुभाव को उसके समूचे भाग, उसके व्यापक स्वरूप पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि कोई ऐसा संकल्प जिसमें खर्चा निहित हो, जिसमें कुछ एक्सपेंसेज इनकर होने वाले हों, उसमें निश्चित रूप से रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। जब रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं जाता और उस पर बहस एकांगी होती है तब तक यह शंका न केवल प्रारम्भ

[श्री रामलखन शुक्ल]

होती है वरन परिपक्व हो जाती है कि इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं उस पक्ष से भाषण करने वाले सम्मानित सदस्यों से माफी चाहते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पीछे जो बहस हुई और इसके ऊपर जो भिन्न-भिन्न पार्टियों के मैनिफैस्टो के उद्धरण दिये गए और इसके पीछे जो अनावश्यक ऐसी बातें कही गईं जिनका सम्बन्ध दलगत राजनीति से, पार्टी पालिटिक्स से रहा, उसने इसके स्वरूप को निश्चित रूप से विकृत कर दिया।

श्रीमन्, रिसोर्सेज के सम्बन्ध में दो बातें कही गईं। एक बात तो यह कही गई कि मितव्ययिता होनी चाहिये और दूसरी बात यह कही गई कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मितव्ययिता का जहां तक प्रश्न है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इससे असहमति प्रगट कर सके। एफिश्येंसी की तरफ ध्यान रखते हुए मितव्ययिता जितनी भी सम्भव हो वह होनी चाहिये। दूसरी बात जो राष्ट्रीयकरण की कही जाती है वह भी एक विचारणीय विषय है। राष्ट्रीयकरण के भी सिद्धान्त से कांग्रेस के पक्ष का कोई आदमी मुकर नहीं सकता। उसको वह सिद्धान्ततः स्वीकार करता है। पर राष्ट्रीयकरण का नारा देने वाले सदस्यों से मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के पहले जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना है उन उद्योगों के संचालन के लिये हमारे पास जब तक उपयुक्त संचालन एजेंसी नहीं है, कोआपरेटिव की एजेंसी या पब्लिक सेक्टर के जनता के ऐसे संगठन हमारे सामने समाज में नहीं उत्पन्न हुए हैं जो उनका संचालन कर सकें तब तक बिना उस संगठन को उपलब्ध किये हुये जो राष्ट्रीयकरण किया जायगा श्रीमन्, वह राष्ट्रीयकरण नहीं होगा बल्कि वह नौकरशाही-करण होगा और सरकारी-करण होगा। तो मैं, राष्ट्रीयकरण की बात करने वाले साथियों से यह बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी राष्ट्रीयकरण की बात वह करते है तो उसके दूसरे पक्ष पर भी उनका ध्यान जाता है या नहीं जाता है। इसलिये मैं बडे आदर के साथ राष्ट्रीयकरण का जो पहला पहलू है जिसमें मैनेजोरियल सेक्शन न प्रबल होने पाये, जिसमें ब्यूरोक्रेसी न अधिकार करने पाये, जिसमें राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत हमारे उद्योगों का नौकरशाहीकरण न होने पाये, इस तरफ ध्यान जाना चाहिये। जहां तक हमारे राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है वह उस सीमा तक सफल नहीं है।

इसके साथ-साथ राष्ट्रीयकरण की ओर थोड़ा बहुत कदम सरकार उठाना चाहती है क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण समाजवाद की रचना की ओर जा रहा है। इसलिये हमारी सरकार का कदम स्टेट ट्रेडिंग की तरफ बढ़ा है, कोआपरेटिव मारकेटिंग की तरफ बढ़ा है और फेयर प्राइश शाप्स के खोलने की तरफ बढ़ा है, उनमें कुछ गलती हो सकती है और दूसरी कमियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार उस दिशा में अग्रसर है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। इसलिये जब कभी हम ऐसे विषय पर विचार करेंगे और सरकार के सामने विचार करने के लिये किसी संकल्प को प्रस्तुत करेंगे निश्चय ही सरकार इस उद्देश्य और लक्ष्य को अपने सामने रखेगी और उस पर विचार करेगी।

एक बात सरकार के विचार करने की अवश्य है कि जो संकल्प रखा गया है उसके द्वारा उस विषय की ओर संकेत किया गया जो बहुत निश्चित और आवश्यक विषय है। उस विषय का सम्बन्ध ऐसे लोगों से है जिनके सन्तोष और असन्तोष पर इस प्रदेश की प्रगति और अप्रगति दोनों बहुत हद तक मुनहसर हैं। इसलिये मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पर विचार करने के लिये कोई संस्था होनी चाहिये। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर इस तरह का सेन्टर में एक प्लानिंग कमीशन है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक प्लानिंग कमीशन हो और उस प्लानिंग कमीशन की दृष्टि स्वयं इस बात की तरफ होनी चाहिये। इसके अलावा और भी जितने प्रश्न हैं या और जितने प्रश्न छूट गये हैं उनकी तरफ उनका ध्यान जायगा। वह इस काम को कर सकता है। वह अस्थायी हो सकता है। इस प्लानिंग के युग में हम कोई प्लानिंग कमीशन अस्थायी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कोई वेतन कमीशन स्थायी रूप से बना लें तो उसका खर्चा भी स्थायी

होगा जो मैं समझता हूं कि इस समय उचित नहीं होगा। अगर आप आवश्यक समझते हैं तो कोई टेम्पोरेरी पे कमीशन बनाकर काम चला लें, मैं इस बात को मान सकता हूं। उसका समय सीमित कर दिया जाय और अपनी रिपोर्ट समय के अन्दर दे दे तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है, इस तरह की बात हो सकती है और यह एक मुनासिब बात है। मैं यह मानता हूं कि किसी प्रदेश या देश की आर्थिक प्रगति में विभिन्न स्टेजेज पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं से कार्यवाही करनी पड़ती है। आज हम जिस दशा से गुजर रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियों को पार कर रहे हैं उसमें सब से पहली डिमान्ड यह है कि हम उत्पादन बढाने के लिये अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें जिससे हमारी आर्थिक प्रगति हो। आज की आर्थिक अवस्था में हमारी सब से पहली मांग यही होनी चाहिये कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये पर कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट बढ़ायें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह दरिद्रता का चक्र कटेगा नहीं। ऊपर से आप वेतन आयोग बना दें,लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा। पैसा कहां से लायें, रिसोर्सेज कहां से लायें और उन रिसार्सेज को अपनाने के लिये और प्रदेश का विकास करने के लिये सब से बड़ी आवश्यक बात यही है कि आज जो प्रदेश की आर्थिक अवस्था चल रही है उसमें हम रिसोर्सेज का पता लगाने की ओर जोर दें। इन शब्दों के साथ मैं मानता हूं कि यह संकल्प असामयिक है और अनावश्यक है, लेकिन यदि इस प्रकार का आयोग बनाना है तो उसको समय की सीमा निर्धारित करके बनाया जा सकता है।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी एक बड़े ऊंचे स्तर की डिबेट हमने सुनी। मान्यवर जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरा वेतन आयोग निश्चित किया जाय और उसमें जो एक असमानता और बड़ी खाई है कम से कम सरकार उसका सर्वे करा सके और उसका कोई निराकरण हो, परन्तु जो बहस चल रही है उसके सब पहलुओं पर विचार होना है। मान्यवर, दूसरे महायुद्ध के बाद जब मूल्य काफी तादाद में बढ़े और ऊंचे अधिकारियों और निम्न अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में बड़ी भारी असमानता और खाई बढ़ी तो सन् १९४६ में एक वेतन आयोग की स्थापना पन्त जी ने कराई। सन् १९४७ से उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही हुई। परन्तु मान्यवर, मैं सरकारी पक्ष को बिना किसी आलोचना के कुछ कंक्रीट सजेशन देना चाहता हूं कि क्या सन् १९४७ से आज तक १६ साल के अन्दर असमानता बढ़ी है या घटी है। भावों में बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं,कोई आपने दामनीति निर्धारित की है या नहीं ? यदि की हो तो हमको कुछ नहीं कहना। मान्यवर, तमाम दुनिया के मुल्कों में जहां समाजवादी अर्थ व्यवस्था का कहीं नाम तक नहीं है वहां भी एक दाम नीति है, लेकिन यही एक अभागा मुल्क है जहां वह नहीं है। जब किसान कोई चीज पैदा करता है और बेचने जाता है तो उसका भाव रुपये का ५,६ सेर होता है, लेकिन जब वही चीज वह खरीदने जायगा तो वह उसे २ और ३ रुपये सेर के भाव से मिलेगी। सोशलिस्ट पार्टी ने इस दाम नीति की बात सन् १९४८ से सरकार के सामने रखी है कि जो चीज देश में पैदा हो और जिस समय वह बाजार में बिके उसके दाम में एक आने सेर से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये और इस के साथ ही कल कारखाने में उत्पादित होने वाली चीजों के दाम भी उसकी लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं होने चाहिये। अगर इस प्रकार की आपने कोई दाम नीति बनायी होती तो हमको सरकार से कोई बात नहीं कहनी थी।

मान्यवर,अब सूबे का हाल क्या है उसे भी देखिये। मैंने आंकड़े इकटठे किये हैं। आप वेतन आयोग को नहीं बिठाना चाहते हैं,लेकिन देखिये कि सन् १९४७ में चीजों के भाव क्या थे। उस समय गेंहूं रुपये का ५ सेर था,चार रुपये सेर घी था,तेल सवा रुपये सेर था,लकड़ी एक रुपये मन मिलती थी, नमक १ आने सेर था, मोटा अनाज रुपये का आठ सेर था और मोटा कपड़ा आठ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आने गज था और आज १६ साल बाद क्या हाल है जब कि तनख्वाहें वही हैं और वेतनक्रम वही हैं, क्या किसी प्रकार कोई चल सकता है ? तो इस प्रकार से कोई ठोस अर्थ व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता । मेरा आलोचना करने का ही दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन उनकी गलतफहमी को हम केवल तर्क द्वारा ही उनके दिमाग से दूर नहीं कर सकते । आप देखिये कि यहां के मुख्य मंत्री पर कितना खर्च होता है और एक चौकीदार पर कितना खर्च होता है । उसकी तनख्वाह ५ रुपये माहवार है । चपरासी और क्लर्क का वेतन ५५, ६० रुपये माहवार है । यह बात समझ में नहीं आती ,लेकिन उसके बाद भी यह सरकार समाजवादी अर्थ व्यवस्था की बात करती है । म नहीं समझता कि यदि यह समाजवादी अर्थ व्यवस्था है तो फिर पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में और समाजवादी अर्थ व्यवस्था में अंतर ही क्या है ? इसके अतिरिक्त आप देखिये कि सारे देश का हाल क्या है । अभी हमारे डाक्टर राममनोहर लोहिया ने लोकसभा में एक बहस चलायी थी और कहा था कि २७ करोड़ आदमियों की आमदनी इस देश में ३ आना रोज की है और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका जवाब दिया तो कहा कि डाक्टर साहब शायद भूल गये । यहां के २७ करोड़ आदमियों की आमदनी ३ आना रोज नहीं शायद उसकी ५ गुनी है । लेकिन उसके बाद जब गुलजारीलाल नन्दा साहब खड़े हुए . . . .

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा )--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । एक संकल्प यहां पर प्रस्तुत है और यहां की ट्रेजरी बेंचेज पर एक भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं है, हमारे मुख्य मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं। तो आप व्यवस्था दीजिये कि प्रदेश के जब इतने महत्वपूर्ण मसले पर यहां विवाद चल रहा है तो उनको यहां मौजूद रहना चाहिये या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष --

ट्रेजरी बेंचेज के लोग यहां अगर होते तो अच्छा होता, लेकिन यदि वह नहीं हैं और उनके नुमाइन्दे हैं तो आप कोई एतराज नहीं कर सकते ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

यह पुरानी रूलिंग है कि उनको यहां मौजूद रहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा कि उनका यहां रहना वांछनीय है, लेकिन ट्रेजरी बेंच के एक नुमाइन्दे यहां हैं, लिहाजा उस पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है श्रीमन्, कि मंत्रियों को यहां रहना चाहिये, नहीं तो कम से कम संबंधित मंत्री को तो अवश्य रहना चाहिये । लेकिन आपकी रूलिंग गलत हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि उनका रहना वांछनीय है, अच्छा है, लेकिन जब तक ट्रेजरी बेंच के नुमाइन्दे हैं तब तक आप एतराज नहीं कर सकते ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

आप उनको बुलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा —

श्रीमन् ,मैं यह कह रहा था कि जब डाक्टर राममनोहर लोहिया ने लोक सभा के सामने देश की गरीबी का चित्र चित्रण किया तो उन्होंने कहा कि देश के २७ करोड़ लोगों की आमदनी ३ आने रोज की है । सरकारी पार्टी की ओर से जवाहरलाल जी ने जब जवाब दिया कि डाक्टर साहब भूल गये, शायद उसकी पंचगुनी है। ३–४ दिन बाद योजना आयोग के तमाम सर्वे करने के बाद माननीय गुलजारीनन्दा ने कहा कि साढ़े चार आना रोज ७ करोड़ आदमियों की आमदनी है और कुछ की उन्होंने १० आने और १४ आने पायी। यह तो रही सेंटर की बात।

अब मैं प्रदेश के बारे में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। प्रदेश में ४ प्रकार के लोग रहते हैं। १ करोड़ आदमियों की आमदनी का १ रुपया औसत है। २ करोड़ का ३ आने रोज है। १ करोड़ की आमदनी ७ आने रोज है। इसके बाद २ लाख परिवारों की १० लाख रुपया, १० लाख आदमियों की ३० हजार रुपया माहवार, यानी तीन हजार रुपया प्रति दिन प्रति व्यक्ति आमदनी है। एक तरफ एक गरीब रिक्शा चालक ३ आने पाता है और जिनकी कल हरीसिंह जी बात कर रहे थे खेतिहरों की, उनको भी तीन, साढ़े तीन आने रोज पड़ता है और दूसरी तरफ १० लाख परिवारों की आमदनी ३,००० रुपया रोज है। इस प्रकार से इस प्रदेश का क्या हश्र होने वाला है? कहने को कहा जा सकता है कि यह आंकड़े झूठे हैं, लेकिन इतना तो आप जान सकते हैं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री, राज्यपाल और बड़े-बड़े अफसरों की जो हैसियत और ठाठ-बाट हैं क्या वह मिसाल किसी भी मुल्क की दी जा सकती है कि इस प्रकार से एक और एक हजार का अन्तर आमदनी में हो? तो द्वितीय आयोग बनना चाहिए जो निश्चय करे कि खेतिहर मजदूरों की, गरीब चपरासियों की, क्लर्क और मजदूरों की आमदनी कितनी होनी चाहिए जिससे वह कम से कम रोटी तो पेट भर खा सकें और कोई निराकरण बेकारी और गरीबी का हो सके। इसमें बौखलाने की क्या बात है? क्यों आप मना करते हैं कि आयोग न बने?

कल माननीय नवलकिशोर ने सरकार को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको कहना पड़ा कि १ और १००० का अन्तर नहीं होना चाहिए। कम से कम १०० रुपया एक व्यक्ति की आमदनी होनी चाहिए तभी उसके परिवार की गुजर हो सकती है। ४–५ दिन पहले दारुल-शफा में एक आदमी मेरे पास दौड़ा आया कि मैं कई दिन से भूखा हूं, १ ही रुपया मिल जाय तो चावल खा लूंगा। क्या यही समाजवादी व्यवस्था है जिसमें लोगों को खाने को भी नहीं मिलता? योजना आयोग बनेगा तो वह मालूम करेगा कि कितने यहां भूखे रहते हैं, क्या लोगों को तकलीफ है। जिस प्रकार की पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को यह सरकार अपना रही है, अगर यह मान लें कि वह पूंजीवादी है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था का नाम देकर समाजवाद के नाम को यह सरकार दूषित न करे तो ज्यादा उचित होगा और गरीब रिक्शा चालक, किसान, मजदूर और खेतिहर मजदूरों का यह सही चरित्र-चित्रण करे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मिक्स्ड इकोनामी की जो रोज बात करती ह वह समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को लागू करने की बात कहें, जो इस तरह से देश के करोड़ों लोगों को गुमराह करे, उस सरकार के ऊपर हमारा सबसे बड़ा चार्ज है। यह सरकार यह क्यों नहीं कहती कि वह पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखती ह? क्यों नहीं कहती कि हमको सामन्तवादी व्यवस्था पसन्द है? आज सबसे जटिल प्रश्न यह ह कि समाजवादी व्यवस्था है क्या? अगर इस सरकार को उसकी सही परिभाषा मालूम हो गयी होती तो यह बात नहीं होती।

श्रीमन्, अब जयपुर के अधिवेशन में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की परिभाषा तय की जा रही है। देखना है कि वह परिभाषा क्या होती है और फिर उसके प्रति यह सरकार क्या कदम उठाती है। हम आलोचना करने के लिये ही नहीं हैं, हमारा दिमाग उसके लिये खाली नहीं है, लेकिन हमारी आलोचना वहां जरूर होती है जहां पर जन जन में बड़ा भारी असन्तोष होता है। जब हम अपने गांवों और नगरों में जाते हैं और ऐसे आदमियों को देखते हैं जो अपना पेट तक नहीं

[श्री राधेश्याम शर्मा]

भर पाते, जो अपना पेट भरने के लिये ऐसे कृत्यों को करते हैं जिनको यहां कहा नहीं जाता, उसको देख कर सर शर्म से झुक जाता है और बड़ा अफसोस होता है, लेकिन यह सरकार फिर भी समाजवादी व्यवस्था की बात करती है। श्रीमन्, इस प्रदेश के गरीबों की स्थिति को देखते हुये, चीजों के बढ़ते हुये भावों को देख कर, हमारा यह निश्चित मत है कि एक वेतन आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये। भले ही वह स्थायी कमीशन न हो, किन्तु अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति अवश्य होनी चाहिये। यदि आपने ऐसा पहले ही किया होता तो इन १५–१६ वर्षों में ५–७ बार संशोधन करके इन भूखे लोगों के लिये आपने कुछ किया होता। अपने मतलब के कामों में यह प्रजातंत्रीय सरकार रोज-रोज चेंज करेगी, मगर इन भूखे लोगों के लिये यह सरकार चेंज नहीं करेगी। माननीय मंत्री जी का वही ठाठ रहेगा, बड़े-बड़े आफिसरों का वही ठाठ रहेगा, सेठ साहूकारों का वही ठाट रहेगा, माननीय राज्यपाल महोदय का वही ठाट रहेगा, मगर इन कर्मचारियों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जायेगा। कहा गया कि अगर हमने एक हजार अधिक से अधिक और १०० रुपये कम से कम तनख्वाह करायी तो लाखों रुपये का नुकसान पहुंच जायेगा। मैं कहता हूं कि सरकार को यह नुकसान उठाना पड़ेगा और आप को एक क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह १० लाख परिवार वालों से सम्बन्ध रखता है, यह प्रश्न प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता से सम्बन्ध रखता है। जब यह करके आप एक क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे तभी इस प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, आज सदन के सामने एक बहुत अहम मसला प्रस्तुत है। कल से इस विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। आज भी लगभग २ बजे से इस पर बहस चल रही है। इसमें सन्देह नहीं कि जैसे-जैसे महंगायी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, हमारे सामने यह प्रश्न आता जा रहा है कि जो अल्प वेतन भोगी लोग हैं उनकी समस्याओं को कैसे हल करें। इसमें सन्देह नहीं कि यदि एक कर्मचारी का खर्चा १५० रुपया माहवार है और उसको १२५ रुपया माहवार मिलते हैं तो वह उन बातों को अख्तियार करेगा जो भ्रष्टाचार आदि के नाम से पुकारी जाती हैं। इसलिये प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कर्मचारियों के आवश्यक खर्चों को किसी न किसी तरह से पूरा करे। इसलिये यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह ऐसा प्रस्ताव है जिस पर उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले सब एकमत हैं। उसका जो सिद्धान्त है उसे ठीक मानते हैं। लेकिन एक बात अवश्य मैं आप के माध्यम से विरोधी पक्ष वाले अपने साथियों से कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों से टैक्स वसूल करके यह पैसा आवेगा और जिन लोगों के विषय में हम कहते हैं कि वे लोग अब टैक्स देने के लायक नहीं रह गये हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझा बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। एक ओर तो हम यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता अब और अधिक टैक्स देने के योग्य नहीं रही है और दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो नौकरी करने वाला वर्ग है उसके वेतन को बढ़ा दिया जाय। ये दोनों बातें एक साथ किस प्रकार से हो सकती हैं? यह तभी हो सकता है जब कि सबसे पहले हम उसका संरक्षण करें जो हिन्दुस्तान में सबसे अधिक संख्या में रहने वाला है। वह है हमारे सूबे का किसान। उसकी क्या हालत है, उसकी क्या आमदनी है, इस बात को भी हमें देखना होगा और यह भी देखना होगा कि उसकी आमदनी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है जिससे वह भी इस तरह का जीवन व्यतीत कर सके जिस प्रकार का जीवन सरकारी कर्मचारी व्यतीत करता है।

हम लोग जब कभी इस तरह की बात उठाते हैं, उस समय वेतन भोगी लोगों की तरफ ही देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह रुपया आयेगा कहां से। क्या एक दिन इसका परिणाम यह न होगा कि दो वर्ग हो जायेंगे---एक वेतन भोगी लोग, दूसरे वे जो दूसरे धन्धे करते हैं? वे भी अपने दैनिक खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि एक ऐसा

कमीशन हो जो, प्रदेश के सब लोगों की आय के बारे में देखे और तब वह निश्चय कर कि किस प्रकार से उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। फिर जब हम यह देखें कि टैक्स देने वाला समुदाय इस योग्य हो गया है कि पैसे के बजाय सवा पैसा वह टैक्स दे सकता है तब उस पर टैक्स लगाया जाय। कहने में तो यह बात अच्छी लगती है कि किसी का वेतन बढ़ाया जाय, हमें भी जो मिलता है उसको भी बढ़ाया जाय, तो खुशी होगी, लेकिन देखना तो यह है कि पैसा आये कहां से। गांवों में काम करने वाले अध्यापकों की आमदनी तो केवल ५९–६० रुपया ही है, अब उसको कहां से बढ़ाया जाय? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स देने के लायक समझे जाते हैं, लेकिन उन पर भी सरकार ने रुपये में साढ़े तेरह आने, चौदह आना टैक्स लगा रक्खा है। यह दूसरी बात है कि किसी तरह से वे टैक्स से बच जाते हैं। इसके लिये सरकार के पास जितने भी साधन हैं, उनके द्वारा सरकार यह कोशिश करती है कि कोई टैक्स से बचने न पाये। और इसीलिये इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो उनके आय-व्यय की छानबीन करके उन पर उचित टैक्स लगा सकें। उधर हमारी सरकार भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें केवल एक वर्ग के लोगों के ऊपर ही ध्यान रखा गया है। दूसरा वर्ग जो काफी परेशान है, किस तरह से उसकी आमदनी बढ़ेगी, वह टैक्स दे भी सकता है या नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखा गया। जब तक चीज के दोनों पहलू हमारे सामने न हों तब तक मैं समझता हूं कि किसी तरह से खर्च बढ़ाना उचित नहीं होगा।

रहा यह कि मोटी-मोटी आमदनी वालों पर टैक्स लगें इस तरह के जो सुझाव दिये जाते हैं सरकार उस पर अमल कर रही है। हमारी आर्थिक अवस्था ठीक हो और मितव्ययिता की जाय, यह एक ऐसी बात है जिसको मानने से कभी कोई इन्कार नहीं कर सकता है, लेकिन यह एक सापेक्ष्य चीज है कि जिस तरह का हम भोजन करते हैं वह किसी की निगाह में रईसाना भोजन हो सकता है और किसी की निगाह में साधारण हो सकता है। तो इस सापेक्ष्य को दृष्टि में रख कर जहां तक मितव्ययिता का सम्बन्ध है, उसके बारे में सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती है कि वह अपनी नीति ऐसी बनावे कि उसके आर्थिक ढांचे में कोई फजूलखर्ची न की जावे।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह प्रार्थना करता हूं कि इस समय इस वेतन आयोग के प्रश्न को लाना सम्भवतः सामयिक नहीं है। इसको अभी नहीं आना चाहिये। इस समय तो इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिये कि एक ऐसे आयोग की स्थापना की बात होनी चाहिये जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वे जिस वर्ग के भी हों, उन सब की आर्थिक परिस्थिति को देखा जावे, उन सबके खर्च को देखा जाय, हमारे यहां जितने भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चाहे वे सरकारी हों या असरकारी हों, उन सबकी आमदनी व खर्च को देखा जावे और फिर यह स्थिर किया जावे कि क्या व्यवस्था हो ताकि ऊंच नीच का भेदभाव ज्यादा न हो। गरीब अमीर में भेदभाव की बात आवश्यक है तो वह उतना ही हो जितना कि निभ सके, इस बात को स्थिर करने के लिये एक ऐसे आयोग की स्थापना हो और उसके लिये कोई प्रस्ताव पेश हो तो उसका हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन यह जो वेतन आयोग की बात है, इसमें केवल एक ही पक्ष यानी वेतन भोगी लोगों को ही ध्यान में रखा गया है, जो दूसरे पेशा करने वाले हैं उन पर कोई ध्यान नहीं रखा गया है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को शिकायत न हो इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे आयोग की स्थापना का प्रश्न उठावें जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के लोग आ जायं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसको मैं जनसंघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के रूप में नहीं देखता और मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे केवल इस वजह से इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि यह जनसंघ द्वारा उपस्थित किया गया है, तो न तो वे अपने साथ न्याय कर रहे हैं और न वे इस प्रदेश के साथ न्याय कर रहे हैं जिसकी मांग को लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, जहां तक वेतन आयोग की स्थापना का प्रश्न है, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या अपने देश के विभिन्न प्रदेशों की प्रान्तीय सरकारें हों, वह प्रश्न सबके सामने इतनी गम्भीरता के साथ उठ खड़ा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार और हमारे केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन ने सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आज जो देश की स्थिति है, जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से शासन का ढांचा परिवर्तित हो रहा है, जिस प्रकार से नयी-नयी आवश्यकतायें सामाजिक और शासन सम्बन्धी बढ़ रही हैं, इन सारी बातों को देखते हुए आज यह निहायत जरूरी हो गया है कि एक स्थायी वेतन बोर्ड की स्थापना की जाय जो बढ़ती हुई महंगाई और जीवन सम्बन्धी सारी समस्याओं पर विचार करे। अभी दो हफ्ते पहले हमारे देश के वित्त मंत्री ने बयान दिया कि वे इसको जायज समझते हैं कि जब दस प्वाइंट से अधिक कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स हो जाय तो बार-बार वेतनक्रम में परिवर्तन होना चाहिये और उसी अनुपात में उसमें सुधार होना चाहिये। परन्तु जब इस प्रदेश में उस बात को कहा जाता है तो यहां की हालत अजीबोगरीब है, जब भी यहां यह प्रश्न उठता है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वेतन बोर्ड की मांग उस वक्त की जा रही है कि जब सन् ४६–४७ में यहां वेतन बोर्ड बना था हमारे कारखानों के मजदूरों के लिये सन् ४६–४७ में वेज बोर्ड बना था उस वक्त से अब तक २३० रुपया कास्ट आफ लिविंग बढ़ चुका है। अगर केन्द्रीय सरकार कहती है कि अगर १० प्वाइंट कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स बढ़ता है तो वेतनक्रम रिव्यू होने चाहिये तो इस प्रदेश में जहां पर कि कास्ट आफ लिविंग इडेन्क्स में २३० का अन्तर हो चुका हो उस वक्त अगर यह मांग होती है तो सरकार को उसे मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये और उसे सिद्धान्ततः मानना चाहिये। उधर के मेम्बर कहा करते हैं कि हम तो जो कुछ केन्द्रीय सरकार करती है उसके मुताबिक ही हर चीज में एकरूपता स्थापित करना चाहते हैं,लेकिन इससे बढ़ कर और दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता और केन्द्रीय सरकार ने जिस चीज को सैद्धान्तिक रूप से माना है उसको मानें और अगर उससे आप इंकार करते हैं तो यह एक प्रमाण होगा कि आप एकरूपता के सिद्धान्त को नहीं मानते और उस तरफ से अपनी जानबूझकर आंखें बन्द किये हुये हैं।

यह प्रश्न सरकारी तथा गैर सरकारी सभी कर्मचारियों का है, यह किसी वर्गविशेष का प्रश्न नहीं है, यह एक जनरल मांग है जैसा कि अभी शास्त्री जी ने कहा कि इस प्रश्न को लेते हैं तो किसानों का प्रश्न भी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और अगर किसान का प्रश्न लेते हैं तो मजदूर का प्रश्न आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, लेकिन यहां हम केवल कर्मचारियों की बात कहते हैं। कीमतों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है, सन् ३७ और सन् ४६ के मुकाबले में बराबर कीमतें बढ़ती जाती हैं, यद्यपि उनका लाभ किसान को या मजदूर को नहीं पहुंचता। प्राइसेज स्टेबिलाइज नहीं होतीं, इसलिये आवश्यक है कि एक प्राइसेज के स्टेबिलाइजेशन के लिये बोर्ड बनाया जाय और वाजिब कीमत पर लोगों को हर चीज मिले और उत्पादकों को भी ठीक मूल्य मिले। हमारी जो आज की आर्थिक प्रणाली चल रही है उसमें मूल्यों का इनफ्लेशन और डिपलेशन होता है और ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं, इससे हम आज इंकार नहीं कर सकते। इसलिये इन सारे सवालों को लेकर हमें अपने यहां एक वेतन बोर्ड की स्थापना करना चाहिये।

जहां तक गैरसरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है, आज भी आप देखें कि दूसरे सूबों की हालत अच्छी है, हालांकि पहले यह प्रदेश सब से आगे था। पहले एक निम्बकर कमेटी बनी थी जिसने टैक्सटाइल वर्कर्स के मामले पर गौर किया था। उस वक्त हाल यह थी कि कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर और पूना आदि के मजदूरों से भी हमारे प्रदेश में महंगाई भत्ता सब से अधिक मिलता

था। उस वक्त उस कमेटी ने सारी बातों पर गौर करके कुछ उसूल तय किये थे, लेकिन यहां पर उस कमेटी ने जो उसूल तय किये थे उनका उल्टा प्रभाव पड़ा। जिन मजदूरों के विषय में हम पहले फख्र के साथ कह सकते थे कि हम अपने मजदूरों को जो राष्ट्र में एक महान् रोल अदा करते हैं। सबसे अधिक महंगाई भत्ता देते हैं दूसरों के मुकाबले में, लेकिन आज शर्म की बात है कि हमारे यहां उन्हीं बड़े नगरों के मजदूरों के मुकाबले में मजदूरों का वेतन ४०–५० रुपया मासिक कम है। जब वह मजदूर आज मांग करता है और कहता है कि १०० से ५४० कास्ट आफ लिविंग हो गया और साढ़े ५ गुना बढ़ोत्तरी हो गई तो क्या गलत कहता है ? केन्द्रीय सरकार जो वेतन बोर्ड बना कर अपने कर्मचारियों को दिला रही है या जो दूसरी प्रादेशिक सरकारें अपने यहां वेतन दिला रही हैं, नेचर आफ वर्क वही, वर्किंग आवर्स वही, एक सी ही परिस्थितियों में सब को काम करना पड़ता है, तो इस भेद के माने क्या हैं ? अगर दूसरी सुविधायें सस्ती हो जायं शिक्षा सस्ती हो, या दवा का फ्री प्रबन्ध हो और यातायात आदि का खर्च कम पड़ता हो तब तो बात दूसरी थी, हम मान लेते कि आप ने यहां दूसरी सुविधायें सुलभ करा रखी हैं और हम समझ लेते कि यह हमारा एक समाजवादी देश है और यहां वेतन को रिलेटिव टर्म में लिया जाता है।

हमारे प्रदेश में महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है, जीवन के लिये जो नितान्त आवश्यक वस्तुयें हैं उनके दाम आज आसमान छूते चले जा रहे हैं और सरकार असफल रही है कीमतों पर नियंत्रण पाने में। ऐसी हालत में सरकारी कर्मचारी अगर यह कहता है कि एक साल पहले का इंडेक्स आप देख लें तो क्या गुनाह करता है? एक साल पहले जो प्रदेश में १०० रुपये पाता था आज उसका रियल वेतन ७५ रुपया हो गया है। एक सा पहले जो उसका जीवन स्तर था और जो वेतन वह पाता था आप कृपा करके उसको वहां रखने की कोशिश करें। अगर वह कहता है कि १०० रुपये का जो वेतन हम पाते थे उससे जो जीवन स्तर हमारा था उस पर अब १२५ रुपये खर्च होते हैं तो वह अपने वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग कहां कर रहा है, वह तो आपसे नम्र निवेदन कर रहा है कि मेहरबानी करके, हमको हमारे जीवन स्तर को जहां वह एक साल पहले था वहीं पर रहने दें। इस महंगाई को देखते हुए इस न्याययुक्त मांग को भी यदि आप राजनीतिक प्रश्न बनावें तो अनुचित है। यहां पर पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़े गये। पार्टियों के मैनिफेस्टोज को छोड़ दीजिये, इस वक्त जिन्दगी के मेनिफेस्टो को पढ़ने की जरूरत है लोगों की जिन्दगी की जो आज हालत है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिये और हमदर्दी के साथ कर्मचारियों और दूसरे लोगों के मसलों पर गौर कीजिये।

आपने प्रदेश में स्वयं कुछ लोगों का वेतन बढ़ाया है। आपने पुलिस कर्मचारियों के वेतन स्तर में वृद्धि करने के लिये पुलिस कमीशन मुकर्रर किया और उनका वेतन बढ़ाया। ठीक किया है, आवश्यकता थी। मेडिकल आफिसर्स का वेतन बढ़ा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, आवश्यकता थी। आपने बढ़ाया अच्छा किया। आप आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोगों का वेतन बढ़ाते हैं, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज को कमिश्नर का ओहदा महज इसलिये दिया जाता है कि उनको ५ सौ रुपया बढ़ा दिया जावे। सेक्रेटरीज की ३ हजार से ३५ सौ तनख्वाह कर दी जाती है। मैं नहीं समझता कि छोटे कर्मचारीगण जो ५०, १००, २५० रुपये तनख्वाह पाते हैं, अगर वे अपनी मांग सरकार के सामने बड़ी विनम्रता से करते हैं तो आप उनका हौसला बढ़ाने की बात तो दूर असन्तोष पैदा करने की बात हमसे कहते हैं। कतई इस तरह की बात इस सवाल में नहीं है। आप मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से इन तमाम बातों पर विचार करें कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है।

इसी सेक्रेटेरियट के अन्दर रिजर्व बैंक का स्टाफ है। वहां का स्टेनो अगर १६०-३३० पाता है और उसी जगह काम करने वाला, इसी तरीके का काम करने वाला आपका कर्मचारी ६० से १२० रुपया पाता है, वही काम करता है जो वह करता है, लखनऊ में दोनों रहते हैं, दोनों को लखनऊ की महंगाई का समान मुकाबला करना है, दोनों को अपने बच्चों को पढ़ाना है तब आपके कर्मचारी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार विचार करती है अपने कर्मचारियों के लिये, लेकिन यहां की सरकार बिलकुल खयाल नहीं करती है, तो उनका यह असन्तोष बिलकुल ठीक है।

मेरी समझ में आ सकता है यदि आप साधन की बात उठावें कि कोई ऐसा सुझाव दिया जाय कि हमारे साधन कहां से बढ़ें, लेकिन इस बात से इन्कार कर देना कि नहीं--इस मांग के पीछे राजनीति है मैं समझता हूं बिलकुल गलत बात है। किसी राजनीति का प्रश्न नहीं है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय संकट में बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया, छोड़िये एक्सेप्शंस को, वह हर जगह हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया, वह फैक्टरी के वर्कर्स की तरह से न आन्दोलन कर सकते हैं, न स्ट्राइक कर सकते हैं, न जलूस निकाल सकते हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो सर्कुलर पार साल निकाला है उसके हिसाब से वे मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, जब यह सारे प्रतिबन्ध आपने उन पर लगा रखे हों, उसके बाद अगर वह आपके पास आते हैं और अपनी मांगें रखते हैं कि यह हमारे पेट का प्रश्न है, आप बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों ने सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया है, तब सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इन बातों पर विचार करती और उनकी समस्याओं को देखकर उनकी समस्याओं को हल करती। श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश के अन्दर हमारे कर्मचारियों में असन्तोष इस प्रकार का छा रहा है और यह खतरनाक बात है कि आप बड़े कर्मचारियों की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान कम रखा जाता है। बड़े कर्मचारियों को एयरकंडीशन गाड़ी में यात्रा करने के लिये इमरजेंसी के समय भी आप उनको टी० ए० देते हैं, बड़े कर्मचारी हवाई जहाज से जायंगे तो उसका खर्चा दिया जायगा। लेकिन मैं इस प्रदेश के अन्दर जानता हूं छोटे-छोटे कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं बहुत से विभागों में जिनको पहले साइकिल एलाउन्स दिया जाता था वह भी सरकार ने इमरजेन्सी के नाम पर बन्द कर दिया है। बहुत से कर्मचारी बसों से जाते हैं, लेकिन उनको थर्ड क्लास का किराया दिया जाता है और ८ या १० आना डी० ए० दिया जाता है जब कभी वह दौरे में जाते हैं। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे सरकार इनकार नहीं कर सकती। अब आप सोचें कि कैसे इतने कम पैसों में वह कर्मचारी अपना काम चला सकता है।

सरकार की प्रवृत्ति है कि छोटे और बड़े कर्मचारियों में जो गैप आलरेडी है उसको बढ़ाती जा रही है। जब कि उसको कम करना चाहिये। आज हालत यह है कि ज्यादा तनख्वाह पाने वाले को महंगाई-भत्ता ज्यादा मिलता है और कम तनख्वाह वाले को कम मिलता है। यह गैप बराबर बढ़ता जा रहा है जो समाजवादी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं चाहता हूं आज सरकार इन सारी बातों पर विचार करने के लिये वेतन बोर्ड का निर्माण करे। वह सुझाव देगा, उनको मानने या न मानने का अधिकार सरकार को सदा ही रहता है। लेकिन जो आवश्यकतायें हैं यह काफी है कि सरकार को इस बात को मानने में गुरेज नहीं करना चाहिये। १९४७ में जो पे कमीशन बैठा था उसके बाद अन्य प्रदेशों में दूसरे पे कमीशन बैठ चुके, केन्द्रीय सरकार ने भी बैठाया और उसकी सिफारिश लागू हुई। अब तो केन्द्रीय सरकार परमानेन्ट पे कमीशन बनाने पर विचार कर रही है जो बढ़ती हुई महंगाई के साथ तनख्वाहों को लिंक करने का सुझाव दे। १९४७ के पे कमीशन के बाद सरकार लगातार इस बात को ठुकरा रही है। मैं समझता हूं इससे असंतोष बढ़ेगा न कि हमारे भाषणों से। सरकार के रवैये से, बढ़ती हुई कीमतों से जीवन की जरूरत की ठोकरें खाकर असंतोष बढ़ेगा। इसका मौका सरकार को नहीं देना चाहिये।

सरकार एक बात पर गौर करे। सरकार का रवैया पूंजीवादी बन गया है। जैसे कैपिटलिस्ट अपने वर्कर के साथ व्यवहार करता है वही यह सरकार करती है। पी० डब्ल्यू० डी० कितना जरूरी विभाग है, तमाम प्रदेश में सड़कें बना रहा है, तिब्बत और चीन के बार्डर पर

कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन यहां कहा गया कि पूरब और पश्चिम में एक ही काम करने वाले कर्मचारी के वेतन में १० रुपये का अन्तर क्यों है ? सरकार जबाब देती है कि पूरब में मजदूर सस्ता मिलता ह और पश्चिम में महंगा मिलता है इस लिये यह भेद है। क्या यह पूंजीवादी रवैया नहीं है ? सरकार को इसको तत्काल बदलना चाहिये । दूसरे जो टेम्पोरेरी कर्मचारी हैं, २०, २५ साल से टेम्पोरेरी हैं जैसे पी० डब्ल्यू० डी० है, जिला स्तर के अधिकारी जब चाहें उनको निकाल देते हैं और फिर नयी कंडीशन्स लगाकर उनको रखते हैं। इससे काफी असंतोष बढ़ रहा है। अतः सरकार इसको पार्टी का प्रश्न न समझे और वेतन बोर्ड की स्थापना करे।

(श्री मुकन्दीलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव पर विवाद बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मुकन्दीलाल जी को बुला लिया है, उसके बाद आपका प्रस्ताव आया है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रस्ताव का संबंध है इससे ऐसा लगता है कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि कर्मचारी जिनका वेतन पर जीवन निर्भर है उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये, उसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारा खर्चा भी कम हो। वास्तव में सरकार का ध्येय यह है कि हमारे सारे प्रान्त के लोग सर्वसम्पन्न हो जायें। इसीलिये उसने बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे खोले हैं और नये-नये खोले जा रहे हैं। जो कर हमारे ऊपर लगता है उसका उपयोग जो लोग सरकार की नौकरी करते हैं उनको काफी वेतन मिले इस पर होता है। कल ही आपने सुना होगा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप स्पेशल पे क्यों देते हैं। पर वे यह नहीं जानते कि किसी-किसी स्थान पर स्पेशल पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं प्रान्त के उस भाग का रहने वाला हूं जहां पर सरकारी नौकरों को साग-भाजी आदि भी नहीं मिलती है। उनके लड़कों की पढ़ाई की भी सुव्यवस्था नहीं है। उनका एक प्रकार से देश निकाला होता है। जब उनको स्पेशल जगहों पर रहना पड़ता है और जब उनको जीवन की आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलतीं तो यह कहना कि उनको स्पेशल पे न दी जाय, उचित न होगा।

विषमताओं के संबंध में मेरा निवेदन है कि मेरे ही बार्डर एरिया में जो स्थानीय कुली हैं उनको ४५ रु० माहवार वेतन दिया जाता है। परन्तु जो बाहर से कुली लाये जाते हैं, जैसे गोरख-पुर आदि से उन्हें १२० रुपया तनख्वाह दी जाती है। मैं यह नहीं चाहता कि उनकी तनख्वाह कम की जाय। परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को वेतन, जो सरकारी नौकरी करता है, कम से कम १०० रु० कर दिया जाय। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जिनको आप ज्यादा देते हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय। यह बात जरूरी है कि जिनकी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हैं वे किसी हद तक कम की जायं। जिनकी तनख्वाहें सदन के द्वारा मुकर्रर होती हैं उनकी तनख्वाह कम करना तो हमारे हाथ में है, परन्तु जो हमारे अधीन नहीं हैं उनकी तनख्वाह हम कम नहीं कर सकते। हमने मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाहें कम कीं। तो हमें मिनिमम वेवेज के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको कम से कम कितनी मिलनी चाहिए और मैक्सीमम वेतन कितना मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि काम के घंटे निर्धारित कर दिए जायं और घंटे कम कर दिये जायें। यह भी कहा जाता है कि अगर काम के घंटे कम करके सरकारी कर्मचारियों को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी दृष्टि केवल सरकारी कर्मचारियों की ओर ही है और जो काश्तकार हैं उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है। काश्तकार की परिस्थिति दूसरी है और सरकारी नौकर की दूसरी है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को काफी वेतन दे रही है या नहीं यह देखते हुए कि जीवन

[श्री मकन्दीलाल बैरिस्टर]

के जितने साधन हैं उनकी कीमत १० गुना बढ़ गयी है। रुपये की कीमत आज १० गुना कम हो गयी है। मिडिल क्लास की तनख्वाह तो आज उतनी ही है लेकिन खर्चे उसके बढ़ गये हैं। उनका रहन सहन का स्तर अवश्य ऊंचा होना चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि जीवन के जो साधन हैं वे उनको सस्ते उपलब्ध होने चाहिये, उनको आराम की सब चीजें मुहइया होनी चाहिये। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि इस देश के वासियों में हर एक का जीवन स्तर ऊंचा किया जाय। लेकिन प्रस्ताव जिस प्रकार पेश किया गया है वह अनावश्यक है। यह अवश्य है कि अपोजीशन के लोगों ने जैसा कि उनका रवैया रहा है कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ कहना, वह कह चुके। यह प्रस्ताव क्या कहता है? "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे।" एक तो यह हमारे हाथ की बात नहीं है जब तक सेंट्रल गवर्नमेन्ट इस बात की मंजूरी न दे दे कि फलां पद के लिये यह वेतन होगा और फलां पद के लिये यह वेतन होगा। इस प्रस्ताव में यह है कि "जो वस्तुओं के मूल्य वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देखकर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।" इसक मानी यह हैं कि जैसे-जैसे किसी चीज की कीमत बढ़े या घटे उसके लिए एक कमेटी बैठा दी जाय जो रिपोर्ट तैयार करे। और जब फिर कीमत बढ़ जाय तो दूसरी कमेटी बैठ जाय। नतीजा क्या होगा? खर्चा ही इससे ज्यादा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि रिपोर्ट्स का हश्र क्या होता है? लेकिन अपोजीशन वालों का यह भी जो तर्क है कि ऊपर वालों को नीचे लाया जाय और नीचे वालों को ऊपर उठाया जाय कतई असंगत है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि नीचे वालों को ऊपर उठाया जाय। लेकिन बड़ी तनख्वाहों को नीचे लाया जाय यह गलत है क्योंकि अब मिनिस्टरों की तनख्वाहें काफी कम कर दी गयी हैं और इस राज्य के सरकारी नौकरों का वेतन काफी कमी पर आ गया है। और आगे व्यय करने की गुंजायश नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सरकार से जो यह प्रस्ताव पेश हुआ है वेतन आयोग का इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। इस सरकार का उद्देश्य है समाजवादी समाज की रचना, लेकिन अखबारों में मैंने देखा कि अब यह डमोक्रटिक सोशलिज्म अपना गोल बनाने वाली है और जब मैं उधर के लोगों के भाषण सुनने लगा तो अपने को यह समझने में असमर्थ पाया कि कौन सा सोशलिज्म आयेगा जो उधर के लोग लाना चाहते हैं। क्या आप वह सोशलिज्म चाहते हैं जिसमें अमीर और अमीर होता जाय और गरीब ज्यादा गरीब होता जाय या आप वह सोशलिज्म लाना चाहते हैं कि टीले को काटो और खाई को पाटो? आप क्या चाहते हैं? लेकिन यह सरकार तो बड़े विचित्र प्रकार की है। शब्द आडम्बर इसके पास अधिक हैं और दरअसल यह पूंजीपतियों की चेरी सरकार है। यह सरकार कभी भी कोई क्रान्तिकारी कदम उठाने में असफल रही है और न उठाने का साहस कर सकती है। इस प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता है और उस क्रान्ति की पृष्ठभूमि में किसी भी समाजवादी दल को, किसी भी समाजवादी विचारक को अपना पाट अदा करना चाहिये। जैसा अभी माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, यह सरकार एक दिन मरे प्रश्न का उत्तर दे रही थी तो कहा कि ६ फीसदी इजाफा मोटर के किराये में इसलिये कर दिया कि सामान महंग हो गये। ो साल पहले का एक पी० डब्ल्यू० डी० का एस्टीमेट था उसके बारे में सरकार ने कहा कि इजाफा इसलिये हुआ कि सामान महंगा हो गया। कोई २५ परसेंट से ज्यादा वह एस्टीमेट बढ़ गया था। तो यह सरकार कबूल करती है किराया वसूल करने में, एस्टीमेट बनाने में कि चीजें महंगी हो गयी हैं लेकिन उसी अनुपात से अगर उस मोटर चलाने वाले ड्राइवर, क्लीनर, या कंडक्टर के लिये कहा जाता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, उसकी महंगाई के स्तर को देख कर एक वेतन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोग की स्थापना कर दो तो इस सरकार को बड़ी परेशानी मालूम होने लगती है और फिर कुछ दूसरी दुहाई शुरू हो जाती है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० में मजदूरों में, मेटों और वर्क चार्ज के स्टाफ में कई तरह के वेजेज बना रखे हैं और सरकार जबाब देती है कि मार्केट वैल्यू के लिहाज से मजदूरी तय की जाती है। पूर्वी जिलें में मजदूर सस्ता मिलता है, पश्चिमी जिलों में महंगा मिलता है और बीच के जिलों में मध्यम श्रेणी का मिलता है, इस लिहाज से सरकार मजदूरी तय करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार पूंजीवादी दृष्टिकोण को छोड़े और इस समाज में आपको सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को दूर करना पड़ेगा।

श्रीमन्, उधर से एक माननीय सदस्य का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि इधर के लोग अपनी बात कहते हुए किसान की आर्थिक स्थिति को ओझल कर जाते हैं। लेकिन बात इसकी उल्टी होती है। आप खेती की पैदावार की कीमत तय करने में उनकी आर्थिक स्थिति को ज्यादा ओझल कर जाते हैं। अभी प्रदेशीय सरकार ने गुड़ के मूवमेन्ट के ऊपर इसीलिये प्रतिबन्ध लगाया है जिससे यह सस्ता बिके और जब गेहूं तथा जौ पैदा होगा तब बड़े-बड़े आढ़तवालों से मिलकर यह सरकार उनको छूट दे देती है कि जिस भाव पर चाहो गरीब किसानों का गल्ला खरीदो और जिस भाव पर चाहो उस पर दूसरे कंज्यूमर्स के हाथ बेचो। मैं चाहूंगा कि आप वेतन आयोग बनाएं और कीमतों की असमानता के साथ-साथ कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी समानता लाई जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सामाजिक हालत क्या है? शिक्षा को ले लीजिये। आज एक तरफ तो मसूरी वगैरह के नरसरी और प्राइमरी स्कूलों में एक बच्चे के ऊपर ३००-४०० रुपये प्रतिमास खर्च किये जाते हैं और दूसरी ओर गरीब किसानों, मजदूरों और चपरासियों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के ऊपर ३ रुपये महीने से ज्यादा खर्च नहीं किये जाते। अब आप ही बताइये कि इन गरीब बच्चों का बालक उस बच्चे का मुकाबला कैसे कर सकता है, भगई लपेटने वाला कैसे कर सकता है? इस प्रकार आर्थिक विषमता पैदा करने का जो कदम उठाया जा रहा है यह उचित नही है। मैंने यह बात इसलिये कही कि यह सुविधा बड़ी तनख्वाह पाने वालों को प्राप्त है और छोटों को नहीं है।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के अन्तर के संबंध में माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने काफी कह दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों में और लोकल सेल्फ के कर्मचारियों में तथा हाई स्कूल के बाद रेलवे में जाने पर उसकी तनख्वाह कितनी होगी और प्रदेशीय नौकरी में आने पर कितनी होगी इसको भी देखा जाय। राष्ट्रीयकरण के बारे में एक सदस्य ने कहा कि अफसरशाही बढ़ेगी। ठीक है अफसरशाही का रवैया बढ़ाने में यह सरकार ज्यादा मदद करती है या इधर के बैठने वाले लोग? ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाने का और खास तौर पर डिक्टेटोरियल ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाने का जो बड़े-बड़े अफसरों का हुक्मनामा हो जाता है जिसकी तहत में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी बैठक नहीं कर सकता, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये इकट्ठा भी नहीं हो सकते, केन्द्रीय सरकार की बहुत सी यूनियनों पर इस तरह का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि बाहर के लोग यूनियन में रखे जायेंगे तो उस यूनियन का रेकमेंडेशन छीन लिया जायगा, यह किस बात का द्योतक है? अगर क्लेक्टिव बारगेनिंग की ताकत इन कर्मचारियों में रहने दें, यह ताकत रहने दें कि वह अपनी बात सुना सकें, क्योंकि यह सरकार अंधी और बहरी दोनों है, इसको सुनाई कम देता है, जब जरा धक्का लगे। दिखायी तब देता है जब इसके गिरने की नौबत आ जाय, ऐसी हालत में सरकारी कर्मचारी, जिनकी जबान इस सरकार ने बन्द कर रखी है मेरा खयाल है कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक भी इस सरकार ने कुछ गड़बड़ पैदा किया है।

आखिर वेतन आयोग की स्थापना से उनका नुकसान क्या है? वेतन आयोग की स्थापना इसलिये की जा रही है कि ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती जाय उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिये, महंगाई का भत्ता मिलना चाहिये। इसमें कौन सी आपत्ति है?

[श्री कल्पनाथसिंह]

बात कही जाती है रिसोर्सेज की। उसके लिये जब हम कहते हैं चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये, बड़े-बड़े मुनाफाखोरों की आमदनी कम कीजिय, आमदनियों को १ और १० के अनुपात में बांधिए तो यह सरकार कहती ह कि हमारा काम चलन वाला नहीं है। दरोगा जी का घोड़ा ४५ रुपये का दाना खायगा और चौकीदार केवल पांच रुपया महीना पायेगा। एस० ी० या डी० आई० जी० तथा कांस्टेबिलों के वेतन में कितना अन्तर ह ? लेखपाल कितना तन पाता है और चीफ सेक्रेटरी ३,५०० रुपये तथा स्पेशल पे पाता ह, और दूसरे अफसर स्पशल पाते हैं, उनके वेतन को देखिये। तो अच्छा हो कि इस समाजवादी समाज के ढोंग को छोड़ दीजिये, टाटा, बिड़ला की सलाह से चलिए और कहिए कि यह पूंजीवादी सरकार ह।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुझे विचार व्यक्त करने के लिये आपने समय दिया। जो प्रस्ताव आज इस सदन क सम्मुख उपस्थित है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करन के लिय खड़ा हुआ हूं। मैं उन लोगों की राय से सहमत नहीं हूं जिन लोगों ने इस प्रस्ताव को असामयिक कहा है। एक ही तर्क मैं दता हूं उनके लिय जो इस प्रस्ताव को असामयिक कह रह हैं। कन्द्रीय सरकार और इस दश की करीब-करीब सभी राज्यों की सरकारें इस दूसर वेतन आयोग का निर्माण कर चुकीं, तब यह कहना कुछ बुद्धि के परे मालूम हुआ जो इसको असामयिक कह रहे थे। जो असामयिक कहा गया इस प्रस्ताव को, मेरा कहना यह है कि यह प्रस्ताव देर में पेश हुआ। यह और बहुत पहले पेश होना चाहिये था। मैं इस प्रस्ताव को कवल कुछ सरकारी कर्मचारियों के हित का प्रस्ताव है, ऐसा नहीं मानता हूं, मैं इसको सरकार के लिये जहां आवश्यक मानता हूं वहां इस वेतन आयोग का गठन करना सरकार के हित में भी ह। इसलिये सरकार के हित में ह कि सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाती चली जा रही है। अभी कल परसों हमारे विद्युत् मंत्री जी न कई कम्पनियों क राष्ट्रीयकरण का एलान इस हाउस में किया। तो जब आप राष्ट्रीयकरण करते चले जायेंगे और छोटे कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों क वेतन के संबंध में, उनके जुगाड़े के संबंध में, या उनकी जीवन की कठिनाइयों के संबंध में, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी दवादारू, इन सब बातों के संबंध में अगर आप विचार नहीं करेंगे तो राष्ट्रीयकरण की पालिसी फेल हो जायगी और इससे प्रदेश की जो तरक्की होने को थी वह अवनति को चली जायगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को सरकार के हित में मानता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे ूसरे राज्यों ने इस कमीशन का निर्माण किया है वैसे ही यह सरकार भी शीघ्र ही बल्कि आज ही एक एलान करेगी कि वह भी यह कमीशन तुरंत बैठाएगी।

एक बात से मैं जरूर सहमत हूं उन लोगों से कि केवल सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त समाज में और दूसरे वर्ग भी हैं किसान वगैरह जिनका आर्थिक स्तर बहुत नीचे है, जो बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यह कमीशन उन लोगों की भी जांच कर तो यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और उपयोगी होगा। यह प्रस्ताव जो आज आया है, इसलिय और जरूरी हो गया कि छोटे कर्मचारियों के वेतन के संबंध में केवल महंगाई का ही प्रश्न नहीं है बल्कि अभी समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा कि सरकार चीनी का वितरण वेतन के आधार पर करेगी। चीनी उन लोगों को जो कम वतन पाते हैं थोड़ी मिलेगी और जो ज्यादा वतन पाते है उनको ज्यादा मिलेगी। बच्चे कितने हैं, परिवार कितना है, इनकी कोई गणना नहीं की जायगी। सिर्फ वेतन के आधार पर जीवनयापन की सामग्री का वह वितरण करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार ने किस तरह इस दृष्टिकोण को उचित समझा। कल को कहीं अन्न का भी नियंत्रण करना पड़े और वह भी आप वेतन के आधार पर कर दें तो समझ में नहीं आता कि ये छोटे कर्मचारी जो काम करने वाले लोग हैं वह किस तरीके से राष्ट्र का काम कर सकेंगे। हम तो मांग यह करते थे और बराबर समाजवाद का लक्ष्य यह रहा है, सरकार भी रोज घोषणा

करती है कि शिक्षा सबको समान मिलनी चाहिये, दवादारू सबको समान मिलनी चाहिए, तो वह चीज तो नहीं हो पायी। लेकिन और चीजें जो अब तक मिलती थीं उन पर भी चीनी का जैसा मैंने उदाहरण दिया, यह और नये सिरे से नियंत्रण इस प्रकार करने जा रहे हैं। यह तो सरकार अपनी उस समाजवाद की धारणा से पीछे जा रही है। तर्क यह दिया गया कि छोटे लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं कई दफा कह चुका हूं कि चोरबाजारी या भ्रष्टाचार या जिसको रिश्वतखोरी कहा जाता है वह बड़ी जगहों पर कहीं ज्यादा है छोटी जगहों के मुकाबिले में, चाहे जहां आप सकी जांच कर ल। सीमन्ट, चीनी या और जो ऐसी चीजें हैं उनका स्टाक कहीं दूसरी जगह भरा पड़ा है जहां सरकार हाथ नहीं लगाती, उनको चेक नहीं करती और इन बेचारों को वेतन के आधार पर चीनी मिलेगी क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। एक कहावत है, गधे से पार न पाय, गदहिया के कान उमेठे, वही हाल इस सरकार का है। जो बड़े-बड़े चोर, ब्लक मार्केट करने वाले हैं उनकी सख्ती के साथ जांच नहीं करेगी और छोटे-छोटे लोगों को चीनी वेतन के आधार पर देगी, यह चीज कुछ समझ में नहीं आती। मैं बहुत अदब के साथ वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में और केन्द्रीय सरकार ने यह कदम उठाया है। हमारा प्रदेश वैसे ही बहुत बातों में पिछड़ा हुआ है। मैं इस वेतन आयोग की मांग को समय से बहुत बाद की मांग कह चुका हूं। यह बहुत पहले आनी चाहिये थी। सलिये आज समय को दखते हुए आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर और जो यह छोटी सी मांग कर्मचारियों की है उसको पूरा करने में समर्थ हों।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वेतन आयोग नियुक्त किये जाने वाले संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं .....

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि २१ अक्तूबर को माननीय अध्यक्ष ने जब विवाद चला था तब यह बताया था कि सभी मेम्बरों को नई ओथ लेनी चाहिये ....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आप जो यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं वह स्पीच के बीच में नहीं उठ सकता।

श्री बालोजी अग्रवाल—

दूसरे महायुद्ध के पश्चात् जब देश के अन्दर महंगाई बहुत बढ़ गई तो प्रदेश की सरकार ने १९४६ में प्रथम वेतन आयोग नियुक्त किया। उस वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्येक १० वर्ष के पश्चात् समय और आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की दशा पर विचार किया जाना चाहिये। उस कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि इस समय हम एडहाक बेसिस पर पे स्केल निश्चित कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये समय की आवश्यकता है जिसके ऊपर पुन: विचार किया जायगा। आज १६ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन दूसरा वेतन आयोग की मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मान्यवर, जिस समय प्रथम वेतन आयोग की स्थापना की गई थी उस समय लिविंग इंडेक्स जो था उसमें और आज कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में भारी अन्तर है। उस समय लिविंग इंडेक्स २१० प्वाइंट था और आज का लिविंग इंडेक्स ५४० प्वाइंट है, जिसमें ३३० प्वाइंट का अन्तर आज महंगाई में हो गया है, फिर भी हमारी प्रान्तीय सरकार अपनी कुछ मजबूरी बताकर कुछ कठिनाइयां बताकर इस मांग को दबा देना चाहती है। यद्यपि इसके विपरीत आई० ए० एस०, पी० सी० एस० और बड़े कर्मचारियों का वेतन वह बढ़ाती चली जा रही है। मान्यवर, पिछले वर्ष हमने इस मांग को उठाया था कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन वही कर देना चाहिये जो कि केन्द्रीय सरकार के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

कर्मचारियों का है तो उस समय सरकारी बेंचों की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि यदि समानता पर यहां के लोगों का वेतन कर दिया जाय तो ९ करोड़ रुपये की हमको इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मान्यवर, जो माननीय नवलकिशोर की अध्यक्षता में इकोनामी कमेटी बनायी गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है और यह सिफारिश की है कि यदि उसके अनुसार प्रदेश में इकोनामी की जाय तो लगभग १३ करोड़ रुपये की बचत होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर यदि सरकार उसको माने तो १३ करोड़ रुपये की बचत होगी। यदि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कर दिया जाय तो उसमें ९ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ५ करोड़ रुपया फिर भी हमारे पास रह जायगा, लेकिन उस सिफारिश को न मानते हुये इस सरकार का इस बात को कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमारी दिक्कत है, तो इस मांग को अपनी ओर से हटा देने वाली और भुला देने वाली या दूसरे शब्दों में उस मांग को ठुकरा देने वाली बात है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर ४५० कैटेगरीज कर्मचारियों की हैं जब कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कैटेगरीज केवल ३६ हैं। इन ४५० कैटेगरीज के कर्मचारियों में पिछले दो वर्षों में हमारी सरकार २०० कैटेगरीज के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर चुकी है। उनमें फूड ऐन्ड सिविल सप्लाई है जिसका वेतन २५० से ६५० रु० था जिसको बढ़ाकर अब २५० से ८५० रु० किया गया है। पी० सी० एस० के कर्मचारियों का वेतन जो पहले ३०० से ८५० रु० था उसको बढ़ाकर अब ८५० से १,२५० रु० कर दिया गया है। मान्यवर, आई० सी० एस० और आई० एस० पी० के कैडर के वेतन में जो बढ़ोतरी की गयी है वह पिछले दो साल से उनको दी गयी है।

मैं तो मान्यवर, यह समझता हूं कि जिस प्रकार से यह सरकार एक ओर पूंजीपतियों की सरकार है, उनको बढ़ावा देना चाहती है उसी प्रकार यह सरकार बड़े-बड़े अफसरों और अधिकारियों को जो वास्तव में शासन चला रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहती है और उनके वेतन को भी बढ़ाना चाहती है। यह सरकार उन्हीं के हाथों में खेल भी रही है। जो निम्न श्रेणी के, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके वेतन को यह नहीं बढ़ाना चाहती। आप इस बात पर ध्यान दीजिये कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 'ए' क्लास सिटी में रहते हैं उनको २० रुपया अधिक महंगाई-भत्ता मिलता है और जो, 'बी' क्लास सिटी में रहते हैं उनको १३ रुपया अधिक मिलता है, लेकिन प्रान्तीय सरकार का कर्मचारी अगर उन्हीं शहरों में रहता है तो उसको कोई स्पेशल महंगाई-भत्ता नहीं दिया जाता। इस विषमता का क्या कारण है ? क्या प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कहीं सस्ता अनाज पा जाते हैं या उनको कहीं से सस्ती चीजें मिल जाती हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो एक ही शहर में रहने वाले, एक ही काम के करने वाले व्यक्तियों को दो प्रकार का वेतन देने का क्या कारण है और यह विषमता क्यों है ? मान्यवर, आप विचार कीजिये कि इसी चारबाग स्टेशन पर जो झाड़ू लगाने वाला भंगी है उसे ९५ रुपये वेतन के मिलते हैं और उसी के बराबर सड़क पर झाड़ू लगाने वाले भंगी को ५५ रुपये मिलते हैं। यह समाजवादी समाज का नारा लगाने वाली सरकार की विषमता समझ में नहीं आती। प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी को, क्लर्क को केन्द्रीय सरकार के क्लर्क से कम वेतन मिलता है जब कि किसी कर्मचारी को कार्य करने के लिये आवश्यक है कि उसका मस्तिष्क शान्त हो, उसे घर की परेशानी न हो ताकि वह शान्त चित्त से अपना काम कर सके। उसे हर समय अपने घर की चिन्ता लगी रहती है। मेरा अनुभव है, श्रीमन्, कि ८० फीसदी कर्मचारी कर्ज के बोझ से लदे हुये हैं और उन्हें इसकी चिन्ता रहती है। वे कर्ज से उऋण नहीं हो पाते। तो इस वेतन आयोग की मांग सरकार को स्वीकार करनी चाहिये और जब तक उसकी सिफारिशें आयें उस समय तक कम से कम ३० रुपया मासिक अंतरिम भत्ता अपने कर्मचारियों को उसे देना चाहिये। ऐसा भी नहीं है कि इस इमरजेन्सी के समय में अन्य प्रान्तीय सरकारों ने वेतन आयोग न बिठाये हों। बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, मैसूर, केरल, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र आदि ने वेतन आयोग बैठाये हैं और उनकी सिफारिशों

को लागू किया है। हम देखें कि जिस अध्यापक को हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं उसे क्या वेतन दिया जाता है और उसकी सीमायें क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं। उन सबको देखते हुये उसके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिये और इसे हमारे केन्द्र के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया है और हमारे अन्य मंत्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कम से कम इस महंगाई को देखते हुये जीवन यापन के लिये एक परिवार की तनख्वाह १२५ रुपये माहवार होनी चाहिये। मान्यवर, मैं इस सदन से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस वेतन आयोग की मांग को स्वीकार करे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

आपने प्रेमसिंह जी को समय दिया, लेकिन हमको नहीं दिया। हम इस पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

काशीनाथ जी, अब आप क्या कहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम तो कहते हैं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सदस्यों का जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और उनका आभारी हूं जिन्होंने इस मत से अपनी सहमति प्रकट की है कि वह एक आयोग की स्थापना तो चाहते हैं परन्तु उनकी राय में एक स्थायी आयोग की इस समय आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम है। एक तो यह कि आयोग की स्थापना होगी तो खर्चा होगा। वह नित्यप्रति विचार करता रहेगा और साथ-साथ उन सुझावों पर सरकार विचार करती चलेगी। खर्चा तो क्रमशः होगा। एक बार तो अवश्य होगा जब वह स्थापित होगा, उसके बाद क्रमशः होगा। यह भी भ्रम है कि सरकारी पक्ष का ध्यान नहीं किया जायगा, क्योंकि जितने आयोग बने हैं उन्होंने निरन्तर सरकारी पक्ष का ध्यान किया है। इसलिये उनकी यह शंका एक दम निर्मूल है कि इस आयोग की स्थापना होने पर गरीब पर टैक्स लगेगा या वह कृश हो जायेगा। सदन के दोनों पक्षों की करीब-करीब यह निश्चित राय है कि विषमता कम की जानी चाहिये और इस प्रकार से प्रायः सभी इस प्रस्ताव के उद्देश्य से सहमत हैं कि आय में विषमता कम हो और अधिक मत यह है कि कम से कम सौ या सवा सौ रुपये आय होनी चाहिये और ऊपर की जो धनराशि है उसको कम करके नीचे की ओर लाया जाय।

जिन लोगों ने यह शंका व्यक्त की है, केवल इतना ही कहा कि इससे टैक्स बढ़ेंगे और गरीब जनता पर ही बढ़ेंगे। यह तो सरकारी पक्ष के सदस्यों के सोचने की बात है कि वह ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं जो गरीबों पर ही टैक्स लगाते हैं, इस दोष को विरोधी पक्ष वाले नहीं सुधार सकते। साधन के अनेक स्रोत हैं, हम तो हमेशा विरोध करते हैं इस बात का कि गरीबों पर टैक्स लगाया जाय। हमारा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों पर टैक्स लगना चाहिये जो बड़े-बड़े हैं और देने योग्य हैं। माननीय कृष्णानन्द और अन्य सरकारी पक्ष के सदस्यों को चाहिये कि यदि ऐसे टैक्स लगें तो अपनी पार्टी के अन्दर बैठ कर उनका विरोध करें जो कि गरीबों पर लगते हैं। उस से बचत होगी और आय के साधन भी अच्छे खुल जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मेश्वरप्रसाद]

मैंने जब इस प्रश्न को उपस्थित किया था तो एक बात यह भी कही थी जो इस प्रश्न से सीधे सम्बन्धित नहीं है कि १०–१२ वर्ष से काम करने वाले कर्मचारी भी स्थायी नहीं हुये हैं और उसके लिये बड़ा असंतोष है और उस प्रश्न को भी इस आयोग के सामने रखा जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर के लोग तो अस्थायी आयोग के पक्ष में हैं, उधर के सदस्यों ने, कुछ लोगों ने जैसे माननीय मूलचन्द शास्त्री ने कहा कि ऐसा आयोग हो जो सब को कवर करे। तो मेरे प्रस्ताव के सिद्धान्त में यह बात है जैसा कि विकल जी ने कहा कि बिजली कम्पनी का भी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और अन्य उद्योगों में भी प्रवेश कर रहे हैं।

तो सरकार की जो नीति है वेतन सम्बन्धी, उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव के दायरे को और बढ़ा दे, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। किन्तु इस प्रस्ताव की आवश्यकता को सब ने अनुभव किया है। एक मीटिंग में कुछ असरकारी लोगों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न उठा। मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। वहां के कर्मचारी को, चपरासी को २२ रुपया और क्लर्क को ४० रुपये के करीब मिलते हैं। लेकिन जब उन्होंने यह विचार किया कि सरकारी कर्मचारी को भी जब यही वेतन मिलता है तो उनका वेतन कैसे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से उद्योगों में जो कर्मचारी काम करते हैं उन से भी यही कहा जाता है कि एक सरकारी आदमी जब इतना पाता है तो हम तो उस से ज्यादा ही दे रहे हैं। इसलिये आज जरूरत है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये तुरन्त इस बात की आवश्यकता है कि एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २–४ बातें मैं और कहना चाहता हूं। सरकार को कुछ सुविधायें तत्काल इन कर्मचारियों को देना चाहिये। पहले सरकारी कर्मचारियों को जो मेडिकल सुविधायें मिली हुयी थीं, वह भी बन्द कर दी गयीं। पहले चिकित्सा व्यय का री-इम्बर्समेंट हो जाया करता था, अब उसे बन्द कर उसमें परिवर्तन कर दिया गया। दूसरे मकानों की भी कोई सुविधा इनको नहीं मिलती। निम्न वेतन कर्मचारियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ मांगें जो स्वीकार भी कर ली गयीं थीं, जैसे अध्यापकों को चिकित्सा सम्बन्धी, उसका भी प्रबन्ध नहीं किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

यह कहा गया कि यह रुपया कहां से आयेगा। श्रीमन्, ५ करोड़ रुपये की तो बचत सरकारी खर्च में कमी करके की जा सकती है। इस तरह से और भी बचत के रास्ते निकल सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि सरकारी कर्मचारियों में जो असंतोष व्याप्त है वह दूर हो सके और प्रदेश का भला हो सके।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उपाध्यक्ष जी, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी भावना के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। कभी-कभी ऐसा अवसर होता है और परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि बहुत-सी बातों को आप समझते हैं कि वे होनी चाहिये, मगर उनके प्रति सहानुभूति रखते हुये भी आप कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के होते हुये उनको नहीं कर पाते और फिर उसमें तर्क भी कुछ काम नहीं करते। जो भी तर्क इधर से और उधर से प्रस्तुत किये गये, उनको थोड़ी देर के लिये अगर हम स्वीकार भी कर लें, और यदि वे तथ्यपूर्ण उचित तर्क भी हों, तो भी हमारी कठिनाई हो ही जाती है। यदि व्यवहारतः उसका स्वीकार करना संभव न हुआ, अथवा उसका कार्यान्वयन सम्भव न हुआ, तो फिर उस से सहानुभूति भले ही हो, उसका स्वीकार करना कठिन हो जाता है।

वैसे तो टम्बेश्वरप्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह भी गोलमोल है। उससे कुछ भ्रांति भी दोनों तरफ के लोगों को हुई और वे समझे कि इस प्रस्ताव का केवल अर्थ यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में किसी पे कमीशन की नियुक्ति हो, क्योंकि जब इधर से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो टम्बेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसका मतलब केवल सरकारी कर्मचारियों से ही हो। उधर से भी एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को लेकर यह कहा कि, एक स्थायी कमीशन बनाया जाय जो बराबर कीमतों पर, सामाजिक परिस्थितियों पर और लोगों की आमदनी और उत्पादन का हिसाब रखे, प्राइस इंडेक्स की तरह से और उसकी बुनियाद पर सरकार को रिपोर्ट करता रहे कि फलां नौकरी का फलां वेतन होना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि उनके प्रस्ताव का मतलब ये कमीशन न हो कर एक वेज बोर्ड कायम करने का है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया कभी-कभी वेज बोर्ड कायम करती है जो किसी विशेष व्यवसाय की आमदनी और खर्चे को देखकर, उसके मुनाफे और नुकसान को देखकर लोगों को क्या वेतन मिलना चाहिये, इसका फैसला करता है। ऐसा विभिन्न व्यवसायों के लिये कायम किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों के लिये भी और विभिन्न इंडस्ट्रियल लेबर के लिये। एक वेज बोर्ड जर्नलिस्टों के लिये भी कायम किया गया था। वह सब बातें देखकर एक वेतन-क्रम निर्धारित करता है। अब एक तो वेज बोर्ड स्थायी नहीं होता और दूसरे यह व्यवसाय विशेष के लिये कायम किया जाता है। इस प्रकार के दर्जनों वेज बोर्ड आपको बनाने होंगे, देहात के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये भी एक कायम करना होगा, सरकारी और गैर सरकारी उद्योग-धंधों के लिये भी कायम करना होगा। वह उनके वेतन-क्रम निर्धारित करेगा। अब जिस व्यवसाय विशेष के लिये वह वेतन-क्रम निर्धारित करेगा वह उसके फायदे-नुकसान को देखेगा तब करेगा। अब ऐसे असंख्य व्यवसाय इस सूबे में हैं उन सबके कर्मचारियों के लिये वेतन निर्धारित करने होंगे। ऐसा एक स्थायी बोर्ड बनाया जाय जो इस तरह की समीक्षा करता रहे, मेरा विचार है माननीय प्रस्तावक महोदय की यह मंशा न होगी और यह सम्भव भी न होगा। अगर वे ऐसा ही करना चाहते हों तो यह इतना बड़ा सवाल है कि हम उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने छोटे-छोटे व्यवसायों के लिये ऐसा किया है और उसकी किन्हीं संस्तुतियों को स्वीकार भी किया है, लेकिन यहां ऐसे वेज बोर्ड की स्थापना सम्भव भी नहीं है और उससे कोई अर्थ भी नहीं निकलता सिवा इसके कि एक लम्बा-चौड़ा खर्चा बांध लिया जाय, एक परमानेन्ट खर्चा और जब वह रिपोर्ट दे तो स्थिति बदल चुकी हो। अतः वह स्वीकार करने योग्य नहीं। अगर यह अर्थ है तो मैं समझता हूं कि स्वयं प्रस्तावक महोदय सोचेंगे कि वह एक अव्यावहारिक बात है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

प्रांविंशियल गवर्नमेंट इम्पलाइज के लिये ही पे कमीशन बना दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इससे यूसुफ साहब का एक मतलब है और प्रस्तावक महोदय का दूसरा मतलब है। जैसा कि कहा गया है, आपके प्रस्ताव में कोई चीज स्पष्ट नहीं है। जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें है कि एक सामान्य स्थायी वेतन आयोग की स्थापना हो जाय। किसका वेतन निर्धारित करे, यह नहीं लिखा है। उसमें है कि सामाजिक परिस्थितियों तथा अन्य विषयों में सामंजस्य स्थापित करते हुये वह वेतन-क्रम के सम्बन्ध में रिपोर्ट देता रहे। अब किसका वेतन क्या हो, किससे सामाजिक सामंजस्य की स्थापना हो, किस तरह से किसके लिये आयोग क्या काम करे, इन विषयों का उस प्रस्ताव में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब एक राय यह है कि प्रांविंशियल गवर्नमेंट इम्पलाईज के लिये वेतन आयोग की स्थापना हो जाय। यह राय ऐसी है जिसको मानना मुमकिन हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग हो। उनकी यह मंशा मानी भी जा सकती है। उनके प्रस्ताव को अगर हम यह मान कर चलें कि यह पे कमीशन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सरकारी कर्मचारियों के लिये बने तो इसमें संदेह नहीं कि वह एक ऐसी बात है जो व्यावहारिक हो सकती है और सहानुभूति के लायक है। इसको माना भी जा सकता है। परन्तु उसमें हमारी कुछ दिक्कतें और कठिनाइयां हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में स्वयं ही हम विचार कर रहे हैं कि कौन-सा कदम उठाया जावे। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं, उनको परेशानियां हैं, इसको हम जानते हैं। इतना ही नहीं, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अपने कर्मचारियों से, सहयोगियों से और अधिकारियों से उनको असंतुष्ट रख कर काम ले सके और यह मानी हुई बात है कि उनकी कार्यक्षमता के लिये, ईमानदारी के साथ और निश्चित रूप से वे काम कर सकें इसके लिये और इसलिये कि वे सफलतापूर्वक और दृढ़ता के साथ काम कर सकें, यह आवश्यक होता है कि उन्हें अपने परिवार के लिये यथासंभव रोटी कपड़े तथा अन्य खर्चे की चिन्ता के झगड़े से मुक्त रखा जाय। इसीलिये सारे देश में सरकारी कर्मचारियों की आय जो होती है वह प्रदेश के आम लोगों से बहुत अधिक होती है। तो यह एक स्थिति हो सकती है जिस पर हम बहस कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि चाहे हमने पे कमीशन कायम किया हो या न किया हो, लेकिन सन् ४६ के बाद से अब तक के बीच में बराबर वेतनक्रमों का रिवीजन होता रहा है, स्केल भी बदलते रहे हैं और ग्रेड्स भी बनते रहे हैं, डियरनेस एलाउंस में भी इजाफा होता रहा है। आप इस बात को देखें कि सन् ४६ में डी० ए० जहां शायद ५ रुपये था वहां आज वह बढ़ते-बढ़ते ३३ रुपये हो चुका है, जहां पहले वेतन क्रम २२ या २५ रुपये रहा है वहां वह बढ़ कर आज ६६ रुपये हो चुका है। तो इस तरह से महंगाई बढ़ती गयी है और वेतनक्रम का रिवीजन हम करते गये हैं। आज अगर पे कमीशन कायम करें तो इस पर आपको व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना होगा। यह तर्क उपस्थित करना कि खर्च आज नहीं कल बढ़ेगा, कल तो खर्च बढ़ेगा ही, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

एक बात और देखने की है कि खर्च के साथ-साथ आमदनी नहीं बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में एक तर्क माननीय बलवन्तसिंह की तरफ से दिया गया कि समाजवाद की रूपरेखा क्या होगी? लेकिन मुश्किल तो यह है कि आपके समाजवाद की रूपरेखा दूसरी है, उग्रसेन जी की समाजवादी रूपरेखा दूसरी है। डाक्टर लोहिया की समाजवादी रूपरेखा दूसरी है, बाबू राजनारायणसिंह की समाजवादी रूपरेखा कुछ दूसरी ही है, तो आखिर कौन से समाजवाद की रूपरेखा आपके सामने है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि नेहरू जी का भी एक समाजवाद है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

नेहरू जी के समाजवाद की व्याख्या जयपुर में होने वाली है, उस पर भी उनको एतराज था। आप अपने समाजवाद के बारे में परेशान नहीं हैं, हमारे समाजवाद के बारे में परेशान हैं। उनकी परेशानी आज प्रकट हुई कि लोहिया का जो समाजवाद है वह उस समाजवाद में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके समाजवाद में ही भेद है, हुजूर का समाजवाद दूसरा है और उनका समाजवाद दूसरा है। खामख्वाह मखौल उड़ाना कि हमारा समाजवाद ऐसा है, यही नहीं समाजवाद की व्याख्या दुनिया में एक नहीं है, वह बदलती रहती है और बदलती रहेगी। जो कम्युनिस्ट देश हैं उन तक में लेनिन की और मार्क्स वालों की व्याख्या में भेद है, चीन एक व्याख्या करता है और रूस दूसरी व्याख्या करता है। आप देखें कि आपके यहां भी शास्त्रों तक की व्याख्या सदा से अलग-अलग रही है। एक ही ब्रह्म सूत्र की क्या भिन्न-भिन्न व्याख्या नहीं हुई हैं? रामानुज की अलग है, शंकराचार्य की अलग है और ज्ञानेश्वर की व्याख्या अलग-अलग गीता की हुई हैं, अपने-अपने हिसाब से सबने की है। 'या देवि सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता।' इसी प्रकार से आज समाजवाद की भी अनेक व्याख्या हैं।

हम भी जयपुर में अब समाजवाद की अपनी व्याख्या करेंगे। उनके समाजवाद की व्याख्या का मतलब है कि कम से कम वेतन १०० रुपया कर दो। मैं भी समझता हूं कि बहुत

मुनासिब बात है, १०० रुपया हो जाय तो अच्छा है और अगर जो होना चाहिये वह मेग्जिमम और मिनिमम सब निश्चित कर दें तो बात बहुत अच्छी है। १०० रुपया आजकल के जमाने में अधिक नहीं है, प्राइस इंडेक्स जब बढ़ा हो तो वह कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन अगर हम केवल १०० रुपया ही कर दें तो करीब १२–१४ करोड़ रुपये का खर्च हमारा बढ़ता है। यह हमारी दिक्कत है।

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी के मस्तिष्क में कुछ भ्रांति है और जब खर्च को पूरा करने के लिये टैक्स की बात आती है, अभी कल एक प्रस्ताव था कि प्रदेश में कोई टैक्स न लगाया जाय और किसी टैक्स में वृद्धि न करो। हम भी टक्स लगाने के लिये कोई उत्सुक नहीं रहते और हम भी जानते हैं कि हमें भी जनतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है तो टैक्स की बात से हमें कोई लाभ नहीं होता है। बल्कि हमें जनता को समझाना ही पड़ता है। तीसरी योजना हमारे सामने है और अभी ४० करोड़ की पूर्ति हमें करना है। अभी आपके कहने से हमने २५ प्रतिशत किसानों की बढ़ोत्तरी भी हटा ली है, उस से भी हमारी आय पर प्रभाव पड़ा है। कोई पसन्द नहीं करता कि जनता पर कर लगे, लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है और उसको निभाने के लिये हमें टैक्स लगाने पड़ते हैं और आपके सारे विरोध को सहना पड़ता है। आप ही एक तरफ तो कहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च बढ़ गया। सन् ३७ में कुल बजट १४ करोड़ का होता था जबकि हम पहले यहां मेम्बर हो कर आये थे और वह बढ़ कर आज २०० करोड़ का हो गया है। उस वक्त सारा रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता होगा, केवल कुछ रुपया शिक्षा या सोशल सर्विसेज पर व्यय होता रहा होगा, लेकिन अब केवल ३२–३३ प्रतिशत रुपया ही एडमिनिस्ट्रेशन पर व्यय होता है और उतने से भी करोड़ों रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन का व्यय है। उधर से कह दिया कि एकोनामी करो। फिर भी हमने पुलिस के वेतन बढ़ाये, अफसरों के वेतन बढ़ाये, अध्यापकों के बढ़ाये और हम चाहते हैं कि सब के बढ़ायें। चपरासियों की बात कही गई, लेकिन अध्यापकों का वेतन चपरासियों से भी कम था, उसको हमने अब थोड़ा बहुत बढ़ाया है।

अब यह प्रश्न है कि जो लोकल बाडीज हैं उनको भी जोड़ लें तो यह धन करीब-करीब १२ करोड़ बढ़ जायगा। अब न टैक्स लगाओ, पे कमीशन भी कायम करो, उसकी रिकमेंडेशन आये तो मंजूर भी करो, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा कम करो, फिर यह भी कहते चलो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बढ़ाते जाओ, जो टैक्स लगे हैं उनकी वृद्धि मत करो, नया टैक्स लाओ नहीं, वेतन आयोग की स्थापना भी करो, तो फिर यह सब होगा कैसे, यह व्यावहारिक कहां से है? हमारा वेतनक्रम जो है यह सही है कि वह बहुत संतोषजनक नहीं है, किन्तु और जगहों के मुकाबिले में हमारे वेतन-क्रम खराब भी नहीं हैं। यह सही है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने कुछ ऐनामली क्रियेट कर रखी है और जैसा नवलकिशोर जी ने कहा इसका हमारे पास जवाब भी नहीं है। उसको मैं मानता हूं कि अगर उनका चपरासी ८५ रुपया तनख्वाह पाता है तो हमारे यहां का चपरासी ५५ रुपये। लेकिन हम कहां से दें? कहेंगे कि अपने रिसोर्सेज से दो। तो कहां से हम रिसोर्सेज लायें? बहुत लिखापढ़ी होती है। हर ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के और हमारे इस तरह का फर्क है। हमारे यहां की रेलवे सिक्योरिटी पुलिस और उनकी पुलिस के वेतन क्रम में फर्क है। अब जो वह दिये हुये हैं अगर हम वही दें तो मालूम नहीं कितना फर्क पड़ जाय। अपने प्रदेश की हालत क्या है? अगर एक एक और दो दो रुपया बढ़ावें तो लाखों नहीं करोड़ों का फर्क हो जाता है। हजार रुपयों वालों का कम करें तो २५–३० लाख से ज्यादा नहीं बचता है....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कितना टाइम और लेंगे? दूसरा आइटम भी आरम्भ होना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं दो एक मिनट में खत्म किये देता हूं ।

श्री उग्रसेन—

ऐसे मसले पर माननीय मंत्री जी को पूरा समय दिया जाय । आपको इसमें क्यों जल्दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, यह किसी दूसरे नान-आफिशियल डे को आ जायेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूं । सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा । जितनी संगत बातें है उनका मैं जवाब देता चल रहा हूं और बहुत जल्दी खत्म करता हूं । तो मैं यह कह रहा था कि अगर बड़ी तनख्वाहों को कम भी करें तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर छोटी को बढ़ाकर सौ तक कर दें तो करोड़ों रुपयों का फर्क होता है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

लेकिन इसका साइकोलाजिकल असर तो पड़ेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लेकिन उससे इस जेब पर, गरीबों की जेब पर असर पड़ेगा । कहां से लाओगे, कोई टैक्सेशन बता दो ? आप बैठ जाओ, बैठकर हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा दो । हम इन्वाइट करने को तैयार हैं, आपको इन्वाइट करेंगे और अपोजीशन के हर मेम्बर को इन्वाइट करने को तैयार हैं । एक बार पहले इन्वाइट भी कर चुके हैं और उसी में इमरजेंसी लेवी आ गयी । अब आप फिर बैठो और कुछ बता दो । हम तैयार हैं । क्या आप प्लान कट करेंगे ? आप कहेंगे नहीं, नहीं, उसे कट मत करो । आप कैसे कहेंगे कि स्कूल तोड़ दो, अस्पताल मत बनाओ ? घाटे का बजट हर साल रहता है । टैक्स बढ़ाओ तो गरीबों पर विपत्ति आती है । जब टैक्स बढ़ेगा तो घूम फिर कर वही किसान दिखलाई पड़ेगा । सेल्स टैक्स या कोई टैक्स बढ़ाओ, पड़ेगा उसी किसान पर । तो केवल प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं है । प्रस्ताव की भावना बड़ी उत्तम, सही आपके विचार, यदि भावनायें व्यक्त करनी हों तो मैं उनसे सहमत हूं लेकिन हम कैसे करें, यह देखने की बात है ।

श्री नेकराम शर्मा—

अगर हम सुझाव दें तो आप मानेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर आपके सुझाव से लाभ होगा तो कौन-सी सरकार है जो इससे फायदा नहीं उठावेगी ?

श्री नेकराम शर्मा—

वेस्टेज कम कर दीजिये डिपार्टमेन्ट्स में ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वह भी हम देखेंगे ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जिनकी हजार रुपये से अधिक तनख्वाह है, पहले उनका कम करके तो दिखलाइये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी —

तो आप जो हजार रुपये वाले हैं उनको ही काटना चाहते हैं चाहे गरीबों का बढ़े या न बढ़े। आप कोशां सिर्फ इस बात के हैं। मैं कहता हूं लक्ष्यों के सम्बन्ध में थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिये। इंडेक्स जो है उसका असर सब पर होता है और सबसे ज्यादा होता है जो स्वयं उत्पादक है और उपभोक्ता है। एक भाई ने कहा कि प्राइस कंट्रोल कर दो। ठीक है। लेकिन प्राइस कंट्रोल के माने हैं कि कम्पलीट कंट्रोल्ड इकोनोमी सारी जिन्दगी की। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐक्सचेंज, कंजम्पशन सब कंट्रोल्ड हो। सारी सोशल इकोनोमिक लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल कर दें तब कहीं प्राइस कंट्रोल होती है। मामूली करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

ग्रेट ब्रिटेन में कंट्रोल प्राइसेज हैं बेयर नेसेसिटीज की।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वहां से अपना मुकाबला न कीजिये। वहां तो जब पुलिस वाला जाता है और अगर चोर चोरी कर रहा हो, ताले में ताली पड़ी हो तो कोई पुलिस वाला पिस्तौल ले कर नहीं जाता है और अगर पुलिस वाले ने पीछे से कह दिया कि हैंड्स अप, तो अपराधी चाहे हथियार से लैस हो फिर भी फौरन अपने हाथ उठा देगा और सरेन्डर कर देता है। वह लोग ला अबाइडिंग हैं। जब तक कानून की नजर नहीं पड़ती तब तक चाहे कुछ कर लें लेकिन नजर पड़ते ही वह अपने को सरेन्डर कर देते हैं। तो पहले आप लोग देश को ऐसा बनायें हम आपके पीछे-पीछे चलेंगे। व्याख्यान देने से काम नहीं चलेगा। इस प्रदेश की जनता भी ऐसी है जो हम ही को अच्छा समझती है और आपको निकम्मा। लोहिया साहब की बड़ी भारी मांग है कि प्राइस कंट्रोल करो। इसके माने हैं सारी जिन्दगी को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम इसके लिये तैयार नहीं हैं, न हमारे पास इतनी इफेक्टिव मशीनरी है और जब तक ऐसा न हो तब तक कम्प्लीट प्राइस कंट्रोल करना बड़ी भारी भूल होगी। जब उसका पूरा इंतजाम हो, साधन हों तब यह सम्भव है बशर्ते कि आप उस चीज में विश्वास करते हों।

प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा असर होता है उत्पादक पर। आप कहते हो किसान की आमदनी तीन आना है, लोहिया साहब कहते हैं। किसी ने कहा कि बहुत पढ़कर निकाला कि किसान की आमदनी ७ आना है। . . . . .

एक सदस्य—

माननीय गुलजारीलाल नंदा ने कहा कि ७ आना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हम लोगों ने कहा कि १२ आना है। अगर ३ आना है तो ६ रु० महीना हुआ, अगर ७ आना है तो १४ रु० हुआ, ६ आना है तो १२ रु० महीना हुआ और १२ आना है तो २४ रुपया महीना हुआ। उन्हीं में से आते हैं सरकारी नौकर। उनकी १०० रु० कर दें उससे क्या होगा जब तक कि पर-कैपिटा इनकम और प्रोडक्शन न बढ़ायें। कौन सरकार नहीं चाहती है कि अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक दे ?

प्राइस इन्डेक्स की बात आप कहते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों के लिये कहता हूं। वह प्रिविलेज्ड क्लास है। किसी को प्रदेश की नौकरी मिलती है तो प्रदेश के लिए उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। हम देखते हैं कि वेतन-क्रम बढ़ाना है, लेकिन यह भी देखना है कि हमारे यहां टैक्सेज कितने बढ़े, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना बढा और सामाजिक शोषण होता है तो उसे किस हद तक हमने रोका। आप यह कहते हैं कि डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिये। हम भी चाहते हैं कि जरूर खत्म हो, लेकिन नीचे के लेविल से लेकर ऊपर तक खत्म होनी चाहिये। वह किस तरह से करें ? आप कहते हैं कि समाजवाद की क्या व्याख्या है ? हमारी राय तो यह है कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसको अगर जयपुर में नेता लोग तय कर सकें तो देश का बड़ा कल्याण होगा। बहरहाल सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। लेकिन हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें सोचना पड़ता है। फिर भी मैं कहता हूं और आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्रस्तावक महोदय अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें क्योंकि इस चीज को मैं देख रहा हूं और इसके सम्बन्ध में कोई सरकार का निर्णय हुआ कि किस प्रकार से इस चीज को किया जाय उसको हम सदन के सम्मुख अवश्य रखेंगे। मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारी पूरी सहानुभूति उन भावों से है जिनसे प्रेरित हो कर आपने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष उपस्थित किया है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक मौका मिलना चाहिये और सरकार की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए उसके साधनों को देखते हुए कि कौन चीज हो सकती है, इसके लिए आप सरकार को एक मौका दें। इसके बाद मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तावक महोदय अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में "वेतन" शब्द के पहले "सभी प्रकार के" जोड़ दिया जाय पंक्ति ३ में "को देखकर ---रिपोर्ट देता रहे" के स्थान पर "में सामंजस्य बनाये रखने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट समय-समय पर देता रहे", रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश में एक वेतन आयोग की स्थापना स्थायी रूप से कर दे जो वस्तुओं के मूल्य, वेतन की दरों तथा अन्य सामाजिक विषयों को देखकर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देता रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:-

पक्ष में---६८,

विपक्ष में---१३०।)

## प्रदेश में पुलिस से संबंधित विभिन्न स्थानों पर हाल ही में घटित घटनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करने के पहले आदरणीय सदन के समक्ष जो घटना जौनपुर जिले के सराय हरकू स्टेशन में घटी है उसके सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। मैं स्वयं गया और जा कर वहां उसको देखा। एक-एक चीज को देखा, लोगों से बातचीत की। थाने में गया और थानेदारों से बातचीत की और कुछ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। उस आधार पर जो तथ्य हमारे सामने आये उनको निवेदन करके फिर मैं कुछ आगे कहूंगा।

१८ तारीख को साढ़े ४ बजे रामनाथसिंह हरकू स्टेशन के प्लेटफार्म पर साइकिल से जा रहे थे। सराय हरकू स्टेशन इस स्थान पर बना है जिसके चारों तरफ धान के खेत हैं और चारों तरफ पानी भरा है, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता जाने का जो है वह एकमात्र उसी स्टेशन पर हो करके है और यह रामनाथसिंह जी एस० बी० इन्टर कालेज को प्रतिदिन उधर ही से अपनी साइकिल पर जाया करते थे। इसके पहले न उनको कभी किसी ने रोका और न कभी उस स्टेशन के रास्ते पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि इधर से साइकिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चढ़कर या यों ही जाना मना है। उस दिन वहां के ए० एस० एम०, आर० एस० यादव जिनका नाम है, ने क्यों रोका वह एक बड़ी भारी चीज है। यादव साहब बहुत पहले से इस स्टेशन पर थे, पहले क्यों नहीं रोका, उसी दिन क्यों रोका ? मुझे यह मालूम पड़ा कि उनका कोई आपसी झगड़ा हुआ था जिसके कारण उस दिन उनको उन्होंने रोका और रोक कर अपने दो तीन आदमियों के साथ पकड़ कर एक कमरे में उन्हें ले गये जहां उनको मारा और मार कर उनसे एक वक्तव्य लिखवाया कि मैं १५ रुपये लेकर भागा जा रहा था और इन लोगों ने मुझे पकड़ा। साढ़े ४ बजे के करीब की यह घटना है और साढ़े ७ बजे वे स्टेशन से छूटते हैं क्योंकि साढ़े ७ बजे बक्सा पुलिस स्टेशन पर वे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। इतनी देर तक स्टेशन मास्टर साहब ने उन्हें एक कमरे में बन्द रखा, मारा और एक वक्तव्य लिखवाया। यह उन्होंने किस अधिकार से लिखवाया इसके ऊपर हमारी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन स्टेशन मास्टर के खिलाफ कोई दफा नहीं लगायी गयी, उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि आपने क्यों इनको मारा और क्यों बन्द किये रहे। किसी को बन्द करना यह भी जुर्म है, किसी को मारना तो जुर्म है ही और किसी से जबरदस्ती कुछ लिखवाना भी जुर्म है। लेकिन हमारी पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। रामनाथ-सिंह ने जो रिपोर्ट लिखवायी वह भी यों ही उल्टी-सीधी लिखी गयी। उसके बाद दूसरे दिन थानेदार साहब स्टेशन पर जा कर सुलह कराते हैं और जो कागज लिखवाया था वह ले कर फाड़ डालते हैं और कहते हैं कि सुलह हो गयी। उसके बाद पौने १२ बजे के करीब कुछ लोग स्टेशन पर आते हैं, जैसा मैंने वहां सुना १५–२० आदमी थे। उनके हाथ में न लाठी थी, न बल्लम, न भाला, कुछ नहीं था। असलियत तो यह है और एफ० आई० आर० में स्टेशन मास्टर साहब ने जो दर्ज कराया वह अलग चीज है। जो मुझे मालूम हुआ वह मैं बयान कर रहा हूं। वे १४–१५ आदमी आये, स्टेशन मास्टर अपनी टेबिल पर बठे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप यादव साहब हैं ? उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन मास्टर हूं। उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर नहीं, आप बताइये कि आप यादव हैं। उन्होंने फिर यही कहा कि मैं स्टेशन मास्टर हूं। इस पर जो १४-१५ आदमी आये थे उनसे जरूर कुछ स्टेशन मास्टर साहब से हाथापाई हुई। स्टेशन मास्टर ने तब यह कहा कि मैं यादव नहीं हूं, यादव क्वार्टर में हैं ? वे आदमी क्वार्टर पर गये। पहले उन्हीं स्टेशन मास्टर साहब का क्वार्टर पड़ता है। उस पर जब वे लोग गये, दरवाजा थपथपाया तो अन्दर औरतें थीं। उन्होंने कहा कि अन्दर कोई मर्द नहीं है, आप जाइये। आदमियों ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं नुकसान पहुंचायेंगे, हम केवल यादव साहब की तलाश कर रहे हैं। औरतों ने अपने जेवर एक पोटली में बांधकर बाहर फेंक दिये। आदमियों ने उस पोटली को उठा कर फिर क्वार्टर के भीतर फेंक दिया और कहा कि यह पोटली रखी, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने आये हैं, हम केवल यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, आप दरवाजा खोल दीजिये। औरतों ने दरवाजा खोल दिया, आदमियों ने अन्दर जा कर देखा, वहां यादव साहब नहीं मिले। उन्होंने बताया कि बगल वाले क्वार्टर में हैं। जब वे लोग बगल वाले क्वार्टर में गये, उसके अन्दर यादव साहब थे और उनके साथ एक और कोई स्टेशन का कर्मचारी था। वे लोग अन्दर से बल्लम ले कर निकले। यह जो मुझे मालूम हुआ वह कह रहा हूं। एफ० आई० आर० में क्या दर्ज है और क्या बनाया गया है, यह मैं बाद में निवेदन करूंगा। बल्लम लेकर दरवाजा खोलकर वह आदमी बाहर निकला। जो आदमी गये थे उन्होंने बल्लम छीन लिया और मारपीट हुई हाथों से और जूतों से। इतने में मालगाड़ी आ गई और मारने वाले भाग गये, फिर स्टेशन मास्टर पुकारते हैं कि जल्दी से मिट्टी का तेल लाओ और फूंक दो स्टेशन को और कर दो यह तोड़-फोड़। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसको बता रहा हूं। मेज पर ऊपर तार की डाई लगी हुई है और मैंने देखा कि टूटा क्या है ? एक क्वायल डाई की सेफ्टी के लिये लिपटा होता है, वह बताया गया। लोगों ने बताया कि स्टिक से मारा और टूटा प्लास्टिक का कवर। अगर डाई पर मारा जाता तो एक ही हाथ में ७ या ८ कदम पर टूट कर गिरती। कहा जाता है कि शीशे तोड़े गये। इस तरह से शीशे टूटे कि फ्रेम जरा भी नहीं टूटा। कहा जाता है कि वे लोग टेलीफोन के लोहे के चोगे को लेकर चले गये। श्रीमन्, देखने की बात यह है कि सोने चांदी के गहनों की पोटली

[कुंवर श्रीपालसिंह]

को फेंक दिया और लोहे के चोगे को लेकर चले गये। कौन मान सकता है यह सब ? प्रश्न यह आता है कि यह सब क्यों हुआ ? यह चीज देखने की है।

( किसी के कुछ कहने पर )

श्रीमान् जी, मैं यहां था। मेरे पास टेलीफोन आया और सारी घटना फोन पर मुझे बताई गई और यह कहा गया कि इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, इसलिये वहां से कुछ इन्तजाम कीजिये नहीं तो यहां घोर अत्याचार मचा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं चलूं और गृह मंत्री जी से बात करूं, लेकिन मेरे मन म यह प्रश्न उठा कि अगर कहीं गृह मंत्री जी ने जैसा कि मुझे मालूम हुआ था कि अपनी आदत के बमूजिब दूसरी किस्म से बात की तो मुझ से झगड़ा हो जायगा। इसलिये मैंने सोचा कि मुख्य मंत्री सुचेता जी से बात करूं। मालूम करने पर पता चला कि वे दिल्ली गई हुई हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में से जो बारहों म से एक हैं माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त, वह यहां मौजूद थे। मैंने सोचा कि उनसे बात करूं और उनसे कहूं। मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और यह कहा कि तुम्हारे जिले के गृह मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं कहते ? मैंने उनसे यह कहा कि मुझे भय है कि कहीं वे आदत के बमूजिब बात करें तो मुझ से झगड़ा न हो जाय। गुप्त जी ने एक-एक अक्षर जैसा मैंने कहा था ज्यों का त्यों गृह मंत्री जी से कहा। उन्होंने मजाक करते हुये गृह मंत्री जी से कहा कि तुम्हारे जिले के मूंछ वाले ठाकुर साहब आये हैं, तुमने कौन से कालेज को घेर रखा है और मैंने कहा कि तुम्हारे जिले के गृह मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं कहते, तो वह तुम से कहना नहीं चाहते। इस पर उन्होंने कहा कि गिल्टी कांशेस की वजह से (लाल बत्ती होने पर)—

श्रीमन्, अभी तो कुछ नहीं हो पाया। १५ मिनट का समय तो दें।

श्री उपाध्यक्ष—

१५ मिनट का ही समय दे रहा हूं।१३ मिनट हो गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

५ मिनट का समय और दे दें। मैं जल्दी ही खत्म कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा बोलिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि गिल्टी कांशेस होने की वजह से मुझ से नहीं मिले हैं। उस पर गुप्ता जी ने कहा कि गिल्टी कांशेस नहीं, वह कह रहे हैं कि आपसे कहने जायंगे तो आप उजड्डपन से बात कीजियेगा, झगड़ा हो जायगा। गुप्ता जी ने कहा खैर बात क्या है, घेरवा क्यों लिया है उस कालेज को ? माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वह जनसंघ का गढ़ है। पूरी जड़ इससे खल जाती है। जनसंघ का गढ़ बना दिया गया यह कालेज, क्योंकि चुनाव के जमाने में गृह मंत्री जी की मीटिंग हुई। लड़के थे, आप बोल रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे (व्यवधान) व्यक्तिगत चीज नहीं है, इसी से उसका प्रमाण मिलता है। इससे पता चलेगा कि क्यों किया हुआ है। ३९५ धारा के अन्दर लड़कों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। उन लड़कों को पकड़ कर डी० वाई० एस० पी० साहब ले गये। उनकी १५ साल की उम्र है। अगर छुट्टी न होती तो तस्वीर भी खिचवा कर ले आता। बन्द कर के मारते हैं और उनसे बयान करवाते हैं और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। एक लड़के को पांच चोटें आयीं और एक लड़के के सात। यह डाक्टर कोई प्राइवेट डाक्टर नहीं हैं। यह जौनपुर के सिविल सर्जन की रिपोर्ट है। उनका कहना है कि किसी तेज औजार से पिंच किया गया। थर्ड डिग्री मेथड्स प्रयोग करके उन लड़कों से बयान करवाया गया और उनसे बयान करवाया धारा १२०

(बी) का, कांसपिरेसी का, लाहौर कांसपिरेसी, अलीपुर कांसपिरेसी, काकोरी कांसपिरेसी और यह बदलापुर कांसपिरेसी। एफ० आई० आर० में स्टेशन मास्टर कहते हैं कि जो लोग आये थे वह बदलापुर कालेज की तरफ से आये थे। यह नहीं कहते हैं कि मास्टर थे। यह नहीं बतलाते हैं कि किस कालेज के लड़के थे। यहां वक्तव्य दिया जाता है कि सल्तनत बहादुरसिंह, इन्टर कालेज के लड़के आये थे। एफ० आई० आर० में लिखते हैं कि लाठी थी यहां वक्तव्य में कहा जाता है कि स्टिक थी। लाठी और स्टिक दोनों में बड़ा अन्तर होता है। जब कालेज के लड़कों को फंसाएंगे तो लाठी की जगह पर स्टिक कर ही दी जायगी। मैं चैलेंज करके कहता हूं और आक्षेप लगाता हूं कि जानबूझ कर केस बनाया जा रहा है और बना कर उन लड़कों की जिन्दगी खराब की जा रही है। लड़के तो थे भी नहीं। मैं मानता हूं कि रामनाथसिंह और यादव की दुश्मनी में झगड़ा हुआ। हो सकता है कि दो-चार लड़के रहे हों, गांव के आदमी, उनके आसपास के लड़के दंगा फसाद किये हों। बेचारे प्रिंसिपल को ले जाकर बन्द कर दिया कांसपिरेसी में। इस प्रकार की चीजें अत्यन्त अवांछनीय हैं।

एक चीज और माननीय उप-गृह मंत्री ने कहा कि कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने जिले के जो कलेक्टर साहब हैं उन्हीं को कहता हूं कि उनके हाथ में इन्क्वायरी दे दीजिये, लेकिन कलेक्टर को यह आर्डर होना चाहिये कि स्वयं इनक्वायरी करें। अक्षरशः बात सामने आ जायेगी। जिस वक्त जुडीशल मैजिस्ट्रेट शुक्ला जी के सामने बेल की दरख्वास्त पेश हुई तो वह कहते हैं कि यह वही केस है जिसके लिये माननीय गृह मंत्री जी के वायरलेस दौड़ रहे हैं? मजाक है! जन-जीवन के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है और कहा जाता है कि कोई खतरा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर किसी मंत्री को या किसी को जनसंघ से द्वेष है, मारीच की तरह से जो धनुर्धारी राम के बिना फर के बाण से योजनों दूर जाकर गिरा और जीवन पर्यन्त जिसे धनुष धारण किये राम दिखाई देते रहे, उसी तरह अगर किसी को जनसंघ दिखाई देता है तो वह सीधे जनसंघ पर अटैक करे, उन छोटे-छोटे बच्चों को परेशान करना, इनको मारना, इनको कोंच-कोंच कर के इनसे अपनी बातें कहलवाना यह कहां का न्याय है? जनसंघ इनके सामने मौजूद है, उसको बन्द करें, हम लोगों को पकड़कर बन्द करें, हमारे ऊपर अपनी पुलिस की ताकत लगा दें, हमें गोली से उड़वा दें, हमें मंजूर है, हम उनके मुकाबिले में हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अब वह भगवा रंग का बादल जो भारत पर उठ रहा है उसको पुलिस नहीं रोक सकेगी। और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह कृपाकर के जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही करें नहीं तो स्थिति बिगड़ने के बाद फिर तमाशा दूसरा होता है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ दिनों में हमारे प्रदेश में जो पुलिस के अत्याचार, पुलिस की गैर जिम्मेदारी और कर्त्तव्यपालनहीनता संबंधी घटनायें घटी हैं और उसके संबंध में जो प्रेस ने भर्त्सना की है, उसकी चर्चा की है और उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं तथा हमारे सदन में भी समय-समय पर इधर कई दिनों से नियम ५२ और ५३ में उन प्रश्नों को उठाया गया है, उन सब बातों को देखने के बाद उन सबको दृष्टि में रखने के पश्चात् यह लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी, कोई ऐसी बहुत बड़ी त्रुटि अवश्य है उस व्यवस्था में, पुलिस के इन्तजाम और उसके प्रशासन में या उसको ठीक प्रकार से संचालन करने की स्थिति में कोई ऐसी त्रुटि अवश्य है जिसके ऊपर हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम सरकार, और अपने गृह मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि पुलिस के उन कृत्यों से जो उनको न करने के लिये बनाये गए हैं और जो वह कर रहे हैं और जो उनके करने के कर्त्तव्य हैं, जो उनसे अपेक्षा है, जिसके लिये कि इंडियन पुलिस ऐक्ट के अनुसार उनका गठन हुआ है, उसके अनुसार जो उन्हें करना चाहिये, वह, वह नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक, संजीदगी के साथ ठंडे दिल से वह विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

श्रीमन्, एक घटना की चर्चा मैं कर दूं जिसके ऊपर मैंने दफा ५३ की सूचना दी। उसका संबंध ज्ञानपुर कचहरी में हुए हत्याकांड से है। २३-१०-६३ को भरी कचहरी में, दिन-दहाड़े दोपहर के बारह बजे, हाकिम परगना की अदालत के सामने जहां से पुलिस थाना वगैरह मुश्किल से एक फर्लांग की दूरी पर है, वहां यह हत्या हुई। समय अधिक नहीं है, इसलिये मैं अधिक इसके विवरण में नहीं जाऊंगा। वहां सेमराध और इनार दो गांव हैं। इनार के श्री चन्द्र-सिंह को और सेमराध के श्री सूरजनारायण के बीच पुरानी शत्रुता थी। ये गांव ज्ञानपुर थाना के अन्तर्गत आते हैं। चन्द्र सिंह ने बार-बार यह धमकी दी कि मैं सूरजनारायण की हत्या करूंगा। चन्द्र सिंह के बारे में इतना मैं बता दूं कि वह पुराने डकैत हैं, कई मामलों में सजा पा चुके हैं, झूठा केस कलकत्ते से चला-चलाकर लोगों को हैरेस किया करते हैं, तमाम समाज विरोधी कार्य वह करते हैं, हिस्ट्री शीटर हैं और पुलिस के रेकर्ड में उनका अमलनामा दर्ज है। ऐसे आदमी ने उन भले आदमी सूरजनारायण को धमकी दी कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे और यह बात बिलकुल आम हो गई। सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार हो गया कि हत्या होगी। उन्होंने किया क्या? एक फौजदारी का मुकदमा दायर किया, अदालत से एक सम्मन निकलवाया ताकि जब घर छोड़कर सूरजनारायण आवें तो उनकी हत्या की जाय। श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सम्मन सूरजनारायण के पास गया उस सम्मन का आधा मुसन्ना जो अदालत में जमा होता है उस मुसन्ने में सूरजनारायण ने स्पष्ट लिखा कि मेरी जान का खतरा है और मैं कतई अदालत में हाजिर होने में असमर्थ हूं, मुझको पुलिस की मदद दी जाय तब मैं अदालत में हाजिर होने के योग्य हूंगा। यह बात सूरजनारायण ने उस मैजिस्ट्रेट और पुलिस को साफ लिखी और उनको इत्तिला दी।

इतना ही नहीं बल्कि २० तारीख को जब वंशीधर जी पांडेय, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी वहां गये तो उनसे सूरजनारायण ने कहा कि मेरी जान को खतरा है और मैंने पुलिस को सूचना दे रखी है लेकिन अभी तक पुलिस ने जान बचाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया है। वंशीधर जी पांडेय ने डी० एस० पी० को फोन किया और उनको बतलाया कि यहां पर स्थिति भयावह है और इस आदमी की जान को खतरा है। वह हत्यारा चन्द्र सिंह बराबर इस बात को ललकार कर कह रहा था कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे, इसके लिये बड़ा भारी संगठन कर रहे हैं और बड़े-बड़े डकैतों को उसने बुलाया था। इस प्रकार का कांड होने की सूचना बराबर मिल रही थी। इन तमाम बातों की सूचना पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी वंशीधर पांडेय ने भी प्रामाणिकरूप से वहां के पुलिस अधिकारियों को दी थी, लेकिन यह बहुत भारी खेद और दुख की बात है कि २३ तारीख को उनका कत्ल हो गया।

२३ तारीख को गोपीगंज के डकैतों ने ललकार कर कहा था कि हम तुम्हारा कत्ल करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये तमाम प्रामाणिक सूचना उनको प्राप्त होने पर भी पुलिस ने उनको बचाने का कोई इन्तजाम नहीं किया। इसकी तमाम जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। पुलिस जिस प्रकार से शान्ति स्थापित करन के विषय में सारी सूचना एकत्रित करती है और उन सूचनाओं को संचय करके तमाम इन्तजाम करती है कि शान्ति स्थापित हो और लोगों को बचाती है। पुलिस ऐक्ट के अन्दर भी यह बात है कि पुलिस इस तरह से इन्तजाम करके लोगों की सुरक्षा करे, लेकिन पुलिस उन तमाम कर्त्तव्यों के करने में असमर्थ रही और उस व्यक्ति को उन डकैतों से नहीं बचा सकी जिन्होंने बहुत पहले से ललकार कर कह दिया था। उस दिन १५, २० डकैतों को उसने बुला लिया था और पुलिस की जानकारी में यह बात थी, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। एक प्रकार से पुलिस अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ देती रही और कोई भी इन्तजाम नहीं कर सकी। सूचना पाकर और सारी सूचना एकत्रित करने पर भी पुलिस ने उसको बचाने का इन्तजाम नहीं किया। इससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि पुलिस ने एक क्रिमिनल कांमप्रेसी करके उसकी हत्या करा डाली।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त डी० एस० पी० को हमारी सरकार के एक सदस्य ने यह बात कही कि एक आदमी को जान को खतरा है तो मैं कहता हूं कि सरकार के अधिकारियों का यह धर्म है कि पुलिस उसकी रक्षा करे। पुलिस का संगठन ही इसलिये है कि यह हमारे आदमियों की रक्षा करे और यदि किसी की जान को खतरा है तो उसकी जान बचाये। अगर बहुत बड़ा धन भी इसके लिये खर्च हो जाय तो उसकी जान बचाने के लिये खर्च करना चाहिये। हम इतनी बड़ी धनराशि यदि आज खर्च करते हैं तो वह इसी कारण कि यह पुलिस जनता के माल और जान की रक्षा करे। यदि पुलिस एक आदमी को जान की रक्षा नहीं करती है तो मैं कहता हूं कि पुलिस के खर्चे के लिये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पुलिस पर हमारे बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च होता है जो मुश्किल से हम जनता से वसूल करते हैं। यदि पुलिस उन तमाम चीजों की रक्षा नहीं करती है और हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करती है तो उससे फिर क्या लाभ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप इतना तेज बोल रहे हैं कि वह लिखा नहीं जा सकता।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

श्री बेचनराम—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का कर्त्तव्य है कि उसके लिये निरोधात्मक कार्यवाही करे। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है जिसकी वजह से अपराध बढ़त चल जा रह ह। पुलिस की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि स्थिति अधिक संतोषप्रद नहीं है। पुलिस प्रशासन की स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। जब इस तरह की स्थिति हमारे सामने है तो पुलिस के प्रति नीति स्पष्ट होनी चाहिये। जब सारी सूचना पुलिस के पास आती है तो फिर उसका कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करे। यदि अपने कर्त्तव्य में पुलिस भूल करती है तो उसके प्रति सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जब डी० एस० पी० को सूचना मिल गई तो मैं यह समझता हूं कि पुलिस ने जानबूझ कर यह क्रिमिनल कांसप्रेसी की है। यह पुलिस के निकम्मेपन को साबित करता है कि उसने इस प्रकार से उनको करने दिया। पुलिस भी डकैतों की मदद करती है। जब पुलिस को पूरी-पूरी जानकारी थी तब भी उसने यह करने दिया। इसलिये मैं समझता हूं कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। उनको मुअत्तल किया जाय और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय और क्रिमिनल कांसप्रेसी करने का उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जब से पुलिस का चार्ज सम्हाला है इस सदन में पुलिस के संबंध में बड़ी अप्रिय और बर्बर घटनाओं की चर्चा हुई। अधिक संख्या में भी हुई। बांदा का मामला हुआ। वहां कांस्टेबिल्स ने रेप किया। माननीय मंत्री जी से कहा गया कि जांच बिठाइये तो उन्होंने कहा कि जांच की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर का केस यहां हुआ। गृह मंत्री जी उठकर कुछ कहना चाहते थे, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी जांच कराना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार के जघन्य कुकर्म प्रदेश में हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और जो इस विभाग के प्रमुख हैं वह उनको ढकने का प्रयास करें इस विश्वास से या इस आशा से कि प्रोटेक्शन आफ दि सर्विसेज होगा, तो यह इस प्रान्त का दुर्दिन है, प्रशासन का दुर्दैव है। केवल इतनी घटनायें ही नहीं हैं। अभी जौनपुर की घटना का जो जिक्र हुआ उस विषय में मैं अधिक नहीं कहना चाहता, हालांकि एक बड़ी मार्के की बात है उसके अन्दर। १४ वर्ष के बालक का जो चोटों का वर्णन आया है, कोंचने का

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

यह क्या बड़ा शोभनीय है ? मैं मंत्री जी से पूछता हूं। वह स्वयं पिता हैं और पिता का हृदय रखते हैं। उनके बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता तो गृह मंत्री जी के हृदय में क्या उफान उठता ? माननीय गृह मंत्री जी जौनपुर के हैं और हमारा उन पर एक अधिकार है। हमारे १४, १५ वर्ष के बालकों को कोंचा जाय और गृह मंत्री जी के हृदय में उबाल न आये, यह एक बड़े दुख की बात है। गृह मंत्री जी वहां उपस्थित थे। मुझे आशा थी कि लड़कों ने चाहे कुछ भी किया हो, गलती की हो या ठीक किया हो, लेकिन बालकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायगा डी० एस० पी० द्वारा और उसे देखते हुये गृह मंत्री जी मौन बैठे रहे। इसे देख मुझे धृतराष्ट्र की याद आ जाती है कि जब सभा में द्रोपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो वे बैठे उसे देख रहे थे। यह उनका वैसा ही रोल रहा है। (शेम शेम)।

श्रीमन्, अब देहरादून की घटना की ओर आप देखें। देहरादून में जो कांड हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी है। वहां की घटना २५ अक्तूबर की रात की है। राम लीला हो रही थी और उसमें श्रीमन् आप जानते हैं बाल, वृद्ध सभी जाते हैं। वहां साहूकार नाम के व्यक्ति ने युवक सेवक दल के जो कैप्टेन थे ओम प्रकाश उनको छुरा भोंक दिया। घटना क्यों हुई ? बात यह थी कि जहां स्त्रियां बैठी हुई थीं उधर यह व्यक्ति जाने का प्रयास कर रहा था। कैप्टेन ने उसे रोका और इस पर उसने कैप्टेन के छुरा भोंक दिया। छुरा भोंकने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में देहरादून में सभी जानते है कि वह इस प्रकार की कई घटनायें कर चुका है। इसके पहले भी इस प्रकार की घटनायें हो चुकी हैं। मैं आपके सामने एक, दो नाम पढ़ देना चाहता हूं। श्री अमरनाथ वकील हैं, उनके भाई को यह छुरा भोंक चुका है। एक हरिजन बालक को भी यह छुरा भोंक चुका है और हमारे प्रदेश की जगत विख्यात स्वनाम धन्य पुलिस ने इन मामलों में सुलह करा दी। यह दोनों घटनायें सुलह करा कर दबा दी गयीं और इसके लिये जिम्मेदार वहां के सिटी कोतवाल हैं। तो जब इस प्रकार गुंडों का संरक्षण होगा और आततायी को प्रश्रय दिया जायगा, उनको बढ़ावा दिया जायगा तो हम कोदों बोकर गेहूं नहीं काट सकते। जुर्म बढ़ेगा। जब यह लाश पोस्टमार्टम हो गयी तो १ बजे से लेकर साढ़े ६ बजे तक पुलिस कोतवाली में पड़ी रही। जनता बाहर खड़ी हो गयी तो उस पर टीयर गैस छोड़ी गयी और लाठी चार्ज किया गया। कहा गया कि जनता वायलेट हो गयी। ६ बजे तक अगर वह शान्त थी तो क्या प्रोवोकेशन था कि जो वायलेंस हुआ ? कोई वायलेंस नहीं हुआ। उनकी सीधी-सी मांग थी कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको सस्पेन्ड करो, इंक्वायरी करो और वहां के पुलिस अधिकारी कोतवाली में बैठे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार कुकर्मी को साहस नहीं होता है कि जनता के सामने अपना काला मुंह लेकर आये, एक भी अधिकारी सामने आने का प्रयास नहीं करता है। कोतवाली में सबको प्रश्रय मिलता है। जनता की मांग बड़ी नार्मल और ह्यूमन थी। मुझे एक हाउस आफ कामंस की, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट, की घटना याद आ गयी। हमारे वित्त मंत्री ने बड़े जोर से हाउस आफ कामंस को कोट किया। घटना १९१० या १९०५ की है, मुझे सन् याद नहीं आ रहा है। एक पुलिस कांस्टेबिल ने पिकेडली सरकस में, जैसे यहां खोंमचे बिकते हैं, वहां सिगरेट बिकते हैं, उसने एक टपेंस का सिगरेट मुफ्त ले लिया और इस पर पिकेडली सरकस की जनता ने ढेले मार-मार कर इस कांस्टेबिल को मार डाला। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में प्रश्न खड़ा हुआ। होम सेक्रेटरी ने क्षमा याचना की कि मुझे दुख है कि हमारे पुलिस फोर्स में घूसखोर पुलिस कांस्टेबिल था। मैं आशा करता था कि कितनी ही घटनाओं की परम्परा को ध्यान में रखते हुए हमारे गृह मंत्री भी जो ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की बड़ी दुहाई देते हैं वह भी उदाहरण प्रस्तुत करते कि फिदवी ने गलती की है इसलिये फिदवी को जनता ने दंड दिया है। लेकिन वहां तो दूसरी ही बात है कि फिदवी डाका मारे, फिदवी लूट करे, लेकिन फिदवी के सारे काम पर पानी फेरा जाता है, लीपा-पोती की जाती है और फिर कहा जाता है कि करप्शन बढ़ रहा है।

क्यों नहीं बढ़ेगा ? जब मैं दरोगा को बुलाकर कहूंगा कि यह मेरा विरोधी है, इसके ऊपर ११० चलाओ, इसकी बन्दूक का लाइसेंस जब्त करो, इसको १०७ में फंसाओ। मैं नाम

नहीं लेता हूं, लेकिन हाई कोर्ट में जिस दिन फैसले हो जायेंगे तो नाम भी लूंगा इस सदन के अन्दर। जब कहा जाता है कि मेरी पैरवी करो इलेक्शन में, मैं मंत्री हूं और उस दारोगा, उस कांस्टेबिल उस एस० पी० और डी० एस० पी० से ओब्लाइज्ड हूं तो मेरा मुंह नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं। क्या जौनपुर में नहीं होता है कि दो लोग ऐसे हैं जो कोतवाली में फोन करते हैं कि मैं फलां बोल रहा हूं? नाम चाहेंगे तो नाम भी और प्रमाण भी दे सकता हूं कि क्रिमिनल केस में जमानत लेने के लिये सौ-सौ रुपया लेकर, दो वर्ष के अन्दर की हिस्टरी देखिये कि वकालत-नामा तो लगा हुआ है, खाली शकल दिखाने को और है। १० रुपये का वकील करो, १०० रुपये की शकल करो और जमानत मंजूर हो जायगी। जब इस प्रकार आप करवा रहे हैं तो प्रान्त में क्या होगा ?

मैं आशा करता हूं श्रीमन्, कि अगर पुलिस को रोकना है, अगर पुलिस की बर्बरता को कंट्रोल करना है तो जो इस सदन में बैठे हुए हैं वह पुलिस से आब्लीगेशन लेना छोड़ दें। प्रशासन न्याय के आधार पर होना चाहिये।

तो जैसे मैं देहरादून का उदाहरण दे रहा था, यह एक आफ्टरथाट हुआ है कि पुलिस ने ढोंग बनाया कि जनता वायलेट है। अगर वायलेंट हुई ५ घंटे के बाद तो फिर ढेले आये और कोत-वाली की ओर से आये। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है। क्या जनता ढेले बांधकर ले गयी थी साढ़े पांच घंटे पहले से ? खाली मास प्रोवोकेशन कराया गया यह फैक्ट था श्रीमन्। श्रीमन्, नित्यानन्द स्वामी वहां के एक लीडिंग एडवोकेट हैं। जब यह मामला तय नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने उनको अन्दर बुलाया, कहा कि सुलह कराओ। वे अन्दर जाते हैं, वहां उनको बन्द कर दिया जाता है। स्वामी नित्यानन्द एक जिम्मेदार आदमी हैं, पब्लिक वर्कर हैं, और इसको माननीय सरन साहब भी मानेंगे। उनके जिम्मेदार व्यक्ति होने की बात को भी वे मानेंगे। तो श्रीमन्, वह कोतवाली के अन्दर जाते हैं, गेट बन्द कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है और लाक अप में डाल दिया जाता है। उनकी सेवा करने के लिये दो कान्टेबिलों को यूनीफार्म में, तथा ३ कान्सटेबिल्स को मुफ्ती ड्रेस में वहां छोड़ दिया गया। उसके बाद उनकी किस प्रकार सेवा की गयी, श्रीमन् वहां उनको इतना पीटा गया कि उनके मरने तक की नौबत आ गयी। जब उन्होंने मांग की कि मुझे बचाओ, मुझे जेल भेज दो, तो दूसरे दिन उनको जेल भेजा गया। दूसरे दिन २४ घंटे के बाद मुआयना हुआ, और तब तक भी २९ चोटों के निशान पाये गये। आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि उनको कितनी बेरहमी से मारा गया।

इसके बाद भी मान्यवर, इस सरकार की पुलिस क्या करती है वह भी सुन लें। अश्रु गैस छोड़ी जाती है और लाठी चार्ज होता है। अगर कोई बूढ़ा भी आ गया तो उसको भी लाठी पड़ी, जो भी सामने आया वह मारा गया। रास्ते में चलती गाय मारी गयी, जो भी आया मारा गया, दूकानें तोड़ी गयीं, दूकानों को लूटा गया, उसके मेरे पास बयान हैं, उन लोगों के नाम हैं आप कहेंगे तो वह दे सकता हूं। एक चप्पल वाले की दूकान से चप्पलें लूट ली गयीं। एक पुस्तक भंडार की दूकान को लूट लिया गया। (लाल बत्ती होने पर) कुछ समय और दे दें, यह बत्ती बुझा दें श्रीमन्, तो अच्छा हो।

यही नहीं, मान्यवर, गुरखा रेजिमेन्ट सेन्टर का एक बलदेवमोहन सिपाही उधर से जा रहा था, पास में ही उसका ट्रेनिंग सेन्टर था। उसके पास आइडेन्टिटी कार्ड भी था। उसने अपना कार्ड दिखाया, मगर उस फौज के सिपाही तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसकी भी दे पिटाई, दे पिटाई।

श्रीमन्, अभी कुंवर श्रीपालसिंह जी ने बताया कि मास्टरों को ३ दिन जेल में रखा गया बिना कुछ खाये-पिये। क्या उनकी बेल नहीं हो सकती थी ? एक उस व्यक्ति को जिसने एक मर्डर किया था, उसको तो मास्टर बनाया जा सकता है, मगर निरपराध मास्टरों की मामूली बात पर उनकी बेल भी नहीं हो सकती। मान्यवर, प्रशासन में भी

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

अगर मोटिव चला तो इस प्रदेश और देश का क्या हाल होगा ? इस तरह की चीजों को अगर आप रोकने में असमर्थ हैं तो यह सरकार की अपात्रता है। इसलिये मैं मांग करता हूं और स्पष्ट मांग करता हूं कि जौनपुर, देहरादून, बांदा, झांसी और बुलन्दशहर जहां के बारे में मुझे अभी बताया गया कि एक आदमी को पकड़ कर पुलिस ने पेड़ से बांध दिया और उसके गोली मार दी और कहते हैं कि एन्काउन्टर में डकैत मारे गये, इस प्रकार के कृत्य पुलिस के हो रहे हैं। इसकी एक जुडीशियल इंक्वायरी हो और निडर होकर जो भी कुछ उसकी फाइंडिंग्स हों उनके ऊपर अमल किया जाय और जो दण्ड का भागी हो उसको दण्ड दिया जाय। सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाय।

जौनपुर का डी० एस० पी०, एस० आई० से आया है। शर्मा उसका नाम है। उसने जौनपुर में आतंक फला रखा है। वह सोचता है कि पावर वाले को खुश रखा जाय और आगे बढ़ा जाय। इस तरह से प्रशासन नहीं होगा। मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो इस प्रकार व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रशासन में चलता है उसको बन्द करें और न्यायपूर्ण ढंग से प्रशासन को चलायें। जो दोषी हो उसको दण्ड दिया जाना चाहिये, लेकिन दण्ड के माने उद्दंडता के कभी नहीं होते। मैं यह नहीं मानता कि लड़कों ने कोई उद्दंडता की। एफ० आई० आर० में लाठी लेकर चलने की बात है तो लाठी लेकर चलने वाला कोई गांव का होगा, लड़के कभी नहीं हो सकते। इसलिये मैं कहता हूं कि शासन में न्याय होना चाहिये, मैं यह मानता हूं पुलिस के पास पावर्स हैं, लेकिन जिसके पास अधिकार हैं उसके ऊपर शासन का उतना ही कन्ट्रोल भी होना चाहिये। उसके खिलाफ मिनिस्ट्री को कभी यह न चाहिये कि पुलिस के सभी काले कारनामों पर पानी फेरे। आपको पुलिस की बढ़ती हुई गुंडागर्दी रोकनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मांग करता हूं कि इन सारे अधिकारियों को निलम्बित किया जाय, और एक ओपेन जुडीशियल इंक्वायरी करायी जाय, हाई कोर्ट का एक जज उसमें हो और उसके जो निर्णय हों उनको कार्यान्वित किया जाय।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय श्रीपालसिंह जी तथा बेचनराम जी बोल रहे थे तब मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पुलिस ने सचमुच में ही ज्यादती की होगी और मैं भी सोच रहा था कि ऐसी पुलिस का वाकई में कंडेमनेशन होना चाहिये। परन्तु माननीय यादवेन्द्रदत्त दूबे जी के भाषण को सुनने के बाद मेरा विचार बिलकुल बदल गया। मुझे अफसोस है कि जिस वक्त माननीय दूबे जी देहरादून के वाकयात को सदन के सामने रख रहे थे तो मैं सोच रहा था कि क्या इतना भी झूठ बोला जा सकता है ? उन्होंने सारी तस्वीर को ही रंग कर रख दिया। जब ऐसा हो सकता है तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि धारा प्रवाह में पड़ कर कुछ गलत फैसले भी हो जाते हों। जैसा कि दूबे जी ने कहा माननीय नित्यानन्द स्वामी जो जनसंघ के एक नेता हैं, उनको मैं एक जिम्मेदार आदमी समझता था और समझता था कि वे एक समझदार आदमी हैं लेकिन उनकी ओर जो भी मेरा श्रद्धाभाव था वह २६ तारीख की शाम से खत्म हो गया। मैं सही बताता हूं।

एक सदस्य—

आप तो बड़े बच्चे थे न।

श्री बृजभूषणशरण—

मैं बच्चा नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य बता देना चाहता हूं कि जब से नित्यानन्द स्वामी ने वकालत शुरू की उसके २० साल पहले से मैं वकालत करता हूं और जिनको आप लीडिंग एडवोकेट कहते ह उन्होंने शायद एक भी डकैती या कत्ल का केस न किया होगा। मगर मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। मैं वहां पर चार बजे पहुंच गया था। (किसी के कुछ कहने पर)

जमानत कराने वालों को वकील नहीं कहा जाता है। कोई भी बड़ा वकील जमानत की दरख्वास्त लेकर नहीं जाता है।

मान्यवर मैं यह कह रहा हूं कि अभी दूबे जी कह रहे थे कि वहां गाय मारी गयी, घोड़े मारे गये और दूकानें लूटी गयीं। यह बिलकुल वास्तविकता से परे बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तरीका ठीक नहीं है कि बीसों आदमी खड़े होकर शोर मचाने लगें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन् बीसों आदमी शोर नहीं मचा रहे थे, सही-सही कहें।

श्री बृजभूषणशरण—

जिस आदमी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा वह तो सही कह रहा था और जो ४ बजे से लेकर रात के ११ बजे तक वहां मौजूद रहा वह सही नहीं कह रहा है। माननीय दूबे जी ने जो यह बात सही कही कि जो स्वयंसेवक मारा गया वह बहुत अच्छा स्वयंसेवक था और सौदागरसिंह जिसने उसे छुरा मारा वह बहुत ही खराब आदमी है। लेकिन हमें देखना तो यह है कि उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वह कहां तक सही है। जैसा कि दूबेजी ने कहा—यह सही है कि सौदागरसिंह स्त्रियों के इनक्लोजर की तरफ घुस रहा था तो वह स्वयंसेवक जो ड्यूटी पर था उसने उसे रोका, उसी समय सौदागरसिंह ने उसे छुरा मार दिया। वह स्वयंसेवक उस बदमाश सौदागरसिंह के खिलाफ पहले एक केस में शहादत दे चुका था, इससे भी सौदागरसिंह उसके प्रति अपने दिल में दुश्मनी रखे हुए था और इसीलिये उसने उसे तुरन्त ही छुरा मार दिया। जैसे ही उसने छुरा मारा, ४–६ कदम जाते-जाते उसे पकड़ लिया गया और उसे हवालात में ले जाकर उसके खिलाफ ३०२, कत्ल का मुकदमा कायम किया गया। उसकी जमानत नहीं हुई है, वह आज भी जेल में है और तनहाई में रखा गया है। पुलिस ने तुरन्त ही उसके खिलाफ ऐक्शन लिया।

(व्यवधान)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि पुलिस जो कुछ कर सकती थी वह उसने तुरन्त ही किया। अगले दिन सुबह ही लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया, शहर में कोई चर्चा नहीं थी, हर आदमी को अफसोस था। देहरादून के बड़े-बड़े आदमी उसके जनाजे में शामिल होने वाले थे और करीब ८–१० हजार आदमी उस शहीद के जनाजे के साथ जाते, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में पोलिटिक्स को लाकर उसकी मिट्टी को खराब कर दिया। श्मशान घाट की तरफ लाश ले जाने के बजाय उसे बीच में ही रोक लिया गया और थाने के पास सड़क के चौराहे पर रख दिया गया। वहां ६ बजे तक उसकी लाश पड़ी रही। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उस स्वयंसेवक के मां-बाप दोनों अन्धे हैं, उसके घर में उसका कोई भाई भी नहीं। उसकी नौजवान बीवी को बरगला लिया गया और उसकी लाश चौराहे पर रख दी गयी तथा उसके चारों ओर एक भीड़ लग गयी और यह मांग की जाने लगी कि कोतवाल को हमारे सुपुर्द किया जाय, उसकी सारी वर्दी यहां उतारी जाय और उसको तुरन्त सस्पेंड किया जाय।

आखिर कोतवाल का क्या कसूर था? यह तो एक कल्पना करने की बात है कि जिसका कोई भी कसूर न हो उसके लिये इस तरह की मांग की जाय। फिर मांग की जाने लगी कि इन्स्पेक्टर को तुरन्त सस्पेंड कर दिया जाय। मैंने श्री नित्यानन्द स्वामी से कहा भी कि आखिर उसका क्या कसूर है जो इस तरह की मांग की जाती है? मैंने उनसे यहां तक कहा कि आप एक झूंठी शिकायत ही लिख कर दे दो ताकि दशहरे के रंग में भंग न हो, फिर मैं कोशिश करके उसको किसी तरह से सस्पेंड करवा दूंगा ताकि कोई ऐसा मामला कल दशहरे के दिन न हो जाय कि लाठी

[श्री बृजभूषणशरण]

चार्ज हो या गोली वगैरह चले। मैंने उनसे बार-बार लिखकर शिकायत करने को कहा, लेकिन वे लिख कर शिकायत करने के लिये तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर कुछ नहीं देता। सिटी मैजिस्ट्रेट ने उनको समझाया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा—एस० पी० भी वहां मौजूद थे, लेकिन वे बराबर यही कहते रहे कि "आई वाँट हिज सस्पेंशन हियर ऐंड जस्ट नाऊ"। मैंने कहा कि आखिर उसने क्या जुर्म किया है। फिर वे इसकी मांग करने लगेंगे कि कलेक्टर और एस० पी० को सस्पेंड कर दिया जाय। क्या यही तरीका है नेतागिरी जमाने का? मैंने उनसे कहा कि कल दशहरा है और कोतवाली के सामने इस तरह के खिलवाड़ मत करो लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं किया गया और तमाम गुंडागर्दी की गयी (शेम-शेम)। इसके बाद श्री नित्यानन्द स्वामी की तरफ से एक वार्निंग दी गयी कि हम १५ मिनट का समय देते हैं, इस बीच में सर्किल इन्स्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाय वरना हम कोतवाली के अन्दर घुस जायेंगे और उसको खुद सजा देंगे। १५ मिनट तक हमारे अधिकारी सोचते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और यह लोग वैसे ही शोर-शराबा मचा रहे हैं जरा देर में यह लोग अर्थी को लेकर चले जायेंगे। लेकिन उसके बाद जब १५ मिनट बीत गये तो दूसरी वार्निंग दी गई कि हम आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं वर्ना हम लोग कोतवाली में घुस जायेंगे और उसके बाद कूद कर वह कहते हैं कि कोतवाली में बुलाया गया। बुलाने की जरूरत क्या थी? कौन मसला था कि जिस में उन से सलाह करना था। उन्होंने घोड़े को मारा नहीं बल्कि जब तांगेवाला गिरफ्तार हो गया तो घोड़ा कोतवाली में बांध दिया गया, और क्या उस को खोलकर भगा देते?

(व्यवधान)

उस तांगे में से वह कूदकर करीब-करीब जितनी दूर गेलरी है वह रश करते हुए भागे कोतवाली के दरवाजे की तरफ और वह कहते हैं कि कोई वार्निंग नहीं दी। उसी समय वहां सी० एम० ने दफा १४४ का एलान किया और नाफिज किया और बताया कि जो इसके खिलाफ करेगा उस को इस-इस तरह से सजा दी जायगी। इसी प्रक्लेमेशन के बाद मेरे पास जो हथियार था वह मैंने भी दाखिल किया क्योंकि मेरे पास भी उसका रहना जुर्म हो जाता। उस के बाद टीयरगैस चली और जो उस की फट-फट हुई तो उन के बहादुरों को मालूम पड़ा कि गोली चल गई.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग जरा शांत रहें।

श्री बृजभूषणशरण—

जो लोग नारे लगा रहे थे कि गोली सहेंगे छाती पर, उन्होंने ही टीयरगैस की खाली फट-फट से ही भागना शुरू किया और जब श्री नित्यानन्द स्वामी को यह मालूम देने लगा कि इतने से ही हमारी मिलिटरी फेल हुई जा रही है तो उन्होंने एलान किया कि ए बुजदिलो। अगर इसीलिये भागने को आये थे तो तुम्हें लानत है, भागे क्यों जा रहे हो? उस के बाद वह लोग फिर कुछ इकट्ठा हुए और जब वह लोग टीयरगैस से भी नहीं हटे तो लाठीचार्ज का हुक्म दिया गया और बहुत ही माइल्ड लाठी चार्ज किया गया और केवल ११ आदमी अस्पताल में मरहम पट्टी के लिये भेजे गये, २ की तो कलाई की हड्डी में मामूली क्रेक था और बाकी ९ आदमियों को मामूली टिंचर आइडीन लगाकर अस्पताल से वापस भेज दिया गया। कहा गया कि नित्यानन्द स्वामी को मारा गया, इसका मुझे बिलकुल इल्म नहीं है, हो सकता है कि भीड़-भड़कम में कहीं उन के कुछ चोट लग गई हो....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, वह यह बतायें कि....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से बीच में न टोकें।

श्री बृजभूषणशरण—

लाठीचार्ज जब किया जाता है तो उसका मतलब होता है एफेक्टिव लाठीचार्ज और अगर ऐसी हालत में पुलिस ने ऐसा किया तो ठीक किया गलत किया और अगर उस हालत पर काबू पुलिस न पा सकती तो वह गुनाह करती योंकि उसके बाद गोली चलानी पड़ती। अगर वह ऐसा न करती तो वह वेतन पाने की अधिकारी नहीं थी और मन्त्री जो भी अगर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो वह यहां बैठने के योग्य नहीं होते।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा कि दूबे जी ने कहा है कि प्रदेश का हर नागरिक आज इस बात से परेशान है कि जब से माननीय ठाकुर हरगोविन्दसिंह के हाथ में पुलिस का मुहकमा आया है तबसे गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर राज्य के अन्दर बढ़ी हुई है। हर जगह पुलिस अपनी मानमानी कर रही है। जौनपुर की घटना, देहरादून की घटना, फतेहपुर की घटना और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के साथ पुलिस का बर्बर व्यवहार हो और जो कुछ मनमाने ढंग से पुलिस द्वारा किया गया उसको देखने से ऐसा लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश में आज अमनचैन की हालत नहीं है, आज गुंडागर्दी बढ़ रही है और इस सबकी जिम्मेदारी पुलिस पर है। इसमें कतई संदेह नहीं है। जो घटना कुंवर श्रीपालसिंह ने बतलाई है और अखबारों में छपी है उससे मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर हरगोविन्दसिंह के रहते इस राज्य में अमनचैन रह नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से सुनियोजित ढंग से गुंडागर्दी चलाई जा रही है। दूसरी तरफ आप विद्यार्थियों पर आरोप लगाते हैं कि वे स्टेशन लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मास्टरों को पीटा जायगा, और प्लेटफार्म के अन्दर इस तरह से उनकी बेइज्जती की जा गी और उसकी सुनवाई राज्य के अन्दर नहीं होगी तो लड़कों ने जो काम किया है, कुंवर श्रीपालसिंह जी ने तो उसका खंडन किया है लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं कि लड़कों की तरफ से जो काम नहीं हुआ अगर वह काम भी होता तो जायज होता। मास्टरों के पीटे जाने की रपट तक नहीं लिखी गई और अगर उसके बदले में लड़के जुलूस निकालें तो उन पर आप लाठी प्रहार करेंगे और उनको जेल में बन्द करेंगे। जिस रास्ते से मास्टर जा रहा था स्टेशन के कर्मचारी से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसको उसने पीटा। इतना ही नहीं, जैसा कि कुंवर साहब ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से माननीय हरगोविन्दसिंह, जो वोट देने वाले गुंडे हैं सरकारी पार्टी को बढ़ाने के लिये, उनको शरण दें और दूसरी पार्टी के शरीफ आदमियों को आप पीटें और पिटवायें तो मैं साफ कहता हूं कि इस तरह से यह आपका शासन चल नहीं सकता। मेरे पास मेरठ के एक सिपाही, श्रवणसिंह जो नेफा में तवांग के अन्दर जिस वक्त हम यहां इमर्जेन्सी की बहस कर रहे थे और जिस वक्त दिल्ली और लखनऊ में मिनिस्टर लोग अपने घरों में बैठे आसमान देख रहे थे, जिस वक्त माननीय हरगोविन्दसिंह और जवाहरलाल नेहरू यह सोचते थे कि कौन सा ऐसा मुहकमा है जिसमें हमारी सिक्योरिटी रहेगी, अपनी व्यक्तिगत हिफाजत की सोच रहे थे चाहे देश की हिफाजत हो या न हो, उस वक्त यह श्रवणसिंह मुल्क की हिफाजत के लिये तवांग में लड़ रहा था और यहां उसकी बीवी को लूटा गया, उसको भगाया गया और २६ हजार का माल उसका लूट लिया गया। डकैती की रपट तक थाने के अन्दर नहीं लिखी गयी। उसके घरवाले जब फौजी अफसरों से मिले और श्रवणसिंह घर छुट्टी आया तो श्रीमन्, देखिये हमारे सामने लिस्ट है, प्रधान मन्त्री नेहरू से लेकर चन्द्रभानु गुप्त और उनकी हुकूमत में रहने वाले २२

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

अधिकारियों के पास जा-जा कर उसने रपट की लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, हमारे बलिया जिले के अन्दर एक लड़के को मारते-मारते जान ले ली गयी। देवरिया में भी ऐसी ही घटना हुई लेकिन आज तक माननीय हरगोविन्दसिंह की सरकार बिलकुल चुप है। कोई दफा ५२ लाओ, सवाल पूछो लेकिन आप सबकी उपेक्षा करते हैं। आपके अधिकारी कितना उल्टा काम करें कोई देखने वाला नहीं है। जो ३०२ और ३९५ के जुर्म करें उनकी कार्यवाहियों पर आप परदे डालकर चुप रहें इसलिये कि आप को उनसे वोट मिलते हैं, उनसे चन्दा मिलता है, एलेक्शन में वह आपकी मदद करते हैं लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में आप अमन चैन की व्यवस्था कायम नहीं कर सकते हैं और आपका शासन नहीं चल सकता है।

(इस समय ५ बजकर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्दराय पीठासीन हुए।)

इतना भ्रष्ट हो गया है, आज प्रदेश में अमनचैन तो छोड़िये, गुंडागर्दी पर आमादा है। ३०२ में डकैती और कत्ल में सजा पाने वाले, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, ऐसे ३, ४ कानपुर के गुंडे हैं, लेकिन माननीय हरगोविन्दसिंह की सरकार गवर्नर से सिफारिश करके उनको माफी दिलवा लिये हैं। इससे बहुत बड़ा बावेला पैदा हो सकता है। अगर आप पुलिस को ठीक नहीं करोगे तो शासन १९६७ तक नहीं चल सकेगा। उससे पहले ही बगावत हो जायगी। मैं माननीय यादवेन्द्रदत्त तथा कुंवर श्रीपालसिंह जी से कहूंगा कि यह भाषण यहां सदन में करने की जरूरत नहीं है बल्कि जौनपुर और देहरादून में होने चाहिये और जनता को आमंत्रित करें कि वह इस शासन को उखाड़ फेंकें। जब तक हरगोविन्दसिंह जी और कांग्रेस की सरकार रहेगी गुंडागर्दी चलती रहेगी। विरोधी दल जनतन्त्र की लड़ाई लड़ें, लेकिन १९६७ के पहले प्रदेश में तूफान पैदा किया जाय जिससे यह सरकार बदले और इसको तूफान बदतमीजी ज्यादा न चलने पाये।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो आज का विषय है उस पर बोलने में अनेक प्रकार की परेशानी दिमागी पैदा हो रही है। मैं तो इस बात के लिये मशहूर हूं कि सरकार का समर्थन उल्टे सीधे जिस प्रकार से होता है करता रहता हूं, बातें चाहे कुछ अच्छी भी न लगें लेकिन करता रहता हूं। लेकिन आज का विषय ऐसा है कि दिल मसोस कर रह जाता हूं। वह बातें जो आज दिल दिमाग में घुसी हैं जिनको सोच कर देख कर परेशानी हो रही है उनकी तरफ कुछ कहने की तबियत हो रही है और मैं उन सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि वह उसको किसी विशेष रूप से समझने की कोशिश न करेंगे। इधर ३, ४ महीने से प्रदेश में इस तरह की दुर्घटनायें घट रही हैं जिनसे यह साबित होता है कि कोई खास बात पैदा हो गई है पुलिस विभाग के अन्दर। उस विभाग में अच्छे आदमी भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छाइयां बुराइयां हर विभाग में हैं। लेकिन इधर ३, ४ महीने में क्या वजह है जिससे सब बुराइयां ही दिखायी पड़ रही हैं? कहीं विद्यार्थियों पर गोली चल रही है, कहीं अध्यापकों को बन्द किया जा रहा है, कहीं महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं विधायक लोग बेइज्जत किये जा रहे हैं। इन सब से परेशानी होती है, सोचना पड़ता है कि कारण क्या है। मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। जनतन्त्र में गुस्से से काम लेने का कोई स्थान नहीं ....

श्री अधिष्ठाता—

मेरा अनुरोध है कि ५ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य लें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

गुस्से से काम लेने से ज्यादती हो जाती है। आप के हाथ में शक्ति है, उसका सदुपयोग होना चाहिये। आप सोचें कि कारण क्या है। पहले की भी पुलिस देखी है, लेकिन आज जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस देख रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई महान् अन्तर पैदा हो गया हो। वही हमारे आई० जी० हैं, वही हमारे डी० आई० जी० हैं, और वही हमारी पुलिस की मशीनरी है, वही हमारे सेक्रेटरी हैं लेकिन कौन सी बात ऐसी हो गयी कि चारों तरफ से प्रदेश भर में उपद्रव पैदा हो गया है ? मैं चाहता हूं कि वे किसी भी कारण से हों उसके लिए केवल गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं क्योंकि यह विभाग उनके हाथ में है। आज उन्हें सब जिम्मेदारी सहर्ष अपने सिर ओढ़ लेनी चाहिए और ईमानदारी से महसूस करना चाहिए और उन बातों पर गौर करने के बाद वे कार्य करने चाहिये जिनसे आज जो अशान्ति बढ़ती जा रही है, समाप्त हो सके। एक स्टेशन मास्टर के डांटने डपटने और मारने के अभियोग में वहां विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जाय यह बात अच्छी नहीं लगती। यह माना कि वहां किसी अध्यापक ने स्टेशन मास्टर को मारा और स्टेशन मास्टर ने अध्यापक को मारा, यह सब बातें सही हैं, लेकिन यह गलत है कि इतने छोटे से कसूर के लिए इतना बड़ा बवंडर पैदा किया जाय कि गोली चलाई जाय, अध्यापकों को जेल में बन्द कर दिया जाय, यह उचित बात नहीं है।

मैं माननीय पुलिस मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और वे गुस्से से काम न लें। मैं भी ठाकुर हूं और ठाकुरों को गुस्सा अधिक होता है, तो वे इधर उधर की बातों को न देखें वे अपनी बुद्धि से काम लें। जब वे इस स्थान पर बैठे हैं तो वहां ठकुराई से काम न लें। इन सब बातों का समाधान ढूंढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी से क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नोटिस दिये थे, क्या उन सब लोगों को टाइम मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं प्रवास कर रहा हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् पिछले ६ महीनों से इस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश भर में हो रही हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुलिस द्वारा की गयी घटनाओं का जाल फैल गया है और वे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सारा पुलिस प्रशासन प्रदेश में शिथिल हो गया है। मेरा विचार है कि इस सदन में शायद ही एक या दो व्यक्ति होंगे जो इसको स्वीकार न करें। मैं इन सब घटनाओं की सब से बड़ी जिम्मेदारी भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के ऊपर समझता हूं जिन्होंने इतने बड़े विभाग को अनेक बड़ी जिम्मेदारियों का भार रहते अपने हाथ में रखा और सारी जिम्मेदारी उपमंत्री के हाथ में सौंप दी। मैं समझता हूं कि वहीं से ढिलाई शुरू हुई है। अब मुझे खुशी है कि एक सीनियर मेम्बर के हाथ में यह विभाग आ गया है। यह कार्य भी उसके लिए एक कसौटी है। चरणसिंह जी के हाथ में जब यह विभाग था तो स्पष्ट रूप से इसमें सुधार दिखाई पड़ने लगा था। उस समय प्रदेश के कोने-कोने से स्पष्ट होने लगा था कि विभाग मजबूत हाथों में है लेकिन वे हाथ उठा दिये गये। अब एक मजबूत आदमी के हाथ में यह विभाग फिर आया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप कतिपय घटनाओं को देखें। पुलिस द्वारा और पुलिस स्टेशन तक में बलात्कार की घटनायें बढ़ती जाती हैं। फैजाबाद कोतवाली के साहबगंज पुलिस आउट पोस्ट में सिपाहियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। गाजीपुर में एक गहमर गांव है। १८५७ की प्रथम आजादी की लड़ाई में वह बागी गांव था। ४२ के क्रान्तिकारी संघर्ष में वह विद्रोही गांव रहा। उस गांव में पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करने जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिये पूरी बटैलियन पी० ए० सी० की वहां जाती है। गहमर गांव वालों ने एक बार पुनः महसूस किया कि स्वराज्य सरकार में भी वही बर्ताव उनके

[श्री शारदाण्डेराय]

साथ हुआ जो ४२ में अंग्रेजी सरकार ने उनके साथ किया था। गांव को लूटा गया, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें पीटा गया और बहुतों को बन्द क के कोतवाली लाया गया। आजमगढ़ में अभी एक जिला परिषद् के सदस्य श्री जगदम्बा सिंह, एक ब्लाक प्रमुख श्री गंगाप्रसाद पांडेय दोनों कांग्रेसी सज्जन हैं, की निर्मम हत्या होती है और कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो सकी। बलिया के अन्दर बांसडीह थाने की पुलिस वहां के गुंडों से मिल कर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता सु तानपुरी को दबाने की कोशिश किया करती है। पुलिस विरोधी प्रदर्शन पर हमला करने की साजिश करती है। उन्नाव में खुद सरकार ने जवाब दिया है कि १७६ कत्ल के केसेज लापता हैं। सी० आई० डी० इंक्वायरी कर रही है और वह प्रसिद्ध केस जिसमें एक पूरा परिवार जान से मार दिया गया, लापता है। इसी तरह वाराणसी में आप को मालूम होगा, अभी अभी ज्ञानपुर में एक आदमी ने महीनों अपनी रक्षा की मांग पुलिस से की लेकिन पुलिस से कोई रक्षा नहीं मिली। कच री में उसे एक मुकदमे के सिलसिले में हाजिर होना पड़ा और उसने कहा कि उसे एस्कोर्ट मिलना चाहिये लेकिन वह उसे नहीं दी गयी और कच री में जब वह हाजिर हुआ तो उसकी हत्या कर दी गयी। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री महोदय ने सख्त कार्यवाही की है। ऐसी कार्यवाहियों की जरूरत है। प्रतापगढ़ में सिंगरौली की रानी की निर्मम हत्या का अभी तक कोई पता नहीं। आगरा कचहरी में एक मुजरिम हाजिर होने जा रहा था, उसे पुलिस अदालत से ही पीटते खींच कर पकड़कर ले गयी। इस तरह पूर्व से पश्चिम तक घटनाओं का एक सिलसिला जारी है। इन घटनाओं पर सरकार को, सदन को और आप को गम्भीर चिन्ता का रुख अख्तियार करना चाहिये तभी रोकथाम की जा सकेगी। मैं चाहता हूं कि न केवल इन घटनाओं की अलग-अलग जांच की जाय बल्कि यह सिलसिला क्यों शुरू हो गया है, प्रशासन क्यों ढीला हो गया, कौन से उपाय हैं जिनके अपनाने के बाद हम ठीक से काम कर सकते हैं उन पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

इसी तरह से एक केस में मुझे खुद जानकारी है। आजमगढ़ जिले में जो मेरी कांस्टीटुएंसी है उसमें एक घटना घटी। १ सितम्बर को ४ बजे दिन का समय है। दिन दहाड़े चौराहे पर दोहरीघाट के नायब थानेदार ने जो एक मुसलमान सज्जन हैं और जिनका नाम मैं नहीं जानता, एक सिपाही को गोश्त वाले के यहां भेजा। मुफ्त की आदत पड़ी हुई है। उस दिन गोश्त नहीं था। उसने आनाकानी की, थोड़ा देना चाहा या नहीं दे सका तो नतीजा यह हुआ कि सिपाही ने वापस थाना में नायब दारोगा जी से शिकायत की। नायब दरोगा साहब खुद गये और पचासों आदमी के सामने साढ़े चार बजे दिन में ५० हंटर उस गोश्त वाले दूकानदार को मारे। (शेम शेम।) मुझे रिपोर्ट मिली। मैं गया। मैंने खुद देखा और मंत्री महोदय को लिखा। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने एस० पी० को लिखा है। एस० पी० कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन जब किसी प्रकार नीचे वालों को पता चल जाता है कि एस० पी० साहब जांच में आने वाले हैं तो पेशबन्दी बचने की हो जाती है, गवाह नहीं मिलते हैं, मुश्किल से मामला उभड़ पाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन गम्भीर घटनाओं पर सख्ती से विचार किया जाय, उनके वजूहात, कारण जो हैं उनको पकड़ा जाय और उनको मजबूती से डील किया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, समय थोड़ा है इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाऊं। मुझको ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में पुलिस का मिनिस्टर कोई रहे उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। माननीय हरगोविन्दसिंह जी एसर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमको यह लगता है कि इस सूबे में पुलिस का मिनिस्टर और सर्वेसर्वा अगर कोई है तो वह आई० जी० हैं और उनकी कारगुजारियों को मैं कई वर्षों से देख रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जुर्म छिपाने का काम और जुर्म कराने का काम इन दोनों कामों में जितने सिद्ध हस्त हमारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई० जी० हैं उतना अभी तक कोई हुआ नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नत्थूसिंह जी इस विधान सभा के सदस्य हैं। उनके घर में पुलिस ने छापा मारा, बड़े जोर शोर के साथ मारा, लेकिन छापा मारने में कुछ सामान नहीं मिला। फिर भी नत्थूसिंह जी को पकड़ ले गये और तीन, चार घंटे थाने में बिठाने के बाद उनको बाइज्जत बिदा कर दिया। आखिर उनको यों पकड़ा गया? यह कहा जा सकता है कि ऐसी इन्फार्मेशन पुलिस के पास थी कि उनके घर में बड़े असलाह हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी इन्फार्मेशन उन्हें मिली वह झूठी थी। उस पर अगर पुलिस ने यकीन किया तो उसको क्या कहा जाय, या तो वह बेवकूफ थी या बेईमान थी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री गेंदासिंह—

दूसरी घटना मैं बांदा के गांव की अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर एक घर पर डाका पड़ा और डाका पड़ने के साथ साथ कुछ लड़कियों के ऊपर बलात्कार भी किया गया और कहा जाता है कि उसमें पुलिस का आदमी भी शामिल था। उस दिन तक तो मुझे यह संकोच लगता था कि पुलिस को ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने यहां से आज आ रहा हूं और एक कांस्टेबिल के बारे में जो कुछ मैंने सुना है, उसकी जांच हो रही है, अदालत में मुकदमा है इसलिये कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जितनी बात मैंने सुनी है और जिसकी बुनियाद पर मुकदमा चल रहा है उससे मैं भी डरा जाता हूं। वह कांस्टेबिल है और मुलाजिमत करते हुये मालूम हुआ कि एक नोटोरियस गैंग का वह मेम्बर है। एक और घटना मुझे यह मालूम हुई कि बांसगांव तहसील में समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री जगदीशसिंह को सड़क पर से पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया गया और तीन, चार घंटे के बाद जब कुछ कांग्रेस के महानुभावों ने और कुछ दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया तो उनको मेहरबानी करके छोड़ दिया। आखिर प्रजातन्त्र के थोड़ा बालिग होने पर नागरिक जीवन का मूल्य कुछ बढ़ना चाहिये और मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस भी एक आवश्यक अंग है हमारी हिफाजत करने और हमारी इज्जत बढ़ाने के लिये। लेकिन अगर वह हमारी इज्जत बढ़ाने के बजाय हमारी इज्जत बरबाद करने वाली साबित हो, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आज की पुलिस दस वर्ष पहले की पुलिस से भिन्न है।

मैं यह कहता हूं कि माननीय हरगोविन्दसिंह जी देखें कि पुलिस में क्रिमिनल एलीमेंट जितना इस समय है उतना पहले नहीं था और हमारी जिन्दगी को हराम करने में जितना कारगर हो रहा है उतना बचाने में नहीं हो रहा है। समाज में जितने दोषी लोग हैं, जो भले आदमियों को तंग कर सकते हैं, उनको असलाह की कमी नहीं है और भले आदमी अपने को बचा नहीं पाते हैं। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी कोशिश करते हैं और उसके बावजूद यह स्थिति है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। मैंने २–३ घटनाओं का जिक्र किया है इसलिये कि मुझे उनकी जानकारी है और मुमकिन है मिनिस्टर साहब ने भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वे पुलिस के बड़े घोड़ों पर लगाम न लगा सकें तो हमें लगता है कि वे गिर जायेंगे और उनकी टांग टूट जायगी। (व्यवधान) मर नहीं जायंगे, मैं किसी के लिये ऐसा नहीं कहता हूं। टांग टूटने का डर है। इसलिये ठीक से लगाम लगा कर घोड़े पर बैठें।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे हार्दिक दुःख है पुलिस की गतिविधि पर जिसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि विरोधी दलों के सभी प्रमुख लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

साधारणतया मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो बिना सिर पैर के किसी बात को बढ़ा कर कहूं। इधर भाग्य या दुर्भाग्य से प्रान्त में जो घटनायें घटी हैं और जिससे प्रान्त की जनता पर जो प्रभाव पड़ा है उससे पुलिस के प्रति लोगों में अविश्वास बढ़ा है।

जौनपुर की घटना बताई गई, इसके बाद देहरादून की बताई गई और उनमें हमारी पुलिस ने अध्यापकों और विद्यार्थियों को मारा और देहरादून में एक प्रतिष्ठित वकील हैं, और माननीय बृजभूषणशरण भी वकालत पेशे के हैं, मैं शर्म का अनुभव करता हूं जब उन्होंने कहा कि जो बातें कही गई हैं वे बिना सिर पैर की हैं। वहां के बार एसोसियेशन ने आज ही समाचारपत्रों में प्रस्ताव निकाला है कि यह एक बड़ी शर्मनाक घटना है और इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये। वे कहते हैं कि हम गैरजिम्मेदार हैं, लेकिन क्या सारा बार एसोसियेशन गैर जिम्मेदार है? मैं कहता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था क्योंकि वकील वर्ग की ओर से यह प्रस्ताव आया है और वकील वर्ग ऐसा है नहीं जो बिना सोचे समझे जल्दी में कोई काम कर दे।

मैं आपका ध्यान एक और घटना की ओर दिलाना चाहता हूं और अखबारों में भी समाचार आया है। ललितपुर में जिस तरह से घटना हुई है उसकी मुझको भी जानकारी है। रघुनाथसिंह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देवीसिंह डकैत को मारा और पुलिस ने उनको एक हजार रुपया और रिवाल्वर दिया है। जब मैं वहां गया तो वहां की जनता ने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हमें पूरा-पूरा विश्वास है। इनकी वजह से हमारे डिवीजन में डकैतों का सफाया हो रहा है और हमें विश्वास होने लगा था कि हमें अब जीवन में वह दिन नहीं देखना पड़ेगा जब कि हमें रात-रात भर जागकर बितानी पड़ती थी। लेकिन जब से यह एस० पी० वहां आये हैं थानों से सम्बन्ध स्थापित करके पैसा पैदा करना चाहते हैं। रघुनाथसिंह जी ने कहा कि मेरी जान की हिफाजत नहीं हो सकती है। मेरे खिलाफ डकैत हैं और पुलिस भी है। इसलिये आप हमारी जान बचायें। मैं उनको लेकर गृह मंत्री जी के यहां गया इस विश्वास से और अब भी विश्वास करता हूं कि मेरी आशा विफल नहीं होगी। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ उन्होंने देवीसिंह जैसे डाकू को मरवाया है और डकैतों की समस्या वहां बड़ी भयंकर है, दूसरी तरफ पुलिस भी उनके पीछे पड़ी है, तो आप उनकी जान की रक्षा का क्या इन्तजाम करने वाले हैं? उन्होंने यह भी बताया कि देवीसिंह डकैत की हत्या के बाद उनके घर पर पी० ए० सी० तैनात रही, लेकिन जबसे उन्होंने एक दरख्वास्त पचास चार्जेज लगा कर वहां के एस० पी० के खिलाफ लिख कर गृह मंत्री को दिया तब से वह उनके खिलाफ हो गये। उन्होंने पी० ए० सी० हटा लिया। अब डकैतों को छूट है कि वह मार डाले जायं। हमको आश्वासन मिला कि पी० ए० सी० लगा देंगे। हमने कहा कि उनकी जान का खतरा है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, पी० ए० सी० लगा देंगे। रघुनाथसिंह वापस चले गये। मैं हरदोई में था। मुझे पत्र द्वारा मालूम हुआ कि रघुनाथसिंह गिरफ्तार कर लिये गये। मैं लौट कर आया। मंत्री जी से कहा कि एस० पी० साहब ने उनकी हिफाजत का बड़ा बढ़िया इन्तजाम कर दिया है, जेल के अन्दर बन्द कर दिया है। वहां खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और कोई खतरा नहीं। उन पर क्या मुकदमा चलाया गया? मध्य प्रदेश और ललितपुर की सरहद मिली हुई है। जब उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ गृह मंत्री को शिकायत कर दी, गृह मंत्री तक खबर पहुंच गयी, मैं भी मिनिस्टर साहब से मिल चुका तो उन्होंने जो सरहद मिली हुई है, दोनों तरफ के एस० पी० की बैठक हुई और उसमें उनको फंसा दिया गया। ९ जुलाई को डकैती पड़ गयी और उसमें एक दिन पहले जंगल में रघुनाथसिंह ने दो कारतूस दिये कि वह डकैती डालें। और दो आदमी उनके साथ वह गये जिनसे रघुनाथसिंह की अदालती रंजिश है। ४ अगस्त को उन्होंने एस० पी० को बताया। वह गिरफ्तार कर लिये गये। मैं पूछता हूं कि अगर डकैतों को कोई कारतूस देगा तो क्या साथ में दो दुश्मनों को ले जायगा? यह सम्भव है? मैं भी वकील हूं। दूसरे अगर उनके सामने कारतूस दिये गये तो उन्होंने तीन महीने क्यों छिपाये रखा। जब एस० पी० महोदय के खिलाफ दरख्वास्त दी, जब हम गृह मंत्री से मिल गये तब वह गिरफ्तार कर लिये गये। यह इसका प्रमाण है कि नौकरशाही हाथ से निकल रही है।

यह गृह मंत्री को उनकी चुनौती है कि हम आपके पंजे में फंसने वाले नहीं हैं। मैं ललितपुर गया। वहां की सब पार्टियों ने कहा गोस्वामी जी ने इस्तीफा दे दिया, वह एक कांग्रेस के सदस्य हैं लेकिन कोई फल नहीं निकल रहा है। जब मैंने वहां के लोगों से कहा कि आप घबराइये नहीं, मैं माननीय गृह मंत्री की तरफ से आश्वासन देता हूं कि इसमें कार्यवाही होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपकी आवाज विधान सभा में उठाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि विधान सभा में जब आप कहेंगे तो मुझे एक डर है कि माननीय गृह मंत्री खड़े होकर सारे के सारे की सफाई दे देंगे। एक सर्टिफिकेट हो जायगा पुलिस को। इसलिए अगर आप कृपा करके वहां यह बात उठाते हैं तो यह बात भी कह दीजिएगा। नहीं तो, जो मामला रखा जाता है विधान सभा में, गृह मंत्री अपना कर्तव्य समझते हैं कि उसके खिलाफ यह कह कर कि नहीं यह बिलकुल ठीक है, उसका सर्टिफिकेट दे दें और फिर एस० पी० कहते हैं कि ले लिया, पा लिया विधान सभा में सवाल उठा कर? वहां की पब्लिक ने बिलकुल खुल कर यह कहा। मैंने उनसे कहा—आप इतना न डरिये। सत्य सामने आकर रहेगा।

ललितपुर के बाद मैं झांसी गया। झांसी में सारे प्रेस कारेस्पांडेट्स से मिला क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि असलियत क्या है। रघुनाथसिंह के बारे में वह प्रचार कराया जा रहा था कि वह बहुत खराब आदमी हैं, बहुत भारी डकैत हैं, तो मैंने कहा कि जो यह नया शगूफा छोड़ा जा रहा है यह क्या बात है? (Give the man a bad name and kill him.) यह जो रवैया शुरू कर दिया, यह नहीं होना चाहिये। तो सारे प्रेस कारेस्पांडेट्स से मैं मिला और उनसे पूछा कि रघुनाथ सिंह कैसे आदमी हैं और मैं आप से जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि सारे प्रेस कारेस्पांडेन्ट्स ने यह कहा कि यह बिलकुल गलत बातें हैं, वह ठीक आदमी हैं। लेकिन गृह मंत्री तो नौकरशाही की रिपोर्ट पर चल रहे हैं। मुझसे कहा गया बस पांच अखबारों में एस० पी० महोदय रुपया खर्च करके बयान निकलवा रहे हैं, परचे बंटवा रहे हैं यह प्रचार करने के लिए। जब मैं ललितपुर में था तो लोगों ने बताया कि ३०–४० तार दिलाये गए हैं लोगों से कि बहुत अच्छे एस० पी० यह हैं और इनको यहीं रखा जाय। क्या यह जनता और पुलिस के बीच वोटबाजी हो रही है और मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे उनकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? मैं जानता हूं कि गृह मंत्री ठीक करना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि जमाना बदल रहा है और सारी जनता को दुःख है। हम लोग यह देख रहे थे, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि पिछले दो सालों में इतना भ्रष्टाचार पुलिस में बढ़ा है कि हमारी आवाज को सुनकर वह समझती होगी कि हमारे जीवन के बारे में किसी ने कुछ कहा है। आप भले ही कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन गांव गांव में एक-एक आदमी आज इस चीज को समझ रहा है।

मैं यह सोच रहा था कि नये मंत्री आयेंगे, कोशिश करेंगे, कोई ऐसा इन्तजाम, कोई ऐसी योजना सामने आयेगी जिससे सारे प्रान्त भर में भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। (व्यवधान) लेकिन जहां ऐसी योजना की बात हम सोच रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में वहां बाहर बात हो रही थी, वहां पुलिस ने एक योजनाबद्ध होकर ऐसे कांड प्रारम्भ कर दिये हैं कि मैं समझता हूं कि मिनिस्टर को भी चुनौती वह दे रहे हैं। या तो मिनिस्टर महोदय नहीं चाहते उनको रोकना, सब कुछ उनकी इजाजत से चल रहा है जो मैं समझता हूं वह नहीं मानेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस की तरफ से और उधर से जो कुछ कहा जा रहा है तो आखिर क्यों घटनायें बराबर ऐसी होती चली जा रही हैं? अगर वह नहीं उसको रोकते तो जैसा लोग कहते हैं शासन नहीं चलने दिया जायगा, वह बात होकर रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री पूरा जोर लगायें और जनता का विश्वास प्राप्त करें। ऐसी स्थिति पैदा करें कि जनता का विश्वास इन्हें प्राप्त हो और नहीं तो प्रजातंत्र का जो दूसरा तरीका है, इसको छोड़ें। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि घटनायें ऐसी घटती चली जा रही हैं कि हर विधायक का सिर नीचे झुक जाता है वह जनता से बात करता है। मैं और कह रहा हूं कि नौकरशाही इतना जोर जमाये हुए है कि जो रिपोर्ट नीचे से लिख दी जाती है विधान सभा में उसको पढ़ दिया जाता है, कोई उसको देखता

[श्री शारदाभक्तसिंह]

तक नहीं। उनकी रिपोर्टों पर अगर विश्वास किया गया तो मर्ज बिगड़ता चला जायगा। इसलिए नौकरशाही पर कब्जा किया जाय और पूरे प्रदेश में जितनी घटनायें हुई हैं उनकी पूरी खुली जांच हो।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय बलवानसिंह, आप दो मिनट बोलेंगे, समय नहीं है। अभी आप माननीय गृह मंत्री का जवाब भी सुनेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें दो घंटे का विवाद सीमित है (व्यवधान) बलवानसिंह जी को बोलने दीजिये, फिर समय बढ़ाने पर विचार हो जायगा।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, अगर मैं यह कहूं कि पुलिस का माइंड, उसका दिमाग आज किधर जा रहा है तो यह कहना पड़ेगा कि वह एक किस्म का क्रिमिनल होता जा रहा है। सवेरे से शाम तक पुलिस बराबर इस बात के फिराक में रहती है कि किस तरीके से उसके पास रुपया आये। शाम तक वह यही सोचती रहती है और वह जानती है कि क्रिमिनल्स, डाकू, बदमाश, लुच्चे लोग कहां पर हैं ?

१ प्रतिशत जनता ऐसी है जो सारे गांव की शरीफ जनता को परेशान करती रहती है और उनको जान बचाना आज मुश्किल है। नवलकिशोर जी हमारे सामने बैठे हुये हैं। जब यहां पर बांदा कांड की बात आई थी तो यहां पर उनका भाषण हुआ। वहां पर ३ लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। उनको रेप किया गया। लड़कियों के फोटो हमारे पास हैं, इन लड़कियों की उमर १२ साल से १३ साल तक है। इन लड़कियों के साथ इन्टरकोर्स किया गया और पुलिस के लोगों ने इनके साथ इन्टरकोर्स किया जिसके लिये हमारे भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर ने कहा था कि ये लड़कियां इंवीचुअल इन्टरकोर्स की आदी हैं। इससे अधिक पुलिस के अत्याचारों का नंगा नाच और क्या हो सकता है ? क्या डिप्टी मिनिस्टर ने बांदा के अन्दर जांच कराई थी ? मैं उनसे पूछता हूं कि बिना किसी जांच के इस तरह की बात यहां पर कैसे कह दी गई ? बांदा ही में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और जगह भी इस तरह के वाकयात हुये हैं। कानपुर में रोजाना एक कत्ल होता है। बांदा में जो हुआ उसको यहां पर तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। पुलिस शासन में इस तरह से कांड हो रहे हैं। आई० जी० यहां पर बैठे हुये हैं। अगर वे कुछ पुलिस का सर्वे करायें तो उनको असलियत मालूम हो सकती है। आज यू० पी० की जनता अपने को सेफ महसूस नहीं करती है। जो हमारे विधायक हैं वे भी अपनी इज्जत आज खतरे में समझते हैं। आपको मालूम है कि नत्थूसिंह जी को ३,३ घंटे तक पुलिस थाने पर एक दारोगा ने बैठाये रखा और इस तरह से उनको बैठाकर बेइज्जत किया गया। उनको इस तरह से मोटर में ले जाया गया ताकि वे धूल मिट्टी खाते रहे और उनके ऊपर गलत चार्ज लगाये गये। क्या आज हमारे हरगोविन्दसिंह जी किसी डी० एस० पी० को सस्पेन्ड करने के लिये तैयार हैं ? अगर आज हमारे पुलिस मिनिस्टर ३,४ एस० पी० को सस्पेन्ड कर दें तो सारे प्रदेश के अन्दर जनता को एक राहत मिलेगी और उनके अन्दर पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय बलवानसिंह जी ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने मेरी चर्चा अपनी स्पीच में किया। मेरा विचार कोई बोलने का नहीं था। उन्होंने तीन लड़कियों के फोटो यहां पर दिखाये और देने के लिये कहा और यह कहा कि जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था तो पुलिस के सम्बन्ध में मैंने यह बयान दिया कि यह हैबीचुअल इन्टरकोर्स की आदी हैं। वह शायद भूल गये। मैंने यह कहा था कि यह मेडिकल रिपोर्ट है। माननीय बलवान सिंह जी हाउस में यदि किसी चीज को इस तरह से प्रेजेन्ट करें और तोड़-मरोड़ कर सदन में कहें तो इसका मुझे बड़ा अफसोस है और मुझे तकलीफ है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

कुछ समय बढ़ा दिया जाय। आपने स्वयं कहा था कि आधे घंटे का समय बढ़ाने की बात इसके बाद करेंगे।

श्री अधिष्ठाता —

एक सदस्य बोल लिये हैं। अब आप बैठ जायं। नियम ५३ को आप पढ़ लीजिये, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय समय निश्चित करेंगे। इसके लिये वह २ घंटे का समय निश्चित कर गये हैं। ४।।। बजे यह विवाद आरम्भ हुआ और ६।।। बजे यह विवाद समाप्त होगा। अब माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे। ऐसी स्थिति में मैं समय नहीं बढ़ा सकता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, नियम ५४ में आपको अधिकार है और आप स्वयं इसका समय बढ़ा सकते हैं और इसका निर्णय कर सकते हैं। इस पर सारे प्रदेश की दृष्टि लगी हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन की राय ले लेता हूं। अगर सदन की राय होगी तो समय बढ़ा दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय इसके लिये २ घंटे का समय निश्चित कर चुके हैं। अगर सदन की राय होगी तो समय बढ़ेगा अन्यथा नहीं बढ़ेगा।

(इस समय ६ बजकर २६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने का प्रस्ताव आपके सामने विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर किसी को एतराज न हो तो समय बढ़ा दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आप १५ मिनट का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर समय बढ़ाने के लिये सदन एक मत हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। (व्यवधान) अगर एतराज है तो समय नहीं बढ़ सकता। माननीय मंत्री जी को काल किया जा चुका है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय इस स्थिति पर पहुंचे थे कि इस समय बढ़ाने के प्रश्न पर सदन की राय ले ली जाय। तो पहले तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और आपको अधिकार है

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

कि आप आधे घंटे का समय बढ़ा दें। अन्यथा वैसे ही वित्त मंत्री जी ने पहले १५ मिनट ले लिया है वह हमें दें और इस प्रश्न को सदन में उपस्थित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह १५ मिनट तो हमने दे दिये। इसमें ही मंत्री जी का जवाब होगा।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, हमारी बात मान लीजिये।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

आपको १५ मिनट समय बढ़ाने का अधिकार है और आप वह भी नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारे दल का एक भी सदस्य नहीं बोला है, इसलिये हम इसके विरोध में अपने दल के साथ वाक आउट करते हैं।

(श्री नेकराम शर्मा तथा निर्दलीय दल के अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अध्यक्ष महोदय ने समय निश्चित कर दिया है। (व्यवधान) और मैंने गृह मंत्री जी को बुला लिया है। वे बोलेंगे।

श्री प्रेमसिंह—

हमारी तरफ से भी कोई नहीं बोला है। आप दो ही मिनट का समय दे दें नहीं तो बड़ा जुल्म हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं।

श्री हरगोविन्दसिंह (गृह मंत्री)—

श्रीमन्.....

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, इतने असंतोष के वातावरण में गृह मंत्री जी का भाषण होगा नहीं, इसे आप जान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

तो कायदे के खिलाफ आप बात करेंगे। फिर चाहे जो आप करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जब आपने मुझे इस विवाद का उत्तर देने की आज्ञा दी तो मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। श्रीमन्, इसके कारण हैं। पहला तो यह कि दुर्भाग्य से मैं ऐसे विभाग का मंत्री हूं कि जिसे मेरा १६,१७ साल का अनुभव है इस सदन का और उस सदन का, कभी यश नहीं मिला (व्यवधान) सुनिये, यह तरीका नहीं है। तो मैंने कभी यह नहीं देखा कि इस विभाग को कभी दो शब्द प्रशंसा के मिले हों। दूसरा असमंजस यह था कि दो तारीख को मैं इसका मंत्री हुआ और आज ३१ तारीख है। यह २९ दिन में एक बने बनाये विभाग को मैंने इतना खराब कर दिया, सचमुच में इतना शक्तिशाली हूं इसकी मुझे आशा भी नहीं थी। (व्यवधान) श्रीमान् तीसरा और

सबसे बड़ा असमंजस यह हुआ कि इस सदन की परम्परा को देखते हुए यह भी मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उस स्तर पर नहीं उतर सकता जिसमें जौनपुर के दुर्भाग्यवश दो राजा उतर आते हैं। मुझे यकीन है कि विरोधीदल के थोड़े से सम्मानित सदस्यों को छोड़ कर बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत अप्रिय लगेंगी लेकिन चूंकि नियम है सदन का और आपकी आज्ञा का आदर भी करना चाहता हूं, इसलिये मैं अपनी थोड़ी सी बात आपके सम्मुख रखता हूं।

हिटलर ने श्रीमन्, एक पुस्तक लिखी थी "मीन कैम्प" उसको मैंने पढ़ा था। उसमें यह देखा कि यदि झूठ बहुत दफा दोहराया जाय और जरा सख्ती से दोहराया जाय तो यहीं नहीं कि दूसरों को विश्वास हो जाय, अपने को भी विश्वास होने लगता है कि मैं सच ही कह रहा हूं। मुझे दुख: है कि इस सदन के माननीय सदस्य इसके शिकार हो गये हैं। २० तारीख को ९ बजे मैं जौनपुर शहर मे दाखिल हुआ। घटना १९ की है और कुल मैंने करा दिया? यह जरूर हुआ कि जब ९ बजे मैं पहुंचा और मुझे यह मालूम हुआ कि बदलापुर स्कूल में यह घटना हो रही है तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जिसकी बुहाई शायद एक या दोनों राजा साहब दे रहे थे मालूम किया और एस० पी० और डी० एम० से कहा—उस रोज सालिडरिटी डे था, मीटिंग भी थी, मैंने कहा कि मीटिंग में आपके जाने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों बदलापुर जाइये और आप शाम तक आ सकें तो बतलाइये कि क्या घटना हुई है। श्रीमन्, जब मैं चलने लगा, और मैं मौजूद नहीं था, मैं स्वीकार करता हूं, श्रीपालसिंह जी ने तो इस तरह से कहा कि शायद वह मौजूद रहे हों, तो जब मैं मोटर में बैठकर जाने लगा तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० दोनों आ गये और कहा कि साहब, स्टेशन पर बड़ा अत्याचार हुआ है। क्या घटना हुई, कैसे आरम्भ हुई, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं। राजा साहब तो मालूम होता है कि शुक्ला जी के इजलास पर खड़े थे जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने वायरलेस भेज दिया, जैसे खुद ही उन्होंने देखा होगा। मैंने पूछा कि कितने आदमी पकड़े गये, उन्होंने कहा कि ६ विद्यार्थी पकड़े गये और मास्टरान मिले नहीं, वह फरार हैं। इतना ही मैं जानता हूं। मैंने पहले ही कहा कि जो रिपोर्ट मेरे पास है उसके आधार पर कह सकता हूं। हो सकता है और शायद उसमें सत्यता भी है, मैं श्रीमन्, इसमें अपना गौरव नहीं समझता कि जो वस्तु स्थिति हो उसको किसी तरह छिपाऊं। कभी-कभी उसका दुष्परिणाम भी भोगा है। जैसा कि माननीय बैजनाथसिंह जी ने कहा बदकिस्मती से ऐसे घर में पैदा हुआ हूं कि बात छिपती नहीं, कह देता हूं।

तो श्रीमन्, उन्होंने जो कहा, जो घटना बतायी वह मेरी इत्तला के अनुसार इस प्रकार थी :—ट्रेन आने का वक्त था, एक मास्टर साइकिल पर प्लेटफार्म पर चला जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने कहा कि ट्रेन आ रही है, साइकिल पर चढ़ कर न जाओ। उन्होंने कहा कि वह कौन सा कानून है जिसके अनुसार तुम मना कर रहे हो। इसका कोई नोटिस तो आपने चिपका नहीं रखा है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि इसमें नोटिस चिपकाने की कोई बात नहीं है; उसमें वहां कुछ झगड़ा पैदा हुआ। यह बात अपने स्थान पर सही है कि स्टेशन मास्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया लेकिन उसके साथ यह भी बात सही है कि दूसरे दिन सुबह को स्टेशन मास्टर में और उनमें सुलह करायी गयी। सुलह कराने के दूसरे दिन मास्टर साहब जब स्कूल में आये तो जैसी की मेरी इत्तला है, उन्होंने स्कूल में उसका जिक्र किया। स्कूल के प्रबन्धकों, मास्टरों आदि ने यह कहा कि अगर इस तरह के दुर्व्यवहार को जो स्टेशन मास्टर ने किया है सह लिया जायेगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी क्योंकि रोज लड़के भी तो काफी तादाद में बिना टिकट आते हैं, इसलिये इसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

दूसरे दिन स्कूल खुलने पर सब की हाजिरी भरी गयी। आपको ताज्जुब होगा कि केवल १३ लड़के उस दिन गैर हाजिर पाये गये। उसके बाद लड़कों में से यह चुनाव हुआ कि कौन-कौन जा सकता है, कौन क्या कर सकता है। मैं यह सब रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। उसके बाद यह लड़के स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन मास्टर ने जब देखा कि लड़के हमलावार होने जा रहे हैं तो उसने फोन उठाया ताकि थाने से पुलिस आ जाय और रक्षा हो सके, मगर फोन का तार

[श्री हरगोविन्दसिंह]

काट दिया गया था। अभी चूंकि वह घटना अदालत के सामने जायेगी इसलिये ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता किन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह पूंछता हूं कि उस वक्त उस घटना की जो रिपोर्ट हमारे पास आयी तो मैं क्या करता? यह लोग खराब हैं यह मैं जानता हूं और इसलिये मैंने कहा है कि उनसे खिलाफ जो बात हो बिना नाम लिखे उनकी रिपोर्ट आप मेरे पास भेजें क्योंकि नाम लिख कर आने से थानेदार लोग उसको परेशान कर सकते हैं। इसलिये मैंने कहा है कि आप नाम न लिखिये। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों से भी इस बात को कहा है। आप हमको स्पेसिफिक केसेज बताइये।

तो मैं यह कह रहा था कि जब यह रिपोर्ट हमारे पास आयी तो मैं क्या करता? दुर्भाग्य यह है कि यह पुलिस वाले तो हमेशा ड क्स में खड़े रहते हैं। ६० रुपया हम इनको वेतन देते हैं और जो काम कोई नहीं कर सकता वह काम हम इनसे लेते हैं। और हम यह जरूर चाहते हैं कि जब हमको किसी चीज की तकलीफ हो तो हम उसको बुलाकर गालियां दें।

मैं कह रहा था कि पायोनियर अखबार के सम्पादक का मैं आभारी हूं कि उन्होंने २२ तारीख के अपने अखबार में एक एडीटोरियल लिखा और उस एडीटोरियल को उन्होंने इन शब्दों से शुरू किया कि पुलिस को शायद हम इस वजह से नुक्ताचीनी करते हैं क्योंकि हम स्वयं पोटेंशियल और एकाम्प्लिश्ड ला ब्रेकर्स हैं।

मैं यह आक्षेप तो नहीं कहता, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि समाज में यदि कोई ऐसी व्यवस्था किसी के द्वारा की जायगी कि ला एन्ड आर्डर ब्रेक होता रहे तो पुलिस को अपने हाथ पर वही लगा कर बैठने की कोई भी राय नहीं दे सकता। मैं तो अपने लिये नहीं कहता कि मैं वहां मौजूद था लेकिन राजा साहब वहां मौजूद थे। मैं नहीं जानता वह थे या नहीं थे। मैं राजा साहब को बहुत दिनों से जानता हूं क्योंकि सौभाग्य से हम दोनों एक ही जिले के हैं, इसलिये वे मेरी सभी कमजोरियों को जानते हैं और हम भी उनके सब बड़प्पन को जानते हैं। लेकिन जब भूतपूर्व माननीय नेता विरोधीदल बोल रहे थे तो उनको मैंने दूसरी श्रेणी में रखा है। मैं उनसे जानना चाहता था कि देहरादून में रामलीला मैदान में जहां रामलीला हो रही थी वहां एक आदमी का कत्ल हो गया और कातिल वहीं पकड़ लिया गया, फिर इतना बड़ा जलूस कोतवाली ले जाने की क्या जरूरत थी? जब कातिल को ले जाकर बंद कर दिया गया तो फिर स्वामी जी जो देहरादून के बड़े भारी नेता, प्रबन्धक और बड़े उच्च किस्म के आदमी हैं, उनको क्या जरूरत थी कि हजार आदमी को ले जाकर कोतवाली को घेर लेते?

श्री उपाध्यक्ष ——

अब समय समाप्त हो गया।

## लोक लेखा समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष——

मेरे पास दो तीन सूचनायें हैं। एक सूचना तो यह है कि लोक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों के लिये सर्व श्री नवलकिशोर और रणबहादुरसिंह निर्वाचित हुए हैं।

## राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष ——

दूसरी सूचना यह है कि राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये सर्वश्री राजा अवधेश प्रताप, धर्म सिंह, बृजबिहारी मिश्र और श्री शिवराजसिंह निर्वाचित हुए हैं।

# ३० अक्तूबर, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में उठायी गयी आपत्ति तथा विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

**श्री उपाध्यक्ष —**

माननीय अध्यक्ष ने आज अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में अपनी रूलिंग देने के लिये जो वायदा किया था वह इस प्रकार है :—

३० अक्तूबर, १९६३ के लिये अभिसूचित—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो श्री महमूद हसन खां व श्री रियासत हुसैन और श्री होरीलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रश्नान्तर्गत विषय हाईकोर्ट में रिट द्वारा विचाराधीन है, उन्होंने यह स्वीकार किया कि रिट की कापी उनके पास विद्यमान है और रिट एलाटमेंट आर्डर कैंसिल करने के लिये दी गयी है। इस उत्तर के सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसैन, माननीय होरीलाल यादव व माननीय महमूद हसन खां ने विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना देते हुए कहा है कि माननीय गृह मंत्री ने तथ्यों को छुपाने की नियत से गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह करने की और असलियत पर परदा डालने की कोशिश की है।

श्री रियासत हुसैन व श्री महमूद हसन द्वारा मुझे रिट याचिका की एक प्रतिलिपि दी गई जिसमें अनुच्छेद ९–१०–१७ में पुलिस द्वारा कथित अत्याचार का उल्लेख है तथा अनुच्छेद १७ में यह भी उल्लेख है कि श्री सत्यसिन्धु पांडेय जिसकी सहायता के लिये पुलिस के कथित अत्याचार हुए मोती महल का केयरटेकर है जिसका सम्बन्ध शक्तिशाली प्रभावयुक्त कांग्रेसियों से है। वह स्वयं भी कांग्रेसी है और उच्चपदासीन कांग्रेसियों का कृपा पात्र है।

याचिकांकित विवरण को ध्यान में रखते हुए कोई भी विवेकशील व्यक्ति कह सकता है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का विषय रिट के सम्बन्ध में विचार करते हुए चर्चा का प्रश्न बनेगा और न्यायाधीशों के विचाराधीन आयेगा। नियम २८९ (२) (ख) में विहित है कि जो तथ्य न्यायालय के विचाराधीन हो उस पर विचार प्रगट न किया जाय। अतः मैं समझता हूं कि न तो विशेषधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है और न मेरे लिये यह उचित होगा कि उन प्रश्नों पर उत्तर दिला कर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दूं।

अब हम ९ दिसम्बर, ६३ के साढ़े १० बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५२ मिनट पर सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३१ अक्तूबर, १९६३।

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर]

### तालिका

पूर्वी प्रदेश तथा मेरठ रीजन की जिन चीनी मिलों की चीनी का एक्स फैक्टरी मूल्य बढ़ा दिया गया है उनके नामों का विवरण।

१---पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्त चीनी मिलें।

२---मेरठ रीजन की चीनी मिलों के नाम---

(१) मोदीनगर
(२) मोहिउद्दीनपुर
(३) जसवन्त
(४) सखोली टांडा
(५) खतौली
(६) मंसूरपुर
(७) रोहाना
(८) सहारनपुर
(९) बागपत
(१०) सरसावा
(११) सिंभौली
(१२) बुलन्दशहर
(१३) शामली
(१४) अमरोहा
(१५) धामपुर
(१६) बिजनौर
(१७) रोसा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नस्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर ]

### तालिका

| क्रम-संख्या | स्थान जहां गोली चली | तिथि जिस दिन गोली चली | कितने व्यक्ति घायल व आहत हुए |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | | १९६१ | |
| १ | ग्राम लतरा, थाना फिरोजाबाद, जिला आगरा । | ६-२-६१ | २ व्यक्ति मरे और २ घायल हुये । |
| २ | ग्राम दशरथपुर, थाना मेंजा, जिला इलाहाबाद । | १-४-६१ | १ व्यक्ति मरा और ४ व्यक्ति घायल हुये । |
| ३ | ग्राम सरावा, थाना खरखोंदा, जिला मेरठ । | १२-४-६१ | कोई नहीं । |
| ४ | कुसमी कालोनी मजरा, भटपुरवा, कालोनी, थाना गोला, जिला खीरी । | ३१-५-६१ | २ व्यक्ति मरे, १ घायल हुआ । |
| ५ | ग्राम मंडोरा, थाना मोवाना, जिला मेरठ । | २१/२२-१०-६१ । | २ व्यक्ति घायल हुये । |
| ६ | ग्राम मुन्डा, थाना करछना, जिला इलाहाबाद । | १६-१२-६१ | ३ व्यक्ति घायल हुये । |
| | | १९६२ | |
| १ | ग्राम लूमामऊ, थाना संडीला, जिला हरदोई । | ७-२-१९६२ | कोई नहीं । |
| २ | थाना छावनी, इलाहाबाद । .. | २४-३-१९६२ | कोई नहीं । |
| ३ | थाना कोतवाली, इलाहाबाद । .. | १४-४-१९६२ | २ व्यक्ति मरे ६ घायल हुये । |
| ४ | ग्राम पुरैना, थाना भिनगा, जिला बहराइच । .. | ५-७-६२ | ५ व्यक्ति घायल हुये । |
| ५ | रेलवे स्टेशन, मुरादाबाद । .. | २१-८-६२ | कोई नहीं । |
| ६ | ग्राम दुवौली, थाना घनघटा, जिला बस्ती । | ३०-८-६२ | ४ मरे व ५ घायल । |
| ७ | ग्राम थवई-थाना, पयागपुर जिला बहराइच । | ७-९-६२ | १ मरा और १ घायल । |
| ८ | कोतवाली के निकट, गोरखपुर । | २०-१०-६२ | २ व्यक्ति मरे, २ घायल । |
| | | १९६३ | |
| १ | ग्राम कटिया, थाना इटवा, बस्ती । | २५ २६-१-६३ | २ व्यक्ति मरे । |
| २ | मोहल्ला बलुवा टोला, तथा पदरौना, के निकट जिला देवरिया । | ४-३-६३ | कोई नहीं । |

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५४ पर)

### बुलन्दशहर जिले के स्थानों के नाम जो विद्युतीकरण के लिये चुन लिये गये हैं निम्नलिखित हैं—

(१) औरंगाबाद
(२) विलासपुर
(३) काकोड़ा
(४) करोर
(५) शराय छबीला
(६) ऊचगांउ
(७) सेखूपुर
(८) धरमपुर
(९) चितसोन
(१०) सैदपुर
(११) भूनबहादुरनगर
(१२) कैशंपुर
(१३) सहेतपुर वर्री
(१४) खलौर
(१५) खानपुरगन्टी
(१६) दादरा
(१७) बर्नेल
(१८) बरला
(१९) छतारी
(२०) पहासू
(२१) बिजौली
(२२) चन्देहरा
(२३) बेलाम
(२४) सूरजबली
(२५) अदौल
(२६) अमरगढ़
(२७) जेवर
(२८) दानपुर
(२९) नबीनगर
(३०) जहांगिरपुर
(३१) उदयपुर
(३२) दौलतपुर
(३३) जरागांव
(३४) रजघट
(३५) पिलखना
(३६) खंडमोहन नगर
(३७) मदनजफराबाद
(३८) कुंचेश्वर
(३९) अहम्मदनगर
(४०) भतूना
(४१) धूनमनकापूर
(४२) रबुपुरा
(४३) झजार
(४४) सरंगपुर
(४५) सलेमपुर
(४६) औरंगाबाद चंदाक
(४७) नगला उर्फ बालका
(४८) गिरेरो
(४९) संखनी
(५०) गुनगरावली

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

## विवरण

**ग्राम हैदराबाद, जिला उन्नाव में १० मार्च, १९६३ को हुई घटना का विवरण ।**

हिन्दुओं की ओर से लिखाई गई सूचना के अनुसार १० मार्च, १९६३ को ग्राम हैदराबाद, थाना औरास में दोपहर को लगभग २ बजे हिन्दू लोग होली के सिलसिले में होली के गीत गाते जा रहे थे । जब यह लोग एक मुसलमान के घर के पास पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें यह कहते हुय रोका कि उनके मजहब की तौहीन में गीत न गाये जांय । हिन्दुओं ने कहा कि वे उनके मजहब की तौहीन में गीत नहीं गा रहे हैं । इसी पर कहा सुनी बढ़ गई और जलूस के लोगों पर ईंट, पत्थर फेंका जाने लगा तथा एक फायर भी किया गया जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों को चोटें भी आईं । इसके विपरीत मुसलमानों ने जो सूचना दी उसके अनुसार हिन्दू लोग होली के जलूस में गालियां देकर कबीर गा रहे थे । मुसलमानों के मना करने पर कि उनके मजहब की तौहीन में गीत न गाये जायं, ईंट, पत्थर चलने लगा तथा फायर किया गया और जलूस के लोग भाग गये । इसके बाद फिर २२-२३ हिन्दू लाठी, भाला, कांता लेकर आये और कुछ मुसलमानों के घरों में आग लगा दी । उक्त सूचना के आधार पर दो मुकदमें धारा १४७, १४८/३०७/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत २२ मुसलमानों के विरुद्ध तथा धारा १४७/१४८/३०७/४३६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत २३ हिन्दुओं के विरुद्ध दर्ज किया गया और विवेचना के पश्चात् चालान अदालत किया गया । दोनों मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

---

# नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

## तालिका

## हाई पावर शुगर इंडस्ट्री ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का विवरण

(१) गन्ने का सघन विकास पूर्वबद्ध रीति (Phased manner) से फैक्टरी के समस्त गन्ना क्षेत्र में उपयुक्त अवधि के भीतर किया जाय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में चीनी मिलों के गेट एरिया के लगभग ४,००० एकड़ क्षेत्र में गन्ने की सघन खेती का विकास किया जाना चाहिये और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहना चाहिये जब तक प्रत्येक फैक्टरी द्वारा अपेक्षित सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र का पूर्णतया विकास न हो जाय ।

(२) तराई और देहरादून बोरर्स (Borers) की रोक थाम के लिये प्रभावी नियंत्रक उपायों को शीघ्रता से मालूम करना चाहिये । इंडियन सेन्ट्रल शुगर केन कमेटी का भी इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

(३) गन्ना शोध केन्द्र को सुदृढ़ बनाया जाय और उपकेन्द्र खोले जायं व गन्ने की किस्मों को बढ़ाने के लिये शोध केन्द्रों में और अधिक भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त गन्ना शोध को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये विशेषतः भाट मिट्टी वाले तथा तराई और पानी जाम (waterlogged) क्षेत्रों के लिये उपयुक्त किस्में निकालने के लिये निदेश देना चाहिये ।

(४) गांवों को शक्कर फैक्टरियों से मिलाने वाली सड़कों (feeder roads) के निर्माण पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिये तथा शक्कर के कारखानों के चारों ओर पक्की सड़कें बनाने के सम्बन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कारखाने वाले क्षेत्रों को तरजीह दी जानी चाहिये ।

(५) पानी जमा होने (water logging) बाढ़ों तथा जलोत्सरण की समस्याओं को राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर सविस्तार जांच की जानी चाहिये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को लघु सिंचाई सम्बन्धी आयोजनाओं में तरजीह दी जानी चाहिये और गन्ना उत्पादकों को शीघ्र ऋणों का उपयोग करने के लिये निर्माण सामग्री की सुविधा दी जानी चाहिये ।

(६) छोटे गन्ना उत्पादकों को शक्कर की अधिक मात्रा वाले गन्ने की किस्मों को उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ।

(७) फैक्टरियों को अपने पुराने संयत्र (old plants) का शीघ्र ही पुनः स्थापना (rehabilitation) तथा आधुनीकरण करना चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन के लिये तुरन्त पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था ऋण देने के लिये करना चाहिये । फैक्टरियों द्वारा दिये गये ऋण के प्रार्थना-पत्रों की जांच के लिये एक प्राविधिक समिति गठित की जाना चाहिये इत्यादि । पूर्वी उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों को प्रसार हेतु लाइसेंस दिये जाने के लिये भारत सरकार पर जोर देना चाहिये ।

(८) कामदारों की संख्या बढ़ा दी जाय व उनके नियत यात्रिक भत्ता में उपयुक्त वृद्धि की जाय ।

(९) क्षेत्रों का आरक्षण (reservation) दीर्घ कालीन आधार पर किया जाना चाहिये और पड़ोसी फैक्टरियों में सीजन की अवधि में कोई समानता अनिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है ।

(१०) चीनी मिलों के गेट एरिया में १० मील के भीतर और आउट सेंटर के तीन मील के भीतर यदि गन्ने का क्रय उक्त आउट सेंटर पर ५ लाख मन से अधिक है, तो विद्युत् चालित कोल्हुओं को नये लाइसेंस नहीं दिये जायं। जहां तक संभव हो चीनी मिलों के पांच मील के भीतर से विद्युत् चालित कोल्हू हटा कर अन्यत्र लगाये जायं। गेट एरिया में गुड़ बनने पर प्रतिबन्ध रखा जाय।

(११) जब दो या दो से अधिक छोटी इकाइयां (यूनिट) एक साथ विलियन चाहें तो सरकार प्रत्येक मामले के समस्त पहलुओं की पूरी तरह से जांच करने के बाद यथासंभव फालतू श्रम की खपत सुनिश्चित करके उसके लिये अनुमति दे सकती है।

---

सत्यमेव जयते

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

| क्रम-संख्या | संस्था का नाम | धनराशि | |
|---|---|---|---|
| | **देवरिया क्षेत्र** | रु० | |
| १ | बी० आर० सी० इन्टर कालेज, देवरिया | १,८००·०० | |
| २ | मारवाड़ी ई० कालेज, देवरिया | १,७६०·०० | |
| ३ | एस० एस० बी० एस० ई० कालेज, देवरिया | १,१४६·०० | |
| ४ | श्री गा० स्या० ई० का०, हाटा | १,१५१·०० | |
| ५ | पी० एन० एम० ई० का०, फाजिल नगर | १,०५२·०० | |
| ६ | मु० ई० का०, कुशीनगर | १,६९६·०० | |
| ७ | गनेश मा० का०, इन्दुपुर | १,६८०·०० | |
| ८ | शिवा जी उ० मा० विद्यालय, खरखन्द | १,४२०·०० | |
| ९ | के० ई० राजकीय ई० का०, देवरिया | ९८४·६२ | |
| १० | क० रा० व० उ० मा० विद्यालय, देवरिया | १,५५३·७५ | |
| ११ | उत्तर माध्यमिक विद्यालय, मजगां ा | ५०१·०० | |
| १२ | च० से० मा० उ० मा० विद्यालय, देगांव | ७३९·०० | |
| १३ | जनता उ० मा० विद्यालय, रामपुर अवस्थी | ९१५·०० | |
| १४ | ए० एन० डी० उच्चत र माध्यमिक वि०, अमरदेवा | ४०१·०० | |
| १५ | एस० आ० सी० मा० वि० बसन्तपुर, कुशी | ३५८·८४ | |
| १६ | उ० मा० वि०, कम्हौली | १,२५३·०० | |
| १७ | ए० आर० डी० उ० मा० विद्यालय, बभनी | २९९·०० | |
| १८ | ए० प्र० उ० मा० वि०, खुह री | ४२७·०० | |
| १९ | हसाली उ० मा० वि०, रुद्रपुर | २२४·०० | |
| २० | कु० मा० उ० मा० वि०, इन्द्रपुर | ५४८·०० | |
| २१ | सुभाष उ० मा० विद्यालय, भटनी | २०१·०० | |
| २२ | कृषक उ० मा० वि०, बलटिकरा | २३८·०० | |
| २३ | स० म० क० उ० मा० वि०, गौरीबारी | २२१·०० | |
| २४ | नवहप्पी उ० मा० वि०, रामपुरगढ़ | २४१·०० | |
| २५ | अशोक उ० मा० वि०, रामपुर कारखाना | १०९·०० | |
| २६ | म० ना० उ० मा० वि०, नोनापार | १००·०० | |
| | **पडरौना क्षेत्र** | | |
| १ | यू०एच० उ० मा० वि०, पड़रौना | २,३७३·०० | |
| २ | लोक मान्य उ० मा० वि०, जानकीनगर | २,२५३·०० | |
| ३ | खेतान उ० मा० वि०, लक्ष्मीगंज | २,१५९·०० | |
| ४ | एस० के० मा० वि०, कठकुइयां | १,४३४·०० | |
| ५ | जनता उ० मा० विद्यालय, रामकोला | १,२५१·९२ | ११ १/२ ग्राम |
| ६ | छितौनी उ० मा० विद्यालय, छितौनी | ९५२·०० | |
| ७ | म० फा० उ० मा० विद्यालय, बेतनियां | ८८६·६४ | |
| ८ | उ० मा० विद्यालय, खुरपट्टी महुवा | ३६५·०० | |

| क्रम-संख्या | संस्था का नाम | | घनराशि | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | |
| ९ | एस० बी० उ० मा० विद्यालय, कप्तानगंज | .. | ३२५.०० | |
| १० | एस० जी० के० उ० मा० विद्यालय, खड्डा | .. | ५२८.०० | २३ ग्राम |
| ११ | फ० मे० उ० माध्यमिक विद्यालय, तमकुही गंज | .. | ६५०.५० | |
| १२ | किसान उ० मा० विद्यालय, खाखोपार | .. | १०२.०० | |
| | **मझोली क्षेत्र** | | | |
| १ | एस० डी० उ० मा० विद्यालय, मठशार | .. | २,०५२.२५ | |
| २ | ओ० के० माध्यमिक विद्यालय, लार .. | .. | १,२०१.०० | |
| ३ | बी० आर० डी० के० उ० मा० वि०, भाटपार | .. | १,०९४.०० | |
| ४ | मदनमोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपार रानी | .. | १,००२.०० | |
| ५ | बापू ई० का०, सलेमपुर .. | .. | १,४६१.०० | |
| ६ | ई० कालेज, पिन्डी .. | .. | १,४०३.०० | |
| ७ | वी० एम० ई० कालेज, मझोली राज ... | .. | ७८१.०० | |
| ८ | पं० जे० एस० के० उ० मा० विद्यालय, महुआबारी | .. | ८०१.०० | |
| ९ | जनता उ० मा० विद्यालय, बनकटा स्टेशन | .. | ४६२.०० | |
| १० | के० एस० उ० मा० विद्यालय, सुतावर | .. | १५२.०० | |
| ११ | श्री मा० या० उ० मा० विद्यालय, रेवती | .. | २०१.०० | |
| १२ | श्री रा० जा० उ० मा० विद्यालय, वाह बन्धीमठ | .. | १११.०० | |
| | **बरहज क्षेत्र** | | | |
| १ | एस० के० ई० का०, बरहज .. | .. | ८४५.५० | |
| २ | ह० व० ई० कालेज बरहज .. | .. | ६४६.२५ | |
| ३ | बी० जी० एम० उ० मा० वि०, मानतपूर | .. | ६०५.०० | |
| ४ | जनता उ० मा० वि०, मदनपूरगोला .. | .. | ५०३.०० | |
| ५ | म्र० मा० ई० का०, गनियारी .. | .. | ४०४.०० | |
| ६ | डी० पी० उ० मा० वि०, देवरिया .. | .. | ३५९.०० | |
| ७ | ए० आर० सी० उ० मा० वि०, खरांव | .. | ३३२.०० | |
| ८ | ज्ञान प्र० उ० मा० विद्यालय, मधुबनी .. | .. | २३१.०० | |
| ९ | श्री प० उ० मा० विद्यालय, सतरांव .. | .. | १७४.०० | |
| १० | बां० ग० वा० उ० मा० विद्यालय' .. | .. | ७५.०० | |
| | (१) यू० डिग्री कालेज, खुशीनगर .. | .. | ५९७.५३ | |
| | (२) यू० एन० के० डि० कालेज, पडरौना .. | .. | २३६.०० | |
| | (३) बी० आर० डी० कालेज, देवरिया .. | .. | ४०१.०० | |

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८ पर)

### तालिका

उप-कर तथा क्रय-कर की वसूली की रकम का मिलवार विवरण जो जनवरी, १९६३ से जून, १९६३ तक प्राप्त हुई—(लाख रुपयों में)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १—इकबालपुर | .. | ११.७२ | ३२—ऐरा | .. | २.७३ |
| २—डोइवाला | .. | .११ | ३३—बुढवल | .. | २.९० |
| ३—देवबन्द | .. | २५.७७ | ३४—मसोधा | .. | ५.०८ |
| ४—लक्सर | .. | ०.१९ | ३५—बिसवां | .. | १.०५ |
| ५—सहारनपुर | .. | १५.६९ | ३६—शाहगंज | .. | ४.३६ |
| ६—मनसूरपुर | .. | २९.५९ | ३७—मुन्डेरवा | .. | ३.०४ |
| ७—खतौली | .. | १३.२० | ३८—बस्ती | .. | ४.८९ |
| ८—रोहाना | .. | १०.४५ | ३९—वाल्टरगंज | .. | ३.४३ |
| ९—शामली | .. | ३३.१५ | ४०—नवाबगंज | .. | ४.८५ |
| १०—सकोती | .. | ५.४४ | ४१—तुलसीपुर | .. | २.९९ |
| ११—जसबन्त | .. | .९२ | ४२—बलरामपुर | .. | .५२ |
| १२—मोहीउद्दीनपुर | .. | १.३७ | ४३—जरवल रोड | .. | २.३५ |
| १३—बागपत | .. | ४.४६ | ४४—परतावपुर | .. | ७.०० |
| १४—बुलन्दशहर | .. | ७.५६ | ४५—बेतालपुर | .. | ५.७५ |
| १५—काशीपुर | .. | १२.५२ | ४६—गौरी बाजार | .. | ३.२२ |
| १६—बाजपुर | .. | ८.०८ | ४७—देवरिया | .. | १.७४ |
| १७—नेवली | .. | ७.०४ | ४८—कप्तानगंज | . | १०.४३ |
| १८—अमरोहा | .. | ७.६२ | ४९—खड्डा | .. | १.१५ |
| १९—बिलारी | .. | ६.०८ | ५०—छितौनी | .. | .७९ |
| २०—बहेड़ी | .. | २.०१ | ५१—लक्ष्मीगंज | .. | १.८६ |
| २१—बरेली | .. | १५.८४ | ५२—रामकोला (पी) | .. | ४.८४ |
| २२—पीलीभीत | .. | १७.९६ | ५३—रामकोला (के) | | १.४२ |
| २३—धामपुर | .. | १४.१८ | ५४—पडरौना | .. | ४.५७ |
| २४—सिवहारा | .. | ८.४५ | ५५—कठकुइयां | .. | ४.३३ |
| २५ बिजनौर | .. | ८.४१ | ५६—सेवरही | .. | १०.०० |
| २६—रोशा | .. | १.१० | ५७—मटनी | .. | १.७६ |
| २७—बुलन्द | .. | .. | ५८—सरदारनगर | .. | १९.५६ |
| २८—रजा | .. | ३.०९ | ५९—पिपराइच | .. | ०.३३ |
| २९—हरदोई | .. | .५६ | ६०—घुघली | .. | ५.७१ |
| ३०—हरगांव | .. | ३.८५ | ६१—सिसवाबाजार | .. | ७.४८ |
| ३१—महोली | .. | ५.३४ | ६२—फरेन्दा | .. | २.२९ |

कुल वसूली जो हुई .. ४१३.९१

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६० पर)

दिनांक १६-५-६३ को ५-१/२ बजे शाम को चुनाव के संबंध में श्री आचार्य कृपालानी के कार्यकर्त्ता श्री महेशकुमार जब ग्राम नयावत्नी से अपने भाई श्री ओमप्रकाश व अन्य व्यक्तियों सहित जीप पर वापिस आ रहे थे तो सम्भल में, कांग्रेस चुनाव कार्यालय के पास २५-३० व्यक्तियों ने उनकी जीप को घेर लिया तथा जीप पर ईंट, पत्थर व लाठियों से हमला किया । श्री महेश को आशिक नामक व्यक्ति ने चाकू से भी चोट पहुंचाई । इस घटना के फलस्वरूप सर्वश्री महेशकुमार, ओमप्रकाश तथा प्यारेसिंह को चोटें आईं । इस घटना की रिपोर्ट थाना सम्भल पर ६ १/२ बजे शाम को लिखाई गई जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/३२३/३२४ ४२७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। जांच के फलस्वरूप ५ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा दिनांक २५-६-६३ को इन व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६०)

| मांगें | की गयी कार्यवाही |
|---|---|
| १—भारत सरकार से प्रार्थना की जाये कि वह स्वर्ण संबंधी अध्यादेश को वापस ले लें। | किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। |
| २—स्वर्णकारों के नवयुवकों को ऐसे कारखानों में काम दिलाया जाय जिसके लिये वे उत्तराधिकार से दक्ष एवं कुशल हों। | उन स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार पाने के लिये आते हैं उनके नाम शीघ्र पंजीकृत किये जाने तथा उनके नाम एम्पलायर्स के पास भेजने में प्राथमिकता दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। |
| ३—उत्तर प्रदेश के स्वर्णकारों के बच्चों की शिक्षा तत्काल नि शुल्क की जाय। | आवश्यक आदेश सरकार द्वारा दे दिये गए हैं कि स्वर्णकारों के बच्चों को सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में हाईस्कूल तक निःशुल्क शिक्षा (जिसमें ट्यूशन फीस तथा डी० ए० ही शामिल है) दी जायेगी। |
| ४—जब तक स्वर्णकारों की जीविका का प्रबन्ध न हो जाय तब तक प्रत्येक परिवार को अन्तरीक आर्थिक सहायता दी जाये। | किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। |

## नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

प्रश्न संख्या ५६ (अ) —यह पद नवम्बर, १९५८ से, सुयोग्य अभ्यर्थियों की कमी से रिक्त हैं ।

(ब) यह पद रिक्त नहीं हैं ।

(स) यह पद रिक्त नहीं हैं ।

(द) यह पद फरवरी, १९६३ से पदाधिकारी के त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त हुआ। दूसरे व्यक्ति की नियुक्त इस पद पर कर दी गई है किन्तु उन्होंने अभी कार्यभार नहीं संभाला।

(य) यह पद सितम्बर, १९६२ से खाली है किन्तु इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पद का कार्य सम्पादन एक दूसरे पद द्वारा किया जा रहा है।

(व) यह पद सितम्बर, १९६३ से रिक्त है किन्तु गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट के पुनः गठन से इस पद को भरने की आवश्यकता नहीं है ।

(ल) यह पद अप्रैल, १९६२ से रिक्त है किन्तु गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट के पुनः गठन से इस पद को भरने की आवश्यकता नहीं है ।

(ह) यह पद रिक्त नहीं है।

(च) यह पद रिक्त नहीं है ।

(ध) यह पद नवम्बर, १९५८ से सुयोग्य व्यक्ति न मिलने से खाली है।

## नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

| थाना | डकैतियां | | | कत्ल | | | चोरियां व नकबजनी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रिपोर्ट हुए | चालान हुए | सजायाब हुए | रिपोर्ट हुए | चालान हुए | सजायाब हुए | रिपोर्ट हुए | चालान हुए | सजायाब हुए |
| कोतवाली .. | ६ | २ | २ | १३ | ३ | १ | ५२३ | २७ | १४ |
| बिन्दकी .. | २ | २ | १ | ५ | ३ | १ | ३०४ | ४४ | २४ |
| थरियाव .. | ८ | ३ | .. | १० | ४ | .. | १७६ | २० | ३ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## परिशिष्ट 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

(१) सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत बेरोजगार स्वर्णकारों के ऋण तथा अनुदान हेतु आये हुए प्रार्थना पत्रों को विचार करने में प्राथकिता दी जाय ।

(२) राज्य के औद्योगिक तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि वे बेरोजगार स्वर्णकारों तथा उनके बच्चों को इनमें भरती करने, वजीफा देने में प्राथमिकता दें ।

(३) राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश नियम के फलस्व रूप बेकार हुये स्वर्णकारों के बच्चों को सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ने के लिये हाई स्कूल तक नि.शुल्क शिक्षा (जिसमें केवल ट्यूशन फीस तथा मंहगाई भत्ता ही शामिल है) दी जायेगी ।

(४) सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि ऐसे स्वर्णकारों को जो रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार पाने के लिये आते हैं उनके नाम शीघ्र पंजीकृत किये जायं और उनके नामों को एम्प्लायर्स के पास भेजने में प्राथमिकता दी जाय।

(५) निम्नलिखित जिलों के जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे बेकार हुये वास्तविक स्वर्णकारों को १० (दस) हार्सपावर तक का आफ़ पीक लोड उद्योग स्थापित करने के लिये स्वीकृत कर दें—

मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, देहरादून, सहारनपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा बिजनौर, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, अल्मोड़ा, नैनीताल हरदोई, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और बरेली ।

# नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७३ पर)

## बाराबंकी जिले में माह जून, जुलाई व अगस्त, १९६३ में हुए कत्लों की तालिका

| नाम थाना | माह | | |
|---|---|---|---|
| | जून | जुलाई | अगस्त |
| १—रामनगर .. .. .. | १ | .. | .. |
| २—फतेहपुर .. .. .. | २ | २ | १ |
| ३—टिकैत नगर .. .. .. | १ | १ | .. |
| ४—लोनी कटरा .. .. .. | १ | .. | .. |
| ५—भेलसर .. .. .. | १ | १ | १ |
| ६—सुबेहा .. .. .. | १ | .. | १ |
| ७—कुर्सी .. .. .. .. | .. | १ | १ |
| ८—कोठी .. .. .. .. | .. | १ | .. |
| ९—मोहम्मदपुर .. .. .. .. | .. | .. | २ |
| योग | ७ | ६ | ६ = १९ |

# नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

| | ए० सी० सप्लाई | डी० सी० सप्लाई (केवल शहर) |
|---|---|---|
| (१) बत्ती और पंखा | ७ आना प्रति यूनिट तथा निर्धारित समय पर भुगतान करने पर १ आने की छूट। | ५६ नये पैसे प्रति यूनिट तथा निर्धारित समय पर भुगतान करने पर ६ न० पै० की छूट। |
| (२) घरेलू शक्ति .. | ४ आना ६ पाई प्रति यूनिट तथा सामयिक भुगतान पर ६ पाई की छूट। | ४० न० पै० प्रति यूनिट तथा सामयिक भुगतान पर ६ न० पै० की छूट। |
| (३) औद्योगिक शक्ति .. | ३ आना ३ पाई प्रति यूनिट तथा सामयिक भुगतान पर ३ पाई की छूट। | २५ न० पै० प्रति यूनिट |
| (४) सिनेमा इत्यादि .. | ४ आने ६ पाई प्रति यूनिट तथा सामयिक भुगतान पर ६ पाई की छट। | |
| (५) बड़ी तथा भारी शक्ति के लिये गंगा सारदा ग्रिड वाली दरें, जिनकी सूची संलग्न हैं। काल सरचार्ज के साथ जो कि गोरखपुर विद्युतगृह पर क यले के मूल्य पर निर्भर है, लागू है। | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## GANGA-SARDA GRID

### Rate Schedule for Large Power

*(Also applicable to Eastern U. P.)*

1. *Applicability*—This rate is applicable to all three phase consumers who have a contract demand of more than 100 kVA and up to and including 500 kVA, for power purposes irrespective of the process for which the energy is used.

2. *Character of Service*—A. C., three phase, 50 cycle, 11,000 volts. Alternatively, the supply at the discretion of the supplier can be given at a voltage lower than 11 kV in which case an additional charge of 7 1/2 per cent on the total amount of the bill will be, levied. If the consumer takes supply at a standard voltage above 11 kV, a rebate of 5 per cent will be allowed to him by the Board on the total amount of the bill calculated at the rates prescribed for supply at 11 kV.

3. *Rate*—

(*a*) *Demand charge*—Full chargeable demand during the month at the rate of Rs.8.00 per kVA.

*Plus*

(*b*) *Energy charge*—First 170 kWH per kVA of chargeable demand consumed during the month at the rate of 4.5 nP. per kWH.

Next 170 kWH per kVA of chargeable demand consumed during the month at the rate of 3.5 nP per kWH.

Remaining kWH consumed during the month at the rate of 3.0 nP. per kWH.

4. (i) *Chargeable Demand*—The chargeable demand for the month shall be defined as the actual demand during the month or 60 per cent of the contracted demand or 75 per cent of the highest demand which occurred during the preceding 11 months, whichever is the highest.

(ii) *Coal clause*—The above rates shall be subject to a coal price adjustment at the rate of 0.001 nP. per kWH increase or decrease for every one nP. of variation above or below Rs.40 per tonne of coal delivered at the bunkers in the Harduaganj Generating Station. The price of the coal shall be determined by taking the average cost of coal during each half year ending Thirty-first day of March and Thirtieth day of September and any adjustment in the accounts shall be made at the end of every half year in respect of every nP. variation of price above or below Rupees Forty per tonne during the period. The monthly bill presented to the consumer shall include, pending the determination of the price of each half year as aforesaid, provisional adjustment of increase or decrease in the charge per kWH, based on the price of coal at the end of the preceding half year. Such provisional adjustment included in monthly bills shall be subject to final adjustment at the close of each half year ending Thirty-first day of March and Thirtieth day of September on the basis of the price of coal determined for the rellative half year as provided above.

5. *Determination of Demand*—Demand measurement shall be made by suitable instruments at the point of Delivery. The demand for any month shall be defined as the highest average load measured in Kilovolt-amperes during any 30 consecutive minutes period of the month.

6. *Payments*—The above are net rates. In the event of the current monthly bill not being paid in full by the due date specified in the bill, the consumer shall be liable to pay a surcharge at the rate of one per cent on the amount of the Bill for each month or part of the month by which payment is delayed.

7. *Factory Lighting*—An industrial consumer will be allowed to consume power for lights, fans and other general purposes and pay for it at the above rates up to a meximum of 10 per cent of his total power consumption during one month. For power consumed on lights, fans and other general purposes in excess of this limit, he will be liable to pay at the rate Schedule GSG/LF/LT—1, i.e. on the standard Light and Fan rate.

8. *Single Point Delivery*—The power will be supplied to the consumer at a single point for the entire premises and no sub-meters, etc. will be installed by the supplier.

NOTE NO. 1—(*Concession for off-pea'k supply*)—Large Power consumers who are supplied power on an off-peak basis, i.e., available only during the hours from 10 p.m. one day and 6 p.m. next day in the summer and from 9 p.m. one day to 5 p.m. next day during the winter, will be allowed a rebate of 5 per cent on the monthly bills at the standard rates.

NOTE NO. 2—(*Concession for Night Supply*)—Large Power consumers who are supplied power on the Night Load Supply basis, i.e., available only during the hours from 10 p.m. one day to 8 a.m. next day, will be allowed a rebate of 25 per cent on the monthly bills at the standard rates.

PROVIDED that, both in case of Off-Peak supply and also in the case of Night Load Supply, if the consumer is, at any time, found to be being power beyond the prescribed hours, the concession in the standard rates will not be admissible to him for the whole month in which he is found to be using power beyond the prescribed hours and he will also be liable to an additional surcharge of 20 per cent over his bill at the standard rates. In addition, he will be liable to disconnection without notice.

## नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कन्धरापुर थाने में जून ६१ से अगस्त, ६३ तक हुई कत्ल, बलवा डकैती, चोरी, राहजनी, मारपीट, से संबंधित सूचना

| अपराध | वारदातों की संख्या | कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी | कितने मामले चलाए गए | कितने मामलों में अभियुक्त को दन्डित किया गया | कितने मामलों में अभियुक्त को छोड़ दिया गया | कितने मामलों में कोर्ट ने पुलिस के विरुद्ध इस्ट्रक्चर पास किया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कत्ल | .. | ४ | .. | ४ | .. | २ .. |
| बलवा | .. | ९ | २ | ५ | १ | २ .. |
| डकैती | .. | ४ | १ | ३ | १ | १ १ |
| चोरी | .. | ५९ | ३२ | २२ | ६ | ७ .. |
| राहजनी | .. | २ | .. | २ | .. | १ .. |
| मारपीट | .. | १६ | .. | ८ | ३ | १ .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २६–२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर।)

| क्रम-संख्या | वित्तीय वर्ष | इकाइयों के नाम | वितरित ऋण | उद्योग का नाम | उपयोग विवरण | उचित उपयोग न करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १९६०–६१ | सर्वश्री फरटीलाइजर ऐंड जिलेटिन इंडस्ट्रीज, मण्डी बास। | २५,००० | चर्म-हड्डी की खाद | १५,००० रु० के लगभग का सही इस्तेमाल किया जा चुका है। शेष १०,००० के बारे में जांच हो रही | चूंकि सूचना अन्तिम रूप से उपलब्ध नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। |
| २ | १९६०–६१ | सर्वश्री यासीन ब्रादर्स, अमरोहा | २५,००० | शक्कर (खांडसारी) | उचित उपयोग किया गया। | प्रश्न नहीं उठता |
| ३ | १९६१–६२ | सर्वश्री चैतन्द्र कुटीर उद्योग, ग्राम नरौली | ७५,००० | खांडसारी क्रिस्टल शक्कर | उचित उपयोग किया गया। | प्रश्न नहीं उठता |
| ४ | १९६१–६२ | सर्वश्री सरन मेटल इंडस्ट्रीज, बालम स्ट्रीट। | ५०,००० | मेटल वेयर ऐंड ब्रास | रुपये के सही इस्तेमाल के बारे में जांच हो रही है। | चूंकि सूचना अन्तिम रूप से उपलब्ध नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम-संख्या | वित्तीय वर्ष | इकाइयों के नाम | वितरित ऋण | उद्योग का नाम | उपयोग विवरण | उचित उपयोग न करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | १९६१-६२ | सर्व श्री राजकुमार कृष्णकुमार ग्राम पकवारा। | २५,००० | शक्कर (खांडसारी) | रुपये के सही इस्तेमाल के बारे में जांच हो रही है। | चूंकि सूचना अन्तिम रूप से उपलब्ध नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। |
| ६ | १९६२-६३ | सर्वश्री रामसरनदास प्रेमनाथ हसनपुर। | ५०,००० | मशीनरी ऐंड एलाइड पोर्टस्। | २८,६६९.५८ रुपये का सही उपयोग हो चुका है। शेष के बारे में जांच हो रही है। | चूंकि सूचना अन्तिम रूप से उपलब्ध नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'थ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०० पर)

**विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री उग्रसेन के तारांकित प्रश्न संख्या १०–१२ तक के उत्तर**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| १०—क्या राजस्व मन्त्री को मई के प्रथम सप्ताह में देवरिया के एक विधायक का इस आशय का पत्र मिला है कि गोरखपुर जिले के फरेंदा, महाराजगंज तथा सदर तहसीलों में एक हजार एकड़ से अधिक भूमि सरकारी अधिकारियों ने फर्जी रूप से हड़प ली है ? | १०—जी हां। |
| ११—क्या राजस्व मन्त्री उक्त पत्र को सदन की मेज पर रखेंगे ? | ११—प्रतिलिपि रख दी गई। |
| १२—क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्यवाही की और उसका फल क्या निकला ? | १२—वह पत्र जिलाधीश को जांच के लिये भेजा गया। जांच से पता चला कि हड़पने का आरोप सही नहीं। |

हुकुमसिंह बिसेन,
राजस्व मन्त्री।

## नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६३ के दवें गुरुवार के लिये निर्धारित
श्री दीपनारायणसिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर

**प्रश्न**

४—क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर, १९६२ ई० में हत्याओं की कितनी-कितनी घटनायें जिला फतेहपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत घटित होने की सूचनाएं दर्ज हुई हैं और उन घटनाओं में कितने व्यक्तियों की जानें गयीं ?

**उत्तर**

४—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

जगन्नभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

---

दिसम्बर, १९६२ में जिला फतेहपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत हुई हत्या की घटनाओं का वितरण:—

| नाम स्थान | घटनाओं की संख्या | मृतकों की तादाद |
|---|---|---|
| कोतवाली .. .. .. .. | दो | तीन |
| कल्यानपुर .. .. .. .. | .. | .. |
| हुसैनगंज .. .. .. .. | .. | .. |
| हथगांव .. .. .. .. | .. | .. |
| धरियाव .. .. .. .. | .. | .. |
| खागा .. .. .. .. | एक | एक |
| खखरेरु .. .. .. .. | .. | .. |
| किशुनपुर .. .. .. .. | एक | एक |
| बिन्धकी .. .. .. .. | .. | .. |
| जहानाबाद .. .. .. .. | एक | दो |
| चांदपुर .. .. .. .. | एक | एक |
| ललौली .. .. .. .. | एक | दो |
| गाजीपुर .. .. .. .. | एक | एक |
| योग | आठ | ग्यारह |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४५ एल० ए०—१९६३—८६० (प्रो०)।